अष्टम माला, खंड 16, अंक 32, गुरुवार, 10 अप्रैल, 1986/20 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 16 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिंदी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 16 पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 32, गुरुवार, 10 अप्रैल, 1986/20 चैत्र, 1908 (शक)

विषय			पृष्ठ
तुर्की की संसद के सदस्यों का स्वागत	...	...	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	2—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 639 से 642, 645 और 647			
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	20—202
तारांकित प्रश्न संख्या : 643, 644, 646 और 648 से 658	...	...	20—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6044 से 6271	...	...	30—196
दिनांक 27 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4294 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	...	...	196
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...		203
क्कलन समिति	...	...	203—204
30वां प्रतिवेदन			
यम 377 के अधीन मामले	...	...	204—208
(एक) महाराष्ट्र के मालेगांव में रंगीन साड़ियों के निर्माण में लगे विद्युतचालित करघों श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता			
श्री एस० एस० भोये	...	...	204

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता
श्री चिन्तामणि जेना ... ... 204—205

(तीन) नागर मालशेट कल्याण घाट रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता
श्री एस० जी० घोलप 205

(चार) अहमदनगर किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने तथा किले में दर्शकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की आवश्यकता
श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल 205

(पांच) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों के चयन संबंधी प्रक्रिया को सुचारू बनाने और इन आयोगों द्वारा प्रत्याशियों के चयन की प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तन करने की आवश्यकता
श्री मूलचन्द डागा ... ... 205—206

(छः) प्लोटोवालटाइक्स के क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात के प्रस्ताव को समाप्त करने की आवश्यकता
श्री बसुदेव आचार्य 206

(सात) बंबई, ठाणा और अम्बरनाथ में कारखानों को बन्द न होने देने और उन्हें वहां से न हटाने की आवश्यकता
डा० दत्ता सामन्त 207

(आठ) राजस्थान में ऐतिहासिक/वास्तुकलात्मक महत्व के किलों का सर्वेक्षण करने और उनके उचित अनुरक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता
श्री जुझार सिंह ... ... 207—208

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87 ... ... **208—259**

(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दो) परमाणु ऊर्जा विभाग

(तीन) इलैक्ट्रोनिकी विभाग

(चार) महासागर विकास विभाग

(पांच) अंतरिक्ष विभाग

श्री रामसिंह यादव ... ... 208—211

प्रो० पी० जे० कुरियन ... ... 211—216

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल 217

श्री जी० एस० मिश्र ... ... 217—219

प्रो० नारायण चन्द पराशर ... ... 219—221

श्री डी० पी० यादव ... ... 221—225

डा० चिन्ता मोहन ... ... 226—227

श्री एस० जयपाल रेड्डी ... ... 227—233

श्री शिवराज वी० पाटिल ... ... 233—242

श्री बिपिन पाल दास ... ... 242—243

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... ... 243—245

श्री पी० एम० सईद ... ... 245—248

श्रीमती जयन्ती पटनायक ... ... 248—250

श्री राजीव गांधी ... ... 250—257

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87 (—जारी) ... ... 259—275

गृह मंत्रालय

श्री वी० तुलसीराम ... ... 260—265

श्री ब्रह्म दत्त ... ... 265—269

कुमारी ममता बनर्जी ... ... 271—275

लोक सभा

गुरुवार, 10 अप्रैल 1986/ 20 चैत्र, 1980 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

तुर्की की संसद के सदस्यों का स्वागत

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है ।

मुझे अपनी ओर से तथा इस सभा के सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए तुर्की की राष्ट्रीय असेम्बली के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है ।

ये माननीय सदस्य हैं—

(1) श्री साफेत सर्त
(2) श्री सामील कोजाकोग्लू
(3) श्री हमीद ओजसरी
(4) श्री सराफैतीन टोपटास
(5) श्री हैदर कोयूसू
(6) श्री रिजा ओनेन गाकेन

ये सदस्य बुधवार 9 अप्रैल, 1986 को दिल्ली पहुंचे । इस समय वे विशेष कक्ष में बैठे हुए हैं । हम उनके सुखद एवं लाभप्रद भारत-प्रवास की कामना करते हैं । हम उनके माध्यम से तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति, वहां की संसद, सरकार तथा मैत्रीपूर्ण जनता के प्रति अपनी शुभकामनायें भेजते हैं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने तेलुगू भाइयों को उनके नव वर्ष के अवसर पर शुभकामनायें देता हूं ।

श्री बी० सोमनाद्रीश्वर राव : महोदय, यह कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी नव-वर्ष है। केन्द्रीय सरकार को यह बात ध्यान में रखते हुए इस दिन की छुट्टी घोषित करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अमरराय प्रधान। मैंने केवल शुभकामनायें दी हैं।

श्री सी० जयपाल रेड्डी : महोदय, आपकी शुभकामनायें साभार एवं सहर्ष स्वीकार करते हुए मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि ··

उपाध्यक्ष महोदय : इसे अलग से कहा जा सकता है।

श्री सी० जयपाल रेड्डी : तेलुगू-भाषी लोगों की काफी समय से यह मांग रही है कि तेलुगू नव वर्ष दिवस को केंद्र सरकार की सेवाओं में लगे हुए तेलुगू लोगों के लिए अवकाश दिवस घोषित किया जाये···

डा० एस० जगतरक्षकन : महोदय, 14 अप्रैल को भी तमिल नव वर्ष दिवस होने के कारण छुट्टी घोषित की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

हल्दिया में पोत मरम्मत कर्मशाला समूह

*639. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में एक पोत मरम्मत कर्मशाला समूह स्थापित करने के बारे में विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय द्वारा गठित अध्ययन दल ने सिफारिश की थी कि इसमें 45000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के पोतों की मरम्मत आदि के लिये उपयुक्त क्षमता वाली एक शुष्क बन्दरगाह होनी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ने मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया को एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौंपा था, जिसे अन्तिम रूप देकर 1979 में प्रस्तुत किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके बाद इस दिशा में क्या कदम उठाए गए और यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

जल-भूतलपरिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, हां,

(घ) तथापि मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स ने बाद में रक्षा उत्पादन विभाग की सलाह पर प्रस्ताव को वापस ले लिया। ऐसा विशाखापत्तनम् और पोर्ट ब्लेयर में जहाज

मरम्मत के लिए विकास और कलकत्ता में **मरम्मत के लिए*** आने वाले जहाजों की संख्या कम होने की बात को ध्यान में रखकर किया गया। अभी सरकार का हल्दिया में किसी प्रकार की जहाज मरम्मत परियोजना लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के (क), (ख) और (ग) भाग का उत्तर "जी, हां" है और (घ) भाग का उत्तर अनेक शब्दों में "नहीं"। यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में किसी परियोजना को स्वीकृति न देने का निश्चय कर रखा है, चाहे उस परियोजना के पक्ष में कितनी बातें कहीं जाएं। यह एक राजतीतिक निर्णय है क्योंकि उत्तर में ही उन्होंने कहा है कि कलकत्ता आने वाले जहाजों की संख्या में कमी हो गई है। इसका क्या कारण है ? ऐसा आपकी गलती के कारण है। हम बार-बार कह रहे हैं और हम ने कल भी कहा है कि पानी की कमी के मौसम में फरक्का में 4000 क्यूसेक जल आने दिया जाए तो कलकत्ता पत्तन की स्थिति ठीक हो जाएगी। सूखे के महीनों में ज्यादा जहाज नहीं आते।

एक अध्ययन दल के प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई थी कि जहाजों की मरम्मत के दो कम्पलैक्स होने चाहिए पश्चिमी तट पर बम्बई में अथवा न्हावा-शेवा में और दूसरा हल्दिया में 100 करोड़ रुपये की लागत पर जो कि जहाज मरम्मत के लिए श्रेष्ठ एवं आदर्श स्थान है। यहां इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या सरकार समय और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हल्दिया में जहाज मरम्मत कम्पलैक्स की स्थापना पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री राजेश पायलट : सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करता हूं कि उत्तर में टाईपिंग की एक गलती है। यह है "और कलकत्ता में मरम्मत के लिए आने वाले जहाजों की संख्या कम होने की बात को ध्यान में रखकर किया गया।" टाइप किये गये मुख्य उत्तर में गलती से 'मरम्मैत के लिए' टाइप नहीं हुआ।

ऐसा नहीं है कि कलकत्ता पत्तन पर आने वाले जहाजों की संख्या में कमी हुई है। उनकी संख्या निरन्तर एक जैसी ही चली आ रही है। उसमें वृद्धि भी नहीं हुई। किंतु जैसा कि मैं पहले ही अपने उत्तर में कह चुका हूं इसमें कमी भी नहीं हुई है।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि अध्ययन दल द्वारा इस परियोजना का प्रस्ताव किया गया था और जी० आर० एस० ई० एल० ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया था किंतु जी० आर० एस० ई० एल० ने, जो सीधा रक्षा मन्त्रालय के अधीन है, इसे रक्षा मन्त्रालय के परामर्श से 1982 में वापिस ले लिया था।

इस समय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हम काफी प्रयत्न कर रहे हैं। सभी पत्तनों पर शुष्क गोदी प्रणाली है और कलकत्ता में सुविधायें प्राप्त है। हम कलकत्ता बन्दरगाह प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए 4.75 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना कार्यन्वित कर रहे हैं। हल्दिया महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं पत्तनों में से एक है। किंतु इन दो पत्तनों पर प्राकृतिक समस्याओं और कम जलस्तर के कारण हल्दिया और कलकत्ता में भारी जहाजों की आवाजाही नहीं हो सकती। इसलिए इन पत्तनों का उतना विकास काम नहीं हो रहा है जितना अन्य पत्तनों का।

*'मरम्मत के लिए' शब्द अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट की गई स्थिति के आधार पर अन्त:स्थापित किये गये हैं।

सरकार पर जो यह दोष लगाया गया है कि हम राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं कर रहे हैं, गलत है। मैं केवल अपने विभाग के बारे में जानकारी रखने का दावा कर सकता हूं। अन्य विभागों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार को धन दिया गया था। यदि आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 31 मार्च को यह निधि अनुपयुक्त राशि के तौर पर लौटा दी थी।

श्री अमर राय प्रधान : 1978 में इस सदन में तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वारा बताया गया था कि हल्दिया जहाज निर्माण का कारखाना बनाना संभव नहीं है किंतु वहां पर जहाज मरम्मत का कारखाना अवश्य होना चाहिए। उसके बाद अब आप सुरक्षा को कारण बना रहे हैं और हल्दिया में यह परियोजना नहीं लगा रहे। क्या आप समझते हैं कि परमाणु, मिसाइल और आणविक युद्ध के इस युग में कोई भी स्थान बम्बई, मद्रास या दिल्ली किसी परियोजना के निर्माण के लिए सुरक्षित है ? कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। यदि यह सच भी है तो आप अध्ययन दल द्वारा दिए गए तर्क को क्यों नहीं मानते ?

यह सही है कि जहाज मरमम्त के लिए विद्यमान सुविधायें अनुपयुक्त हैं। और हमें विदेशों में जहाज मरम्मत पर निम्नलिखित दर से विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है :

	रुपये (करोड़ों में)
1981-82	47.48
1982-83	53.31
1983-84	80.76
1984-85	28.88

क्या मैं केन्द्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार से यह अनुरोध कर सकता हूं कि समय और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हल्दिया जहाज मरम्मत परियोजना को शीघ्र शुरू किया जाये ?

श्री राजेश पायलट : यह सही है कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग से जहाज मरम्मत परियोजनाओं के लिए 149 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया था। किंतु इस काम के लिए कुल 42 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया।

मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं कि अधिकांश जहाजों की मरम्मत विदेशों में होने के कारण बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। जैसाकि आपने कहा है यह सही है कि हम जहाज मरम्मत कारखानों पर बहुत धन व्यय करते हैं। जबसे उद्योगों में मन्दी आई है कुछ देश इतने उदार हो गए हैं कि वे जहाज मरम्मत कर देते हैं और कहते हैं "आप जब चाहें तब भुगतान कर सकते हैं। आप दो या तीन वर्षों के बाद भुगतान कर सकते हैं।" जब ऐसी सुविधायें प्रदान की जायें विशेषकर, प्राईवेट जहाज कम्पनियों को, तो वे स्वेच्छा से वहां जाते हैं अपने जहाज मरम्मत करवाते हैं और दो या तीन वर्षों के बाद भुगतान करते हैं किंतु हम उन्हें अपनी वर्तमान अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें यह सुविधा नहीं दे सकते।

मैंने हल्दिया के बारे में आपके विचारों को नोट किया है। मैं निश्चय ही उनका ध्यान रखूंगा। मैं उन्हें सूचित करता हूं कि हम हल्दिया पत्तन के लिए गैर-सरकारी पार्टियों से भी सहायता लेने को तैयार हैं। हम यदि बजट आवंटन में यह काम नहीं कर सकते तो प्राईवेट पार्टियां सहायता के लिए आगे आ सकती हैं और यदि माननीय सदस्य इस मामले में हमारी सहायता करें तो हम इस के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : यह बहुत महत्त्वपूर्ण परियोजना है और इसके बारे में हम बहुत चिंतित हैं। किंतु क्या मैं मन्त्री जी से यह जान सकती हूं कि क्या यह सही है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ज्योति बसु ने पहले ही इस परियोजना के बारे में पश्चिम जर्मनी से बातचीत कर ली है? यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम हैं? मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं।

श्री राजेश पायलट : यह जानकारी सही है। पश्चिम जर्मनी की कुछ पार्टियां पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से मिली थी। मुझे नहीं मालूम कि उनके बीच क्या बात हुई क्योंकि सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। न तो माननीय मुख्यमन्त्री ने और न ही उस पार्टी ने हमें यह बताया है।

श्री रेणपद दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौंपा था और उस प्रतिवेदन को 1979 में अन्तिम रूप देकर सरकार को प्रस्तुत किया गया था, मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं?

श्री राजेश पायलट : प्रतिवेदन मेरे पास है। मैं यह प्रतिवेदन माननीय सदस्य को पढ़ने लिए दे सकता हूं क्योंकि यह एक बड़ा प्रतिवेदन है···

श्री रेणुपद दास : मैं केवल मुख्य बातें जानना चाहता हूं।

श्री राजेश पायलट : मैं बताता हूं। अध्ययन दल ने निश्चित ही हल्दिया में मरम्मत सुविधायें होने की सिफारिश की है। यह सिफारिश उनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिश है। उन्होंने इसके लिए अर्थोयाम तथा अन्य बातों से संबंधित सिफारिशें भी की हैं और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं प्रतिवेदन सभा पटल पर रख सकता हूं या उन्हें दे सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : सभा पटल पर रख दें।

वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों की खरीद

*640. **श्री लक्ष्मण मलिक†**
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर } : **क्या परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्टलैंड हेलीकाप्टरों की खरीद के बारे में भारत और ब्रिटेन के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : भारतीय हेलीकाप्टर निगम और युनाइटेड किंगडम के मैसर्स वेस्टलैंड हेलीकाप्टर लिमिटेड ने 15 मार्च, 1986 को एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) करार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) वेस्टलैंड, 21 वेस्टलैंट 30 सीरिज 100-60 के हेलीकाप्टरों के पूरे 'पैकेज' की पूर्ति करेगा जिसके साथ स्वीकृत मानक उपकरणों सहित आवश्यक कल-पुर्जे, इन्जिन के फालतू पुर्जे और उत्पाद सहायक सामान होंगे ।

(ii) "पैकेज" की कुल नियत और निश्चित कीमत 65 मिलियन पौण्ड है,

(iii) इस परियोजना के लिए 65 मिलियन पौंड की वित्त व्यवस्था यू०के० सरकार से अनुदान सहायता द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है;

(iv) हेलीकाप्टरों की सुपुर्दगी मई, 1986 से शुरू होगी और आखिरी हेलीकाप्टर की सुपुर्दगी फरवरी, 1988 में की जाएगी;

(v) प्रचालन सहायता के रूप में उपयोग किए जाने के लिए मैसर्स वेस्टलैंड, 10 मिलियन पौंड की एकमुश्त अदायगी करेगा;

(vi) हेलीकाप्टरों के पूरे कार्य-काल के लिए कलपुर्जों और प्रतिस्थापना की व्यवस्था की जाएगी;

(vii) प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

श्री लक्ष्मण मलिक : मैं पहले ही माननीय मंत्री के उत्तर को पढ़ चुका हूं। उसी दिन जब इस सदन में रक्षा मांगों पर चर्चा हुई थी, हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने विपक्ष के सदस्य श्री के० पी० उन्नीकृष्णन द्वारा हेलीकॉपटर खरीदने के प्रस्ताव की गई आलोचना के संदर्भ में यह स्पष्ट कहा था कि "वेस्टलैंड" हेलीकॉपटर खरीदने के प्रस्ताव का विचार अब छोड़ दिया गया है । क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या इसका विरोध से पड़ने वाले वित्तीय प्रभावों का अध्ययन किया गया था और क्या "वेस्टलैंड" हेलीकॉपटर खरीदने से लागत कम होगी या नहीं।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं माननीय सदस्य की बात को थोड़ा ठीक करना चाहूंगा । प्रधान मंत्री ने यह नहीं कहा था कि हम.....नहीं खरीद रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : रक्षा के लिए ।

श्री जगदीश टाइटलर : वेस्टलैण्ड सौदे के संबंध में जब दो मुद्दे सामने आए तो प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में हेलीकॉपटरों के संबंध में अवश्य कहा था । पहला मुद्दा यह था कि वे यह प्रमाणित नहीं कर सके कि उड़ान भरने के समय इनमें कोई खराबी नहीं होगी । दूसरे यह देखा गया कि उड़ान भरने के समय अधिकतम वजन की सीमा के कारण जुर्माना लगाया गया जिससे भार में 1 प्रतिशत की कमी हो सकती है । उपर्युक्त वक्तव्य प्रधान मंत्री द्वारा राज्य सभा में मई, 1985 में विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान किए गए वक्तव्य की पृष्ठ भूमि पर आधारित है । उन्होंने कहा कि ये हेलीकॉपटर हमारी विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं और यहीं तो हमारी चिन्ता है । आकार के लिहाज से भी एक विशेष मार्ग के लिए इन पर अन्य मशीनों से अधिक खर्च आता है जिन पर इनको चलाया जाना है । इसमें से कुछ तो क्षति-पूर्ति के लिए है, जैसा मैंने इस सदन में पहले कहा था । यदि हमें यह मशीन खरीदनी है तो सहायता पर्याप्त नहीं है जिससे हम होने वाली हानि को पूरा कर सकेंगे । "प्रधान मंत्री द्वारा यह टिप्पणी किए जाने के पश्चात् हमने दो बार मशीनों का मूल्यांकन किया

अर्थात् एक बार 12 सितम्बर 1985 को और दूसरी बार 20 नवम्बर, 1985 को। यही बात रिपोर्ट से भी मालूम होगी। जैसा मैंने अभी कहा है। वेस्टलैण्ड हेलीकॉपटर डब्ल्यू-30 की दो बार उड़ान परीक्षा ली गई है। उड़ान परीक्षा एक तकनीकी दल द्वारा किए गए जिसमें नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय वायु सेना, इण्डियन एयरलाइन्स और भारतीय हेलीकॉपटर निगम के प्रतिनिधि थे। उनकी टिप्पणी इस प्रकार है : वेस्टलैण्ड डब्ल्यू-30 इन्जन से खराबी होने पर हेलीकॉपटर के साज-समान से उड़ान भरने में किसी प्रकार का खतरा नहीं है। यही बात दोबारा मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रधान मंत्री ने कही थी।

दूसरे, वेस्टलैण्ड डब्ल्यू-30 मानक मशीनों की स्थिति में न्यूनतम 10 यात्रियों का भार उठा सकता है। दूसरे भाग के (ख) के संबंध में वेस्टलैंड 30 तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करता है, जिसके अन्तर्गत 10 यात्रियों को 100 नाविक मील तक की दूरी तक ले जाना पड़ता है। और बचाये हुए तेल से 45 मिनट की उड़ान के अन्दर लिए निर्धारित ईंधन से न उतर सकने पर वापस लौट सकता है। व्यावहारिक दृष्टि से यह उपकरण उड़ान नियम रिजर्व के अनुसार 12 यात्रियों को ले जा सकेगा, और दृष्टि उड़ान नियम रिजर्व से 13 यात्रियों को ले जा सकेगा। चालक स्थान की स्थिति ठीक है तो हेलीकॉपटर यह कार्य अच्छी तरह से कर सकता है।

वित्तीय पहलू के संबंध में, दूसरा संन्देह अधिक संचालन व्यय से सम्बन्धित है। वेस्टलैंड द्वारा दी जाने वाली संचालन संबंधी वित्तीय सहायता अब 100 लाख पौण्ड है जबकि संचालन के सातवें वर्ष से 20 वें वर्ष तक वर्तमान मूल्य में 27.5 लाख है। जब तक ये चलाते जाते रहेंगे तब तक वेस्टलैंड कम्पनी इनके संचालन व्यय में जो अन्तर है, उस राशि का भुगतान करती रहेगी। इसका ध्यान रखा जायेगा···

मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि इसमें कर-दाताओं का या भारत सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। प्रत्येक पाई, जो हेलीकॉपटर पर प्रयोग हो रही है, सहायता राशि है जो हमें मिल रही है। हमारे प्रधान मंत्री ने यही कहा था और मैंने कहा है कि राज्य सभा में की गई टिप्पणी के आधार पर जिस आरम्भिक खर्च का उन्होंने उल्लेख किया था, सातवें वर्ष से बीसवें वर्ष तक हमें 100 लाख पौण्ड अधिक दिए गए हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मंत्री ने वेस्टलैंड हेलीकॉपटर के विरुद्ध दो शिकायतों का उल्लेख किया है जिनके बारे में प्रधान मंत्री ने भी उल्लेख किया है। किंतु प्रधान मंत्री ने रक्षा संबंधी वाद-विवाद के उत्तर में कहा है कि ये दो शिकायतें ठीक कर दी गई हैं। किंतु मंत्री कहते हैं कि ये दो शिकायतें पुन: मूल्यांकन करने पर ठीक समझी गई। अब सही स्थिति क्या है ? दूसरे, मंत्री ने स्वयं मान लिया है कि हम इसके लिये पैसा नहीं दे रहे हैं। यह अनुदान का ही एक हिस्सा है। क्या इसी कारण से हम बेकार के हेलीकाप्टर खरीद रहे हैं ? तीसरे, क्या हेलीकॉपटर खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार जोर दे रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक पूरक प्रश्न की अनुमति दी जाती है।

श्री जगदीश टाइटलर : मैंने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि प्रधान मंत्री ने जिन दो मुद्दों का उल्लेख किया था उनको स्पष्ट कर दिया गया है और हम संतुष्ट हैं और जो दल मूल्यांकन करने के लिए गया था ··

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कौन से दो ?

श्री जगदीश टाइटलर : मैंने अभी बताए हैं। आप नहीं सुन रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने पुन: मूल्यांकन करने की बात की। प्रधान मंत्री ने ठीक करने की बात की है। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : मैंने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। इन दोनों बातों पर जिनका उल्लेख प्रधान मंत्री ने किया है कि इनको ठीक कर दिया गया है कोई मतभेद नहीं है। मैंने विस्तार से कहा था कि किस प्रकार इसको ठीक कर दिया गया है। मैंने अभी पढ़कर सुनाया है। पूरा पढ़ने में मुझे पांच मिनट लगे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, कृपया आप कार्यवाही पढ़ लीजिए। मेरे प्रश्न के शेष भागों का उत्तर नहीं दिया गया है···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप कृपया कार्यवाही पढ़ लीजिए। मेरे प्रश्न के शेष भागों का उत्तर नहीं दिया गया है···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप कृपया बैठ जाइए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरे प्रश्न के शेष भागों का उत्तर नहीं दिया गया है।···

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल एक भाग का उत्तर दे सकते हैं। श्री मुरली देवरा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह केवल इसलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि हमें अनुदान दिया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, कृपया बैठ जाइए। कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगी। मैंने श्री मुरली देवरा का नाम बुलाया है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री रेड्डी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने श्री मुरली देवरा का नाम बुलाया है। और कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं हो रही है। मंत्री ने पहले ही उत्तर दिया है।

श्री जगदीश टाइटलर : क्या मैं यह कह दूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं नहीं चाहता कि सदन को किसी प्रकार की गलत धारणा रहे; क्योंकि माननीय सदस्य ने दो-तीन बार कहा है और कोई यह समझ बैठे कि मैं इसका उत्तर नहीं दे पाया। यह अब पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। मैंने पहले ही कहा है। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री उस समय नहीं सुन रहे थे। प्रधान मंत्री ने दो महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया। मैंने कहा है कि उन्होंने पूर्ण रूप से इन दोनों बातों को ठीक कर दिया है। एक बात तो वित्तीय थी जो और 100 लाख पाउण्ड के संबंध में थी जो हमें मिले हैं। फिर उसमें खतरे की कोई बात

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं है जो उन्होंने दो बार किया। मैंने वह दिनांक बतायी है जब उन्होंने इन दोनों बातों को ठीक किया था और उन्होंने इस प्रकार हेलीकॉप्टर के एक इंजन में खराबी के साथ उड़ाया और उड़ान भरने के समय कोई भी खराबी नहीं हुई।

प्रो० के०के० तिवारी : उन्हें बच्चों की भांति समझाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरे प्रश्न के अन्य भागों के विषय में आपका क्या विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक पूरक प्रश्न, बस। मैं नहीं चाहता कि और सदस्य भी चर्चा में भाग लें। श्री रेड्डी मैंने पहले ही कहा है कि केवल एक पूरक प्रश्न की अनुमति दी जाएगी।

श्री मुरली देवरा।

श्री मुरली देवरा : क्या मंत्री ब्रिटेन के समाचार पत्रों में छपी खबरों से अवगत हैं कि यह कंपनी डूब रही है और यह अच्छा काम नहीं कर रही है और यदि ऐसा है तो वह कैसे इसकी मरम्मत, रख-रखाव, आदि की सुविधा देती रहेगी ?

श्री जगदीश टाइटलर : निस्संदेह ब्रिटेन के समाचार पत्रों में इस कंपनी के संबंध में बहुत विवादास्पद बाते थी और दूसरे सदन में बहुत से प्रश्न भी पूछे गए हैं। अमरीको लोग इस कंपनी के "शेयर" खरीदना चाहते हैं, इटली के लोग इस कंपनी के "शेयर" खरीदने को तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि आप कैसे कहते हैं कि यह कंपनी डूब रही है।

हम भी इससे काफी चिंतित थे..,(व्यवधान) अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप प्रश्न करते ही क्यों हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री जगदीश टाइटलर : हमने अपने यू० के० स्थित उच्चायुक्त से सम्पर्क भी किया था। यू० के० स्थित उच्चायुक्त से प्राप्त खबर के अनुसार, यू० एस० ए० की मैसर्ज सिकरस्काई और इटली की मैसर्ज फिएट सीमित संख्या में वेस्टलैंड शेयरों की खरीद कर रहे हैं। हमारे लन्दन स्थित उच्चायुक्त ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि मैसर्ज वैस्टलैंड के साथ अन्य फर्मों के सहयोग से वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के निर्माण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन में भारत की रुचि है। पुनर्गठन का उद्देश्य मैसर्ज वेस्टलैंड को व्यापक पूंजी आधार प्रदान करना और वित्तीय रूप से अधिक सुदृढ़ बनाना है। और इसलिए हमें इस संबंध में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उच्चायुक्त ने पुष्टि की है कि मैसर्ज वेस्टलैंड द्वारा अन्य फर्मों के साथ सहयोग करने का हेलीकाप्टरों की सीरिज के निर्माण के मामले में वेस्टलैंड पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा...

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। आप इसे पढ़ क्यों रहे हैं ?

श्री जगदीश टाइटलर : ठीक है।

श्री जी० जी० स्वैल : ये हेलीकाप्टर तथा यह खास कम्पनी, वेस्टलैंड कम्पनी, अशुभ लगती हैं और मैं आशा करता हूं कि इसके अशुभ होने का प्रभाव हमारे तक नहीं पहुंचेगा। अतः मैं

मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि ओ० एन० सी० ने, जो इन हेलीकाप्टरों का इस्तेमाल करेगा –हालांकि आप भी उन्हें थोड़ी दूरी के लिए पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में प्रयोग करेंगे, परन्तु ओ० एन० जी० सी० उनका मुख्य रूप से इस्तेमाल करेगा—हेलीकोप्टरों के इस्तेमाल के बारे में संकोच व्यक्त किया है। उन्होंने संचालन लागत के बारे में बताया है कि वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के मामले में यह 1900 रुपये प्रति घंटा होगी जबकि डोपिनस के मामले में मात्र 1300 रुपये तथा चार्टरों के मामले में यह सिर्फ 1100 रुपये होगी। यह पहली बात है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने संकोच व्यक्त किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत से प्रश्न हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं जानना चाहता हूं कि 1 करोड़ पाऊंड संचालन सहायता, जिसके बारे में आप इतना कह रहे हैं, कितने समय चलेगी अगर आप इन हेलीकाप्टरों के संचालन पर 800 रुपये प्रति घंटे का घाटा उठायेंगे।

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री(श्री जगदीश टाइटलर) : ओ० एन० जी० सी० ने वेस्टलैंड को स्वीकार कर लिया है, महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि वेस्टलैंड चलने में डोपिनस से सस्ता होगा। मैं आपको कारण बताऊंगा। **(व्यवधान)**...

यद्यपि प्रति घंटा संशोधित संचालन लागत का हिसाब लगाया जा रहा है, यह 30 प्रतिशत से भी अधिक कम हो जायेगी। पहली लागत मात्र पारम्पारिक वित्तीय आधारों पर आंकी गयी थीं। अब वह बदल गयी है। क्योंकि अब यह निर्णय किया गया है कि अनुदान हेलीकाप्टर निगम को दिया जाएगा। अत: ओ० एन० जी० सी० इनको नहीं चलायेगा बल्कि हेलीकाप्टर निगम, जो अब पंजीकृत हो चुका इनका संचालन करेगा। **(व्यवधान)**...

ओ० एन० जी० सी० : इस्तेमाल करने वालों में से एक होगा, अन्य राज्य भी इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें से अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में जायेंगे। **(व्यवधान)**

मंत्रिमंडल में मैंने इस मामले को उठाया था और मंत्रिमंडल का विचार है कि तेल क्षेत्र के मामले में आयात शुल्क से छूट दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

मधुमेह रोगग्रस्त लोग

*641. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति चार लोगों में से एक व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है;

(ख) क्या इस रोग के कारण अन्धापन तथा गुर्दे नष्ट होने और हृदय रोग जैसी घातक बीमारियां हो जाती है ;और

(ग) क्या सरकार तथा वैज्ञानिकों ने इस रोग की रोकथाम करने और इसके इलाज के लिए कोई प्रभावकारी कदम उठाये हैं ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) देश में मधुमेह के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्

द्वारा बहुत से केन्द्रों पर किये गये अध्ययन से पता चलता है कि मधुमेह की व्यापकता कुल मिलाकर 1.8 प्रतिशत है।

(ख) जी, हां।

(ग) रोकथाम के सामान्य उपाय नियमित भोजन और व्यायाम हैं।

शहरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी अस्पतालों में सामान्यतया मधुमेह क्लीनिक होते हैं जहां पर इन्सुलिन और मधुमेह रोगी, दवाइयां उपलब्ध हैं। सातवीं योजना अवधि के दौरान सरकार का मधुमेह पर नियन्त्रण पाने के लिए मार्गदर्शी आधार पर एक योजना चलाने का विचार है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि डायबेटिज बच्चों, युवकों और वृद्धों तीनों को होती है और ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे हैं और युवक जो कालेजों में पढ़ते हैं उन के अन्दर इस रोग के प्रिवेंशन के लिए कोई विशेष योजना आप के पास है जिस से उन के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूं...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री महोदय को आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : सातवीं पंचवर्षीय योजना में जैसा आप ने बताया कि विस्तृत कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं, उस की क्या रूपरेखा होगी ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया है इस में कोई शक नहीं कि डायबेटिज एक बीमारी है और इस से खतरा है लोगों के लिए। यह दो किस्म की होती है। एक तो इन्सुलिन-डिपेन्डेन्ट-डायबेटिज और दूसरी नान-इन्सुलिन-डिपेन्डेन्ट डायबेटिज है। जो पहली किस्म है वह आम तौर पर छोटी उम्र के लोगों में होती है और जो दूसरी है वह 40 साल के ऊपर के लोगों में होती है। जहां तक इस के प्रिवेंशन की बात है हम यह नहीं चाहते कि हम किसी बीमारी से बचाव न करें। लेकिन हम अभी कम्युनिकेबल डिजीजेज पर ज्यादा जोर दे रहे थे क्योंकि उन का हमारे देश में ज्यादा जोर बढ़ रहा था। नान-कम्युनिकेबल डिजीजेज, इस किस्म की डिजीजेज हमारे देश में बाद में आई। हमारी परेशानी यह है कि हम डेवलपिंग कन्ट्रीज की डिजीजेज का भी सामना कर रहे हैं और डेवलप्ड कन्ट्रीज की डिजीजेज का भी सामना कर रहे हैं। इस लिए पहले जो हमारा जोर था वह क्यूरेटिव साइड पर था लेकिन अब हम प्रिवेंटिव साइड पर भी जोर दे रहे हैं। और इससे बचाव के तरीके मैंने अपने जबाब में बतला दिए हैं कि सही डाइट हो, एक्सरसाइजेज हों और रेग्युलेटेड लाइफ हो। ये उसके बचाव के तरीके हैं।

जो आपने दूसरा प्रश्न किया उसका भी साथ ही जबाब दे देती हूं कि 25 लाख रुपए सेविंथ फाइव ईयर प्लान में रखे हैं। (व्यवधान) यह बीमारी अमीरों की भी है और गरीबों की भी है जिनको कि न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही है वह यह

है कि हमारे यहां इल्लिट्रेसी ज्यादा है. लोगों को मालूम नहीं है इसलिए हेल्थ एजूकेशन प्रोग्राम हमने उसमें ज्यादा रखा है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहूंगी क्या इस प्रकार की इन्सुलीन का आविष्कार हुआ है जिसको साल में एक बार लेने से मरीज उस परेशानी से छुटकारा पा जाता है ? क्या इस सम्बन्ध में आपको जानकारी है और क्या उसको आप इस देश में भी आयात करने की बात सोच रही हैं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह डिपेन्ड करता है कि बीमारी किस किस्म की है, किस डिग्री की है और किस किस्म के इन्जेक्शन की जरूरत है। जो इन्सुलीन डेपेन्डेन्ट डायबेटिज है, उसमें बिना इन्सुलीन इन्जेक्शन के फायदा नहीं हो सकता है। अब तो मैंने यह भी देखा है कि डायबेटीज के जो मरीज हैं उनके पास डिस्पोजेबल सिरिंज रहती है वे खुद ही वक्त पर इन्जेक्शन ले लेते हैं और उससे बचाव कर लेते हैं।

जो दूसरा तरीका है उसमें जरूरी नहीं है कि इन्सुलीन के इन्जेक्शन भी लगे, उसके बिना भी काम चल सकता है। डाइट से उसको कन्ट्रोल किया जा सकता है।

[अनुवाद]

डा० डी० एन० रेड्डी : क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि पश्चिमी देशों में मानवों में अग्न्याशय ग्रंथि वह ग्रन्थि जो शरीर में इन्सुलीन उत्पन्न करती है के प्रतिरोपण के सम्बन्ध में व्यापक शोध कार्य हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हमारे देश में इसी प्रकार का शोध कार्य चल रहा है तथा उस शोध के निष्कर्ष क्या हैं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : महोदय, हमारे देश में बहुत शोधकार्य हो रहा है। मैं अपने सातवीं पंचवर्षीय योजना के नियतन की तस्वीर यहां प्रस्तुत कर सकती हूं।

डा० डी० एन० रेड्डी : क्या कोई शोध कार्य हो रहा है ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : शोध अन्य बहुत से क्षेत्रों में चल रहा है परन्तु इस विशेष क्षेत्र के बारे में नहीं चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् इस क्षेत्र में कुछ कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

श्री बिरधारी लाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसकी डिस्पेंसरीज में डायबेटीज की जो दवाइयां दी जाती हैं उनके सम्बन्ध में क्या आपको जानकारी है कि विभाग द्वारा फर्जी दवाइयां खरीदी जाती हैं और वही मेम्बर आफ पार्लमेन्ट तथा दूसरे लोगों को दी जाती हैं और वहां पर कोई एतराज करता है तो कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई गोलियां नहीं हैं ? क्या मंत्री जी ने इस बारे में कोई जानकारी ली है कि आपकी जितनी भी डिस्पेंसरीज चलती हैं—चाहे वह मेम्बर आफ पार्लमेन्ट के लिए चलती हों या पब्लिक के लिए चलती हों, वहां के लिए अलग-अलग लाट्स में जो गोलियां खरीदी जाती हैं, (व्यवधान) इसमें बहुत गड़बड़ मामला है, लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि जो दवाइयां दी जा रही हैं वह गलत हैं। (व्यवधान)

श्रीमती मोहसिना किदवई : मेरी नालेज में ऐसी कोई कंप्लेन्ट नहीं है कि सब-स्टैंडर्ड ड्रग्ज बांटी जा रही हैं। अगर व्यास जी कोई स्पेसिफिक हवाला देंगे तो मैं इसकी इंक्वायरी करवा

लूंगी। वैसे मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि हर डिस्पेंसरी में, हर जगह गलत दवाइयां बांटी जा रही हैं। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं।

[अनुवाद]

आंध्रप्रदेश की "फूड फार लर्निंग" (काम सीखने के दौरान खाद्य पदार्थ) योजना

*642. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने "काम सीखने के दौरान खाद्य पदार्थ" (फूड फार लर्निंग) योजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्ति हेतु अग्रेषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) इस योजना से कितने बच्चों को लाभ मिलेगा और इस योजना को कार्यान्वित करने में कितना धन व्यय होगा; और

(ग) इस योजना के सम्बन्ध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) विश्व बैंक से सहायता के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मुझे खेद है कि प्रश्न में एक गंभीर त्रुटि है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे एक बार फिर से उसकी जांच करें और अगर जरूरी हो तो मुझे लिखें। परन्तु मुझे पक्का पता है कि विश्व बैंक से कोई सहायता नहीं मांगी गयी है और हमें आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने खूब जांच पड़ताल की है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उनके पास जो जानकारी है, वह एक बार फिर से देखें।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मुझे एक योजना "काम सीखने के दौरान खाद्य पदार्थ" के बारे में सूचना प्राप्त हुई हैं जिसमें लगभग 15 जनपदों के 11.2 लाख बच्चों को शिक्षा ग्रहण करते समय दोपहर का भोजन दिये जाने से लाभ होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, इसे भेजा गया था। परन्तु मामले को स्पष्ट करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब यह केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होगा तो क्या वह विश्व बैंक को इसके लिए धन देने के लिए सिफारिश करेगी? मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं चूंकि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में हमने कहा है कि सरकार प्राथमिक स्तर पर देश के सभी बच्चों को शिक्षा देगी और इस उद्देश्य को अभी प्राप्त करना बाकी है और चूंकि हमारे भंडार खाद्यान्नों, अर्थात् गेहूं और चावल, से भरे पड़े हैं, क्या सरकार प्राथमिक स्तर पर कमजोर वर्गों के बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन देने की इस योजना को शुरू करेगी ताकि इस लक्ष्य को बहुत शीघ्र प्राप्त किया जा सके ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस पर विचार किया जा रहा है। प्रधान मंत्री ने इस बारे में पहले ही घोषणा की है और मुझे विश्वास है, चूंकि हमारे पास फालतू खाद्यान्नों का भंडार हैं, प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों को खाद्यान्न बेचने व भेजने के विचार से असहमति भी व्यक्त की हैं। अतः हम यह फालतू खाद्यान्न मुख्य रूप से अपने उन लोगों को देंगे जो खरीदने की क्षमता नहीं रखते और यह योजना खाद्य मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही है। परन्तु प्रश्न विश्व बैंक सहायता के

बारे में हैं। मुझे विश्वास है कि इसमें कोई गलती है और अगर वह मुझे पूरी जानकारी दें और पता लगाने के बाद यह बतायें कि वह वास्तव में क्या चाहते हैं, तो मैं उन्हें सूचना दे सकूंगा।

[हिन्दी]

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में क्लेट कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने एक स्कीम अर्न-वाइल-यू-आर-लर्निंग चलाई और उसी के हिसाब से कई वालन्ट्रि आर्गेनिजेशन्स चला रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वालन्ट्रि आर्गेनिजेशन जो स्कीम चला रहे हैं, उसके लिए देश के भण्डार को देखते हुए गरीब बच्चों को राहत देने के लिए मुफ्त अनाज देंगे या नहीं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, कहां से शुरू करके कहां हम पहुंच गए हैं। इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनवईवेलू : महोदय, पौष्टिकता अभी तक सरकार के लिए एक उपेक्षित सौतेले बालक की तरह है, यद्यपि यह लोगों के स्वास्थ्य और आयु बढ़ाने तथा रोगों को रोकने में मुख्य भूमिका अदा करती है। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, वहां एक 'पौष्टिक आहार योजना है, जिसके माध्यम से वे पेंशन प्राप्त बूढ़े लोगों सहित 80 लाख बच्चों को प्रतिदिन भोजन दे रहे हैं। तामिलनाडु सरकार लगभग 200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च कर रही है। इस योजना से हम न केवल दिन में एक बार भरपेट भोजन दे रहे हैं बल्कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दे रहे हैं जिसके द्वारा वास्तव में 83 लाख बच्चों को खाना भी दिया जा रहा है और शिक्षा भी दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या ऐसी योजना को, तामिलनाडु का अनुकरण करते हुए, अन्य सभी राज्यों में भी शुरू किया जायेगा। जहां तक इस योजना का संबंध है केन्द्र द्वारा कम नियतन किया गया है। परन्तु यह आवंटित राशि बहुत कम है। क्या भारत सरकार तामिलनाडु सरकार द्वारा पहले खर्च की गयी सारी राशि उसे देगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम बहुत खुश होंगे अगर दूसरे राज्य भी तामिलनाडु सरकार का अनुकरण करें। इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं। परन्तु प्रश्न कुछ भिन्न है। हम दोपहर के भोजन की बात नहीं कर रहे हैं। जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगें पेश की जायेंगी तब हम इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा कर सकेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : वह प्रत्येक राज्य में अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं।

श्री आनन्द गजपति राजू : गांवों में बहुत कुपोषण है और संपूर्ण पीढ़ी पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले एक योजना शुरू की थी परन्तु धन की कमी की वजह से इसे छोड़ना पड़ा था। मेरा एक सुझाव है जिसे मैं माननीय मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। अर्थात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों एक साथ मिल-कर हमारे राज्य सहित प्रत्येक राज्य में कोई योजना शुरू करें ताकि पीढ़ी को बचाया जा सके तथा बच्चों को इस प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आंध्र प्रदेश के मामले में धन की कमी ने उन्हें इस योजना को बीच में रोकने के लिए मजबूर किया है, दूसरे राज्यों के मामले में, संभवतः धन की कमी ने ही उन्हें इस योजना को शुरू करने से रोका है। मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि केन्द्र यह सब जिम्मेवारी ले लेगा, क्योंकि धन एक ही निधि से आयेगा। अगर हमें यह करना है तो हमें किसी अन्य मद में कटौती करनी पड़ेगी। इस समय, केंद्र सरकार की किसी भी राज्य में दोपहर के भोजन के लिए धन देने की कोई योजना नहीं है, परन्तु हम निश्चय ही यह चाहेंगे कि दोपहर के भोजन की योजना को शुरू किया जाये और राज्यों में उस पर अमल किया जाये और राज्य सरकारें अपने बजट में कुछ प्रावधान करें जो कि अभी तक नहीं किया गया है।

आयातित बल्क औषधों और औषध निर्मितियों के नमूने जांच हेतु लेना

*645. **श्री तारिक अनवर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आयात की जा रही बल्क औषधों और औषध निर्मितियों के नमूने उनको सीमा-शुल्क कार्यालय से छुटाये जाने से पहले जांच के लिये लिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बल्क औषधों और औषध-निर्मितियों के नाम क्या हैं, जिनके नमूने गत तीन वर्षों के दौरान लिये गये;

(ग) उन प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं, जहां इन औषधों की जांच की गई; और

(घ) इनकी जांच रिपोर्टों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : नमूने जांच के लिए तभी लिए जाते हैं यदि औषधियां पहली बार आयात की जा रही हों। बाद में यदि उसी निर्माता की वही औषधि आयात की जाती है तो उसके प्राप्त होने वाली खेपों में से अपनी मरजी से नमूने लिये जाते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) औषधियों की जांच में लगी सरकारी और मंजूर-शुदा निजी प्रयोगशालाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) यदि किसी सांविधिक परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किसी औषधि की जांच करने पर वह औषधि मानक किस्म की नहीं पायी गयी सूचित की जाती है, तो वह औषधि या तो उस देश को वापस भेज दी जाती है जहां से उसका आयात किया गया है अथवा उसे नष्ट कर दिया जाता है।

विवरण

सरकारी और मंजूरशुदा निजी प्रयोगशालाओं के नाम

सरकारी परीक्षण प्रयोगशालाएं

1. केंद्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता।
2. केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली।
3. भारत की केंद्रीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद।

4. भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश

मंजूर-शुदा निजी परीक्षण प्रयोगशालाएं

1. मैसर्स एनालिटीकल टेस्टिंग सर्विसेस (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली ।
2. मै० श्री राम टेस्ट हाउस, दिल्ली ।
3. मै० ईटा लैबस प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ।
4. मै० कैम मेड एनालिटीकल लैबोरेटरीस, बम्बई ।
5. मै० माइक्रो लैबस (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास ।
6. मै० मेडोफार्मा, मद्रास ।
7. मै० टी० टी० के० फार्मा, मद्रास
8. मै० तामिलनाडू दा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मद्रास ।
9. मै० अलकली कैमिकल्स लिमिटेड, मद्रास
10. मै० माइकल लेब लिमिटेड, मद्रास ।

[हिन्दी]

श्री तारीक अनवर : उपाध्यक्ष महोदय कुछ देशों के द्वारा जो वल्क ड्रग्स और फिनिशिड फार्मूलेशन्स और साथ ही साथ लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे देश में आ रही हैं, उनके बारे में यह शिकायत मिल रही है कि उन का स्टेन्डर्ड मेन्टेन नहीं किया जा रहा है और ऐसे बहुत से वेक्सीन और सीरप्स हैं, जो हम अपने देश में इम्पोर्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रोपर इन्वेस्टीगैशन के लिए टेस्ट के लिए हमारे पास साधन नहीं हैं । नतीजा यह होता है कि जहां से हम वे इम्पोर्ट कर रहे हैं, उन देशों पर हमें पूरी तरह से निर्भर करना पड़ा रहा है और कई बार ऐसे पोलियो-वेक्सीन हमारे देश में आए, जिनको टेस्ट करने के बाद यह पाया गया कि वे सब-स्ट्रेन्डर्ड थे । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि इस तरह से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे देश में बाहर से आ रही हैं, उनकी प्रोपर टेस्टिंग होनी चाहिए। और तमाम जो हमारे देश के लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वे उनको ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सकें ।

[अनुवाद]

श्री० एस० कृष्ण कुमार : मुख्य प्रश्न आयात की जाने वाली औषधियों की जांच से सम्बधित है । जैसा कि उत्तर दिया जा चुका है आयातित औषधियों की जांच के लिए सांविधिक प्रक्रिया है । नमूने निकाल लिये जाते हैं और पहले उन्हें केन्द्रीय औषधी प्रयोगशाला, कलकत्ता में जांचा जाता है और बाद में आने वाले माल को उतारे जाने वाली बन्दरगाहों के पास के स्थानों मद्रास, बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में 10 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांचा जाता है । 4 केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशालाओं और निजी क्षेत्र की चुनी हुई मान्यता प्राप्त प्रयोग-शालाओं इस काम के लिए प्रयोग किया जाता है जिनको आयातित औषधियों की जांच के लिए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार दो बार स्वीकृति दी जाती है ।

जहां तक देश में उत्पादित औषधियों का प्रश्न है कुल मिलाकर देश में 68 औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं माननीय सदस्य का कहना कि हमारी परीक्षण क्षमता पर बहुत अधिक दबाव है बिल्कुल ठीक है । अगर हमें नकली और घटिया औषधियां के सम्बन्ध में सतर्क रहना है

तो हमें सैंकड़ों और हजारों औषधियों के नमूनों की जांच करनी पड़ेगी और हमारी दो केन्द्रीय प्रयोगशालाएं वर्ष में केवल 3,400 से 4000 नमूनों की ही जांच कर सकती है। इन परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमारा एक समय बद्ध कार्यक्रम है। लगभग 12 राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें परीक्षण सुविधाएं नहीं है और जो केन्द्रीय सरकारी प्रयोगशालाओं पर निर्भर है, जिनको उन्होंने सरकारी विश्लेषण कर्ता नियुक्त कर रखा है। हम आधारभूत ढ़ांचे में सुधार कर रहे हैं और सरकार को इस मामले की जानकारी है।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर : मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस बात की शिकायतें पाई गई हैं कि बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट है, उनके नाम पर हम दूसरी मंहगी दवाइयां इम्पोर्ट कर रहे हैं ? क्या होता है, वहां से जो दवाइयां आती है उन पर लेबल तो एग्जेम्प्टेड दवाइयों का लगा होता है लेकिन अक्सर उनके नाम पर मंहगी दवाइयां आती हैं जिन पर कि कस्टम ड्यूटी लगती है। इस तरह से सरकार को दो तरह से नुकसान हो रहा है। एक तो कस्टम ड्यूटी का और दूसरे बड़ी-बड़ी कम्पनियां उनसे फायदा उठाती है। इस बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह मैं जानना चाहूंगा ?

[अनुवाद]

श्री एस०कृष्ण कुमार : सांविधिक परीक्षण प्रणाली के संबंध में मैंने माननीय सदस्य को बता दिया है लेकिन प्रश्न इसे लागू करने और पर्याप्त सावधानी में कमी या परीक्षण में दूसरी गड़बड़ी का है। यह एक सामान्य प्रश्न है जहां तक परीक्षण निरीक्षकों का संबंध है, उनका पहला कार्य लेबलों की जांच करना है और यह देखना है कि उन पर जो विवरण लिखा हुआ है वह औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार है अथवा नहीं। इसके बाद नमूना लिया जाता है और अगर वह सही पाया जाता है तो उसे खुले बाजार में बेचने की अनुमति दे दी जाती है। यह ठीक है कि आप प्रत्येक खेप और प्रत्येक मद का परीक्षण नहीं कर सकते। हम केवल नमूनों की ही जांच कर सकते हैं।

डा० वी वेन्कटेश : हमें स्वतन्त्र हुए 30 वर्ष बीत गये हैं। वास्तव में, अनावश्यक औषधियां जो बहुत मंहगी हैं विदेशों से मंगाई जा रही हैं जिनकी हमारे बाजार में भरमार है जिससे डाक्टरों को मजबूर होकर रोगियों को अधिकाधिक औषधियां खरीदने की सलाह देनी पड़ती है। रोगी अधिक दवा खाने का शिकार है और उससे शरीर पर रासायनिक प्रतिक्रिया कारण बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में सरकार कोई नई औषध नीति अपनाने जा रही है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : श्रीमन, औषध और प्रसाधन सामग्री कानून के अधीन आयात प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। किसी भी नई औषधि के आयात की अनुमति दिये जाने से पूर्व यदि कोई विवाद है तो औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड उसके प्रत्येक पहलू की छानबीन करता है।

दूसरे जहां तक औषधि नीति का सम्बन्ध है जैसा कि सदन को मालूम है एक नई औषधि नीति बनाई जाने वाली है। औषधि नीति के तीन भिन्न-भिन्न अंग हैं। प्रथम, उत्पादन और क्षमता का लाइसेंसिंग। दूसरा, मूल्य निर्धारण और तीसरा, स्वास्थ्य पहलू अर्थात् किस्म नियन्त्रण

और औषधि उपलब्धता है । इस मंत्रालय का केवल इस तीसरे पहलू से सरोकार है । पहले दो पहलुओं को रसायन मंत्रालय देखता है । स्वास्थ्य मंत्रालय औषधि नीति जो विचाराधीन है, को बनाने में अपना योगदान देगा ।

डा० वी० वेंकटेश : वह वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई नई औषधि नीति बना रही है क्योंकि इस देश के बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : श्रीमन, मैं नई कहानी सुना रहा था ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि 68 प्रयोगशालाएं हमारे यहां हैं और इनमें वृद्धि करने के लिए सरकार उपाय कर रही है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि हमारे देश में लाइफ सेविंग ड्रग्स की कितनी आवश्यकता है और कितनी मांग है, क्या इसका लेखा-जोखा किया गया है और अपने देश में कब ऐसी परिस्थिति आएगी जब बाहर से हमें दवाई मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : श्रीमन, इस देश में औषधियों की वार्षिक अनुमानित बिक्री लगभग 1250 करोड़ रुपये है और कुल आयात लगभग 25 से 30 प्रतिशत है । औषधि क्षेत्र में बहुत अधिक वैज्ञानिक प्रगति और साध्य स्वास्थ्य सेवाओं में विश्व में हुई प्रगति का लाभ उठाने के उद्देश्य से नई औषधियों का आयात करने की आवश्यकता के कारण हम औषधि आयात में भारी कमी नहीं कर सकते ।

श्री दिनेश गोस्वामी : श्रीमन, क्या सरकार को बार-बार यह शिकायत मिली है कि इस देश में उन्नत देशों द्वारा रद्द की गई दवाइयों का भारी मात्रा में आयात किया जाता है । जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और क्या औषधि परीक्षण करते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखा है और अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : श्रीमन, मैंने आयात प्रक्रिया के सम्बन्ध में बताया है । अनावश्यक औषधियों पर रोक लगाने की भी प्रक्रिया है । भिन्न-भिन्न देशों में 33 औषधियों पर रोक लगाई गई है । अनेक जोड़-तोड़ों के कारण यदि कुछ औषधियों पर कुछ देश में रोक लगीं हुई है तो कुछ अन्य देशों में वे प्रयोग में लाई जाती हैं । इनमें विकसित और अल्प-विकसित दोनों देश शामिल हैं । अब कभी किसी देश में किसी औषधि पर रोक लगाई जाती है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन सदस्य देशों को इसके सम्बन्ध में सूचना देता है और यदि इस औषधि का हमारे देश में चलन है तो हम उस विशेष औषधि का पुन: निरीक्षण आरम्भ कर देते हैं । भारत सरकार द्वारा 33 सूचनाएं प्राप्त हुई थी जिसमें 16 औषधियों का चलन हमारे देश में नहीं है । उनका हमारे देश में कभी भी चलन नहीं था । पहली बार हमने 10 औषधियों पर रोक लगाई है और सात औषधियों का चलन हमने जारी रखने का निर्णय लिया है क्योंकि हमने वे इस देश के सामाजिक आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी परिवेष में सस्ती आवश्यक दवाइयां हैं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : श्रीमन, मैं यह कहना चाहूंगा कि औषधियां चाहे संरचना के रूप में हो या आधार के रूप में हो, जहां तक किस्म नियंत्रण का सबंध है राष्ट्र के स्वास्थ्य और जीवन के लिये बहुत आवश्यक है । इस दृष्टि से क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या वे छोटे और मध्यम क्षेत्र में किस्म नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों से संतुष्ट है और अगर नहीं, तो वे इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

उन्होंने कहा है कि नई औषधि नीति के बनाने में स्वास्थ्य मंत्रालय का हाथ है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस नीति को बनाने में आपका क्या योगदान है और यह कहां तक सहायक होगी ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : प्रश्न का पहला भाग क्या है ? **(व्यवधान)** जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है,··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कोई टिप्पणी नहीं···

श्री एस० कृष्ण कुमार : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर यह है कि माननीय सदस्य ने देश में दवाई जांच की प्रक्रिया में जिस त्रुटि का उल्लेख किया है वह सही है। छोटे स्तर पर दवाई बनाने वालों की संख्या 9000 है समय देने के बाद हमने यह निश्चय किया था कि 1 जनवरी 1980 से उन्हें स्वयं औषधियों की आंतरिक जांच की व्यवस्था करनी है। लेकिन दुर्भाग्यवश लघु निर्माताओं ने इस पर पूर्णतया अमल नहीं किया है। वे उनमें से कुछ अपनी औषधियों की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच करवाते हैं जैसे कि पहले व्यवस्था थी ♦ समस्त औषधि प्रशासन राज्य का विषय है। हमने इस मामले को राज्यों के साथ कड़ाई से लिया है। बहुत से छोटे एकक उनकी वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण इन अधिक आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं।

इस प्रश्न के बहुत से पहलू हैं। हम धीरे-धीरे यह सुनिश्चित करेंगे कि छोटे उद्योग अपने यहां औषधियों की जांच की व्यवस्था करें।

जहां तक औषध नीति का सम्बन्ध है हमने अपने विचार मुख्य मंत्रालय को दे दिये हैं और मुझे विश्वास है कि नीति को अन्तिम रूप देने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के विचार को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : अपने विचार सदन के समक्ष रखिए।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जब तक एक विषय विचाराधीन है तो मैं नहीं समझता कि इसे सदन के समक्ष कैसे रखा जा सकता है।

डा० वत्ता सामन्त : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है—ये जीवन रक्षक औषधियां हैं। बम्बई के जे० जे० अस्तपताल में वापी के एक दवाई निर्माता की छोटी-सी गलती के कारण 78 लोग मर गये। इसलिए क्या सरकार यह नहीं समझती कि इसकी एक औषध नीति होनी चाहिये और यह केन्द्रीय सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है **(व्यवधान)** मैं एक डाक्टर हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह एक डाक्टर है इसलिए वह इसमें रुचि रखते हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : यह विशेष मामला जिसमें गिलैसरीन गलती से दी गई थी और जिसके कारण जे० जे० हस्तपताल में कुछ लोग मर गये थे, निर्णयाधीन है और इसलिये हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

प्रश्न का दूसरा भाग औषध नियन्त्रण कानून के सामान्य प्रशासन से सम्बंधित है और जिन उपायों पर हम विचार कर रहे हैं और जिनको हम क्रियान्वित कर रहे हैं उनके विषय में मैंने पहले ही बता दिया है।

श्री जी० एस० मिश्र : मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में घटिया दवाइयों के कितने नमूने लिए गये और उनका प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया गया और उनमें से कितने नकली पाये गये।

श्री एस० कृष्ण कुमार : घटिया और नकली दवाइयों के सम्बंध में मेरे पास यहां सामान्य प्रतिशत में आकड़े हैं। देश में औषधि निरीक्षणों द्वारा लिए गये नमूनों से जांच उपरान्त लगभग 15 से 18 प्रतिशत घटिया पायें गये और आयात की गई दवाइयों के सम्बन्ध में यह प्रतिशत लगभग 3 हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि देश में निर्मित 15 से 18 प्रतिशत दवाइयां घटिया किस्म की है क्योंकि सन्देह वाले मामलों में ही नमूने लिये जाते हैं। इसलिए ये आंकड़े सही स्थिति नहीं बता सकते।

श्री जी० एस० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी नकली दवाइयों के नमूने लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री सलाहुद्दीन उपस्थित नहीं हैं।

अब प्रश्न संख्या 647—श्रीमती गीता मुखर्जी।

सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण

*647. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री सुभाष यादव } : **क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब में उग्रवादियों की इस कथित धमकी की ओर दिलाया गया है कि वे सतलुज यमुना सम्पर्क नहर को कार सेवा द्वारा भर देंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सतलुज यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण कार्य स्वयं कराने का है क्योंकि यह राजीव-लोंगोवाल समझौते का एक अंग है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) जी, हां। तथापि, पंजाब के मुख्य मंत्री ने 3 अप्रैल, 1986 को चण्डीगढ़ में दिए गए वक्तव्य में बताया है कि पंजाब सरकार समझौते के अधीन नहर के निर्माण कार्य को पूरा करने की अपनी पूर्ण वचनबद्धता का आश्वासन देती है।

(ग) नहर के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रगान

*643. **श्री आर० एम० भोये** : **क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्र गान कभी नहीं गाया जाता, यहां तक कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों के अवसर पर भी राष्ट्र गान न गाकर इसके प्रति अनादर प्रदर्शित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्र गान को समुचित सम्मान दिया जाए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार की नीति यह है कि राष्ट्र गान को लोक-प्रिय बनाने और उसे गाने के लिए स्कूल प्राधिकारियों को अपने कार्यक्रमों में पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये।

ऐसी संस्थाओं का कोई मामला भारत सरकार के नोटिस में नहीं आया है, जहां स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर भी राष्ट्र गान कभी नहीं गाया जाता।

[अनुवाद]

बिना टिकट यात्रियों से आय

*644. **श्रीमती बसवराजेश्वरी**
श्री एस० पलाकोंड्रायुडु } : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान रेल प्रशासन द्वारा कितने यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से प्रत्येक जोनल रेलवे को कितनी-कितनी आय हुई ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान, फरवरी, 1986 तक, बिना टिकट अथवा गलत टिकट पर यात्रा करते हुए कुल 45.68 लाख व्यक्ति पकड़े गये थे।

(ख) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 (फरवरी 1986 तक) में क्षेत्रीय रेलों द्वारा वसूल की गयी रेलवे को देय राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

रेलवे	1983-84	1984-85	1985-86 (फरवरी, 1986 तक)
			(आंकड़े करोड़ रुपये में)
1. मध्य	1.20	1.50	1.60
2. पूर्व	0.95	1.09	1.22
3. उत्तर	1.12	1.15	1.41
4. पूर्वोत्तर	0.30	0.39	0.42
5. पूर्वोत्तर सीमा	0.32	0.40	0.39
6. दक्षिण	0.66	0.74	0.85
7. दक्षिण मध्य	0.79	1.07	1.25
8. दक्षिण पूर्व	0.85	0.96	1.12
9. पश्चिम	1.27	1.42	1.46
जोड़	7.54	8.80	9.72

आसनसोल और झाझा/किऊल के बीच स्थानीय रेल गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

*646. **श्री सलाउद्दीन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में आसनसोल और झाझा अथवा किऊल के बीच एक स्थानीय रेल-गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के कार्यकरण पर सरकार का नियंत्रण

*648. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के प्रशासन, व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा समेत उसके कार्यकरण पर उनके मंत्रालय का नियंत्रण यदि कोई है, तो किस प्रकार का तथा किस सीमा तक है; और

(ख) इस परिषद को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय तथा अन्य सहायता का स्वरूप क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। यह परिषद सोसाइटी पंजीयन अधिनियम के अधीन पंजीकृत एक स्वशासी निकाय है। परिषद की शासी निकाय और स्थायी वित्त समिति, दोनों में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व होता है। भारत सरकार के पास परिषद को निर्देश जारी करने की शक्ति है। परिषद अपनी वार्षिक रिपोर्ट और खातों के लेखा परीक्षित विवरण संसद के सम्मुख रखने के लिए मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत करती है। परिषद के कर्मचारियों की भर्ती शासी निकाय द्वारा स्वीकृत भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है।

(ख) परिषद को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूरा पूरा सहायता अनुदान दिया जाता है।

बम्बई में टिकटों की बिक्री और स्थानों/शायिकाओं के आरक्षण के लिये अभिकर्ता

*649. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम रेल के लिये बम्बई में रेल टिकटों की बिक्री और स्थानों तथा शायिकाओं का आरक्षण करने हेतु अभिकर्ता नियुक्त किये हैं,

(ख) यदि हां, तो बृहत बम्बई के लिए नियुक्त अभिकर्ताओं के नाम और पते क्या हैं,

(ग) उन अभिकर्ताओं को नियुक्त करने के क्या सिद्धांत हैं और उनको किस दर पर कमीशन दी जाती है, और

(घ) इस प्रकार अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने से सरकार को क्या लाभ होगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम दिनांक 5-12-85 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप खंड (II) में अधिसूचित किये गये थे । इन नियमों के अन्तर्गत किसी अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये रखी गयी मुख्य शर्तें नीचे दी गयी हैं—

1. कोई व्यक्ति—

   (i) जिसके पास नवीनतम आय-कर समाशोधन प्रमाण पत्र हैं,

   (ii) जिसके पास नगर में उचित रूप से अनुरक्षित कार्यालय और परिसर तथा ऐसे पर्याप्त साधन और सुविधाएं हैं जिसमें आने वाले ग्राहकों को पर्याप्त संख्या में स्थान मिल सके, और

   (iii) जिसे किसी ऐसे दांडिक मामले में दोष सिद्ध नहीं पाया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है,

   अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये आवेदन कर सकता है ।

2. वह फीस जिसके भुगतान पर अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी या उसका नवीकरण किया जायेगा 1200 रुपये होगी और उसी स्टेशन पर रेलवे के लिये किसी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति के लिये 600 रुपये होगी ।

3. वह प्रतिभूति निक्षेप जिसे प्रस्तुत करने पर अनुज्ञप्ति दी जाएगी या उसका नवीकरण किया जायेगा 5,000 रुपये नकद और 15,000 रुपये की बैंक गारंटी होगी । उक्त निक्षेप पर कोई ब्याज उद्भूत नहीं होगा ।

4. प्रत्येक स्टेशन और रेल के लिए अभिकर्ताओं की संख्या वह होगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए ।

अभिकर्ताओं को रेलों द्वारा कोई कमीशन देय नहीं होगा । तथापि अभिकर्ताओं को अपने ग्राहकों से सेवा प्रभार वसूल करने का प्राधिकार प्राप्त होगा जो द्वितीय श्रेणी से भिन्न श्रेणियों के लिये आरक्षण प्राप्त करने के लिये 15 रुपये प्रति यात्री तथा द्वितीय श्रेणी के लिये 8 रुपये प्रति यात्री से अधिक नहीं होगा । किन्तु जहां एक यात्री से अधिक के लिए आरक्षण एक ही अभ्यपेक्षा पर्ची पर प्राप्त किया जाता है वहां सेवा प्रभार द्वितीय श्रेणी से भिन्न श्रेणियों की दशा में पहले यात्री के अतिरिक्त प्रत्येक यात्री के लिए 8 रुपये और द्वितीय श्रेणी के लिए प्रत्येक यात्री के लिए 5 रुपये से अधिक नहीं होगा ।

(घ) अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति देने का प्रयोजन रेलों के लिये वित्तीय लाभ प्राप्त करना नहीं है । इसका मुख्य प्रयोजन उन यात्रियों की सहायता करना है जिनके पास अपने लिये टिकट खरीदने तथा आरक्षण करवाने के लिए समय नहीं है तथा अप्राधिकृत रूप से काम कर रहे और रेल टिकटों की कालाबाजारी में लिप्त व्यक्तियों को विलग करना है ताकि उन्हें पकड़ा जा सके और उन पर मुकदमा चलाया जा सके । यह योजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये एक फैसले का अनुपालन करने के लिये आरंभ की गयी है ।

महात्मा बुद्ध का अस्थिकलश जहां से निकाला गया उस टीले का अनुरक्षण

*650. **श्री ललितेश्वर शाही** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैशाली में उस टीले का रखरखाव और सुरक्षा करने का कोई प्रस्ताव है, जहां से खुदाई के दौरान 25 वर्ष पहले डा०अट्टेकर ने महात्मा बुद्ध का अस्थिकलश निकाला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उस टीले के इर्द-गिर्द की नौ एकड़ भूमि का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है, जो 25 वर्ष पहले अर्जित की गई थी ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) वैशाली स्थित प्राचीन स्तूप टीला जिससे बौद्ध अवशेष वाला एक सन्दूकचा मिला था, उसका 1964 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण तथा परिरक्षण किया जा रहा है;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता;

(ग) जी, हां ।

शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों का न भरा जाना

*651. **श्री उत्तम राठौड़**
श्री राम प्यारे पनिका } : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिये निर्धारित स्थानों को पूरी तरह नहीं भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए निर्धारित स्थानों को पूरी तरह भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित पूरे कोटे का उपयोग न किए जाने के निम्नलिखित कारण हैं:—

(I) अधिकांश विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं ।

(II) जहां तक गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का सम्बन्ध है, अधिकांश विश्वविद्यालयों तथा कालेजों ने यह सूचित किया है कि "जिन छात्रों ने आवेदन किया उन सभी को दाखिल कर लिया गया" । इससे यह पता चलता है कि इन पाठ्यक्रमों में दाखिला पाने वाले पर्याप्त छात्र उपलब्ध नहीं हैं ताकि आरक्षित स्थानों का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके ।

उपरोक्त दोनों कारण ही तकनीकी संस्थाओं में सभी आरक्षित स्थानों का उपयोग न किए जाने के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं ।

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान करना, उपचारात्मक प्रशिक्षण, मा०प्रो० संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान शिक्षावृत्तियां तथा पुस्तक बैंक शामिल हैं ।

सिक्किम में तकनीकी संस्थान खोलना

*652. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम में कोई भी प्रौद्योगिकी/तकनीकी शिक्षा संस्थान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उक्त राज्य में ऐसे संस्थान खोलने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनके लिए प्रस्तावित परिव्यय कितना है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजना के दौरान सिक्किम में किसी तकनीकी संस्था को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बारक बांध परियोजना

*653. **श्री सुदर्शन दास** : क्या जल संसाधन मंत्री बारक बांध परियोजना के बारे में 6 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1706 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारक बांध परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास तकनीकी आर्थिक पुनरीक्षा के लिए कब से पड़ी हुई है; और

(ख) इसके संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) परियोजना रिपोर्ट अब केन्द्रीय जल आयोग के पास लम्बित नहीं है अपितु जलाशय के प्रचालन की संकल्पना, इस परियोजना के निष्पादन की एजेन्सी तथा संसाधनोंकी उपलब्धता इत्यादि सम्बन्धी पहलुओं पर स्पष्टीकरण हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड को वापस भेज दी गई है।

त्रिवेन्द्रम-मांचेश्वर जल मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना

*654. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में त्रिवेन्द्रम-मांचेश्वर जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नर्मदा घाटी विकास परियोजना

*655. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा घाटी का विकास परियोजना में कितनी मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनायें शामिल हैं;

(ख) उन परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता कितनी कितनी है;

(ग) नर्मदा घाटी परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) उक्त परियोजना की कार्यान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सातवीं योजना में शामिल की गई नर्मदा घाटी परियोजनाएं

(करोड़ रुपए में/हजार हैक्टेयर में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	सिंचाई लाभ हजार हैक्टेयर में	छठी योजना (मार्च, 1985) के अन्त तक व्यय	सातवीं योजना में आगे लाई गई लागत	सातवीं योजना (1985-90) मे परिव्यय	वास्तविक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश							
(क) बृहद स्कीमें							
1.	बारगी यूनिट I बांध	113.60	157	90.91	22.69	22.69*	बांध तथा आनुषंगिक कार्य
	यूनिट II नहरें	302.33		36.07	266.26	40.00	उन्नत अवस्था में हैं और सातवीं योजना के अन्त तक पूरे किए जाने हैं। नहर कार्य पहुंच-वार रूप से चलना है।
2.	कोलार	96.36	60.90	31.58	64.78	56.79	यह स्कीम सातवीं योजना में अधिकांशत: पूरी की जानी है।
3.	नर्मदा सागर (इन्दिरा सरोवर)	1392.85	169.30	12.37	541.63	85.00*	सातवीं योजना में इस स्कीम को शुरू किया जाएगा।
4.	ओमकारेश्वर	578.00	172.50	—	578.00	5.00*	कुछ प्राथमिक कार्य किए जाएंगे।

1 2	3	4	5	6	7	8
5. मान	44.00	19.20	2.53	41.47	36.48	कार्य प्रारम्भिक अवस्था में हैं । ठोस कार्य सातवीं योजना में किए जाने हैं ।
6. जोबट	32.00	12.50	0 60	31.40	25.30	—वही—
(ख) मध्यम स्कीमें						
1. मटियारी	18.20	10.10	8.33	9.87	9.87	यह स्कीम आंशिक रूप से पूरी हो गई है और इसके सातवीं योजना के अन्त तक पूरे हो जाने की संभावना है ।
2. चोरल	9.84	3.90	6.00	3.84	3.84	—वही—
3. देजला दिवाड़ा	21.91	12.10	6.11	15.80	15.80	स्कीमें सातवीं योजना में पूरी की जानी हैं ।
गुजरात						
(क) बृहद स्कीमें						
1. सरदार सरोवर परियोजना	5102.03	1792.00	229.35	4290.65	800.00*	प्रारभिक कार्य पूरे हो गए हैं । रॉकफिल बांध और 0 किलोमीटर से 21 किलोमीटर तक मुख्य नहर की कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है । नहर हेड पावर हाउस, पहुंच टनल और पहुंच चैनल की नींव की खुदाई का कार्य भी प्रगति पर है ।
2. करजन	153.24	77.55	87.80	65.40	68.00	स्कीम सातवीं योजना में पूरी की जानी है ।
3. सुखी	71.51	25.20	55.51	16.30	19.67	—वही—

1	2	3	4	5	6	7	8
(ख) मध्यम स्कीमें							
1. मान		13.58	4.05	0.54	13.04	13.10	स्कीम सातवीं योजना में पूरी की जानी है।
2. एनी राजस्थान		10.05	2.30	0.16	9.89	9.89	—वही—
(क) बृहद स्कीमें							
1. नर्मदा नहर		347.72	73.16	1.93	345.72	22.60	प्रारंभिक कार्य तथा नहर की प्रारंभिक पहुंचों का कार्य सातवीं योजना में शुरू किए जाएंगे।

टिप्पण : विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत सातवीं योजना में उपलब्ध किया गया परिव्यय

1. बारगी, मध्य प्रदेश	25.83 करोड़ रुपए
2. नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर और माहेश्वर, मध्य प्रदेश	298.00 करोड़ रुपए
3. सरदार सरोवर परियोजना	
मध्य प्रदेश	292.00 करोड़ रुपए
गुजरात	146.27 करोड़ रुपए
महाराष्ट्र	246.83 करोड़ रुपए

[हिंदी]

सिंचाई क्षमता का अप्रयोग

*656. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री एन० टोंम्बी सिंह } : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पानी की क्षमता का सिंचाई के प्रयोजनार्थ पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यह सूचित किया गया है कि छठी योजना के अन्त तक लगभग 67.9 मिलियन हेक्टेयर सृजित की गई अनुमानित क्षमता में से लगभग 60.4 मिलियन हेक्टेयर का उपयोग किया गया है। उपयोग में अन्तराल को कम करने के उद्देश्य से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विस्तार, 5 से 8 हेक्टेयर ब्लाकों तक खेत नालियों की व्यवस्था तथा उसमें कृषकों की भागीदारी सहित उन्नत जल प्रबन्ध प्रणालियों को लागू करने और उनको लोकप्रिय बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन निगम द्वारा प्राप्त किए गए "कंटेनर" जहाज

*657. डा० वी० वेंकटेश : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौवहन निगम के लगभग 10 पुराने और अलाभप्रद जहाजों को तोड़ने की अनुमति प्रदान की है,

(ख) भारतीय नौवहन निगम के बेड़े में इस समय कितने जहाज हैं, और

(ग) भारतीय नौवहन निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न डी डब्ल्यू० टी० और टी० ई० यू० वाले "सेल्युलर" नॉन-सेल्युलर" किस्म के कितने कंटेनर जहाज प्राप्त किए हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) नौवहन महानिदेशक, वाणिज्यपोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 42 (1)के तहत जहाजों को स्क्रैप करने की अनुमति देते हैं। नौवहन महानिदेशक ने हाल ही में भारतीय नौवहन निगम के दो कार्गो जहाजों और तीन कम्बीनेशन कैरियरों को स्क्रैप करने की अनुमति दी। भारतीय नौवहन निगम ने नौवहन महानिदेशक के समक्ष रोमानिया में निर्मित चार जहाजों (अराधना श्रृंखला) और दो बल्क कैरियरों को स्क्रैप करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है।

(ख) इस समय भारतीय नौवहन निगम के पास 143 जहाज हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में भारतीय नौवहन निगम ने 16,8000 डी डब्ल्यू टी (316 टी ई यू क्षमता) वाले दो कंटेनर परक कार्गो जहाज खरीदे।

परिवार नियोजन संबंधी कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति पुरुषों को शिक्षित और प्रोत्साहित करना

*658. डा० टी० कल्पना देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में हाल ही में किये गये अध्ययन के अनुसार परिवार नियोजन के लिए पुरुषों को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति शिक्षित और प्रोत्साहित करने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) माननीय सदस्य ने इंगलैंड में किए गए जिन अध्ययनों का उल्लेख किया है, सरकार को उसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारे देश में पुरुषों और महिलाओं, दोनों को जिम्मेदार माता-पिता बनने और परिवार नियोजन के तरीकों की स्वीकारता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और प्रेरणा प्रदान की जाती है ।

(ख) सरकार परिवार नियोजन के सभी तरीकों को स्वेच्छा से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए जोरदार कदम उठा रही है। इस कार्यक्रम की प्रमुख कार्यनीतियां हैं:— बेहतर संचार प्रणाली के द्वारा गर्भ निरोधन की मांग बढ़ाना, दूर-दराज के क्षेत्रों तक सेवाओं का विस्तार करना और उनकी क्वालिटी में सुधार लाना, स्वैच्छिक संगठनों के योगदान से अधिक से अधिक लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, जन-शिक्षा में तेजी लाना, बच्चों के जीवित रहने की दर में वृद्धि करना और कार्यक्रम प्रबन्ध में सुधार लाना ।

[अनुवाद]

बी० एच० सी० और डी० डी० टी० के अवशिष्ट अंश से कैंसर की सम्भावना

6044. **श्री कमला प्रसाद सिंह** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर में तमिलनाडु कृषि विश्व विद्यालय द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार तमिलनाडु राज्य भर से लिये गये माताओं के दूध और गाय के दूध के नमूनों और लुधियाना और पंजाब से लिये गये मक्खन और गेहूं के आटे के नमूनों में और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा लिये गये दिल्ली निवासियों के बसा के टिशुओं में बी० एच० सी० और डी० डी० टी० के अंश अवशिष्ट होने का पता चला है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है और जिनसे कैंसर हो सकता है;

(ख) क्या इसके लिए फार्म्युलेटर और कारखाने उत्तरदायी है क्योंकि वे यह सुनिश्चित किये बिना कि कीटनाशक केवल कीटों को ही मारे और मानव जीवन को कोई नुकसान न पहुंचावें कीटनाशक अधिनियम के उपबन्धों का खुलेआम उल्लघन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) से (ग) भारत में अनेक वैज्ञानिकों और संगठनों द्वारा किए गए अध्ययनों से मनुष्य और जानवरों के शरीरों में बी० एच० सी० और डी० डी० टी० के अंश अवशिष्ट होने का पता चलता है । इन कीटनाशकों के अवशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, अनाज, मूंगफली, पानी, घी मांस और मछली आदि में पाए गए हैं । अभी तक जानवरों पर डी०डी०टी० के प्रयोग से कोशिकानुबंशिकी, उत्परिवर्तन-उत्प्रेरक आकृतिक और जीव-रसायन संबंधी परिवर्तनों की रिपोर्ट नहीं मिली है । यह

संदेहास्पद है कि डी० डी० टी० में कोई कैंसरजनक प्रभाव होता है। तथापि, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि मनुष्य में बी० एच० सी० से कैंसर हो सकता है।

भारत में डी० डी० टी० की तीव्र विषाक्तता से कोई मौत नहीं हुई है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है जो देश में किन-किन कीटनाशकों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए उनका चयन करेगी। इस विषय पर कृषि मन्त्रालय द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

दक्षिण पूर्व रेलवे में उड़ीसा में यात्रा हाल्ट बनाना और समाप्त करना

6045. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में उड़ीसा में कोई यात्री हाल्ट समाप्त करने या बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कारणों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : उड़ीसा में किसी हाल्ट स्टेशन को समाप्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखनाथ और रहमा स्टेशनों के बीच झांकडा सरला रोड में, रहमा और पारादीप स्टेशनों के बीच कुजंगा इरसमा रोड में और बाडखंडता और गोरखनाथ स्टेशनों के बीच रघुनाथपुर में यात्री हाल्ट खोलने का प्रस्ताव है।

"नोरप्लांट गर्भ निरोधक का प्रयोग आरम्भ करने का प्रस्ताव

6046. **डा० बी० एल० शेलेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम में "नोरप्लांट" गर्भ निरोधक का प्रयोग आरम्भ करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्पष्ट लाभ क्या हैं;

(ग) क्या इसके लिए क्लिनिक में जाना पड़ता है और इसमें सावधानी पूर्वक निगरानी रखने और बाद में जांच कराते रहने की जरूरत होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस तरीके के बारे में स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) नोरप्लांट गर्भनिरोधन की एक कुशल विधि है जिस पर कार्यक्रम-पूर्व आरम्भिक अध्ययन किए जा रहे हैं। नोरप्लांट लगाने के बाद यह कम से कम 5 वर्षों तक प्रभावकारी रहता है। जरूरत होने पर इसे कभी भी निकाला जा सकता है।

(ग) इसके लिए क्लिनिक में जाना पड़ता है और इसे लगाने के बाद निगरानी रखने की आवश्यकता होती है।

(घ) स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने क्षेत्रीय आधार पर बारह केंद्र चुने हैं और अर्ध-शहरी केंद्रों में आधारभूत ढांचे का विकास करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य कार्मिकों का प्रशिक्षण 1986 के मध्य में आरम्भ किए जाने की सम्भावना है।

"केअर" को किया गया भुगतान

6047. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "केअर" तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों के बीच हुए किसी समझौते के आधार पर अथवा इस सम्बन्ध में दिए गए/जारी किए गए किसी आदेश के आधार पर "केअर" को भुगतान किया गया अथवा भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे किसी समझौते/आदेश में संशोधन अथवा परिवर्तन से प्रभावित होने वाले समझौते/आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या "केअर" द्वारा इस प्रकार प्राप्त धनराशि का लेखा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) प्रावधानों की सूची एक वार्षिक दस्तावेज है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों में स्कूल-बालाहार तथा स्कूल-पूर्व बालाहार के लिए "केअर" खाद्यान्न निवेश का ब्यौरा होता है और राज्यों द्वारा "केअर" के प्रशासनिक खर्चों के हिस्से की भी शर्तें होती हैं। राज्यों द्वारा प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति प्रावधानों की सूची के अनुसार ही होती है। पिछले तीन वर्षों में राज्यों द्वारा "केअर" को उनके प्रशासनिक खर्चों के लिए दी गई धनराशि निम्न प्रकार है:—

1982-83	2.06 करोड़ रुपए
1983-84	2.27 करोड़ रुपए
1984-85	2.46 करोड़ रुपए

(घ) जी, हां।

मंगलोर-पालाघाट के बीच रेल गाड़ी चलाना

6048. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केरल की लगभग आधी जनसंख्या मालावार क्षेत्र में रहती है, सरकार का विचार मंगलोर और पालाघाट के बीच एक रेलगाड़ी चलाने का है ताकि कन्याकुमारी—बम्बई जयन्ती जनता एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस को पालाघाट में इसके साथ जोड़ा जा सके ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : जी नहीं, क्योंकि पालघाट में पहले ही मेल लेने वाली गाड़ियां उपलब्ध हैं।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में निम्न स्तर के खाने की सप्लाई

6049. **श्री अनिल बसु** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सम्पूर्ण खान-पान व्यवस्था का ठेका केवल एक ही व्यक्ति को दिया गया है जो कि यात्रियों को निम्न स्तर का खाना सप्लाई कर रहा है जिसके कारण वे इस व्यवस्था से खिन्न हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रभातीपुरम से कोरापुट तक बरास्ता नारायणपतनम नई रेल लाइन

6050. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार प्रभातीपुरम से कोरापुट तक, बरास्ता नारायणपतनम, एक नई रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) क्या उक्त रेल लाइन का सर्वेक्षण भी पूरा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) जिन दो वैकल्पिक संरेखणों/मार्गों का सर्वेक्षण किया गया था उनमें से कोरापुट-पार्वतीपुरम लाइन की अपेक्षा कोरापुट-रायगडा लाइन तकनीकी, वित्तीय और परिचालनिक दृष्टि से बेहतर पायी गयी थी ।

हैदराबाद से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवायें

6051. **श्री टी० बाल गौड** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद हवाई अड्डे से इस समय कितनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : इस समय एयर इण्डिया द्वारा हैदराबाद-बम्बई-जेदाह और वापसी मार्ग पर हैदराबाद हवाई अड्डे से केवल एक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान का परिचालन किया जा रहा है ।

इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति

6052. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी पुस्तिका के अध्याय 4 के अन्तर्गत दिए गए निदेशों के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स में प्रत्येक श्रेणी/संवर्ग के पदों के लिए कर्मचारियों की आरक्षण नीति के बारे में 40/100 प्वाइंट रोस्टर का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-वार (तकनीकी/गैर तकनीकी और विमान चालक दल) प्रत्येक श्रेणी में की गई भर्ती/पदोन्नति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रेलवे प्लेटफार्म की टिकटों की बिक्री से आय

6053. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री से गत दो वर्षों के दौरान रेलवे को जोन-वार कुल कितनी आय हुई ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : पिछले दो वर्षों के दौरान प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री से हुई आमदनी नीचे दी गई है:—

रेलवे	आमदनी	
	1984-85	1985-86 (फरवरी, 1986 तक (लगभग)
	रुपये	रुपये
मध्य	88,28,379	1,00,45,601
पूर्व	47,47,000	73,24,000
उत्तर	1,22,51,975	1,29,66,206
पूर्वोत्तर	9,39,499	9,03,589
पूर्वोत्तर सीमा	5,14,091	3,81,293
दक्षिण	1,29,04,233	1,13,05,393
दक्षिण मध्य	48,07,000	47,38,000
दक्षिण पूर्व	25,01,281	27,13,345
पश्चिम	99,62,992	86,89,975

रेल कर्मचारियों को गत्यावरोध के कारण दूसरी वेतन वृद्धि देना

6054. **श्री मानिक साल्याल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने रेल कर्मचारियों को गत्यावरोध के कारण दूसरी वेतन वृद्धि मंजूर करने के सम्बन्ध में कोई परिपत्र जारी किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित विद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों की सम्बद्ध कोटियों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के आधार पर रेलवे के अध्यापकों और कर्मचारियों की सम्बद्ध कोटियों को 5.9.1982 से दूसरी गत्यावरोध वेतनवृद्धि देने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए तमिलनाडु की मांग

6055. **श्री एम० डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या तमिलनाडु को मैलाथिया खरीदने के लिए आबंटित की गई राशि अभी तक जारी नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 धन राशि के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित श्रेणी-II स्वास्थ्य योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

वैसे, छठी पंच वर्षीय योजना के मध्यावधि आकलन तथा राज्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों के कारण छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 1983-84 और 1984-85 में मैलथियन की अपेक्षित मात्रा की खरीद के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का निश्चय किया गया था।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु सरकार को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए दी गई केन्द्रीय राशि इस प्रकार है:—

वर्ष	केन्द्र द्वारा सप्लाई की गई मशीनरी और उपकरणों की लागत	दी गई नगद सहायता मैलथियन की लागत सहित
1980-81	6.42	—
1981-82	2.22	—
1982-83	15.71	—
1983-84	11.12	89.00
1984-85	19.16	53.03
	54.63	142.03

राज्यों को केन्द्रीय सहायता का अन्तिम निर्धारण केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा किए गए खर्च के लेखा परीक्षित आंकड़े प्राप्त हो जाने पर किया जाता है।

नादियाड़-कपड़गंज मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना और इसका मोडसा तक विस्तार

6056. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नादियाड-कपड़गंज मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और इसका मोडासा तक विस्तार करने के कार्य को 1978-79 में स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) उस समय इस पर कितनी लागत आने का अनुमान था;

(ग) क्या यह सच है कि कार्य आरम्भ हो गया है, यदि हां, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या सरकार को पता है कि इस लाइन पर निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है अथवा बहुत धीमा चल रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(च) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने उक्त रेल लाइन के लिए बार-बार अभ्यावेदन किया है, यदि हां, तो समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) नयी लाइन के लिये 5.38 करोड़ रुपये तथा आमान परिवर्तन के लिये 4.05 करोड़ रुपये।

(ग) जी हां, समग्र प्रगति इस प्रकार है-नादियाड-कपड़गंज आमान परिवर्तन 8 प्रतिशत और कपड़गंज मोडासा नयी लाइन 9 प्रतिशत।

(घ) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस कार्य को पूरा करने के लिये कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका।

(ङ) और (च) इन कार्यों को पूरा करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन का आबंटन सम्भव नहीं हुआ है। नयी लाइनों के निर्माण के लिये आबंटन बढ़ाने के प्रश्न पर योजना आयोग को बराबर लिखा जा रहा है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय छोड़ने वालों की दर और प्रति छात्र पूंजीनिवेश

6057. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसमें प्रति छात्र पूंजीनिवेश देश में सबसे अधिक है, में विश्वविद्यालय छोड़ने वालों की दर भी सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में गत तीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय छोड़ने वालों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रति छात्र पूंजीनिवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संकाय में वर्षवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय मुख्यतः स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान कार्यक्रम प्रदान करता है जबकि अधिकांश अन्य विश्वविद्यालय भी अवर स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। अतः जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों पर प्रतिव्यक्ति व्यय अधिक है परन्तु यह उतना ही है जो इस प्रकार की संस्थाओं में है। अधिकांश संस्थाओं में स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को छोड़ने वालों का अनुपात भी अधिक है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इसका अपवाद नहीं है।

(ख) वर्ष 1982-83 तथा 1984-85 के दौरान विभिन्न पूर्णकालिक कार्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या और उनमें से छोड़ देने वालों की संख्या निम्न प्रकार हैं :—

संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	कार्यक्रम की किस्म	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या
1982-83	एम० फिल/पी० एच० डी०	383	63
	एम० ए०/एम० एस० सी०	505	101
1984-85	एम० फिल/पी० एच० डी०	416	60
	एम० ए०/एम० एस० सी०	423	107

1983-84 में कोई प्रवेश नहीं हुआ।

(ग) 1984-85 के दौरान कुल राजस्व व्यय तथा उस वर्ष के दौरान छात्र दाखिला के आधार पर प्रतिव्यक्ति व्यय 26,834 रुपये आता है।

(घ) 1982-83 तथा 1984-85 के दौरान विश्वविद्यालय में दाखिल हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के स्कूल/संकाय वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। शैक्षिक वर्ष 1983-84 के दौरान विश्वविद्यालय में कोई दाखिला नहीं हुआ था।

विवरण

वर्ष 1982-83 तथा 1984-85 के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पूर्ण कालिक अध्ययन कार्यक्रम में दाखिल हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या

स्कूल/संकाय का नाम	1982-83 अ० जा०/अ० ज० जा०		1984-85 अ० जा०/अ०ज०जा०	
1. सामाजिक विज्ञान	34	38	26	13
2. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन	21	8	17	9
3. भाषाएं	8	7	7	9
4. संगणक तथा पद्धति विज्ञान	4	1	1	—
5. पर्यावरण विज्ञान	4	—	2	—
6. जीवन विज्ञान	3	2	5	2
कुल	74'	56	58	33

टिप्पणी :—वर्ष 1983-84 के दौरान कोई प्रवेश नहीं दिए गए थे।

उड़ीसा में स्मारकों के संरक्षण के लिए संगठनों को वित्तीय सहायता

6058. **श्री के० प्रधानी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय सरकार से महावीर सांस्कृतिक अनुष्ठान, कलाहांडी, शीतला माता युकब संघ, बालेश्वर और जवाहर युवक संघ, कटापल्ली, सम्बलपुर को, जिनके अनुरोध केन्द्रीय सरकार को भेजे गए थे, उन भवनों के संरक्षण के लिए, जो 100 वर्ष से कम पुराने हैं तथा जिनका संरक्षण राज्य/केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है, आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिए कहा है :

(ख) यदि हां, तो इस समय इस मामले की स्थिति क्या है; और

(ग) उपरोक्त सभी या किसी एक को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) महाबीर संकुतिका अनुष्ठान, कलाहण्डी और जवाहर जुबक संघ, कटापल्ली सम्बलपुर के आवेदन पत्र अपूर्ण थे और अब संशोधित होकर प्राप्त हो गए हैं। सीतला माता युवक संघ, बालासोर का आवेदनपत्र बिना उपयुक्त प्राक्कलनों के प्राप्त हुआ है।

(ग) उक्त आवेदनपत्रों पर योजना के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उपयुक्त सहायता देने अथवा न देने के बारे में गुणावगुण के आधार पर यथासम्भव शीघ्र निर्णय किए जाएंगे।

आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर और प्रकाशम जिलों में नेहरू युवक केन्द्र

6059. **श्री सी० सम्बु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आंध्र प्रदेश के गुन्टूर और प्रकाशम जिलों में चल रहे नेहरू युवक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): नेहरू युवा केंद्रों की योजना के अन्तर्गत सामान्यत: जिले में केवल एक ही केन्द्र स्वीकृत किया जाता है। आन्ध्र प्रदेश के जिला गुन्टूर में अप्रैल, 1975 से नेहरू युवा केन्द्र कार्य कर रहा है। प्रकाशम जिले में ऐसा कोई केन्द्र कार्य नहीं कर रहा है।

डिगलीपुर तहसील, उत्तर अन्डमान में पेचिश महामारी

6060. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिगलीपुर तहसील, उत्तर अण्डमान (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) में एक किस्म की खूनी पेचिश की महामारी फैली थी;

(ख) यदि हां, तो उससे कुल कितने लोग पीड़ित हुए और उक्त महामारी पर नियंत्रण करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बीमारी के सही कारणों का पता लगाने और निवारक उपाय करने के लिए उस क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञों को तैनात करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। अण्डमान और निकोबार सरकार द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार डिगलीपुर तहसील के गास्चीमसागर गांव में 286 व्यक्ति पीड़ित हुए थे।

प्रभावित गांव में एक स्वास्थ्य दल भेजा गया था जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी, प्रयोगशाला तकनीशियन और सफाई निरीक्षक शामिल था। उन्होंने रोगियों का पता लगाने, उनका उपचार करने तथा व्यक्तिगत और भोजन सम्बन्धी स्वच्छता के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए घर-घर जा कर सर्वेक्षण किया।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रीय अधिकारी को उस क्षेत्र में पानी, टट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए भेजा गया था ताकि रोग के कारण का पता लगाया जा सके। जांच से पता चला कि संक्रमण पानी से हुआ था। व्यापक क्लोरीनेशन से पेचिश की घटनाओं में कमी आई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र-विज्ञान केन्द्र में कार्निया का प्रत्यारोपण

6061. **श्री धर्मवीर सिंह त्यागी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र-विज्ञान केन्द्र कितने मामलों में कार्निया का प्रत्यारोपण किया गया;

(ख) इन प्रत्यारोपणों में कितने प्रतिशत मामले सफल रहे;

(ग) प्रत्यारोपण के लिए कार्निया किन स्रोतों से प्राप्त किए गए; और

(घ) दाताओं को दिए गए प्रतिकर का ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र में वर्ष 1984 के दौरान 141 और 1985 के दौरान 157 कार्निया प्रत्यारोपण किए गए।

(ख) नेत्र प्रयोजनों के लिए की गई शल्य चिकित्सा में 80 प्रतिशत मामलों में सफलता मिली।

(ग) जिन विभिन्न स्रोतों से कार्नियां प्राप्त की गई थीं, वे हैं:—

(1) धामपुर (उत्तर प्रदेश)

(2) ढोलका (गुजरात)

(3) स्वैच्छिक दाता दिल्ली और कुछ आंखें श्री लंका यू० एस० ए० और डेनमार्क से प्राप्त हुई।

(घ) नेत्र दाताओं को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

कलाईकुण्डा रेलवे स्टेशन का सुधार

6062. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलाईकुण्डा रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) का सुधार करने के सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है, और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औषधियों के जीनसीय नाम रखना

6063. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि दवाइयों के ब्रांड नामों के दिखावे की आड़ में नकली औषधियों के निर्माता रोगियों को ठग कर फल-फूल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार औषधियों के जीनसीय नाम रखने और ब्रांड नामों को समाप्त करने पर विचार करेगी ?

परिवार कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार को इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि नकली दवाइयों के निर्माता दवाइयों के दिखावटी ब्रांड नामों की आड़ में रोगियों को ठग कर फल-फूल रहे हैं।

हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कुछ औषधियों के ब्रांड नामों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के संबंधित भागों का संशोधन कर दिया गया है। संशोधित नियमों को दिल्ली उच्च न्यायालय ने विखंडित कर दिया है। इस मामले की उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है और यह अभी न्यायाधीन है।

कोल्हापुर से मिराज तक रेलवे स्टेशनों पर महिला तथा पुरुष प्रतीक्षालयों में पेयजल तथा शौचालय सुविधायें

6064. **श्री आर० एस० माने** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर से मिराज तक रेलवे स्टेशनों पर महिला तथा पुरुष प्रतीक्षालयों में पेयजल तथा शौचालय सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में कोल्हापुर से मिराज तक के रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं तथा पुरुषों के प्रतीक्षा कक्षों और प्लेटफार्मों पर मुहैया की गयी पीने के पानी और शौचालय की सुविधाएं संतोषजनक समझी जाती हैं। फिर भी, रूकाड़ी और हाटकंगाल स्टेशनों पर जल शीतकों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा संबंधी प्रायोगिक परियोजना की क्रियान्विति

6065. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिकी विभाग के सहयोग से विद्यालयों में चलाये जा रही कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी प्रायोगिक परियोजना का ब्यौरा क्या है और उड़ीसा में इसको किस प्रकार क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस योजना में वर्ष 1985 से (वर्षवार) राज्य-वार अलग-अलग कितने विद्यालय शामिल किए गए हैं और उड़ीसा के उन विद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस प्रयोजन के लिये चुना गया था /है;

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा इन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) इस सम्बन्ध में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का आयोजन करने वाले संसाधन केन्द्रों के नाम क्या हैं और उसके द्वारा अब तक राज्य-बार कितने अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ङ) इनका विस्तार कब तक करने का प्रस्ताव है और क्या उन्हीं विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा जारी रहेगी अथवा इसके लिए अन्य विद्यालयों को भी चुना जायेगा/शामिल किया जायेगा।

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) स्कूल (क्लास) प्रायोगिक परियोजना में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) 1984-85 में पूरे भारत के चुनिन्दा 248 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों सहित शुरू की गई थी :—

(i) छात्रों की संगणकों की व्यापक जानकारी तथा उनके प्रयोग सम्बन्धी सूचना प्रदान करना।

(ii) अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध कराना;

(iii) मानव कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में संगणक के विभिन्न अनुप्रयोगों तथा नियंत्रक सूचना प्रक्रिया तन्त्र के रूप में संगणक की क्षमता से छात्रों को परिचित कराना,

(iv) कम्प्यूटरों का प्रयोग बढ़ाना और उसे अधिक सरल बनाना, और इनसे सम्बन्धित जानकारी को विकसित करना जिसमें लोगों के निकट वातावरण के अनुकूल अनुप्रयोगों को पता लगाने तथा उन्हें विकसित करने में व्यक्तिगत रचनात्मक विकसित करने में सहायता मिलेगी। 42 संस्थानों मुख्यत: मा० प्रो० संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य इंजीनियरी कालेजों को, जहां संगणक सुविधाएं तथा प्रशिक्षण संकाय हैं, स्कूलों को युक्तियुक्त तथा प्रोत्साहक समर्थन देने के लिए संसाधन केंद्रों के रूप में चुना गया था। रा० शै० अ० प्र० परिषद् की परियोजना को शैक्षिक सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी हैं। परियोजना में 1985-86 के दौरान 501 स्कूलों को और शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। इस कार्य के लिए 8 अतिरिक्त संसाधन केंद्र खोले गए हैं तथा उन्हें सुसज्जित किया गया है। उड़ीसा, सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में परियोजना का किस हद तक बिस्तार किया जाए इसका निर्णय निधियों की उपलब्धता के आधार पर वर्षानुवर्ष के आधार पर लिया जाएगा।

(ख) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान राज्य-वार स्कूलों का आवंटन विवरण-1 में दिया गया है। उड़ीसा से चुने गए स्कूलों के नाम विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान इस परियोजना के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग ने क्रमश: 2.2 करोड़ रुपये तथा 4.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

(घ) उन संसाधन केंद्रों की सूची, जहां प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, विवरण-3 में दी गई हैं। वर्ष 1984-85 के दौरान 700 शिक्षकों को तथा 1985-86 के दौरान 1018 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। 1984-85 के लिए राज्य-वार ब्यौरे विवरण-4 में दिए गए हैं। 1985-86 के लिए राज्य-वार सूचना सभा पटल पर रखी जाएगी।

(ङ) परियोजना के अन्तर्गत शामिल किए गए स्कूल कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण प्रदान करते रहेंगे। शामिल किए जाने वाले अतिरिक्त स्कूलों की संख्या के बारे में निर्णय निधियों की उपलब्धता तथा प्रायोगिक परियोजना के मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर वर्षानुवर्ष के आधार पर किया जाएगा।

विवरण-1

संगणक शिक्षा प्रमुख परियोजना के लिए आबंटित स्कूलों की संख्या दर्शाने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सूची—
1984-85 तथा 1985-86

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1984-85	1985-86
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	25
2.	असम	10	21
3.	बिहार	11	31
4.	गुजरात	15	27
5.	हरियाणा	5	13

1	2	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश	6	6
7.	जम्मू और कश्मीर	5	8
8.	कर्नाटक	10	20
9.	केरल	10	18
10.	मध्य प्रदेश	15	44
11.	महाराष्ट्र	18	44
12.	मणिपुर	2	4
13.	मेघालय	2	4
14.	नागालैंड	2	4
15.	उड़ीसा	10	19
16.	पंजाब	10	24
17.	राजस्थान	10	24
18.	सिक्किम	2	4
19.	तमिलनाडु	16	27
20.	त्रिपुरा	2	2
21.	उत्तर प्रदेश	27	63
22.	पश्चिम बंगाल	20	39
23.	अरुणाचल प्रदेश	2	3
24.	चंडीगढ़ प्रशासन	3	2
25.	दिल्ली	20	12
26.	गोवा, दमन और दीव	2	2
27.	मिजोरम	1	2
28.	पांडिचेरी	1	2
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	3
30.	लक्ष्यद्वीप	—	2
31.	दादरा और नागर हवेली	—	2
	कुल	248	561

विवरण-2

क्लास परियोजना में भाग लेने के लिए उड़ीसा के चुने गए स्कूल

1984-85

1. केन्द्रीय विद्यालय नं० 1, यूनिट 1×, भुवनेश्वर।
2. डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल, क्षेत्रिय शिक्षा कालेज, भुवनेश्वर।
3. बी० जे० बी० कालेज, भुवनेश्वर।
4. आर० डी० महिला कालेज, भुवनेश्वर।

5. रविनशाह कालेज, भुवनेश्वर ।
6. सरकारी कालेज, राऊरकेला ।
7. एस० के० देव महिला कालेज, राऊरकेला ।
8. म्युनिसिपल कालेज, राऊरकेला ।
9. डालिमां कालेज राजगंगपुर, राऊरकेला ।
10. इस्पात उच्चतर माध्यमिक स्कूल, सेक्टर–14, राऊरकेला ।

1985-86

1. महिला एस० बी० कालेज, कटक ।
2. एस० सी० एस० कालेज पुरी, ।
3. गोपबन्धु विज्ञान कालेज, अथाहगृह
4. सेलपुर कालेज, कटक
5. पी० एन० कालेज, खुरदा
6. सतवती विज्ञान कालेज, कटक
7. क्रिस्ट कालेज, कटक
8. बंकी कालेज, कटक
9. महिला कालेज, राऊरकेला ।
10. जी० एम० कालेज, सेम्बलपुर ।
11. महिला कालेज, सेम्बलपुर ।
12. सरकारी कालेज, सुन्दरगृह ।
13. भद्रक कालेज, भद्रक
14. केपीटल उच्च स्कूल यूनिट-III, भुवनेश्वर ।
15. एन० सी० कालेज, जयपुर ।
16. सी० एस० जिला स्कूल,सेम्बलपुर ।
17. केन्द्रीय विद्यालय, प्रदीप पोर्ट, जिला कटक
18. केंद्रीय विद्यालय, पुरी ।
19. केंद्रीय विद्यालय, एफ० सी० आई० टेलचर, पी० ओ० विक्रमपुर, जिला–डिकनल ।

विवरण-3

संसाधन केन्द्रों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. प्रिंसिपल,
   क्षेत्रीय इंजी० कालेज,
   वारंगल ।
2. विश्वविद्यालय संगणक केंद्र, ओसमानिया
   विश्वविद्यालय
   हैदराबाद ।

असम

4. क्षेत्रीय इंजी० कालेज,
   सिल्चर ।

5. संगणक केंद्र,
असम इंजी० कालेज,
जुलुक बारी, गोहाटी।

बिहार

5. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान,
बी० आई० टी० मेसरा (रांची)।
6 मुज्जफरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान,
मुज्जफरपुर।

गुजरात

7. एल० डी० इंजी० कालेज,
नवरंगपुरा, अहमदाबाद।
8. एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय
बड़ौदा।

हरियाणा

9. कुरुक्षेत्र, विश्वविद्यालय,
कुरूक्षेत्र।

जम्मू और कश्मीर

10. विद्युती तथा संचार
इंजीनियरी विभाग, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज,
नसीमबाग, श्रीनगर।

कर्नाटक

11. क्षेत्रीय शिक्षा कालेज,
(एन० सी० ई० आर० टी०),
मैसूर।
12. भारतीय विज्ञान संस्थान
बंगलौर।

केरल

13. इंजीनियरी कालेज,
डाकघर: इंजी० कालेज,
त्रिवेन्द्रम
14. कोचीन विश्वविद्यालय,
कोचीन।

मध्य प्रदेश

15. राजकीय इंजी० कालेज,
जबलपुर।
16. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान,
श्यामला हिल्स,
भोपाल

महाराष्ट्र

17. वालचन्द इंजी० कालेज,
विश्राम बाग, सांगली ।
18. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
पवाई बम्बई ।
19. टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, कोलाबा ।
20. पूना विश्वविद्यालय, पुणे ।

उड़ीसा

21. विद्युत इंजी० विभाग,
क्षेत्रीय इंजी० कालेज, राऊरकेला ।
22. उत्कल विश्वविद्यालय,
वाणी विहार, भुवनेश्वर ।

पंजाब/चंडीगढ़

23. थापर इंजी० तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला ।
24. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान,
सैक्टर–26, चंडीगढ़ ।
25. पंजाब विश्वविद्यालय,
चण्डीगढ ।

राजस्थान

26. प्रिंसिपल, मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियर
कालेज, जयपुर
27. बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान,
पिलानी

तमिलनाडु

28. पी० एस० जी० प्रौद्योगिकी कालेज,
पीलामेडू पोस्ट कोयम्बटूर
29. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
मद्रास

त्रिपुरा

30. त्रिपुरा इंजीनियरिंग कालेज
वरजाला, त्रिपुरा
31. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
अलीगढ़
32. भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान,
भा० प्रो० स० डाकघर कानपुर

33. मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजी०
कालेज इलाहाबाद

34. रूड़की विश्वविद्यालय रूड़की

35. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी।

पश्चिम बंगाल

36. बंगाल इंजी० कालेज बोटनिक गार्डन
शिवपुर हावड़ा

37. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
खड़गपुर

38. जादवपुर विश्वविद्यालय
कलकत्ता

दिल्ली

39. दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली।

40. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
हौजखास, नई दिल्ली

41. रा० शै० अ० प्र० परिषद
श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली

गोवा, दमन और द्वीव

42. इंजीनियरी कालेज, डाकघर
फोरमागुड़ी गोवा।

विवरण-4

1984-85 के दौरान संसाधन केन्द्रों द्वारा राज्यवार प्रशिक्षित शिक्षक

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	30
2.	असम	28
3.	बिहार	32
4.	गुजरात	41
5.	हरियाणा	15
6.	हिमाचल प्रदेश	17
7.	जम्मू और कश्मीर	12
8.	कर्नाटक	30
9.	केरल	28
10.	मध्य प्रदेश	43
11.	महाराष्ट्र	54
12.	मेघालय	4

1	2	3
13.	मणिपुर	6
14.	नागालैण्ड	5
15.	उड़ीसा	29
16.	पंजाब	32
17.	राजस्थान	27
18.	सिक्किम	3
19.	तमिलनाडू	45
20.	त्रिपुरा	4
21.	उत्तर प्रदेश	77
22.	पश्चिम बंगाल	57
23.	अरुणाचल प्रदेश	3
24.	चण्डीगढ़	2
25.	दिल्ली	61
26.	गोवा, दमन और द्वीव	4
27.	मिजोरम	3
28.	पांडिचेरी	2

फायलेरिया के इलाज के लिए आवश्यक औषध

6066. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि फायलेरिया के इलाज के लिए देश में आवश्यक औषध उपलब्ध है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : डाइथिल्कार्बामाजाइन फाइलेरियासिस के उपचार की एक वैकल्पिक औषधि है और यह देश में उपलब्ध है। यह औषधि राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा फाइलेरिया महामारी वाले राज्यों को सप्लाई भी की जाती है।

तंजाऊर-नागोर रेल लाइन पर उपरि पुलों का निर्माण

6067. **श्री एस० सिगरावडीवेल** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजाऊर-नागौर रेल लाइन पर नीडामंगलम में उपरि पुलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि वहां पर रेल फाटकों के कारण यातायात के आवागमन में बहुत विलम्ब होता है, और

(ग) रेल फाटकों के स्थान पर पुलों के निर्माण के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) रेलें, मौजूदा व्यस्त समपारों के बदले में ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण लागत में राज्य सरकारों के साथ संयुक्त हिस्सेदारी के आधार पर करती हैं। निदामंगलम में दो समपारों पर यातायात का घनत्व बहुत कम है जिससे उन्हें ऊपरी सड़क पुलों द्वारा बदलने का औचित्य नहीं है। राज्य सरकार ने भी इस सम्बन्ध में रेलवे को कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है।

प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के लिए सीरम् और वैक्सीन की खरीद

6068. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के लिए खरीदे जा रहे सीरम् और वैक्सीन्स के नाम क्या हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक सीरम् और वैक्सीन की कितनी मात्रा और किस मूल्य पर खरीदी गई ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए कोई सीरम नहीं खरीदा जाता इस कार्यक्रम में जो वैक्सीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं वे हैं :—डीपीटी, डीटी, टीटी, पोलियो, टाइफाइड, बी० सी० जी० और खसरा।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदी गई वैक्सीनें और उनकी कीमत इस प्रकार हैं :—

	1983-84 (मात्रा खुराक में)	लागत रुपयों में
वैक्सीन		
डी० पी० टी	2,49,86,000	1,39,77,368
टी० टी० (पी० डब्लू)	1,95,80,000	37,64,149
डी० टी०	2,09,92,000	69,123,58
पोलियो	2,78,45,000	1,28,67,756
बी० सी० जी०	1,91,88,000	31,73,759
टाइफाइड	2,04,91,400	17,12,023
टी० टी० (एस० सी०)	1,07,85,300	20,67,180
* खसरा	1,00,000	
वैक्सीन	**1984-85 (मात्रा खुराक में)**	**लागत रुपयों में**
डी० पी० टी०	3,45,42,300	2,00,62,592
डी० टी०	2,81,85,800	92,84,734
पोलियो	3,13,25,140	1,92,38,305
बी० सी० जी०	1,94,01,500	36,41,234
टाइफाइड	1,54,77,500	15,03,388
टी० टी० (पी० डब्लू)	2,86,85,300	56,34,646
टी० टी० (एस० सी०)	1,43,68,500	28,50,309
* खसरा	1,00,000	
वैक्सीन	**1985-86 फरवरी 86 तक के अनन्तिम आकड़े**	
	मात्रा खुराक में	**लागत रुपयों में**
डी० पी० टी०	3,93,97,000	
डी० टी०	2,28,52,000	3,84,03,485
टी० टी०	3,61,41,000	
पोलियो	4,43,69,000	1,90,17,319
टाइफाइड	2,22,05,400	21,91,380
बी० सी० जी०	1,62,49,000	26,49,706
* खसरा	28,20,000	20,32,855

* खसरा वैक्सीन यूनीसेफ द्वारा सामग्री सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है।

डाकघरों के माध्यम से सड़क करों का भुगतान

6069. **डा० डी० एन० रेड्डी**
श्री पी० आर० कुमारमंगलम } : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों के माध्यम से सड़क कर के भुगतान की व्यवस्था समाप्त की जा रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह व्यवस्था जारी रखी जाएगी और लाइसेंस प्राप्त डाकघरों सहित समूचे देश में सभी डाकघरों और बैंकों में यह व्यवस्था कर दी जाएगी और जब कभी आवश्यक होगा इसका कम्प्यूटरीकरण कर दिया जाएगा; और

(घ) क्या अन्य बहुत से देशों की भांति वर्ष भर भुगतान की व्यवस्था करने का विचार है जिससे कि आखिरी दिनों में भीड़भाड़ न हो ?

अल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) से (ग) यह शायद संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में प्रचलित पहले की प्रणाली के संबंध में जहां सड़क कर का भुगतान डाकघरों के माध्यम से किया जाता था। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस प्रणाली के स्थान पर 1. 4. 86 से नई प्रणाली शुरू की गई है। यह बताया गया कि पोस्टल प्राधिकारियों ने प्रति टोकन पारिश्रमिक 2. 25 रु० से बढ़ाकर 7.50 रु० करने के लिए कहा था, जिसे अलाभकर समझा गया क्योंकि वार्षिक सड़क कर संग्रह का 80% स्वयं परिवहन निदेशालय के कार्यालयों द्वारा ही एकत्र किया जाता है। दिल्ली में अब सड़क कर भारतीय सेंट्रल बैंक की निर्दिष्ट शाखा और आटोमोबाइल एसोसिएशन आफ अपर इंडिया के काउंटरों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। परिवहन निदेशालय ने निदेशालय में रेकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक स्कीम की योजना बनाई है जिसमें वाहनवार सड़क कर संग्रह का डेटा बेस बनाने का प्रस्ताव है। बम्बई और कर्नाटक में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है।

(घ) दिल्ली में यात्री-बसों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के मामले में सड़क कर का तिमाही आधार पर भुगतान करने की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है। यात्री बसों के मामले में कर का मासिक भुगतान किया जा सकता है। वर्ष भर अलग-अलग समय पर भुगतान की प्रणाली शुरू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

शिशु मृत्यु दर कम करने के उपाय

6070. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां शिशु मृत्यु दर काफी अधिक है और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1984 के बारे में भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के नवीनतम अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्युदर (154/1000 जीवित जन्म) है। इसके बाद उड़ीसा (130/1000 जीवित जन्म), राजस्थान (122/1000 जीवित जन्म (और मध्य प्रदेश (120/1000 जीवित जन्म का स्थान है।

शिशु मृत्युदर विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है जैसे मां की आयु, गर्भ धारण की बारम्बारता, महिलाओं की शिक्षा, मां और बच्चे की परिचर्या जिसमें रोगप्रतिरक्षण भी शामिल है। यह स्थिति हर राज्य में अलग-अलग है और इस कारण शिशु मृत्युदर में भी भिन्नता है।

(ख) सरकार द्वारा शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें ये शामिल हैं—स्वास्थ्य के मौजूदा आधारभूत ढांचे का विस्तार, कार्मिकों को प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, रिस्क एप्रोच अपनाना, बच्चों का व्यापक रोग प्रतिरक्षण, अतिसार रोगों पर नियंत्रण, पोषण की कमी से होने वाली अरक्तता की रोकथाम और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक पोषण।

महाराष्ट्र में खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

6071. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए और महाराष्ट्र में ऐसे कितने केन्द्र खोले गए हैं, और

(ख) सातवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क)और (ख) छठी योजना अवधि के दौरान कुल 3489 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सहायक स्वास्थ्य केंद्र खोले गये थे तथा महाराष्ट्र में छठी योजना अवधि के दौरान खोले गये ऐसे केन्द्रों की संख्या 915 थी। सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में 261 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रस्ताव है।

सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना

6072. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रस्ताव है, और

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रस्ताव है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार का सातवीं योजना के दौरान 80 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रस्ताव है, जिनमें से 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाने का प्रस्ताव है।

अध्यापकों के लिए आचार संहिता तैयार करना

6073. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोगों ने अध्यापकों के लिए आचार संहिता तैयार करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क)जी, हां।

(ख) शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता तैयार करने के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1 तथा 2 की सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है।

विश्वविद्यालयों पर प्रशासनिक कार्यों का अधिक भार

6074. **श्री के० मोहन दास :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विश्वविद्यलयों पर प्रशासनिक कार्यों का भार बहुत अधिक है जिसके कारण उच्च शोध कार्यों पर कम ध्यान दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है ?

मानवसंसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) उच्च शिक्षा पद्धति के असाधारण विस्तार से विश्वविद्यालयों के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे और तन्त्र का काफी दबाव पड़ा है। विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध पद्धति भी परिवर्तनशील परिस्थितियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ रही हैं। विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध के लिए ऐसे वैकल्पिक माडलों को तैयार करने के प्रश्न पर जो विश्वविद्यालय पद्धति की दक्षता, कारगरता और पहल को सुदृढ करे, सरकार ध्यान दे रही है।

भारत में 'लेसर स्केलपल सर्जरी' का प्रयोग आरम्भ करना

6075. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'लेसर स्केलपल सर्जरी' विदेशों में अत्याधिक सफल सिद्ध हुई है;

(ख) क्या यह हमारे देश में भी प्रारम्भ की गई है और यदि हां, तो किन-किन स्थानों में तथा किस प्रकार की शल्य चिकित्सा के लिए; और

(ग) क्या इस प्रकार की नई खोजों पर नजर रखने के लिए भारतीय चिकित्सकों को ब्रिटेन, जेनेवा, स्विटजरलैंड और दूसरे देशों के दूतावासों में नियुक्त किया गया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार को मालूम है कि कुछ पश्चिम देशों में लेसर स्कैलपल सर्जरी का सीमित रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि यह देश में कहीं शुरू की गई है अथवा नहीं।

(ग) जी, नहीं।

राष्ट्रीय पुस्तक नीति

6076 **श्री बी० वी० देसाई**
डा० जी० विजयरामाराव } : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1986 में राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक नीति तैयार करने के सम्बन्ध में एक त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में प्राथमिक स्कूल के बालकों के लिए पाठ्य-पुस्तकों के बारे में सरकारी एजेंसियों के अर्ध-एकाधिकार को उदार बनाने का तीव्र विरोध किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसमें किन अन्य उपायों पर चर्चा की गई और क्या सरकार के समक्ष इस सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् ने राष्ट्रीय पुस्तक नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए एक कार्य दल स्थापित किया है। कार्य दल ने राष्ट्रीय पुस्तक नीति के लिए एक प्रारूप तैयार किया जिस पर 15 से 17 फरवरी, 1986 में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यशाला में विचार विमर्श किया गया था।

(ख) इस कार्य दल ने यह जरूरी समझा कि पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत होना चाहिए तथापि, उन्होंने यह सिफारिश की है कि निजी क्षेत्र के प्रकाशकों को पूर्व निर्धारित पाठ्य चर्या की परिधियों के अन्दर ही वैकल्पिक साहित्य के निर्माण के लिए सहयोजित किया जाये ताकि भारतीय भाषाओं में प्रचलित एकल पाठ्य पुस्तक पद्धति की कमियों को कम किया जा सके।

(ग) कार्य दल ने 25.3.86 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें भी की हैं :

यथा सम्भव मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करने की संवैधानिक गारंटी को कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

यथा सम्भव अधिक से अधिक भाषाओं में पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए।

मातृ-भाषा को स्कूल भाषा के साथ सम्बद्ध करके द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए।

वैज्ञानिक प्रकृति के विकास और पर्यावरण के साथ संतुलित संबंध को सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

रेलवे स्टेशनों से मूत्रालयों और शौचालयों को हटाने का कार्यक्रम

6077. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग ने बम्बई डिवीजन के दो स्टेशनों को छोड़कर बाकी सभी रेलवे स्टेशनों पर विद्यमान मूत्रालयों और शौचालयों को हटाने का कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई हवाई अड्डे के इर्द-गिर्द निर्माणों को गिराना

6078. **डा० वत्ता सामन्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बम्बई हवाई अड्डे के इर्द-गिर्द निर्माणों को हटाने का निर्णय किया है;

(ख) हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिये इस प्राधिकरण की तुरन्त आवश्यकता क्या है;

(ग) क्या विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन निर्माणों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो ये निर्माण किस प्रकार के हैं और लोग कितने समय से उनमें रहते हैं; और

(ङ) क्या इस क्षेत्र के निवासियों ने कोई अभ्यावेदन दिया है अथवा निर्माणों के गिराये जाने के विरुद्ध आन्दोलन किया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :(क) जी, हां।

(ख) बम्बई हवाई अड्डे पर बढ़ते हुए यातायात के लिए सुविधाओं को बढ़ाने और विमानों को परिचालन खतरों से बचाने के लिए इस अतिक्रमण किये गए क्षेत्र की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन निर्माणों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ङ) जी, हां।

कालेजों में महिला छात्रावासों का निर्माण

6079. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कालेजों में महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करने और उन्हें स्वीकृत लागत की 75 प्रतिशत तक सहायता देने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84, 1984-85 में और अप्रैल से दिसम्बर, 1985 तक प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र से महिलाओं के छात्रावासों के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन (राज्य वार तथा संघ राज्य क्षेत्र वार) मंजूर किये गये, नामंजूर किये गये और कितने आवेदन अभी तक विचाराधीन पड़े हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) कालेजों को दी जाने वाली विकास सहायता के एक भाग के रूप में कालेजों में छात्रावासों के निर्माण के लिए भी सहायता दी जाती है। महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए आयोग द्वारा दी जाने वाली ऐसी सहायता की सीमा अनुमोदित लागत का 75% है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० द्वारा हुगली नदी में तलकर्षण कार्य

6080. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० द्वारा हुगली नदी में कोई बड़े पैमाने पर तलकर्षण कार्य नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि यह कार्य तुरन्त नहीं किया गया तो पत्तन में बड़े पोतों के आने से होने वाले भारी लाभ की कलकत्ता पत्तन को हानि होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान कलकत्ता पत्तन क्षेत्र हुगली नदी में तलकर्षण कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई और उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) कारपोरेशन के कार्यनिष्पादन और कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा कारपोरेशन से अपेक्षित कार्य के बारे में कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा क्या राय अथवा सलाह दी गई है ?

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया से हुगली नदी में पत्तन के अपने ड्रेजरों के साथ निकर्षण करने के लिए एक ड्रेजर लगाने का अनुरोध किया था। तदनुसार ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने इस काम के लिए स्थायी आधार पर अपने एम ओ टी ड्रेज-v को लगा दिया है। इसके अलावा 1985-86 में दो महीने के लिए एक और ड्रेजर लगाया गया था। ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 1984-85 में हुगली नदी में 27.27 लाख घन मीटर और 1985-86 में 36.37 लाख घन मीटर निकर्षण किया।

(ख) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने 1986-87 में हुगली नदी में स्थायी आधार पर एक और ड्रेजर लगाने के लिए ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया को कहा है। ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया अपने एम ओ टी ड्रेज -VI को तैनात करना चाहता है जो पहले से वहां लगे एम ओ टी ड्रेज-v के अतिरिक्त होगा।

सिर्फ निकर्षण करने से ही समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए नौचालन चैनल में डुबाव बनाए रखने के लिए अनुरक्षण निकर्षण के साथ-साथ नदी में कतिपय कार्य भी किए जा रहे हैं।

गहरे डुबाव वाले जहाज सिर्फ हल्दिया में ही आ सकते हैं न कि कलकता में।

(ग) कलकत्ता पोर्ट क्षेत्र में निकर्षण कार्य पर निम्नलिखित धनराशि खर्च हुई :

	(करोड़ रुपए)
1984-85	27.85
1985-86	28.55 (अनुमानित)

निकर्षण के साथ-साथ इंजीनियरी उपायों के कारण वर्ष के अधिकांश दिनों में कलकत्ता में लगभग 6.5 मीटर और हल्दिया में 8.2 मीटर डुबाव बना रहता है।

(घ) कलकत्ता पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार आम तौर पर ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया का कार्य संतोषप्रद है। फिर भी पत्तन ने एक वरिष्ठ कमांडर को दिशा निर्देश देने और निकर्षण कार्य पर नजर रखने के लिए ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के ड्रेजर पर तैनात किया है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लेखाओं की लेखा परीक्षा

6021. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पिछले तीन वर्षों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुदान के लिये समुचित उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य तथा खेल और महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से सरकार द्वारा नियुक्त किये गये लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती

है। लेखों का लेखापरीक्षित विवरण, वार्षिक रिपोर्ट सहित सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। इनको संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। बोर्ड द्वारा प्राप्त किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में अलग से कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है।

नदी-तल में गाद का जमा हो जाना

6082. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में पेड़ों के काटे जाने से नदी तल में गाद जमा हो जाने की समस्या चिंताजनक हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि नदी तल में गाद के जमा होने से कृषि उत्पादन तथा निचले आवासीय क्षेत्रों को प्रायः बाढ़ का गम्भीर खतरा बना रहता है ; और

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जल-ग्रहण क्षेत्रों में नियोजित रूप से बड़ी संख्या में पेड़ों के काटे जाने तथा अनुपयुक्त भूमि प्रयोग पद्धतियों से भू-कटाव की दर में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप नदियों में अत्यधिक गाद जमा हो जाती है।

(ख) नदियों में अत्यधिक तलछट अन्तर्प्रवाह से कभी-कभी नदी का तल और बाढ़ स्तर ऊंचे हो जाते हैं। तथापि, अन्यथा भी निचले आवासीय क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं।

(ग) नदियों के जल-ग्रहण मे मृदा-कटाव को कम से कम करने की दृष्टि से 1980-81 से गंगा बेसिन राज्यों में "गंगा बेसिन की बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में एकीकृत जल विभाजक प्रबन्ध" नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अलावा, नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की एक केन्द्र प्रायोजित योजना चल रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक भुवनेश्वर खण्ड को चौड़ा करने के लिए राशि का नियतन और व्यय

6083. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कटक से भुवनेश्वर तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 को चार लाईनों में बांटने के कार्य के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई थी और कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ख) सातवीं योजना में इस परियोजना के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) कटक से भुवनेश्वर तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 को 1984-85 में चौहरी लेन में बदलने के लिए 3.00 लाख रु० आबंटित किए गए थे।

(ख) सातवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सड़क उपरि-पुलों के प्रस्ताव

6084. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में सोदपुर बेलघरिया जायवपुर और लिलुआ में और दक्षिण पूर्व रेलवे के मोरीग्राम और रामराजातला में सड़क उपरिपुलों के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार किन-किन परियोजनाओं के लिये अपना योगदान देने का फैसला कर चुकी है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सोघपुर बेलघरिया और जादवपुर में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण कार्य को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लागत का अपना हिस्सा वहन करने की स्वीकृति के साथ पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है । लिलुआ, मोरग्राम और रामराजातला में ऊपरी सड़क पुलों की व्यवस्था करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने लागत का अपना हिस्सा वहन करने की स्वीकृति के साथ अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है ।

(ग) ऊपरी सड़क पुलों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्यों का पूरा होना धन की उपलब्धता और राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पहुंचमार्गों का काम पूरा किये जाने पर निर्भर करता है ।

तूतीकोरिन में हवाई अड्डे का निर्माण

5085. **श्री कादम्बुर जनार्दनन** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिरुनेलवेली में तूतीकोरिन में हवाई अड्डे का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्य इस वर्ष शुरू हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ।

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) तूतीकोरिन में हवाई अड्डे का निर्माण करने का प्रस्ताव है लेकिन चूंकि नागर विमानन सैक्टर के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सिफारिश किये गये 2764.07 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में परिव्यय को घटाकर 730.21 करोड़ रुपये कर दिया गया है, इसलिए सभी आयोजनागत प्रस्तावों को संशोधित करना होगा और उनकी पारस्परिक अग्रता को पुन: निर्धारित करना होगा । इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि तूतीकोरिन परियोजना को कब शुरू किया जायेगा ।

[हिंदी]

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने के लिए आय सीमा

6086. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रयोजन के लिये वर्तमान आय सीमा में वृद्धि करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

[अनुवाद]

हिंदी का प्रचार

6087. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को साढ़े तीन दशकों के बाद भी अभी तक दक्षिणी राज्यों तक नहीं पहुंचाया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) हिंदी भाषा के प्रचार के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा गत तीनों वर्षों के दौरान संगठन वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या किसी संगठन द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) गैर-हिंदी भाषी संगठनों और व्यक्तियों को, यदि कोई है तो, दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है

(क) और (ख) यह कहना उचित नहीं होगा कि हिंदी दक्षिणी राज्यों तक नहीं पहुंची है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत भारत सरकार से यह आशा की जाती है वह हिंदी के विकास, प्रसार तथा प्रचार के लिए कार्यक्रमों को शुरू करें। अन्य बातों के साथ-साथ ये उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को हिंदी टंकण तथा आशुलिपि के शिक्षण, पुस्तकों की खरीद, मूल पाठ विषयक सामग्री आदि के प्रकाशन के लिए केन्द्रों के आयोजन जैसे कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्राप्त किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अधीन शिक्षा विभाग हिन्दी के विकास, प्रसार तथा प्रचार के लिए दक्षिणी राज्यों में कई कार्यक्रम/योजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना से लागू करता आ रहा है। ये कार्यक्रम, राज्य सरकारों (तमिलनाडु सरकार को छोड़कर), स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के जरिए लागू किए जा रहे हैं। अन्यों के साथ-साथ इनमें हिंदी के शिक्षण के लिए केन्द्र/कक्षाओं की स्थापना शामिल है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, इन राज्यों में काफी संख्या में छात्र/लोग पहले से ही लाभान्वित हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में छात्र/लोग विभिन्न स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य केन्द्रों, जो राज्य सरकारों, स्वायत्त-निकायों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं, में हिंदी का अध्ययन करते आ रहे हैं। इनके तथा अन्य प्रयासों के परिणामस्वरूप इन राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग उपलब्ध हैं जो आसानी से हिन्दी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं तथा पढ़ सकते हैं।

(ग) और (घ) यह उल्लेखनीय है कि स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान पूरे भारत में लगभग 149 संगठनों को दिया जाता है। ये संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं तथा इनका प्रबन्ध, इनके अपने ही अभिशासी निकायों आदि द्वारा किया जाता है। संगठनों के नाम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उन्हें दिए गए अनुदानों को सभा पटल पर रखे गए विवरण में निर्दिष्ट किया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2591/86]

(ङ) जहां तक प्रश्न के भाग (ङ) का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, पुणे के विरुद्ध इस मन्त्रालय में एक शिकायत प्राप्त हुई है। ब्यौरों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है।

(च) सरकार अहिंदी भाषी राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों तथा वैयक्तिकों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं :—

(i) स्वीकृत कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कुल अनुमोदित व्यय के 75%/100% भी की दर (जैसा भी मामला हो) से सहायता अनुदान;

(ii) हिंदी में हिंदी प्रकाशन को प्रकाशित करने के लिए 80%/100%की दर से (जैसा मामला हो) सहायता अनुदान;

(iii) मैट्रिक स्तर के बाद हिन्दी के अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी छात्रों को छात्र-वृत्तियां ;

(iv) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्थापित केन्द्रों तथा वे केन्द्र जो इस मन्त्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उनमें हिन्दी सीखने के लिए अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से कोई शिक्षा शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है;

(v) सम्बन्धित संगठन के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्तियां तथा पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही है; और

(vi) विभिन्न संस्थाओं/पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकें नि:शुल्क वितरित की जाती है।

केरल एक्सप्रेस रेलगाड़ी में पार्सलों की बुकिंग बन्द करना

6088. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से त्रिवेन्द्रम जाने वाली केरल एक्सप्रेस रेलगाड़ी में पार्सलों की बुकिंग बंद कर दी गई है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पार्सलों की बुकिंग बन्द करने से जनता को अत्यधिक असुविधा हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या पार्सलों की बुकिंग तुरन्त पुन: आरम्भ करने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) नयी दिल्ली से तिरुवनन्तपुरम के लिए केरल एक्सप्रेस में केवल भारी पार्सलों के यातायात की बुकिंग बन्द की गयी है। इस गाड़ी में तिरुवनन्तपुरम के लिए अन्य वस्तुओं, सिनेमा फिल्मों, समाचार पत्रों और यात्रियों के सामान की बुकिंग करना जारी है। नयी दिल्ली से तिरुवनन्तपुरम के लिए प्राप्त भारी पार्सलों के यातायात की बुकिंग कोचुवेलि के लिए की जा रही है और केरल एक्सप्रेस द्वारा इसकी नियमित रूप से निकासी की जा रही है।

(ख) ऐसा तिरुवनन्तपुरम सेन्ट्रल स्टेशन पर जहां भारी मात्रा में यात्री यातायात होता है, यात्रियों के संचलन में सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है, भारी पार्सलों के कारण स्टेशन के प्लेटफार्मों पर संकुलन पैदा हो रहा था, इसलिए इन पार्सलों की बुकिंग और सुपुर्दगी का काम कोचुवेलि स्टेशन पर केंद्रीकृत किया गया है जो तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल स्टेशन से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केरल एक्सप्रेस द्वारा तिरुवनन्तपुरम सेन्ट्रल के लिए जो भारी पार्सल आते हैं उन्हें सुपुर्दगी के लिए कोचुवेलि केन्द्रीकृत पार्सल कार्यालय ले जाया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिंदी]

बिहार में गलगण्ड रोग के उन्मूलन के लिए आयोडाइज्ड नमक की सप्लाई

6089. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के आधे से अधिक जिलों में रहने वाले लोग गलगण्ड रोग से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रोग के उन्मूलन के लिये आयोडाइज्ड नमक वितरित करने का है;

(ग) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या है जहां पर साधारण नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और जनता की आवश्यकता के अनुसार आयोडाइज्ड नमक सप्लाई करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार आस-पास के क्षेत्रों में भी, जहां इस रोग के फैलने की संभावना हैं आयोडाइज्ड नमक सप्लाई करने का हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) केन्द्रीय गलगण्ड सर्वेक्षण दल द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित जिले गलगण्ड की महामारी वाले पाये गये हैं :—

1. पूर्वी चम्पारन्
2. पश्चिमी चम्पारन्
3. पूर्णिया
4. सहरसा
5. कटिहार
6. दरभंगा
7. मधुबनी
8. सारन
9. सीतामढ़ी
10. मुजफ्फरपुर
11. संथाल परगना
12. रांची
13. पालामऊ

(ख) और (ग) इस समय बिहार सरकार द्वारा खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अनुसार एक अधिसूचना जारी करके केवल पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिलों में आयोडीकृत नमक को छोड़कर अन्य नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत इसी प्रकार की अधीसूचना गलगण्ड महामारी वाले 11 जिलों के बारे में भी जारी करे जहां पर अधिसूचना जारी हो जाने के बाद सप्लाई शुरू किये जाने का विचार है।

(घ) 1986-87 के दौरान आयोडीकृत नमक के कार्यक्रम का सारे उत्तरी बिहार के जिलों में विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि सभी निकटवर्ती जिलों को कवर किया जा सके। निकटवर्ती जिलों के अलावा समग्र उत्तर-पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल को भी कवर किया जाएगा।

[अनुवाद]

सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में चिकित्सा एकक की व्यवस्था

6090. **प्रो० एम०आर० हालदर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में चिकित्सा एककों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इस प्रस्ताव को कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) सुपरफास्ट गाड़ियों में चिकित्सा यूनिटों की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में किसी यात्री को हृदय अथवा फेफड़े सम्बन्धी कोई परेशानी होने पर तत्काल आपातकालीन तेज श्वसन का प्रबन्ध करने के लिए एक रिसेसइटेटर एअर बैग तथा एअर ट्यूबों सहित 32 मदों वाले एक बड़े आकार के प्राथमिक चिकित्सा बक्सों की व्यवस्था की गयी है ।

मध्य रेलवे में घाटे में चल रही रेल लाइनें

6091. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में कोई रेल लाइनें घाटे में चल रही हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) हानि को रोकने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान मध्य रेलवे पर घाटे में चल रही सरकार के स्वामित्व वाली शाखा लाइनें नीचे दी गयी हैं :—

दौंड	—	बारामती
ऐट	—	कोंच
पनवेल	—	उरन
ग्वालियर	—	भिंड
ग्वालियर	—	शिवपुर कलां
धोलपुर- तांतपुर	—	सिरमथुरा
नेरल	—	माथेरान
पाचेरा	—	आमनेर
मिरज- कुडुंवाडी	—	लातूर

घाटे के मुख्य कारण यातायात का कम घनत्व होना तथा यातायात का सड़क परिवहन की ओर मुड़ जाना है ।

(ख) इन अलाभप्रद शाखा लाइनों के परिचालन से होने वाली हानि से बचने की बहुत ही थोड़ी गुंजाइश है । तथापि, मौजूदा संसाधनों की तंगियों के भीतर ही आदमनी बढ़ाने तथा इन लाइनों के संचालन व्यय को कम करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किये जाते हैं ।

जम्मू तथा ऊधमपुर के बीच रेल लाइन

6092. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा उधमपुर के बीच अब तक बिछाई गई रेल लाइनों की लम्बाई क्या है;

(ख) क्या जम्मू तथा ऊधमपुर के बीच रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया काफी धीमी गति से चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रेल लाइन बिछाने का कार्य तेज करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) कार्य की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है, जिनकी इस समय बेहद तंगी है।

दिल्ली छावनी स्टेशन से रेल द्वारा भेजे जाने पर मारुति कार की ढुलाई के लिये विशेष छूट

6093. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि दिल्ली छावनी स्टेशन से रेलगाड़ी द्वारा मारुति कार भेजे जाने पर विशेष छूट दी जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह विशेष छूट खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में नहीं दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो मारुति कार के लिए विशेष छूट देने का क्या आधार है और इसके कारण रेलवे को प्रतिवर्ष कितनी हानि हो रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) दिल्ली छावनी से विभिन्न गन्तव्यों के लिए मारुति कारों का यातायात रेल की ओर आकर्षित करने के लिए स्टेशन से स्टेशन घटी दरें निवेदित की गयी थीं।

(ख) मक्खन, क्रीम, खोया, फल सब्जियां, अंडे, मछली आदि जैसी कई खाद्य वस्तुओं के लिए पहले ही रियायती पार्सल दरें लागू हैं। संतरा, केला आदि जैसे ताजा फलों के यातायात के लिए भी समय-समय पर निर्धारित रियायती पार्सल दरों से भी कम स्टेशन से स्टेशन दरें निवेदित की जाती हैं।

(ग) रेल द्वारा संचलन के लिए अतिरिक्त यातायात आकर्षित करने हेतु रेलवे की विपणन नीति के एक भाग के रूप में मारुति कारों के लिए स्टेशन से स्टेशन घटी दरें निवेदित की गयी हैं। मारुति कारों की ढुलाई के कारण रेलों को कोई हानि नहीं हो रही है।

(घ) और (ङ) मारुति कार यातायात के लिए मौजूदा स्टेशन से स्टेशन दरें 31-10-1986 तक वैध हैं। इस तारीख के बाद में दरें जारी रखी जायें या नहीं इस प्रश्न की जांच उसी समय की जायेगी।

एक बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन

6094. **श्री बी० के० गढ़वी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को कुछ प्रोत्साहन दिये गये हैं जबकि एक बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस असंगति को दूर करने का है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नई शिक्षा नीति में योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा शामिल करना

6095. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति में योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा शामिल करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही है। नई नीति में शामिल किए जाने के लिए विभिन्न सुझावों की ओर सरकार ध्यान दे रही है।

कैंसर की रोकथाम तथा शीघ्र चिकित्सा

6096. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कैंसर की रोकथाम तथा शीघ्र चिकित्सा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या कैंसर की चिकित्सा के लिए प्रभावकारी औषधियों पर अनुसंधान किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) कैंसर की घटनाओं का पता लगाने के लिए कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, देश के विभिन्न भागों में अब उपलब्ध अच्छी किस्म की नैदानिक और उपचारी सुविधाओं के कारण ऐसा दिखाई देता है कि कैंसर की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

(ख) 1975 में चलाए गए कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के अधीन परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र जिन में टाटा मैमोरियल अस्पताल, बम्बई भी शामिल है (जो परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन है) शुरू में कैंसर का पता लागाने वाले 28 केन्द्र और 25 पी० ए० पी० स्मीयर टेस्टिंग केन्द्र खोले गए हैं। बंगलौर, बम्बई और मद्रास में 3 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियां और चण्डीगढ़, डिबरुगढ़ और त्रिवेन्द्रम में 3 अस्पताल ट्यूमर रजिस्ट्रियां जो भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही हैं, खोल दी गई हैं। राज्य सरकारों/स्वैच्छिक संस्थाओं को स्थान और स्टाफ की उपलब्धता सम्बन्धी कुछ शर्तों पर कोबाल्ट थेरापी यूनिट लगाने के लिए 12.00 लाख रुपये का तथा कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले केन्द्र खोलने के लिए प्रति केन्द्र 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। देश में टेलिथेरापी सुविधाओं वाले 43 मेडिकल कालेज संस्थान तथा टेलिथेरापी सुविधाओं वाले 44 नॉन-मेडिकल कॉलेज संस्थाएं हैं।

(ग) और (घ) कैंसर के उपचार की विभिन्न विधियों की प्रभावकारिता, जिनमें औषध उपचार अथवा केमोथेरापी शामिल है, का पता लगाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में क्लिनिकी परीक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ तदर्थ अनुसंधान योजनाएं भी चल रही हैं जबकि वक्कल मुकोसल कैंसर (चीक कैंसर) सम्बन्धी एक टास्क फोर्स प्रोजेक्ट शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के रखरखाव में सुधार करना

6097. **श्री टी० बशीर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसून के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के रखरखाव में सुधार करने के लिये किन उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा इस सम्बन्ध में इस समय कोई अनुसंधान किया जा रहा है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का काम एक अनवरत प्रक्रिया है और यह धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, वे हैं—गड्ढ़ों की मरम्मत, सड़क पर पानी की निकासी सम्बंधी स्थितियों में सुधार और नई डामरी सतह बिछाना आदि।

(ख) मन्त्रालय ने एक अनुसंधान स्कीम की मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य है—यातायात के समय विभिन्न प्रकार की बिटुमनी सड़क सतह के कार्य का मूल्यांकन और विभिन्न प्रकार के मिलावे से बनी सतह के लिए वर्षा ऋतु में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 की स्थितियों का अध्ययन करना। इस पर काम चल रहा है। यह कार्य केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की निगरानी में चल रहा है।

भारत इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की झांसी यूनिट द्वारा बिजली के इंजनों का उत्पादन

6098. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रंक रूटों के विद्युतीकरण में प्रगति होने के कारण बिजली के इंजनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये भारत इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की झांसी एकक बिजली के इन्जनों का निर्माण करेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि चित्तरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंजनों की मांग को पूरा नहीं कर पायेगा,

(ग) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में निर्मित इंजनों की संख्या वर्ष 1985-87 के लिये निर्धारित लक्ष्य से कम है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का अपने भोपाल और झांसी के कारखानों में बिजली रेल इन्जनों तथा उनके पुर्जों के निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता पत्तन पर यातायात में वृद्धि के लिए कदम

6099. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन के विदेशी जहाजों को आकर्षित न करने के कारणों और परिस्थितियों की कोई जांच की गई है;

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास के निवृतमान चेयरमैन ने कलकत्ता पत्तन के भविष्य और उसके कार्यकरण की प्रगति के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त पत्तन पर जहाजों के यातायात में वृद्धि करने और आने वाले पोतों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं देने लिए के क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) चूंकि कलकत्ता पोर्ट पर आने वाले विदेशी जहाजों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है, अत: कलकत्ता पोर्ट पर विदेशी जहाजों के न आने के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने का प्रश्न ही नहीं होता।

(ख) कलकत्ता पोर्ट के भविष्य और कार्यकरण के बारे में निवर्तमान अध्यक्ष से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कलकत्ता पोर्ट पर ट्राफिक में वृद्धि करने और आने वाले जहाजों की अवस्थापना संबंधी सुविधाएं सुलभ करने के लिए किए गए उपाय विवरण में दिए गये हैं। तथापि, हल्दिया गोदी को छोड़कर कलकत्ता पोर्ट ने 1985-86 में ट्राफिक में 2.8% वृद्धि होने की सूचना दी है। हल्दिया गोदी में 1984-85 में जितना ट्राफिक था उसमें 1985-86 में 22.1% की वृद्धि हुई।

विवरण

(i) कलकत्ता और हल्दिया आने वाले जहाजों के लिए ड्राबाव में वृद्धि करने की दृष्टि से हुगली मुहाने में 40.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1982 से एक व्यापक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(ii) जहाजों को हैंडल करने के लिए पुराने टगों के स्थान पर छठी योजना के दौरान नए टग खरीदे गए हैं। सातवीं योजना में भी पुराने टगों के स्थान पर तीन नए टग खरीदे जाने का प्रस्ताव है।

(iii) छठी योजना के दौरान बेहतर कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं सुलभ कराने के लिए 6 वेल माउण्टेड-हाफ क्रेनें और 2 यार्ड क्रेनें खरीदी गई थी। इसी तरह छठी योजना के दौरान पुरानी क्रेनों के स्थान पर 6-30 टन की क्षमता वाली 18 चल क्रेनें खरीदी गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुरानी क्रेनों के स्थान पर 9 चल क्रेनें खरीदे जाने का प्रस्ताव है।

(iv) हुल्दिया में बढ़ते ट्राफिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सातवीं योजना के दौरान एक अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थ के निर्माण का प्रस्ताव है।

(v) कलकत्ता में कन्टेनर हैंडल करने के लिए अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार के लिए 10.36 करोड़ रुपए की एक परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा, के० पी० गोदी में एक बर्थ विशेष रूप से फीडर कन्टेनर जहाजों को हैंडल करने के लिए निर्धारित की गई है।

(vi) नेताजी सुभाष गोदी के निकट एक बड़ खुले क्षेत्र को खाली कन्टेनरों के भण्डारण के लिए विकसित किया गया है और इस क्षेत्र में विभिन्न कन्टेनरों प्रचालक फर्मों को खाली कंटेनरों का भण्डारण करने के लिए भूमि के लाइसेंस दिए गए हैं।

(vii) हल्दिया में सातवीं योजना के दौरान अतिरिक्त कंटेनर हैंडलिंग क्रेनें खरीदे जाने का प्रस्ताव है।

[हिंदी]

भावनगर-सुरेन्द्रनगर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

6100. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने भावनगर और सुरेन्द्रनगर के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोटाड और ढोला जंक्शन के बीच यात्रियों की भीड़भाड़ को कम करने के लिये कोई कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) भावनगर सुरेन्द्र नगर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए विभिन्न स्रोतों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इसके लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) पश्चिम रेलवे के धोला बोटाद खंड में तीन मेल/एक्सप्रेस और दो फास्ट पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं जो इस खंड पर होने वाले यातायात के स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं। कोई नयी गाड़ी चलाने या मौजूदा गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पद

6101. **श्री पी० एम० सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में श्रेणीवार चिकित्सा विशेषज्ञों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) प्रत्येक पद कितनी अवधि से रिक्त पड़ा है;

(ग) पदों के भरे न जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इससे रोगियों की देखभाल तथा चिकित्सा छात्रों के शिक्षण को काफी नुकसान हुआ है ; और

(ङ) इन पदों को कब तक भरने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सीधी भर्ती के मामले में संघ लोक सेवा आयोग पदों को विज्ञापित करने, उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने तथा अपनी अन्तिम सिफारिशें भेजने में लगभग 5 से 6 माह तक का समय लगा देता है। संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त सिफारिशों को मंजूर करने के बाद उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है तथा उसके चरित्र तथा पूर्ववृत का सत्यापन किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक होता है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन किया जाता है। इसमें 3-4 महीने और लग जाते हैं। इसके अलावा कुछ उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने के समय को बढ़ाने के लिए भी कहते हैं जिसके कारण भी विलम्ब होता है। कुछ मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के प्रत्याशियों को कई बार कार्यभार ग्रहण करने हेतु लम्बे समय तक पत्राचार करने के बावजूद भी वे कार्यभार ग्रहण नहीं करते और उन पदों को नए सिरे से भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से कहा जाता है। कुछ अन्य मामलों में कतिपय विशेष विषयों (स्पेशिलिटीज) जैसे न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, फोरेन्सिक मेडिसिन आदि में संघ लोक सेवा आयोग को उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते। इसी प्रकार पदोन्नति के मामलों में भी विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को लागू करने में कुछ समय लग जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) खाली पदों को भरने के लिए पहले ही कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए/किए जाने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तैनात किया जा सकता है। तथापि यह बतलाना सम्भव नहीं है कि ये पद किस तारीख तक भरे जा सकेंगे।

विवरण

गैर शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग

सफदरजंग अस्पताल

	कुल पद	भरे गए	रिक्त पड़े
विशेषज्ञ श्रेणी—I	32	26	6
विशेषज्ञ श्रेणी—II	43	35	8

क्रम सं०	पद का नाम	रिक्त पड़े पदों की संख्या	रिक्ती की तारीख	पद के भरे जाने के लिए की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
विशेषज्ञ श्रेणी – I				
1.	उपनिदेशक (पुनर्वास)	1	13-11-1982	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किया गया, उम्मोदवार पहले ही पदोन्नत हो गया है।
2.	वरिष्ठ संवेदनाहरण विज्ञानी	1	06-01-1986	विभागीय पदोन्नत समिति की सिफारिशें मिल गई हैं और इस पर कार्रवाई हो रही है।
3.	वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन	1	01-09-1983	सघ लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए मांग की गई है।
4.	वरिष्ठ थोरासिक सर्जन	1	19-11-84	संघ लोक सेवा आयोग ने किसी नाम की शिफारिश नहीं की है। नई मांग सितम्बर, 86 में की जानी है। पद निम्न स्तर की श्रेणी से भरकर तदर्थ आधार पर चलाया जा रहा है।
5.	वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ	1	12-09-85	संघ लोक सेवा आयोग ने यह पद 16-2-86 को विज्ञापित किया है। इस समय यह पद निम्नस्तर की श्रेणी तदर्थ आधार पर भरा गया है।
6.	वरिष्ठ तन्त्रिका विज्ञानी	1	13-11-1982	निम्न स्तर की श्रेणी से पद नियमित आधार पर चलाया जा रहा है।

1	2	3	4	5
विशेषज्ञ श्रेणी—II				
1.	फिजोशियन	1	18-12-85	पद स्थानांतरण से भरा जाना है ।
2.	प्लास्टिक सर्जन	1	28-2-86	अनुसूचित जाति का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है । नई मांग मई, 86 में की जानी है ।
3.	रेडियोलोजिस्ट	1	10-9-85	संघ लोक सेवा आयोग के प्रत्याशी के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा रहा है ।
4.	सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)	1	6-2-86	संघ लोक सेवा आयोग को मांग भेजी गई है ।
5.	रतिरोग विज्ञानी	1	29-8-85	—तदैव—
6.	नेफरोलोजिस्ट	1	4-10-85	पद को दुबारा नामोद्दिष्ट किया जा रहा है ।
7.	सीरम विज्ञानी	1	2-12-85	संघ लोक सेवा आयोग को मांग भेजी जा रही है ।
8.	मनोविकार विज्ञानी	1	8-11-85	संघ लोक सेवा आयोग में मांग लम्बित है ।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली

	कुल	भरे हुए	रिक्त
विशेषज्ञ ग्रेड - I	20	15	5
विशेषज्ञ ग्रेड—II	22	22	2

क्रम सं०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती की तारीख	पद को भरने के लिए की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
	विशेषज्ञ ग्रेड—I			
1.	वरिष्ठ चिकित्सक	1	20-2-86	पदोन्नति के आदेश 7-4-86 को जारी कर दिये गये थे । पदोन्नत व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	रुधिर विज्ञानी	1	13-11-82	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित व्यक्ति को प्रोफेसर नियुक्त किया गया है । एक और व्यक्ति का नामांकन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया जा रहा है ।
3.	वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन	1	5-7-85	संघ लोक सेवा आयोग ने जिस उम्मीदवार की सिफारिश की थी उसने त्याग पत्र दे दिया संघ लोक सेवा आयोग को नया मांग पत्र भेजा जाना है ।
4.	वरिष्ठ मूत्र विज्ञानी	1	13-11-82	इस पद को री-डेजिगनेट किया जा रहा है । भर्ती की कार्रवाई उसके बाद शुरू की जाएगी ।
5.	वरिष्ठ संवेदनाहरण विज्ञानी	1	16-10-85	विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उन पर आगे कार्रवाई की जा रही है ।
	विशेषज्ञ ग्रेड—II			
1.	विकलांग सर्जन	1	13-286	संघ लोक सेवा आयोग को 11-11-85 को मांग पत्र भेजा गया था ।
2.	तन्त्रिका सर्जन	1	16-10-85	संघ लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजा गया है । यह पद 29-3-86 को विज्ञापित किया गया था ।

शिक्षण विशेषज्ञ उप-काडर

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली

	कुल	भरे हुए	रिक्त
प्रोफेसर	25	21	4
एसोसिएयेट प्रोफेसर	16	15	1
सहायक प्रोफेसर	72	64	8

क्रम सं०	पद का नाम	खाली पदों की संख्या	रिक्ती की तारीख	पदों को भरने सम्बन्धी मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5
1.	प्रसूति और स्त्री रोग के प्रोफेसर	1	17-4-1984	विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई है और उन पर कारवाही की जा रही है ।
2.	प्रोफेसर, चिकित्सा विज्ञान	2	1-10-1985 2-12-1985	
3.	प्रोफेसर, विकलांग सर्जरी	1	15-1-1986	यह पद 22-3-86 को विज्ञापित किया गया है ।
4.	सह प्रोफेसर, विकलांग सर्जरी	1	24-4-1983	नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है । उम्मीदवार के कार्य-भार ग्रहण करने की प्रतीक्षा की जा रही है ।
5.	सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विज्ञान	1	19-6-1985	
6.	सहायक प्रोफेसर, बालरोग विज्ञान	1	13-3-1984 16-7-1984	
7.	सहायक प्रोफेसर, शरीर रचना विज्ञान	2	(i) 11-10-1984 (ii) 24-11-1984	
8.	सहायक प्रोफेसर विकिरण विज्ञान	1	20-3-1986	यह पद 8 फरवरी, 1986 को विज्ञापित किया गया है । सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और कार्रवाई की जा रही है ।
9.	सहायक प्रोफेसर, संवेदनाहरण विज्ञान	1	13-7-1982	यह पद 8-2-86 को विज्ञापित किया गया है ।
10.	सहायक प्रोफेसर, सूक्ष्म जीव विज्ञान	1	7-4-1986	संघ लोक सेवा आयोग को मांग-पत्र भेजा गया है ।

सफदरजंग अस्पताल के डाक्टरों में "रेबीज" को फैलने से रोकने के लिए कदम

6102. **श्री नरेन्द्र बुदानिया**
श्री सुभाष यादव
डा० बी०एल० शैलेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के डाक्टरों में "रेबीज" नामक रोग फैल गया है;

(ख) क्या यह अत्यधिक संक्रामक रोग है, जिसमें मृत्यु की सम्भावना शतप्रतिशत होती है ;

(ग) यदि हां, तो इस भयानक रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) डा० मेहरोत्रा, रेजिडेंट डाक्टर, द्वितीय वर्ष, जिनकी "रेबीज" से 17-3-86 को मृत्यु हुई, को छोड़ कर सफदरजंग अस्पताल के किसी डाक्टर में "रेबीज" नामक रोग नहीं पाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस रोग के संस्पर्श में आए सफदरजंग अस्पताल के सभी व्यक्तियों को अलर्क-रोधी वैक्सीन के इन्जेक्शन लगा दिए गए हैं।

[हिन्दी]

सातवीं योजना के दौरान शिक्षा पर राज्य-वार प्रति व्यक्ति व्यय

6103. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर राज्य-वार प्रति व्यक्ति कितनी राशि व्यय करने का विचार है;

(ख) क्या इस योजनावधि के दौरान उन राज्यों को, जहां साक्षरता की प्रतिशतता राष्ट्रीय औसत से कम है, विशेष केन्दीय सहायता मन्जूर करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो विशेष केन्द्रीय अनुदान के रूप में उत्तर प्रदेश को कितनी राशि देने का विचार है।

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान कला और संस्कृति तथा खेल और युवा कल्याण सहित शिक्षा के लिए राज्यवार प्रतिव्यक्ति योजनागत प्रावधान—राज्य क्षेत्र

क्रम संख्या	राज्य	कला और संस्कृति तथा खेल युवा कल्याण सहित प्रति व्यक्ति योजनागत प्रावधान (रुपयों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	35.74
2.	असम	81.58
3.	बिहार	41.87
4.	गुजरात	27.69

1	2	3
5.	हरियाणा	112.09
6.	हिमाचल प्रदेश	137.66
7.	जम्मू और काश्मीर	123.31
8.	कर्नाटक	32.20
9.	केरल	26 44
10.	मध्य प्रदेश	37.02
11.	महाराष्ट्र	46.94
12.	मणिपुर	232.00
13.	मेघालय	220.13
14.	नागालैंड	260.00
15.	उड़ीसा	61.40
16.	पंजाब	60.58
17.	राजस्थान	55.77
18.	सिक्किम	933.33
19.	तमिलनाडु	59.28
20.	त्रिपुरा	129.00
21.	उत्तर प्रदेश	27.14
22.	पश्चिम बंगाल	53.69
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	920.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	750.00
25.	चण्डीगढ़	520.83
26.	दादर और नागर हवेली	807.70
27.	दिल्ली	388.00
28.	गोआ, दमन और दीव	326.00
29.	लक्ष्यद्वीप	1137.50
30.	मिजोरम	405.00
31.	पांडिचेरी	669.17

टिप्पणी : वर्ष 1985 में जनसंख्या के अनुमान वर्ष 1981 की जनगणना आंकड़ों पर आधारित हैं ।

[अनुवाद]

वर्ष 1985 के दौरान कोचीन पत्तन पर हड़ताल

6104. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पत्तन में वर्ष 1985 के दौरान कितनी बार हड़ताल हुई;

(ख) हड़तालों के परिणामस्वरूप कितने श्रम दिवसों की हानि हुई;

(ग) इन हड़तालों के क्या कारण हैं; और

(घ) उन हड़तालों के कारण कितनी वित्तीय हानि हुई ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) से (ग) वर्ष 1985 में कोचीन पोर्ट के कर्मचारियों ने सिर्फ एक बार हड़ताल की, अर्थात् 23.5.1985 से 10-6-1985 तक । यह हड़ताल पोर्टरेज कार्यकारी कर्मचारियों ने अतिरिक्त काम करने के बदले में 10% अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर की । इस हड़ताल के परिणाम-स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से 3463 जनदिवसों की हानि हुई और अप्रत्यक्ष रूप से 9161 जनदिवसों की हानि हुई ।

(घ) इस हड़ताल से हुई आर्थिक हानि का परिमाण बता पाना संभव नहीं है ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के घटिया रख-रखाव के कारण यात्रियों के कपड़े फटने के लिए मुआवजा

6105. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम यात्रियों की इस शिकायत पर उन्हें मुआवजा देता है कि उनके कपड़े दिल्ली परिवहन निगम की बसों तथा निगम के अन्तर्गत चलने वाली निजी बसों के घटिया रख-रखाव के कारण फटे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा 1 जनवरी, 1985 से 31 मार्च, 1986 के दौरान उक्त शिकायतों पर यात्रियों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) अब तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया है । तथापि, यदि दिल्ली परिवहन निगम की लापरवाही से कोई नुकसान होता है तो सामान्य सिविल कानून के तहत दावा किया जा सकता है ।

(ग) इस अवधि में इस आधार पर एक शिकायत/दावा प्राप्त हुआ था कि बस की हालत के कारण यात्री की बुशर्ट फट गई थी । तथापि, जांच करने पर यह पाया गया था कि नुकसान बस की खराब हालत के कारण नहीं हुआ था ।

उड़ीसा में बांसपाणि-जखपुरा रेलवे लाइन

6106. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बांसपाणि-जखपुरा रेलवे लाइन के दूसरे चरण के निर्माण कार्य के लिए वर्ष 1986-87 के बजट में कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या इस रेल सम्पर्क के लिए दी गई धनराशि अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त रेल सम्पर्क के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उसके निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या प्रयास किये जाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केवल 1000 रुपये का सांकेतिक आबंटन किया गया है ।

(ग) और (घ) रेल लाइन का पहला चरण अर्थात् जाखापुरा से दैतारी तक, मार्च 1981 में यातायात के लिए खोल दिया गया था । इस लाइन पर बहुत ही कम यातायात प्राप्त हुआ है । शेष खंड के निर्माण पर विचार संसाधन की स्थिति में सुधार होने पर किया जा सकता है बशर्ते पर्याप्त यातायात के प्राप्त होने की सम्भावना हो ।

रक्तहीन प्लासमा स्कैलपैल शल्य-चिकित्सा की खोज

6107. **डा० जो० विजय रामाराव**
डा० डी० एन० रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के शल्य-चिकित्सकों ने एक नया रक्तहीन प्लासमा स्कैलपैल शल्य-चिकित्सा की खोज की है और उसे पूर्ण कर दिया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत में इसे कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है; और

(ख) क्या यह शल्य-चिकित्सा से लेसर शल्य-चिकित्सा से भी बेहतर मानी जाती है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार के पास सोवियत रूस द्वारा विकसित की गई नई प्लाज्मा स्कैलपैल सर्जरी के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति

6108. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, 1984 में लॉस एंजिल्स में हुए ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले देशों द्वारा आवास और अन्य संबन्धित प्रबन्ध पर किये गये खर्चे का कुछ भाग लौटाने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में पता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने 1984 के ओलम्पिक में किए गए व्यय के कुछ भाग की प्रतिपूर्ति के लिए कहा है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के अनुसार राष्ट्रीय ओलम्पिक समितियों की एसोसिएशन (ए एन० ओ० सी०) के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ने यह घोषित किया था कि प्रत्येक सम्बद्ध राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (एन० ओ० सी०) द्वारा 1984 लॉस एंजिल्स ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए 4 प्रतियोगी और 2 अधिकारीगण (कुल 6 कार्मिक) भेजे जा सकते हैं, जिनके भोजन और आवास का खर्च अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा वहन किया जाएगा। भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति, जिसने तदनुसार छह व्यक्तियों पर खर्च वहन किया था, द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव से लाभ उठाया था ।

एअर बस ए 320 की खरीद

6109. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल**
श्री शांता राम नायक } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर बस ए-320 की खरीद के लिए ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विमान की सुपुर्दगी के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(ग) विमान की कुल लागत कितनी है और कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त होने की आशा है तथा उसकी शर्तें क्या हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां। 19 एयरबस ए 320 विमानों तथा 12 अतिरिक्त विमानों के विकल्प सहित, जिनकी सुपुर्दगी क्रमश: अप्रैल, 1989 से मार्च, 1990 और अगस्त, 1990 से जनवरी, 1991 के बीच की जानी है, की एक खरीद करार पर, मैसर्स एयरबस उद्योग के साथ 15 मार्च, 1986 को हस्ताक्षर किये गए थे।

(ग) 19 एयरबस ए-320 विमानों की निश्चित खरीद कीमत 773,587,740 अमरीकी डालर (928.31 करोड़ रुपये) है। इस परियोजना की विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने संबंधी वित्तीय ढांचे के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

केंद्रीय विद्यालयों के स्तर में भिन्नता

6110. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की आम शिकायतें हैं कि केंद्रीय विद्यालयों का स्तर अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों के केंद्रीय विद्यालयों के स्तर में समानता लाने के लिये तथा उनके स्तर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ऐसी कोई शिकायतें नहीं हैं, किन्तु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं द्वारा जिन स्तरों का पता चलता है वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न हैं।

(ख) इसके लिए जो उपाय किये गए हैं और जिनकी परिकल्पना की गई है उनमें कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम तथा होशियार छात्रों के लिए उन्नत शिक्षा, स्टाफ की व्यवसायिक दक्षता का सुधार तथा गहन शैक्षिक पर्यवेक्षण शामिल है।

रेल स्थायी समिति और रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति, आसनसोल

6111. **डा० सुधीर राय** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल अधिकारियों और आसनसोल के निगमायुक्त को शामिल करके बनाई जाने वाली रेल स्थायी समिति को आस्थगित रखा जा रहा है;

(ख) क्या आसनसोल में रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति भी व्यावहारिक रूप में निष्क्रिय है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलवे द्वारा इस प्रकार की कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए प्रस्ताव

6112. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कुछ राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए उनके मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य सड़क का नाम	कि० मी०में लम्बाई
1	2	3
1.	बंगलौर-मैसूर-मरकारा-मंगलौर (रा० रा० 17 को जोड़ने के लिए)	385
2.	आंध्रप्रदेश में रा० रा० 7 पर गूटी गुन्टकल बेलारी-होसपेट-कोप्पल-गडग-हुबली-करबार) रा० रा० सं० 17 को जोड़ने के लिए)।	422
3.	बेलगाम-बीजापुर-गुलबर्गा-हुमनाबाद (रा० रा० सं० 9 को जोड़ने के लिए)।	364
4.	आन्ध्र प्रदेश में बेलगाम-बगलकोट-रायचूर महबूबनगर	336
5.	तुम्कूर-अरासीकेरे-शिमोगा-सागर-होन्नावर (रा० रा० सं० 17 को जोड़ने के लिए)	332
6.	मैसूर-नंजनगूड-गुंडलूपेट-ऊटी-कोयंबत्तूर (तमिलनाडु में रा० रा० सं० 47 में जोड़ने के लिए)	80
7.	चित्रदुर्ग-होलालकेरे-होसदुर्ग-चिकमगलूर-मुडीमेरे-बेल्थानगडी-बंथवाल-मंगलौर (रा०रा०सं० 17 को जोड़ने के लिए)	283
8.	मैसूर-श्रीरंगापटना-नगरमंगला-चिकनायाक्नाया-कान्हाली-हुलीयूर-बेल्लारी-साहापुर-गुलबर्गा-हुमनाबाद (रा० रा० सं 9 को जोड़ने के लिए)	678
9.	धारवाड़-लोन्डा-अहमोड-पणजी) रा० रा० सं०17 को जोड़ने के लिए)	95
10.	पाडुबिदरी-करकाल-श्रींगेरी-तीर्थहल्ली-शिकारीपुर-शिरालकोपा-हुबली-बगलकोट-हंगुंड।	550
11.	सिर (रा० रा० सं० 4 बंगलौर-पूना मार्गपर) मधुगिरि गोवरीबिदनूर चिकवाल पुर-चिन्तामणि-श्रीनिवासपुर-मुगबागल (रा० रा० सं० 4, बंगलौर-मद्रास मार्ग पर)	160
	कुल	3685 कि० मी०

सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना

6113 **श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राज्यीय सुवर्णरेखा परियोजना का कार्यान्वयन तेज करने के सम्बन्ध में कदम उठाये हैं; और

(ख) उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार ने अब तक कितनी कितनी धनराशि खर्च की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :(क) और (ख)परियोजना के लिए परिव्यय सातवीं योजना में निर्धारित किए गए हैं। परियोजना को विश्व बैंक सहायता की सूची में भी शामिल किया गया है। मार्च, 1986 तक बिहार द्वारा परियोजना पर खर्च की गई 129.01 करोड़ रुपये की सम्भावित राशि में से उड़ीसा ने जनवरी, 1986 तक 13·16 करोड़ रुपये का अंशदान दिया था और पश्चिम बंगाल ने कुछ भी भुगतान नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा परियोजना के निर्माण के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाना है।

अधिकाधिक व्यावसायिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना

6114. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक व्यावसायिक शिक्षा केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ लाभप्रद रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को खपाने के अवसर उपलब्ध हों; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सामुदायिक पालिटेक्निक की एक ऐसी केंद्रीय योजना है जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक रूपरेखाओं पर व्यावसायिक शिक्षा तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए चुनिन्दा पालिटेक्निकों का पता लगाया जाना है। योजना के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत, ये सामुदायिक पालिटेक्निक विभिन्न व्यवसायों में अल्प-कालिक गैर-औपचारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक/दक्षता प्रशिक्षण के लिए जानी पहचानी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं। हाल ही में योजना के अन्तर्गत 61 अतिरिक्त पालिटेक्निकों को शामिल किया गया है। ये पालिटेक्निक ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक विस्तार केन्द्र स्थापित करेंगे।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार केंद्रों की स्थापना के लिए विशेष राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।

"एड्स" के उपचार के लिए आयुर्वेदिक विधि

6115. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को कुछ आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा "ऐड्स" के उपचार के लिए आयुर्वेदिक विधि के सम्बन्ध में किये गए दावों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में आयुर्वेद अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कुछ दावे सरकार के ध्यान में आए हैं । केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् जो आयुर्वेद सम्बन्धी अनुसंधान योजनाओं से संबंधित है, के सम्मुख इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि आई० सी० एम० आर० की एड्स संबंधी टास्क फोर्स में भारत के कुछ प्रमुख आयुर्वेदिक विशेषज्ञों को भी शामिल कर लिया गया है । यदि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा सहायता अनुदान के लिए प्राप्त किए गए आवेदन-पत्र सुव्यवस्थित अध्ययन प्लान पर आधारित होंगे तो योजनाओं पर संबंधित विशेषज्ञ दल द्वारा विचार किया जाएगा और उनकी सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से दवाइयां लेने में कठिनाइयां

6116. **श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को दवाइयां देने की वर्तमान प्रणाली जटिल है तथा इससे रोगियों को अनावश्यक कठिनाई हो रही है, जैसा कि इस बात से इसकी पुष्टि होती है कि जब लाभार्थी दवाइयों की पर्ची लेकर औषधालय जाता है तो उसे यह बताया जाता है कि इनमें से कुछ दवाइयां सुपर बाजार से खरीदनी पड़ेंगी और जब वह पुन: औषधालय जाता है तो उसे यह सूचित किया जाता है कि उक्त दवाइयां सुपर बाजार में उपलब्ध नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) किसी खास समय में किसी औषधालय में औषधियों के उपलब्ध न होने पर उन्हें मैसर्स सुपर बाजार से इंडेंट किया जाता है और लाभार्थियों को दिया जाता है । तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में लाभार्थी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अथवा इमरजेंसी ड्यूटी वाले चिकित्सा अधिकारी से मैसर्स सुपर बाजार से बिना भुगतान के जरूरी औषधियों की सप्लाई के लिए अधिकार पत्र ले सकता है। यह सुविधा हर समय उपलब्ध है ।

गंभीर अविकासी रक्ताल्पता (सीवियर अप्लास्टिक अनीमिया) का उपचार

6117. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम्**
डा० टी० कल्पना देवी } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भ्रूण लीवर आद्यान (फोटल लिवर इन्फ्यूजन) के माध्यम से गंभीर अविकासी रक्ताल्पता (सीवियर अल्पास्टिक अमोनिया) के उपचार का पता लगा लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन क्षेत्रीय परीक्षणों के अनुसार इसे सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है और यदि हां, तो क्या इसका देश के शेष भागों में परीक्षण और विस्तार किया जाएगा; और

(ग) क्या इस पर कार्य कर रहे दल को पुरस्कृत किया गया है और उसको उचित मान्यता प्रदान की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली स्थित रोटरी कैंसर अस्पताल के मेडिकल ओनकालोजी विभाग ने सिवीयर अप्लास्टिक अनीमिया से पीड़ित 60 प्रतिशत रोगियों में फीटल लीवर इन्फ्यूजन को लाभकारी पाया है। कुछ रोगियों को रोग मुक्त भी किया जा चुका है। वैसे, इससे पहले कि फीटल लीवर इन्फ्यूजन को अप्लास्टिक अनीमियाका उपचार करने में सक्षम समझा जाए, इस दिशा में और अधिक कार्य करने की जरूरत है।

(ख) अभी तक किये गये अध्ययनों से पता चला है कि वह विधि काफी सुरक्षित, सरल और सस्ती है। इस थेरापी को समझने और इसके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए इस क्षेत्र में और अधिक अध्ययन किये जाने की जरूरत है।

(ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंसान परिषद ने, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वयतशासी संगठन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डा० विनोद कोचूपिल्ले को (1) अप्लास्टिक अनेमिया में फीटल लीवर ट्रांसप्लाटेशन में उनके योगदान के लिए 1981 का शकुन्तला अमीर चन्द पुरस्कार और (2) फीटल लीवर इन्फ्यूजन और एक्यूट मायलॉयड ल्यूकेमिया पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 1985 का कालसिया राजा रवि शेर सिंह मेमोरियल कैंसर रिसर्च एवार्ड नामक अपने दो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किये हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों तथा विनियमों में सुधार

6118. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण में कोई बुनियादी सुधार करने का विचार है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रक्रिया, निगम तथा विनिमय बहुत पुराने हो गये हैं और उनमें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार का केंद्रीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विकेन्द्रीकरण करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एक सांविधिक निकाय के रूप में विभिन्न कार्यक्रम को तैयार करने, अपने कार्यान्वयन और निरीक्षण ही क्रियाविधियां और पद्धतियां निर्धारित करने तथा ऐसे कार्यक्रमों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम आयोग क्रियाविधियों आदि में परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित ऐसे संशोधन करने का प्रयास कर रहा है।

(ग) और (घ) ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

[हिन्दी]

दानापुर में महिला कालेज खोलना

6119. **श्री कुंवर राम**: क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर के स्वयंसेवी संगठनों ने वहां पर एक महिला कालेज खोलने के लिए रेलवे प्रशासन से भूमि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) रेलवे द्वारा दानापुर में शिक्षा संस्थाओं को अब दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) दानापुर में एक महिला कालेज खोलने के लिये किसी भी स्वैच्छिक संगठन ने रेल प्रशासन से भूमि की मांग नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दानापुर में 4 गैर-रेलवे शैक्षणिक संस्थानों को नाममात्र लाइसेंस शुल्क/किराये/अनुरक्षण प्रभारों पर रेलवे भूमि और इमारतें दी गयी हैं।

[अनुवाद]

बम्बई और त्रिवेन्द्रम के बीच अतिरिक्त विमान सेवा की मांग

6120. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई और निवेन्द्रम के बीच एक अतिरिक्त विमान सेवा आरंभ करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस वायु मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या कितनी है और विमान में स्थान न मिलने के कारण बम्बई में बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों के रुक जाने की भीड़ को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) 275 सीटों की क्षमता में से, सितम्बर, 1985 से फरवरी, 1986 की अवधि के दौरान बम्बई और त्रिवेन्द्रम के बीच प्रति उड़ान वाहित यात्रियों की औसत संख्या कभी भी 241 से अधिक नहीं हुई। इसलिए इस क्षेत्रक पर यात्री भार इतना नहीं है कि एक और दैनिक सेवा का परिचालन किया जा सके। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स छुट्टियों के दौरान अथवा त्यौहारों की छुट्टी के दौरान भीड़-भाड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त उड़ानों का परिचालन करती है।

उतारे गए माल में कमी होने के लिए भारतीय नौवहन निगम पर शास्ति

6121. **श्री थम्पन थामस** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने उतारे गये माल में कमी होने के लिए भारतीय नौवहन निगम पर 9.10 करोड़ रुपए की शास्ति लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छः जापानी बीमा कम्पनियों ने भी हरजाने की राशि वसूल करने के लिए भारतीय नौवहन निगम के विरूद्ध दावा दायर किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) बम्बई सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने अप्रैल 1985 से फरवरी 1986 तक भारतीय नौवहन निगम के उन जहाजों से कारगो थोड़े समय के लिए उतारने पर जुर्माने के रूप में सीमा शुल्क लगाया, जो 1978-79 से 1982-83 तक की अवधि में तथा एक बार 1985-86 के दौरान बम्बई पोर्ट पर आए थे। सम्बद्ध आयातकों पर लगाए गए सीमा शुल्क के रिफंड सम्बन्धी घाटे को पूरा करने की दृष्टि से कम समय के लिए कार्गो उतारने पर जुर्माना लगाना सामान्य बात है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 35 मामलों पर लगाया गया कुल जुर्माना 95.43 लाख रु० है।

(ग) जी हां,

(घ) दायर किए गए मुकदमों का ब्यौरा इस प्रकार है :--

क्र० सं० अभियोगी का नाम	क्षतिग्रस्त कार्टनों की संख्या	दावे की रकम (जापानी येन में)
1. ताइशो मैरिन एण्ड फायर इन्शोरेन्स कं० लिमिटेड	4860	122,781,799
2. टोकियो मैरिन इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड	5304	135,928,502
3. फूजी फायर एण्ड मैरिन इन्शोरेन्स कंपनी लिमिटेड	600	5,535,785
4. निप्पोन फायर एण्ड मैरिन इन्शोरेन्स कंपनी लिमिटेड	2422	38,634,692
5. निसान फायर एण्ड मैरिन इन्शोरेन्स कंपनी लिमिटेड	1602	9,572,980
6. निशिन फायर एण्ड मैरिन इन्शोरेन्स कंपनी लिमिटेड	500	6,163,650
	15288	318,617,408
अथवा	1,77,30,518/-रु० (अनुमानत:)	

अलीगढ़ मेडिकल कालेज में वार्षिक प्रवेश

6122. **श्रीमती प्रमलाबाई चव्हाण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मेडिकल कालेज ने भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुमति प्राप्त किये बिना वार्षिक प्रवेशों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० की डिग्री की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव किया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि अलीगढ़ मेडिकल कालेज ने प्रवेश की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है। परिषद् ने सितम्बर, 1985 में एक निरीक्षण किया था ताकि प्रवेशों की संख्या में किसी प्रकार की वृद्धि पर विचार करने के लिए मौजूदा सुविधाओं का आकलन किया जा सके। कार्यकारी समिति ने निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया जिसमें शिक्षण स्टाफ, पलंगों की संख्या, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और उपकरण के बारे में कमियां बताई गई थीं और समिति का मत था कि सीटों की संख्या में वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ को लिखा गया था कि वे कार्यकारी समिति के विचारों पर आवश्यक कार्रवाई करें तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना भेजें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मिले उत्तर पर परिषद् की कार्यकारी समिति ने विचार किया था तथा उसने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे इस मामले को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के साथ उठाया जाए। अलीगढ़ मेडिकल कालेज से रिपोर्ट मिल जाने के बाद परिषद् इस बात का पता लगाने के लिए कालेज का पुन: निरीक्षण करेगी कि कालेज 50 प्रवेशों की अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा सीटों की संख्या प्रतिवर्ष 50 से बढ़ाकर 100 कर देने के लिए वहां सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राज्यों में राष्ट्रीय खेल काम्पलैक्स बनाना

6123. **श्री अजय मुशरान** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण काम्पलैक्स बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में खेल काम्पलैक्स बनाने के बारे में नीति क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रकार के खेल काम्पलैक्स बनाने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) सरकार की यह नीति है कि राज्य सरकारें और संघ शासित प्रशासनों द्वारा खेल काम्पलैक्स स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाए ताकि, ऐसे काम्पलैक्सों को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए तथा प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए भी प्रयोग किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय अनुदान खेल काम्पलैक्स की अनुमोदित लागत का 25% या अधिकतम 20 लाख रुपये तक जो भी कम हो, उपलब्ध है। यह राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के लिए है कि वे केन्द्रीय अनुदान का लाभ उठायें। तथापि राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही दी जा सकती हैं और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला अपने बंगलौर स्थित दक्षिणी केन्द्र और कलकत्ता स्थित पूर्वी केन्द्र में पहले ही ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। संस्थान इम्फाल में उत्तर-पूर्वी केन्द्र खोल रहा है और यथा समय गौहाटी में भी खोलेगा। उसकी देश के अन्य भागों में क्षेत्रीय केन्द्र शुरू करने की भी योजना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिंदी]

खगरिया रेलवे स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा

6124. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 10 मार्च, 1986 को खगरिया रेलवे स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों और मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजे का भुगतान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) इस दुर्घटना में घायल व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दावा आयुक्त जिलाजज खगरिया के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। घायल व्यक्तियों को 11,000 रुपये का अनुग्रह भुगतान किया गया है। इस टक्कर के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई थी।

[अनुवाद]

युवा होस्टल योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये युवा होस्टल

6125. **श्री शांताराम नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में युवा होस्टल योजना के अन्तर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किये गये युवा होस्टलों की राज्यवार और संघ राज्य-क्षेत्र वार संख्या कितनी है;

(ख) इन होस्टलों में आवास-प्रभार की दर क्या है तथा उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थापित किये जाने वाले नये प्रस्तावित होस्टलों का ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में युवा छात्रावास योजना के अन्तर्गत राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार स्थापित किए गए युवा छात्रावास निम्नलिखित हैं—

1. अमृतसर (पंजाब)
2. औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
3. भोपाल (मध्य प्रदेश)
4. डलहौजी (हिमाचल प्रदेश)
5. दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)
6. गांधी नगर (गुजरात)

7. हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
8. जयपुर (राजस्थान)
9. मैसर (कर्नाटक)
10. मद्रास (तमिलनाडु)
11. नैनीताल (उत्तर प्रदेश)
12. पणजी (गोवा)
13. पंचकुला (हरियाणा)
14. पटनीटाप (जम्मू और काश्मीर)
15. पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान और निकोबार)
16. पुरी (उड़ीसा)
17. त्रिवेन्द्रम (केरल)
18. पाण्डिचेरी

2. इस समय छात्रावासों में (आम शौचालय और स्नानगृह सुविधाओं सहित डोरमेट्री आवास) लागू दरें भारतीय युवा छात्रावास एसोसिएशन के सदस्यों, असली छात्रों और 20 वर्ष की आयु के अन्दर युवाओं के लिए मैदानी क्षेत्रों में प्रति दिन प्रति व्यक्ति 5/-रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों मे प्रति दिन प्रति व्यक्ति 6/-रुपये है। गैर सदस्यों/गैर छात्रों और 20 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों के लिए प्रभार मैदानी क्षेत्रों में प्रति दिन प्रति व्यक्ति 8/-रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों 10/रुपये है। उपर्युक्त प्रभार में चदर (लिनेन) की लागत और सदस्य के रसोई घर में सुविधाओं का प्रयोग शामिल है। सामान्यत: युवा छात्रावासों में केवल कैफेटेरिया अथवा स्नैकबार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कैटरिंग (भोजन) का प्रबन्ध या तो सीधे तौर पर वार्डन या ठेकेदारों के जरिए बिना लाभ और हानि के आधार पर किया जाता है।

3. स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए छात्रावासों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

शिलांग, दीमापुर, इम्फाल, आगरा, नामची, इटानगर और पटना में 7 युवा छात्रावास निर्माण के विभिन्न चरणों में है। गोहाटी, अगरतला और ऐजवाल में युवा छात्रावासों के कार्य को राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करने पर ही किया जाएगा। तिरूपति और विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश), कुरुक्षेत्र (हरियाणा), एर्नाकुलम और कालीकट (केरल), ग्वालियर और जबलपुर (मध्य प्रदेश), तूरा (मेघालय), गोपालपुर-आन-सी (उड़ीसा), तिरूनलवेली और मदुरै (तमिल नाडु) और पटियाला (पंजाब) में युवा छात्रावासों के निर्माण को मंजूर किया गया है।

4. युवा छात्रावासों की योजना केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में समझी गई हैं। जबकि केन्द्रीय सरकार युवा छात्रावासों के निर्माण की लागत वहन करती है, राज्य सरकारें, जल, विद्युत प्रबन्ध, सम्पर्क सड़कें और स्टाफ क्वार्टरों सहित नि:शुल्क पूर्णत: विकसित भूमि प्लाट प्रदान करती हैं। भूमि की उपलब्धता के आधार पर 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 60 युवा छात्रावासों तक निर्माण करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण

6126. **श्री ए०जे०जी० बी० महेश्वर राव :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण के लिए इस समय सरकार द्वारा मंजूर की गई राशि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस राशि को घटाकर कम से कम 50 हजार रुपये प्रति विद्यालय करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) स्कूल भवनों के प्रावधान सहित स्कूल शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। भारत सरकार स्कूल भवनों के लिए अपने बजट के माध्यम से सामान्यतः धन की व्यवस्था नहीं करती है। तथापि आठवें वित्त आयोग ने 11 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्कूलों में 36,999 अतिरिक्त भवनों के निर्माणार्थ 15,617.52 लाख रुपये की राशि के अन्तरण की सिफारिश की है। वित्त आयोग ने पहाड़ी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में दो कक्षा कमरों के स्कूल भवन के लिए 40,000 रु० की यूनिट लागत स्वीकार की थी। पहाड़ी राज्यों के मामले में यूनिट लागत 52000 रुपए निर्धारित की गई थी। लागत की वृद्धि को देखते हुए वित्त आयोग द्वारा गठित अन्तर मंत्रालीय अधिकार समिति ने राज्य सरकारों से यूनिट लागत में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति देने का निर्णय किया है।

इंडियन एयर लाइन्स में कंप्यूटर द्वारा आरक्षण

6127. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयरलाइंस में आरक्षण के लिये कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इण्डियन एयर लाइंस के दिल्ली और बम्बई कार्यालयों में 1985 के दौरान किसी कार्यालय में किसी समय, किसी अवधि के लिये कम्प्यूटर प्रणाली में खराबी आई थी;

(ग) क्या सरकार को कम्प्यूटर की खराबी की अवधि में इण्डियन एयरलाइंस में आरक्षण के लिये किसी वैकल्पिक प्रबन्धों की कमी की जानकारी है;

(घ) कम्प्यूटरों के काम न करने अथवा उनमें खराबी होने के क्या कारण थे; और

(ङ) वैकल्पिक प्रबन्ध कब तक उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) कंप्यूटर प्रणाली का प्रचालन 98 प्रतिशत से अधिक ठीक रहा है। केवल एक अवसर पर दोनों यू० पी० एस० (अ-अवरोधक पावर सप्लाई) प्रणाली में खराबी आ जाने के कारण कंप्यूटर प्रणाली लगभग 18 घंटे बन्द रही।

(ग) कंप्यूटर में एक अन्तर्निहित प्रणाली होती है जो कंप्यूटर के खराब होने की दशा में विकल्प के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए उस दिन प्रत्येक स्टेशन से प्रस्थान करने वाली सभी उड़ानों को बुकिंग स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

(घ) बाहरी स्टेशनों पर इस प्रकार की खराबी सामान्यतया संचार-सम्पर्क के टूटने अथवा बिजली आपूर्ति में व्यवधान पड़ने के कारण आती है ।

(ङ) वर्तमान 16 सी आर टी स्टेशनों में से दो को छोड़कर सभी स्टेशनों पर वैकिल्पक बिजली आपूर्ति के लिए सहायक प्रबन्ध किए गए हैं । भवन के मालिकों से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् इन दोनों स्टेशनों पर भी डीजल जनरेटर सेटों को जल्दी ही उपलब्ध किया जाएगा ।

बिहार के भूमिगत जल संसाधनों के लिए विमान द्वारा सर्वेक्षण

6128. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में भूमिगत जल संसाधनों के लिए विमान द्वारा सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो जे० आर० एम० उपग्रह उपलब्ध हो जाने पर इस तरह सर्वेक्षण करने का कोई कार्यक्रम है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) भारतीय वायु सेना और अन्य अभिकरणों द्वारा बिहार राज्य के सामान्य हवाई सर्वेक्षण किए गए हैं । केंद्रीय भू-जल बोर्ड ने क्षेत्र के भू जल संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन के लिए कसई और सुवर्णरेखा नदी बेसिनों के वायवीय चित्रों तथा उपग्रह बिम्बों का उपयोग किया है । बोर्ड के प्रतिपादन के परिणाम क्षेत्रीय निरीक्षणों तथा ड्रिलिंग कार्यों के पूरा होने के बाद उपलब्ध होंगे । केंद्रीय भूजल बोर्ड उसी प्रयोजन के लिए आई० आर० एस-1 के माध्यम से प्राप्त उपग्रह बिम्ब का भी प्रयोग करेगा ।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलों का स्तर बढ़ाना

6129. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने अस्तित्व में आने से अब तक देश में खेलों का स्तर बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दिया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लगाये गये प्रशिक्षण शिविरों का ब्योरा क्या है तथा कितने प्रशिक्षणार्थी अखिल भारतीय स्तर के खेलों में भाग लेने के योग्य बनने के लिए अपने स्तर में सुधार कर सके;

(ग) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण पटियाला स्थित खेल संस्थान द्वारा किये जा रहे कार्य की ही पुनरावृति कर रहा है; और

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण को क्या नई भूमिका दी गई है जिससे कि यह भविष्य में और अधिक स्वतन्त्र और अर्थपूर्ण भूमिका निभा सके ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी स्थापना की लघु अवधि के दौरान प्रतिभाशाली बच्चों

का पता लगाकर और उन्हें घोषित करने की ओर ध्यान लगाकर खेलों का स्तर बढ़ाने में सार्थक योगदान दिया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने इस संदर्भ में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता की योजना शुरू की है, जिसमें लगभग 5 लाख बच्चों ने भाग लिया था। भारतीय खेल प्राधिकरण ने इस वर्ष 158 प्रतिभाशाली बच्चों को इस प्रयोजनार्थ उनके द्वारा अपनाए जाने वाले स्कूलों में प्रशिक्षण और कोचिंग देने के लिए चयन किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अभी तक बच्चों के लिए 27 प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए हैं। चूंकि भारतीय खेल प्राधिकरण बच्चों पर ध्यान दे रहा है, इसलिए इसके प्रयासों के परिणाम कुछ वर्षों के बाद ही दिखाई देंगे।

भारतीय खेल प्राधिकरण आदिवासी क्षेत्रों तथा देशी खेलों और ग्रामीण खेलों के विकास जैसे विशेष क्षेत्रों में खेलों का स्तर बढ़ाने की ओर भी विशेष ध्यान दे रहा है। लोगों में खेल जागरूकता उत्पन्न करने को ध्यान में रखकर भारतीय खेल प्राधिकरण देश के विभिन्न शहरों में बड़े पैमाने पर सामूहिक दौड़े आयोजित कर रहा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के कार्य में कोई पुनरावृत्ति नहीं है क्योंकि किसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को कार्य स्पष्टतः निश्चित किए गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण को सौंपे गये कार्य के अनुसार उनकी व्यापक भूमिका में, सभी के लिए खेलों की धारणा विकसित करने, युवा आयु में नए प्रतिभाशालियों का पता लगाने और उन्हें पोषित करने, अपने स्टेडियमों के जरिए सुविधाएं प्रदान करने और दूसरी ओर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने और लोगों में खेल जागरूकता पैदा करके खेलों को व्यापक बनाना है।

"एड्स" की बीमारी से ग्रस्त विमान परिचारिका

6130. **सोमजी भाई डामोर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एड्स" की बीमारी का पहला मामला भारत में पाया जा चुका है, जबकि हाल में ही एअर इण्डिया की एक परिचारिका को "एड्स" की बीमारी से ग्रस्त घोषित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश में घातक बिमारी को फैलने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में पैदल चलने वालों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिए उपाय

6131. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की कई सड़कों पर कोई जेबरा क्रासिंग, पैदल चलने वालों के लिए संकेत पटरियां अथवा तल मार्ग नहीं हैं;

(ख) क्या जहां पैदल चलने वालों के लिए पटरियां हैं, उनका प्रयोग फेरी वालों अथवा पार्किंग के लिए किया जाता है; और

(ग) दिल्ली की सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के प्रावधान सहित दिल्ली में सड़कों के विकास और अनुरक्षण की जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली यातायात पुलिस जैसी अनेक एजेंसियों की हैं। इन एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली में सभी मुख्य सड़कों पर जेब्रा क्रासिंगों का प्रावधान किया गया है जबकि कुछ महत्त्वपूर्ण स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज या सबवे का प्रावधान किया गया है। पैदल यात्रियों के लिए संकेत वाले चौराहों पर संकेतों का भी प्रावधान किया गया है तथापि दिल्ली में सभी सड़कों पर उपरोक्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं।

(ख) जी हां। कतिपय सड़कों पर पैदल पथों पर अनधिकृत कब्जा है। तथापि इन कब्जों को हटाने के नियमित प्रयास किए जाते हैं।

(ग) (i) नई दिल्ली नगर पालिका ने अपने क्षेत्र में पैदल यात्रियों के लिए बीस सबवे निर्मित करने की पेशकश की है।

(ii) जहां अनधिकृत कब्जे/रुकावटें/खोमचे वाले हैं, उन्हें हटाया जाता है।

(iii) फुटपाथ बनाना जो धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

(iv) जहां आवश्यक हो वहां गार्ड रेलिंग का प्रावधान।

(v) जेब्रा कासिंग बनाना।

(vi) जहां आवश्यक हो, वहां स्पीड ब्रेकरों का प्रावधान।

(vii) दिल्ली यातायात पुलिस, महत्त्वपूर्ण चौराहों पर विनियमन और प्रवर्तन कार्य के माध्यम से पैदल यात्रियों को स्पष्ट अधिकार दिलाने का प्रयास करती है। इस कार्य में ट्रैफिक वार्डनों जो चुने हुए नागरिक होते हैं, राष्ट्रीय सेवा स्कीम के स्वयं सेवकों, होमगार्डों की मदद ली जाती है।

(viii) दिल्ली यातायात पुलिस, मोटर चालकों और पैदल यात्रियों को सड़कों का सही उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए व्याख्यानों, प्रदर्शनों, साहित्य के वितरण, प्रेस, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से सड़क सुरक्षा की शिक्षा देती है। सड़क सुरक्षा में बाल शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीमक लगने से शोध कार्य का नष्ट हो जाना

6132. **प्रो० रामकृष्ण मोरे**
श्री नारायण चौबे
श्री कमला प्रसाद सिंह
डा० डी० एन० रेड्डी } : **क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और मूल्यांकन शाखा (एकेडेमिक इवेल्यूएशन ब्रांच) में अनेक अध्येताओं द्वारा कई वर्षों के परिश्रम से

किया गया बहुमूल्य शोध कार्य दीमक लगने से पूरी तरह नष्ट हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बहुमूल्य रिकार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार किसी भी अनुसंधान कार्य को नष्ट नहीं किया गया है। तथापि, दीवारों में रिसाव के कारण 12 एम० फिल० शोध-निबन्धों तथा 4 पी० एच० डी० शोध-निबन्धों को, जो निर्मित अलमारी में रखे हुए थे, कुछ क्षति पहुंची थी। इन दस्तावेजों की अतिरिक्त प्रतियां विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय ने अनुसंधान-पत्रों को रखने के लिए वैकल्पिक भण्डार सुविधाएं उपलब्ध की हैं। विश्वविद्यालय के संरक्षण में कागज-पत्रों तथा दस्तावेजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दीमकों जैसे नाशिकीटों पर नियन्त्रण करने के भी उपाय किए गए हैं।

आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् को वित्तीय सहायता देना

6133. **श्री दिनेश गोस्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान सम्बन्धी परिषद् को कितनी वित्तीय सहायता दी है और वे सरकार के प्रति किस प्रकार उत्तरदायी है और क्या कोई आवधिक मूल्यांकन किया गया है;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान परिषद् के निदेशकों की तदर्थ नियुक्ति के मामले में सरकार को कुछ अनियमितताओं का पता चला है और यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या ऐसे निदेशकों की नियुक्ति और इन्हें हटाने की कोई प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1985-86 के दौरान केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा 4.19 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी। वित्तीय सहायता की धनराशि वर्षानुवर्ष भिन्न-भिन्न होती है। इस परिषद् के शासी निकाय में मन्त्रालय का प्रतिनिधि है। सरकार को इस परिषद् के लिए निदेश जारी करने की शक्तियां भी हैं। वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-परीक्षित विवरण इस मन्त्रालय के माध्यम से संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ख) और (ग) इस परिषद् के निदेशक की तदर्थ नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं। राष्ट्रपति द्वारा परिषद् के नियमों और विनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31-5-1985 को परिषद् के निदेशक की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई थी। इस तदर्थ नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा 14-12-1984 को समाप्त कर दिया गया था। इस परिषद् के निदेशक को शासी निकाय द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से नियुक्त किया जाता है।

गोदावरी जल का प्रयोग

6134. श्री एम० सुब्बा रेड्डी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य-वार गोदावरी नदी के कितने जल स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) इसका कितना प्रतिशत पानी का उपयोग किया जा रहा है और कितना जल समुद्र में बेकार चला जाता है;

(ग) क्या इस पानी के उपयोग के लिए कोई व्यापक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है; और

(घ) क्या बेकार जा रहे पानी का उपयोग करने के लिए सरकार पोलावरम् परियोजना को मन्जूरी देगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) विभिन्न बेसिन राज्यों ने गोदावरी जल-विवाद अभिकरण (1980) के निर्णय के अध्यधीन गोदावरी जल के उपयोग की योजनाएं बनाई हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की गोदावरी सहित प्रायद्वीपीय नदियों के जल संसाधनों के इष्टतम विकास तथा उपयोग के लिए स्कीमों का अन्वेषण कर रहा है। सभी परियोजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात् भी गोदावरी के कुछ बाढ़ प्रवाह बहकर समुद्र में चले जाएंगे।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई गोदावरी पर पोलावरम् परियोजना पर केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना आयोजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगे हैं। राज्य सरकार से पूरी सूचना प्राप्त हो जाने पर परियोजना की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

6135. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र राज्यों को महत्त्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सीध सहायता देने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रक्रिया तैयार की जा चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई योजना के अन्तर्गत आने वाली सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

छात्रावासों में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को छात्रावास राजसहायता की सुविधा देना

6136. श्री मानिक सान्याल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय वेतन आयोग (केन्द्रीय) ने अपने प्रतिवेदन के अध्याय 59 के पैरा 16 में यह सिफारिश की थी कि "सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को छात्रावास राजसहायता की सुविधा देना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कोई परिपत्र जारी किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी कर्मचारी के कार्यस्थल पर अपेक्षित स्तर का विद्यालय न होना छात्रावास राजसहायता देने के लिये "बाध्यकारी परिस्थितियां' माना जाना चाहिये चाहे कर्मचारी का उसके सेवाकाल के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण न हुआ हो; और

(घ) क्या शिक्षा सहायता देने के लिये बनाये गये नियम, छात्रावास राजसहायता देने के लिये भी, भुगतान की दरों में अन्तर के अलावा, समान शर्तों के अनुसार ही लागू होते हैं?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस विषय पर तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें हैं।

(ख) जी हां।

(ग) वर्तमान आदेशों के अनुसार यह अनुमेय नहीं है।

(ग) जी नहीं।

अवकाश गृह

6137. श्री मानिक साल्याल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कुल कितने अवकाश गृहों का निर्माण किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने नए अवकाश गृहों का निर्माण किया गया, और

(ग) विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को अवकाश गृह आबंटित करने के लिए क्या मान दण्ड निर्धारित किए गए हैं?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) राज्य वार बनाये गये अवकाश गृहों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है :

क्र० संख्या	राज्य	राज्य वार बनाये गये अवकाश गृहों की कुल संख्या
1.	बिहार	2
2.	गोवा	1
3.	हिमचल प्रदेश	3
4.	जम्मू और कश्मीर	2
5.	कर्नाटक	1
6.	मध्यप्रदेश	1
7.	महाराष्ट्र	6
8.	मेघालय	1
9.	उड़ीसा	2
10.	राजस्थान	2
11.	तमिलनाडु	4
12.	उत्तर प्रदेश	6
13.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल जोड़	33

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एक अवकाश गृह का निर्माण 1983 में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में किया गया था।

निम्नलिखित अवकाश गृहों के निर्माण का काम चल रहा है :—

आन्ध्र प्रदेश	—1
तमिलनाडु	—2

(ग) भिन्न भिन्न कोटि के कर्मचारियों को अवकाश गृहों का आवंटन रेल प्रशासन द्वारा आवेदन के प्राप्त होने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रियायती प्रभार लेकर किया जाता है। सेवा निवृत रेल कर्मचारियों को भी निर्धारित प्रभारों का भुगतान करने पर अवकाश गृहों का आवंटन किया जाता है, बशर्ते उपलब्ध हों।

भारतीय नौवहन निगम में किराये के जहाज

6138. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम समय-समय पर कुछ वाणिज्यिक आधार पर बड़ी संख्या में जहाज किराये पर लेता है;

(ख) इस समय विभिन्न विदेशी कम्पनियों के कितने जहाज भारतीय नौवहन निगम में किराये पर हैं तथा डी० डब्ल्यू० टी० जहाज की श्रेणी, जहाज कन्टेनरयुक्त हैं अथवा नहीं, दैनिक किराये की दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम नये दलालों के बजाए सूची में उल्लिखित कुछ दलालों के माध्यम से ही जहाज किराये पर लेना बेहतर समझा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नए दलालों को भी प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) बल्क और लाइनर कार्गो दोनों की आवश्यकतानुसार ढुलाई के साथ-साथ इनके संविदापरक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए भारतीय नौवहन निगम को जहाजों की चार्टरिंग करनी पड़ती है। हालांकि, भारतीय नौवहन निगम के परिचालनों के परिमाण पर विचार करते हुए चार्टर किए गए जहाजों की संख्या बहुत अधिक नहीं है।

(ख) भारतीय नौवहन निगम के चार्टर में मौजूदा 15 जहाज हैं जिनकी विस्तृत जानकारी विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) जहाजों की चार्टरिंग दलालों के एक पेनल के माध्यम से होती है, जिनकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है। जहाज दलालों द्वारा आमंत्रित प्रार्थनापत्रों की समीक्षा की जाती है यदि, वे उपयुक्त होते हैं तो भारतीय नौवहन निगम की आवश्यकताओं के आधार पर अस्थायी तौर पर उन्हें पेनल में शामिल कर लिया जाता है। इन अस्थायी दलालों को स्थायी स्टेट्स भी प्रदान किया जाता है यदि उनके कार्य निष्पादन की सामयिक समीक्षा के पश्चात् भारतीय नौवहन निगम पेनल के वर्तमान दलालों की संख्या उनकी चार्टरिंग संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

विवरण

डी डब्ल्यू टी, जहाज के प्रकार तथा प्रतिदिन की चार्टर दरों के विस्तृत विवरण सहित भारतीय नौवहन निगम में चार्टरों पर वर्तमान जहाजों की संख्या :

क्र० सं०	जहाज का नाम	डी डब्ल्यू टी	जहाज का प्रकार	ओ टी सहित प्रतिदिन की दरें (अमरीकी डालर में)
1.	एम वी अक्टूरिया	13193	कन्टेनर जहाज	5850
2.	एम वी नादकेव	13193	कन्टेनर जहाज	5850
3,	एम वी आस्टफरीस्ट	17760	कन्टेनर जहाज	5100
4.	एम वी कैलेबर	7870	कन्टेनर जहाज	4100
5.	एम वी पारेबलीपर	6650	कन्टेनर जहाज	4100
6.	एम वी मारून	22014	कन्टेनर जहाज	7100
7.	एम वी कोरोना	24960	कन्टेनर जहाज	7250
8.	एम वी थैटीस	34201	ड्राइकारगो बल्क,	12.25 प्रति एल टी
9.	एम वी एरीएन्ना	22775	आयल टैकर डब्ल्यू	217.5
10.	एम वी इरीनी	17056	ड्राइकारगो जहाज	400
11.	एम वी स्प्लेन्डिड फोरच्यून	14970	ड्राइकारगो जहाज	4300
12.	एम वी कोन्कोरडिया	24950	कन्टेनर जहाज	7200
13.	एम वी ताइयान	15600	ड्राइकारगो जहाज	4100
14.	एम वी रन्थीपैल	26931	ड्राइकारगो ग्रैब फिटिड जहाज	4000
15.	एम वी आल्टेयर	20848	आयल टैंकर	डब्ल्यू एस 146

• भारत में बच्चों के लाभार्थ सुविधाओं की व्यवस्था

6139. श्री के० प्रधानी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र बाल आपातनिधि की सहायता से भारत में बच्चों के लाभार्थ सुविधाओं की व्यवस्था संबंधी योजना को किस तरह से कार्यान्वित किया जायेगा और राज्य सरकारों को यदि कोई भूमिका सौंपी गई हैं तो वह क्या है; और

(ख) उड़ीसा के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में इस योजना के फायदों को किस तरह पहुंचाया जायेगा ?

युवा कार्य तथा खेल और महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बाल कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करता है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कुछ कार्यकलाप शैक्षिक और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा, बाल कल्याण कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और ग्रामीण जल सप्लाई जैसे बाल कल्याण और विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उड़ीसा के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में विस्तार किया गया है जो यूनिसेफ़ से कुछ सहायता प्राप्त करते हैं।

उड़ीसा में ललित गिरि, रतनगिरि और उदयगिरि में खुदाई और विकास कार्य

6140. **श्री के० प्रधानी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुरोध किया है कि उड़ीसा में ललितगिरि; रतनगिरि और उदयगिरि में खुदाई और विकास कार्य के लिये एक बृहत योजना बनाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस दिशा में अब तक क्या प्रगति की है और इस परियोजना के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल की बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

6141. **श्री अनिल बसु** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रस्तुत की गई बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और केन्द्रीय जल आयोग ने इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है और क्या योजना आयोग ने ये योजनायें अनुमोदित कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में दो स्कीमों में अर्थात् (1) मिदनापुर जिले में 183.11 लाख रुपए की अनुमानित लागत की पथचांडा पंचथुपी तथा चांडिया नदी की पुन: खुदाई और (2) 24 परगना जिले में 636.20 लाख रुपए की अनुमानित लागत की हरोवा-कुल्तिगांग बेसिन जल निकास स्कीम (सोपान-एक) प्राप्त हुई थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा दोनों स्कीमों पर की गई टिप्पणियों के उत्तर अभी तक राज्य से प्राप्त नहीं हुए हैं।

सियालदाह प्रयाग से चलने वाली उपनगरीय रेलों में नए यात्री डिब्बे उपलब्ध करना

6142.**श्री अनिल बसु** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पूर्वी रेलवे के सियालदाह डिवीजन से चलने वाली उपनगरीय रेलगाड़ियों में यात्री डिब्बों की बुरी हालत की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिये नए यात्री डिब्बे उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कितने नए यात्री डिब्बे उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां, सियालदाह उपनगरीय सेवा में लगे सवारी डिब्बों की हालत खराब होने का कारण उनका गतायु होना नहीं बल्कि निरन्तर चोरी और गुंडागर्दी की अधिक घटनाएं इसका मुख्य कारण हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सातवीं योजना अवधि के दौरान चंपाडांगे बड़ी रेलवे लाइन (पूर्व रेलवे) का निर्माण

6143. **श्री अनिल बसु** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूर्व रेलवे में चंपाडांगे तक बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण के लिये प्राथमिकता दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) चंपाडांगा तक रेल लाइन का निर्माण हावड़ा-आमता/चंपाडांगा नयी लाइन की अमुमोदित परियोजना का एक भाग है। इस परियोजना का संतरागाछी और बड़गछिया के बीच का खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है। संसाधनों की तंगी है, इसलिए शेष कार्य धन की स्थिति में सुधार हो जाने पर शुरू किया जायेगा।

पूर्वी रेलवे की हावड़ा-बन्देल मुख्य रेल लाइन पर वैद्यवति पुल का विस्तार

6144. **श्री अनिल बसु** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा रेलवे को पूर्वी रेलवे की हावड़ा-बन्देल मुख्य रेल लाइन पर वैद्यवति पुल को चौड़ा करने के लिये अनुमानित लागत की अपेक्षित धनराशि प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो रेल विभाग द्वारा निर्धारित निर्माण कब तक पूरा किया जायेगा और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने 3.06 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में 65.80 लाख रुपये जमा कराये हैं जिसमें सर्वेक्षण की लागत भी शामिल है।

(ख) सामान्य विन्यास आरेख के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन अक्तूबर, 1985 में प्राप्त हुआ था। रेलवे टेंडर को अन्तिम रूप दे रही है और पुल के पहुंच मार्गों का निर्माण करने के लिए आनुषंगिक कार्य शुरू कर दिया है।

अस्पतालों में लिनीअर एक्सेलरेटर्स, कम्प्यूटर स्कैनर्स तथा याग लेशरों का उपयोग

6145. **श्री के० एस० राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न अस्पतालों में बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सा इलैक्ट्रानिकी उपकरणों/बीमारी पता लगाने वाले यंत्रों का प्रयोग आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न अस्पतालों में इस्तेमाल किये जा रहे "सर्जिकल याग लेशरों समेत कौन-कौन से महत्वपूर्ण चिकित्सा इलेक्ट्रानिकी मशीनें अथवा उपकरण हैं और क्या ये उपयोगी पाये गये हैं तथा यदि हां, तो किस प्रकार उपयोगी पाये गये हैं; और

(ग) देश में इस समय इस्तेमाल किये जा रहे लिनीअर एक्सेलरेटर्स, कम्प्यूटर स्कैनरों तथा याग लेशरों की संख्या कितनी है तथा उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें भविष्य में ऐसे उपकरण प्राप्त करने की अनुमति दी जा रही है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध मेडिकल इलेक्ट्रानिक उपकरणों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह मंत्रालय ऐसे उपकरणों का रिकार्ड नहीं रखता है।

विवरण

सफदरजंग अस्पताल

1. इमेज इन्टेन्सिफाइर विद टी० वी० सिस्टम
2. हार्ट एण्ड लंग मशीन
3. ई० ई० जी० एण्ड चैनल मशीन
4. अल्ट्रा सोनिक स्कैनर
5. हेमोडायलेसिस मशीन
6. ई० सी० जी० मशीन
7. डैफाबिलेटर मानीटर
8. ब्लड गैस एनालाइजर
9. एक्सरे मशीन्स
10. फीटल मानीटर
11. आडियोमीटर
12. ई० एम० जी० मशीन
13. ईको मशीन
14. लिवर स्कैन

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल

1. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन
2. ट्रीडमिल
3. एन्बुलैटरी ई० सी० जी० मानीटर
4. वेक्टोरकार्डियोग्राफी
5. इम्पीडेन्स कार्डियोग्राफ
6. कार्डिऐक मानीटर
7. प्रेसर रिकोर्डर
8. डयरिब्रिलैटर
9. इमेज इन्टेन्सिफायर

भारत जनसंख्या परियोजना-दो के अन्तर्गत विश्व बैंक वित्तीय सहायता

6146. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत जनसंख्या परियोजना-दो के लिये वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक से अनुरोध स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय जनसंख्या परियोजना-II के लिए 460 लाख डालर की राशि उपलब्ध की गई है। यह परियोजना 1.4.1980 से चलाई जा रही है।

शिपिंग डेवेलपमेंट फन्ड कमटी द्वारा विभिन्न पोत-परिवहन कम्पनियों को ऋण

6147. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिपिंग डेवेलपमेन्ट फन्ड कमेटी का ढांचा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान शिपिंग डेवेलपमेन्ट फन्ड कमेटी द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न पोत-परिवहन कम्पनियों को ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्यपोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 15 (1) के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय नौवहन विकास निधि समिति, बांड/ऋणपत्र की बिक्री पर प्राप्त होने वाली धनराशि या निधि से दिए गए ऋण के पुनर्भुगतान से वसूल की गई धनराशि/ब्याज के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/ऋण से बनाई गई नौवहन विकास निधि का संचालन करती है और इसलिए इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है।

(ख) नौवहन विकास निधि समिति द्वारा सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र की नौवहन कंपनियों को दिए ऋण का विवरण संलग्न है।

विवरण

नौवहन विकास निधि समिति द्वारा सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की विभिन्न नौवहन कंपनियों को दिए गए ऋण का विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	नौ० वि० नि० सं० द्वारा दिया गया ऋण (31-3-86 तक) (लाख रु० में)
1	2	3
	(क) सरकारी क्षेत्र	
1.	मै० भारतीय नौवहन निगम लि०	63,261.91
2.	मैसर्स मुगल लाइन लि०	11,035.93
		74,297.84
	(ख) निजी क्षेत्र	
1.	मैसर्स अफ्रीकन कं० (प्रा०) लि०	26.52
2.	मैसर्स एम्बेसेडर स्टीमशिप्स कं०	5.00
3.	मैसर्स भारत लाइन्स लि०	96.00
4.	मैसर्स कलकत्ता स्टील नेवीगेशन कं०	16.00
5.	मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स लि०	7,222.96
6.	मैसर्स दामोदर बल्क कैरियर्स लि०	3,561.63
7.	मैसर्स डेम्पो स्टीमशिप्स लि०	5,499.89
8.	मैसर्स इस्सर शिपिंग कंपनी	4,146.98
9.	मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी	6,407.43
10.	मैसर्स इंडिया स्टीमशिप्स कं० लि०	4,479.09
11.	मैसर्स इन्डोसिएनिक शिपिंग कं० लि०	241.28
12.	मैसर्स कर्नाटक शिपिंग कार्पो० लि०	368.97
13.	मैसर्स केरल शिपिंग कार्पो० लि०	389.51
14.	मैसर्स केरल लाइन्स लि०	42.82
15.	मैसर्स नीलइट शिपिंग क० लि०	291. 2
16.	मैसर्स आर० ए० जे० लाइन्स लि०	124.00
17.	मैसर्स राजकुमार लाइन्स लि०	28.00
18.	मै० रत्नाकर शिपिंग कं० लि०	4,707.02
19.	मै० साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग कं० लि०	13.00
20.	मै० साउथ इंडिया शिपिंग कार्पोरेशन लि०	2,759.91
21.	मै० सुरेन्द्र ओवरसीज लि०	4,209.13
22.	मै० सेवन सीज ट्रांसपोर्टेशन लि०	1,052.52
23.	मै० सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कं० लि०	10,517.48
24.	मै० ठाकुर शिपिंग कं० लि०	59.71
25.	मै० मंगाला बल्क कैरियर्स लि०	483.08.

1	2	3
26.	मै० दरबाशाह बी कुरशोतली एंड संस शिपिंग कं० लि०	95.28
27.	मै० तोलानी शिपिंग कं० लि०	2,037.81
28.	मै० मोरेटर लाइन्स लि०	57.00
	कुल (ख)	58,938.54
	कुल: (क)+(ख)	1,33,237.38

ऐन्टि रेबिज टीकों की कमी

6148. डा०बी०एल० शैलेशः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूरे देश में बाजारों तथा अस्पतालों में ऐन्टि रैबिज टीकों की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ह्यूमन डिप्लायूड सेल स्ट्रेन (एच०डी०सी०एस०) का पर्याप्त भंडार न केवल बाजारों, बल्कि कीमत देने पर जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में भी उलपब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या भारत में एच०डी०सी०एस० टीके का निर्माण करने के संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कहां तक इसका निर्माण कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अलर्करोधी वैक्सीन की कोई कमी सूचित नहीं की गयी है। ह्यूमन डिप्लायड सेल स्ट्रेन वैक्सीन का इस समय देश में निर्माण नहीं किया जाता है और इसका बड़ा मंहगा होने का कारण सीमित मात्रा में आयात किया जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय पास्च्यूर संस्थान, कुन्तूर ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एच०डी०सी०एस० वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए एक योजना शुरू की है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में विशेषज्ञों के रिक्त पद

6149 श्री मनोरंजन भक्तः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार के चिकित्सा विभाग में विशेषज्ञों के कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) उन दूरदराज तथा अलग-थलग क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ और चिकित्सा विशेषज्ञ का एक-एक पद क्रमशः 1-8-1985 और 5-9-1981 से खाली पड़ा हुआ है। इन विशेषज्ञों के पदों के लिए नामित व्यक्तियों ने इन पदों का कार्यभार नहीं सम्भाला। इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में सुधार करने के लिए सातवीं योजनावधि के दौरन 42 उप केन्द्र, 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के चिकित्सा विभाग में भर्ती पर प्रतिबन्ध

6150. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पदों के सृजन और उन पर भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के चिकित्सा विभाग के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से द्वीपसमूह के चिकित्सा विभाग में पदों के सृजन/भर्ती के लिए अनुमति दिये जाने के श्रेणी-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध अंडमान और निकोबार प्रशासन में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ ग्रेड के पदों को भरने पर लागू नहीं होता है।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन से 217 पदों को बनाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की इस मंत्रालय में जांच की गई है और अण्डमान और निकोबार प्रशासन से कुछ और ब्यौरा मांगा गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन शिक्षा विभाग में अध्यापकों और गैर अध्यापक कर्मचारियों की भर्ती

6151. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के शिक्षा विभाग में योजनागत और गैर योजनागत अध्यापक और गैर-अध्यापक कर्मचारियों की भर्ती पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण न केवल योजना व्यय पर ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है अपितु अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में स्कूल और कालेज शिक्षा भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है;

(ख) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने कर्मचारियों के पदों का सृजन/भर्ती करने के लिए मंजूरी मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मामले में की गई सरकार द्वारा क्या कार्यवाही का गई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पदों के सृजन रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबंध के संबंध में सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए थे। प्रतिबंध आदेशों में ढील देते हुए स्कूलों में विभिन्न पदों को सृजित करने के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन के प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई थी और अध्यापकों के 217 पदों के सृजन की संस्वीकृति 3 दिसम्बर, 1985 को जारी की गई थी।

मद्रास-तंजाऊर रेलवे लाइन पर उपरि/निचले पुलों का निर्माण

6152. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तंजाऊर नगर में मद्रास-तंजाऊर रेलवे लाइन पर उपरि/निचले पुलों के न होने से वहां दोनों रेल फाटक बार-बार बन्द करने के कारण तंजाऊर और पट्टुकुटई- मनीमगुडी-नागपट्टियनम के बीच की सड़क पर यातायात के आवागमन में बहुत विलम्ब होता है;

(ख) क्या ऐसे पुलों की व्यवस्था करने के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का पुलों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस स्थान पर सड़क यातायात को कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं होता है।

(ख) और (ग) अभी तक इस सम्बन्ध में तमिलनाडु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। रेल मौजूदा व्यस्त समपारों के स्थान पर उपरि/निचले सड़क पुलों का निर्माण लागत में हिस्सेदारी के आधार पर राज्य सरकारों/सड़क प्राधिकरणों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से करती है। इस संबंध में राज्य सरकारों को अपने हिस्से की लागत वहन करने का आश्वासन देते हुए प्रस्ताव प्रायोजित करने होते हैं।

विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों के बीच सम्बन्धों की पुनः संरचना

6153. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों के बीच सम्बन्धों की पुनः संरचना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क)और (ख) नई शिक्षा नीति को तैयार करने के सम्बन्ध में हुए विचार विमर्श में विश्वविद्यालयो तथा कालेजों के बीच रखे जाने वाले संबंधों के बारे में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। यद्यपि स्वायत्त कालेजों की योजना का सामान्यतः समर्थन किया गया है, यह भी सुझाव दिया गया है कि कालेजों की सम्बद्धता की पद्धति कुछ समयावधि में तैयार की जानी चाहिए।

स्कूलों और कालेजों में प्रार्थना के समय राष्ट्रीय गान

6154. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे देश में विभिन्न स्कूलों और कालेजों में विभिन्न प्रार्थनाएं होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी स्कूलों और कालेजों को यह निदेश देने का है कि वे प्रतिदिन प्रार्थना के समय राष्ट्रीय गान-अनिवार्य रूप से गाने के लिए कदम उठायें ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी : (क) स्कूली शिक्षा की देख-भाल और प्रबन्ध मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार समय-समय पर राज्यों को उपयुक्त परामर्श और मार्गदर्शन देती है। केंद्रीय सरकार द्वारा स्कूलों और कालेजों के लिए किसी प्रार्थना को निर्धारित अथवा उसकी सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रगान के गाए जाने के संबंध में सरकार की नीति यह रही है कि सभी स्कूलों में राष्ट्र गान का सामूहिक गायन प्रत्येक दिन होना चाहिए। केरल के दो मामले हाल ही में सरकार के ध्यान में आए हैं जहां स्कूल के बच्चों द्वारा राष्ट्र गान नहीं गाया जा रहा था। पहले मामले में राष्ट्रगान का गाया जाना उस समय पुन: शुरू कर दिया गया जब स्कूल प्राधिकारियों को स्थिति की गंभीरता स्पष्ट की गई थी। दूसरे मामले में कुछ स्कूली बच्चों ने राष्ट्रगान को गाने से इस आधार पर इनकार कर दिया था कि उनके धर्म में इसकी मनाही है। राज्य सरकार ने उन अभिभावकों में से एक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है, जिसने राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के प्रति अपमान की रोकथाम के अन्तर्गत राष्ट्र गान को गाने से इन छात्रों को छूट देने के लिए आग्रह किया था।

[हिंदी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वृक्ष लगाने का कार्यक्रम

6155. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वृक्ष लगाने सम्बन्धी कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) जी, नहीं। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य की सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाने का दायित्व राज्य के वन विभाग का है जो अपने कार्यक्रम के अनुसार यह काम कर रहा है।

[अनुवाद]

रेल में साथ में सामान न ले जाने देना

6156. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल गाड़ियों में स्थानीय पास धारकों को 15 कि० ग्राम भार तक का सामान ले जाने की सुविधा प्राप्त नहीं है जैसे कि दिसम्बर, 1985 से पूर्व थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) बिना बुक कराये सामान ले जाने के कारण रेलवे राजस्व की चोरी को रोकने के लिए चार क्षेत्रीय रेलों ने 1-2-1986 से मासिक सीज़न सामान टिकट जारी किये हैं जिस पर एक यात्री को 60 कि० ग्रा० तक सामान ले जाने की अनुमति है। मासिक सीजन टिकटधारियों को, जो मासिक सामान टिकट नहीं खरीदते थे, एक थैले, एक छाते और एक टिफिन बाक्स को छोड़कर उन्हें किसी प्रकार का सामान ले जाने की अनुमति नहीं थी। तथापि मामले पर पुन: विचार किया गया था और दूसरे दर्जे में 10 कि० ग्रा० तथा पहले दर्जे में 15 कि० ग्रा० सामान ले जाने की अनुमति देने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में जांच

6157. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के संबंध में हुई अनियमितताओं की जांच के आदेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और जिम्मेदार ठहराए गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रिपोर्ट अभी हाल में प्राप्त हुई है और मंत्रालय में इसकी जांच की जा रही है।

उड़ीसा सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा आदि के लिए अतिरिक्त धन की मांग

6158. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी } : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और सुधार के लिये तथा स्कूलों के लिये भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त धन की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण करने के उपाय

6159. **श्री के० एस० राव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनेक संरक्षित स्मारक हैं और यदि हां तो उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों ने इन स्मारकों की भूमि पर कब्जा कर लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या कुतुब मीनार, लालकिले और हुमायूं के मकबरे की नींव प्राकृतिक कारणों से अथवा मानव जनित कारणों से जैसे प्रदूषण और कालोनी बनाना, किसी प्रकार से प्रभावित हुई है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली में संरक्षित स्मारकों, विशेष रूप से कुतुब मीनार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। दिल्ली में केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारको की सूची सलग्न है (**विवरण-1**)

(ख) स्मारकों के अधिक्रमण के मामले हैं। उनका ब्यौरा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदमों का विवरण संलग्न है। (**विवरण-2**)

(ग) जी, नहीं।

(घ) स्मारकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं।

(1) नियमित रूप से मरम्मत और अनुरक्षण करने के लिए इन स्मारकों में अनुभव प्राप्त तथा प्रशिक्षित संरक्षण स्टाफ तैनात किया गया है

(2) निरंतर सतर्कता रखने के लिए नियमित पहरा और निगरानी स्टाफ तैनात किया गया है।

(3) दिल्ली मंडल से सम्बद्ध एक सुरक्षा अधिकारी इन स्मारकों की सुरक्षा का निरीक्षण करता है।

(4) आस-पास की वायु में प्रदूषकों के स्तर को मापने के लिए वायु अनुश्रवकों की स्थापना और प्रभावित क्षेत्रों की आवधिक रासायनिक सफाई की व्यवस्था।

(5) स्मारक परिसरों में पर्यावरण और घास के मैदानों का विकास। विशेषकर कुतुब मीनार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) एक वरिष्ठ संरक्षण सहायक और सुरक्षण फोरमैन तथा रखवाला (केअर टेकर) का कुतुब में रहना। उपरोक्त स्टाफ के साथ पहरा और निगरानी स्टाफ तथा महत्वपूर्ण स्थलों पर तैनात परिचर हैं।

(ii) मुख्यालय कार्यालय के महानिदेशक और निदेशक (संरक्षण) तथा मंडल स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण।

(iii) कुतुब परिसर में सभी स्मारकों की नियमित मरम्मत।

(iv) कुतुब परिसर के बाहर महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा बत्तियों का प्रावधान।

विवरण-1

दिल्ली में केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र० सं०	स्थान	संरक्षित स्मारक का नाम
1	2	3
1.	अधचीनि	दुर्ग, जहां जहांपनाह की दीवार राय पिथौरा के किला की दीवार से मिलती है।
2.	—वही—	राय पिथौरा के किले का प्राचीर और द्वार पथ
3.	अलीगंज	संगमरमर गुम्बद जो नवाब बहादुर जाविद खां का माना जाता है।
4.	बाबरपुर	लाल बंगला
5.	बाबरपुर राजिदपुर	खैर-उल-मजिल
6.	—वही—	मुगल मील-पत्थर का कोस मीनार
7.	—वही—	शेरशाह की दिल्ली का मोरी गेट
8.	बेगमपुर	बेगमपुरी मस्जिद
9.	चौकरी मुबारकबाद	नजफगढ़ झील जलमार्ग के निकट पुल चादर मुगल जल मार्ग
10.	चिराग दिल्ली	लाल गुम्बद
11.	—वही—	बहलोल लोधी
12.	—वही—	अजमेरी गेट
13.	—वही—	अलीपुर कब्रिस्तान
14.	—वही—	फिरोजाबाद में अशोक का स्तम्भ
15.	—वही—	बारा खम्बा कब्रिस्तान
16.	—वही—	छतबुर्जी
17.	—वही—	किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास डी-एरेमाओ कब्रिस्तान
18.	दिल्ली	दिल्ली किला अथवा लाल किला : नौबत-खाना, दीवान-ए-आम, मुमताज महल, रंगमहल, बैठक, मुसामम बुर्ज, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद सावन, भादों, शाह बुर्ज, हमाम जिनके चारों ओर बगीचे, पथ, चबूतरे और नाले हैं।
19.	—वही—	दिल्ली गेट
20.	—वही—	अहाता जिसमें लेफ्टीनेंट एडवर्ड और अन्य लोगों की कब्रें हैं जिनकी 1857 में हत्या कर दी गई थी।
21.	—वही—	नजफखान के मकबरे का अहाता जिसमें मकबरा शामिल है, के साथ अहाता दीवार
22.	—वही—	ध्वज दंड टावर

1	2	3
23.	दिल्ली	जंतर-मंतर
24.	—वही—	कश्मीरी गेट और कश्मीरी गेट के दोनों ओर नगर दीवार का भाग अर्थात् एक तरफ मोरी गेट से कश्मीरी गेट और दूसरी ओर दीवार के उत्तरी कोने तक जिनमें पानी की बुर्ज और नगर दीवार जहां से आरक्षित है के बाहर की खाई भी शामिल है।
25.	—वही—	कोटला फिरोजशाह, फिरोजबाद, शेष दीवारों, बुर्जों और द्वारों तथा बगीचों, पुरानी मस्जिद, और कूआं तथा इसके अन्दर सभी ध्वस्त भवन।
26.	—वही—	लाल दरवाजा, शेरशाह की दिल्ली की बाहर की दीवार का उत्तरी दरवाजा
27.	—वही—	लोदी रोड का कब्रिस्तान
28.	— वही—	कुदसिया बाग में मस्जिद
29.	—वही—	पुराने तार भवन, कश्मीरी गेट के सामने सैन्य-विद्रोह तार स्मारक
30.	—वही —	निकलसन (या कश्मीरी गेट) कब्रिस्तान
31.	—वही—	कश्मीरी गेट के बाहर निकलसन की मूर्ति
32.	—वही—	रिज के ऊपर पुरानी बोली
33.	—वही—	कुदसिया बाग का प्राचीन प्रवेश तोरण
34.	—वही—	पीरछैब
35.	—वही—	शहरी दीवारका भाग जिसके निकट 14 सितम्बर, 1857 को ब्रिगेडियर जनरल जान निकलसन को प्राणघातक चोट लगी थी।
36.	—वही—	रोशनआरा बाग में पंजाबी गेट
37.	—वही—	पुराना किला (इन्द्रपथ) अथवा दिल्ली शेरशाही जिसके साथ इसकी सभी दीवारें, मेहराबें, तोरण और बुर्ज और बाग, शेरशाह की मस्जिद (किला कोहना मस्जिद), शेर मंडल और भूमि के भीतर के मार्ग के प्रवेश द्वार
38.	—वही—	राजपुर (अथवा सैन्य विद्रोह) कब्रिस्तान
39.	—वही—	डाकघर के पास पुराने शस्त्रादि के गोदाम के बचे हुए तोरण और उनके साथ लगे हुए भवन
40.	—वही—	शेरशाह का द्वार और उसके साथ लगी हुई पर्दा दीवारें, बुर्ज और इसके सामने वाली इमारत की दोहरी लाइन के अवशेष
41.	—वही—	दिल्ली किले के पास सुनहरी मस्जिद

1	2	3
42.	दिल्ली	किशनगंज पर हुए आक्रमण में मारे गए कैप्टन मेक-बार्नेट और अन्य का मकबरा
43.	—वही—	अजमेरी गेट के बाहर गाजिउद्दीन खां का मकबरा
44.	—वही—	रोशनारा का मकबरा और बारहदरी
45.	—वही—	रजिया बेगम का मकबरा
56.	—वही—	सफदरजंग का मकबरा (मिर्जा मुकिम मंसूर अली खां) और इससे संलग्न सभी दीवारें, तोरण और बाग और बागों के पूर्वी ओर स्थित मस्जिद
47.	—वही—	दिल्ली-करनाल सड़क पर त्रिपोलिया गेट
48.	—वही—	उग्गर सैन की बौली
49.	गट्टोसराय	दरिया खां का मकबरा
50.	गियासपुर	बौली
51.	—वही—	छोटा बादशा
52.	—वही—	अमीर खुसरो का मकबरा
53.	—वही—	मिर्जा मुजफ्फर का मकबरा जिसे बड़ा बातशा कहा जाता है
54.	—वही—	निजामुद्दीन औलिया का मकबरा
55.	—वही—	अज्ञात मकबरा
56.	हौजखास	हौजखास में भवनों का समूह, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—
		1. (4) और (11) के बीच का दालान
		2. (11) के उत्तर की ओर तथा (ए) तक के सभी ध्वंसित भवन और दालान
		3. गुंबज वाला भवन तथा (1) के दक्षिण में इसका प्रागंण
		4. (11) के पश्चिम में गुंबज वाला भवन
		5. (11) और (2) के पूर्व में पांच छतरी
		6. (7) के पूर्व में पुराना कब्रिस्तान
		7. (5) के उत्तर में पुराना दरवाजा
		8. (3) से पूर्व की ओर जाती हुई पुरानी दीवार
		9. ध्वंय आंगन और इसका दालाज जिसके साथ (10)के उत्तर-पश्चिम में गुंबज वाला भवन है
		10. (7) के उत्तर पश्चिम में तीन छतरी
		11. फिरोज शाह का मकबरा
		12. उपर्युक्त स्मारकों के चारों ओर 2.23 एकड़ भूमि

1	2	3
57.	हुमायूं पुर	एक मस्जिद सहित बाग-ए-आलम गुम्बद
58.	—वही—	काली गुमटी
59.	—वही—	तुहफेवाला गुम्बद
60.	इन्द्रापट	अरब सराय
61.	अरब सराय के पास	अरब सराय का दरवाजा जिसके उत्तर में पुराना किला है।
62.	—वही—	अरब सराय का दरवाजा जिसके पूर्व में हुमायूं का मकबरा है।
63.	—वही—	अरब सराय और आबादी बाग बु-हालिमा के शेष द्वारा
64.	इन्द्रापट इस्टेट	लककड़वाला मकबरा
65.	—वही—	सुन्दरवाला बुज
66.	—वही—	सुन्दरवाला महल।
67.	कालू सराय	विजय मंडल जिसके आस-पास गुम्बद, भवन और दालान हैं।
68.	खैरपुर	उपागमनों सहित लोधी पुल
69.	—वही—	मस्जिद इसके दालान और आंगन तथा बड़ा गुम्बद
70.	—वही—	मुहम्मद शाह का मकबरा जिसे मुबारिक खान का गुम्बद कहा जाता है
71.	—वही—	सिकन्दर लोधी का मकबरा इसकी अहाता दीवारें और बुर्जे, दरवाजे और प्रांगण
72.	—वही—	शीश गुबंज कहा जाने वाला अज्ञात मकबरा
73.	खरेड़ा	दंडी अथवा पोती का गुंबज
74.	—वही—	बारा खम्बा
75.	—वही—	बेरान का गुम्बद
76.	—वही—	बीवी अथवा दादी का गुम्बद
77.	—वही—	चोर मीनार
78.	—वही—	छोटी गुमटी
79.	—वही—	ईदगाह
80.	—वही—	नीली मस्जिद
81.	—वही—	सकरी गुमटी
82.	खिर्की	खिर्की मस्जिद
33.	—वही—	सत पुल्ला

1	2	3
84.	खिर्की	युसुफ कातल का मकबरा
85.	महरौली	जहाज महल
86.	—वही—	शम्सी ताल्लब के नाम से प्रसिद्ध मस्जिद और उसके साथ दोनों प्रवेश द्वार
87.	—वही—	मोती मस्जिद
88.	—वही—	बहादुर शाह द्वितीय का महल उर्फ लाल महल कुतुब पुरातत्वीय क्षेत्र जैसा अब घेरे में लिया गया है जिसमें मस्जिद, लौह-स्तम्भ, कुतुब-उद्दीन की मीनार, अधूरी मीनार, सभी खम्भों की पक्तियां, पर्दा मेहराब अल्तमश का मकबरा, अल्ला-उद्दीन के कालेज भवन, इमाम जुमीन का मकबरा और उक्त क्षेत्र में तराशे हुए पत्थर और उनके साथ बाग, रास्ते और जल के मार्ग और सभी तोरण जिनमें अलाई दरवाजा भी शामिल है, इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में सभी कब्रें
90.	—वही—	आधम खां का मकबरा
91.	—वही—	मौलाना जमाली कमाली का मकबरा और मस्जिद
92.	—वही—	वाल मस्जिद
93.	—वही—	आदम खां के मकबरे के सोहन गेट से लालकोट की दीवारें और राय पिथौरा का किला जिनमें वह खाई भी शामिल है जहां बाहरी दीवार है
94.	—वही—	जमाली कमाली की मस्जिद की दीवारें जहां साथ मिलती है वह स्थल
95.	—वही—	राय पिथौरा का किला जिसमें बाग नजीर के पास ध्वस्त द्वार से कुतब तुगलकाबाद रोड के ठीक उत्तर के बुर्ज तक दरवाजे और बुर्ज शामिल हैं
96.	मोठ की मस्जिद	मोठ मस्जिद
97.	मुबारकपुर कोटला	मुबारकपुर कोटला के दरवाजे और दीवारें
98.	—वही—	इंचला वाली गुमटी
99.	—वही—	काला गुम्बद
100.	—वही—	बड़े खां और छोटे खां के मकबरे
101.	—वही—	मुबारिक शाह का मकबरा
102.	—वही—	मुबारिक शाह के मकबरे से सम्बद्ध मस्जिद
103.	—वही—	भूरे खां का मकबरा

1	2	3
104.	मुहम्मदपुर	तीन बुर्जी वाला गुम्बद
105.	—वही—	अनामित मकबरा
106.	मुनीरका	बावली
107.	—वही—	मुंडा गुम्बद
108.	—वही—	अनामित मस्जिद
109.	—वही—	अनामित मकबरा
110.	—वही—	—वही—
111.	—वही—	—वही—
112.	—वही—	अनामित मकबरा
113.	—वही—	वजीरपुर का मकबरा
114.	निजामुद्दीन	अफसर वाला की मस्जिद इसके दालान और खरंजा डला हुआ आगंन
115.	—वही—	बारा खम्भा
116.	—वही—	बारापुलवाला पुल
117.	—वही—	चौसठ खम्भा अथवा मिर्जा अजीज कोकालतोश का मकबरा
118.	—वही—	जहानारा बेगम कब्र
119.	—वही—	मिर्जा जांगीर की कब्र
120.	—वही—	मुहम्मदशाह की कब्र
121.	—वही—	हुमायूं का मकबरा, इसका चबूतरा, बगीचे, आहाता दीवारें तथा दरवाजे
122.	—वही—	नीला गुम्बद
123.	—वही—	नीली छतरी और सन्जा बुर्ज
124.	—वही—	उफसरवाला का मकबरा
125.	—वही—	अतगाह खान का मकबरा
126.	—वही—	ईसा खान का मकबरा, इसकी चारों ओर की दीवार और कंगूरे, बगीचे, द्वार तथा मस्जिद
127.	—वही—	खान-ए-खानन का मकबरा
128.	—वही—	रेलवे स्टेशन के पास तीन गुम्मदों वाला मकबरा
129.	पुराना कुसक	शिकारगाह
130.	पी पलथला	बदली-की-सराब का द्वार
131.	सराय शाहजी	शेख कबीर-उद्दीन का मकबरा जिसे रकाबवाला गुम्बद भी कहते हैं

1	2	3
132.	शाहपुर जट	दीवार की ध्वंस रेखा, बुर्ज और सररी के द्वार
133.	— वही—	सीरी के आंतरिक भवन :— (1) मोहमदी वली मस्जिद (2) मस्जिद जिसका स्थानीय नाम मुखदम्की है (3) थानेवाला गुम्बद
134.	तुगलकाबाद	नाई-का कोट
135.	—वही	ग्यासुद्दीन का मकबरा, दीवारें, बुर्ज, द्वार और सेतुमार्ग जिनमें दाद खां का मकबरा भी शामिल है
136.	—वही—	तुगलकाबाद के पुराने शहर की दीवारें
137.	—वही—	तुगलकाबाद किले के दोनों प्रकार के भीतरी और बाहरी दुर्गों की दीवारें, तोरण, बुर्ज और आंतरिक भवन
138.	—वही—	आदिलाबाद (मुहम्मदाबाद) की दीवारें, द्वार और बुर्ज और तुगलकाबाद से वहां तक पहुंचने वाले सेतुमार्ग
139.	बजीराबाद	पुल
140.	—वही—	मस्जिद
141.	—वही—	मकबरा
142.	बहापुर	अशोक के समय की शिलाओं पर आदेश
143.	लाढा सराय	मेरी मस्जिद
144.	—वही—	मस्जिद और छतरी के साथ राजों की बैन
145.	लाडो सराय	बदाऊ गेट
146.	—वही—	लालकोट का द्वार
147.	—वही—	राय पिथौरा के किले और जहानपंथ की दीवार का वह स्थल जहां दोनों मिलते हैं
148.	मलिकपुर कोही	सुलतान घारी का मकबरा
149.	महरौली	बावली, निम्नमजन कुंआ
150	—वही—	अहाता जिसमें शाह आलम बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय और अकबर शाह द्वितीय के मकबरे हैं
151.	—वही—	केंद्रीय लाल पत्थर पंडाल के साथ हौजशम्सी
152.	—वही—	लोह स्तम्भ, हिंदू अवशेष
153.	पालम	प्राचीन मस्जिद
154.	शालीमार बाग ग्राम हैदरपुर	शीशमहल
155.	रिदगे	अशोक स्तम्भ

विवरण-2

स्मारकों की भूमि पर अवैध कब्जे की सूची और किए गए उपचारात्मक उपायों का विवरण :

क्र० सं०	स्मारक का नाम	अवैध कब्जों का स्वरूप	किए गए उपचारात्मक उपाय
1	2	3	4
1.	काश्मीरी गेट	(1) शहरी दीवार के साथ दिल्ली नगर निगम के शौचालय खण्ड बना हुआ है ।	यह मामला दिल्ली नगर निगम के साथ उठाया गया था जो शौचालय खण्ड को हटाने के लिए सहमत हो गया है।
		(2) स्मारक की भूमि पर कुश्ती के लिए अखाड़ा बनाया गया है जिस पर कब्जा छोटी संरचनाओं को हटा कर किया गया है ।	यह मामला दिल्ली नगर निगम के साथ उठाया जा रहा है । उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे उक्त क्षेत्र से सभी कब्जे हटा दें ।
2.	राजपुर कब्रिस्तान	कब्रिस्तान के भीतर और उसके चारों ओर संरक्षित भूमि पर निजी पार्टियों ने रिहायशी मकान बना कर काफी अवैध कब्जा किया हुआ है ।	यह मामला भूमि और भवन विभाग से उठाया गया है जो अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए सहमत हो गया है ।
3.	पुराना किला	श्री मांगे राम भारद्वाज ने पुराना किला के भीतर कुन्ती देवी मन्दिर के चारों ओर की भूमि पर कब्जा किया हुआ है और उसने मन्दिर के चारों ओर अस्थायी मकान बना लिया है ।	एक सिविल मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
4.	सिरी किला	(1) शाहपुर जट गांव के निवासियों ने अपने मकान सिरी किला की दीवार तक बना लिए हैं	अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार कर ली गई है और मामला दि० वि० प्रा०

1.	2	3	4
		(2) किले की जमीन पंचशील सोसायटी विद्यालय को आबंटित की गई है।	मामला दि० वि० प्रा० के साथ उठाया गया है और यह मामला उनके पास ही अनिर्णीत पड़ा है।
		(3) किले की जमीन गार्गी कालेज को आबंटित की गई है।	मामला दि० वि० प्रा० के साथ उठाया गया है और यह मामला उनके पास अनिर्णीत पड़ा है।
5.	कुतब पुरातत्व क्षेत्र	सेंट जोहन गिरजाघर के पास स्मारक की भूमि पर कुछ अवैध रिहायशी मकान बनाए गए हैं।	अवैध निर्माण को दि० वि० प्रा० के विध्वंस दस्ते में हटा दिया था किंतु यह निर्माण फिर कर लिया गया है। इन्हें हटाने की कार्रवाई के लिए दि० वि० प्रा० से लिखा-पढ़ी की जा रही है।
6.	बेगमपुरी मस्जिद	स्मारक की भूमि पर बेगमपुर के ग्रामवासियों ने कब्जा कर लिया है।	अवैध दखलकारों को हटाने के लिए कार्रवाई के लिए दि० वि० प्रा० से लिखा पढ़ी की जा रही है।
7.	विजय मंडल	कालू सराय के ग्रामवासियों ने स्मारक की भूमि पर कब्जा कर लिया है।	एक दीवानी मामला स्थानीय न्यायालय में चल रहा है।
8.	भूरे खां का मकबरा एन० डी० एस० ई० पार्ट-1	ग्रामवासियों ने स्मारकों की भूमि का अतिक्रमण कर लिया है।	स्थानीय न्यायालय में कानूनी मामला दायर किया गया है और मामला न्यायालय में चल रहा है।
9.	मुबारक शाह के मकबरे से सम्बद्ध मस्जिद	ग्रामवासियों ने स्मारक की भूमि पर आवासीय मकान बना लिए हैं।	मामले की पुलिस को रिपोर्ट की गई जो अवैध निर्माण को गिराने के लिए सहमत हो गई है।

1.	2	3	4
10.	बाराखम्बा	स्मारक पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया है।	मामला दि० वि० प्रा० को भेजा गया है जो अवैध दखलकारों को हटाने के लिए सहमत हो गया है।
11.	लाल गुम्बद चिराग दिल्ली	कुछ लोगों ने स्मारक में आधुनिक निर्माण किया है और इस पर कब्जा कर लिया है।	अवैध दखलकारों को हटाने तथा आधुनिक निर्माण को गिराने के लिए स्थानीय पुलिस और दिल्ली प्रशासन से सहायता मांगी जा रही है।
12.	कुदसिया बाग में मस्जिद	कुछ अनधिकृत लोगों ने स्मारक पर कब्जा कर लिया है।	एक दीवानी मामला स्थानीय न्यायालय में चल रहा है।

कर्नाटक में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम

6160. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर
श्री नरसिंह सूर्यवंशी } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान कर्नाटक में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के लिये कितनी राशि दी गई है;

(ख) इस कार्यक्रम को कितने जिलों में लागू किया गया है;

(ग) शेष जिलों में इस कार्यक्रम को कब तक लागू किया जायेगा;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विशेषकर कर्नाटक के निर्माण क्षेत्रों में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

युवा कार्य तथा खेल और महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) कर्नाटक में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के लिए 1985-86 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता नीचे दर्शाई गई है :—

(i) समेकित बाल विकास सेवा अनुदान	590.04 लाख रुपये
(ii) समेकित बाल विकास सेवा प्रशिक्षण अनुदान	36.53 लाख रुपये
(iii) समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं को सप्लाई की गई औषधियों के आई० डी० पी० एल० को दी गई धनराशि	29.49 लाख रुपये
	656.06 लाख रुपये

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के लिए एक तालुक यूनिट होता है और शहरों में गन्दी बस्ती/बार्ड होता है, और जिला नहीं। 1985-86 तक समेकित बाल विकास सेवा में 81 तालुक और शहरी गन्दी बस्तियों/वार्डों में 5 परियोजना क्षेत्र शामिल किये गए थे। कार्यक्रम का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है। सारे राज्य को शामिल करने के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार द्वारा जिन समस्याओं के बारे में बताया गया है वे हैं— आंगनबाड़ियों के लिए आवास और खाना पकाने का इन्धन उपलब्ध न होना, तथा समुदाय सहभागिता का अभाव। इन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वे हैं—(1) नगर निगम प्राधिकारियों के आवास प्राप्त करने के प्रयास करना, तैयार-खाना का प्रयोग तथा समुदाय को कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रयास करना।

दहेज के मामलों के पंजीकरण के लिए महिला संगठनों को मान्यता देना

6161. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत दहेज के मामलों के पंजीकरण करने और इसके उपबन्धों के कार्यान्वयन में अधिकारियों को सहायता देने के लिये महिला संगठनों को मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी महिला संगठनों को ऐसी ही मान्यता दी जायेगी ?

युवा कार्य तथा खेल और महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में निम्नलिखित महिला स्वयंसेवी संगठनों को न्यायालयों में जहां मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मैजिस्ट्रेट से कम न हो, दहेज अपराध के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिये मान्यता प्रदान की गई है :—

(1) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन

(2) महिला दक्षता समिति

(3) गिल्ड आफ सर्विस

(4) भारतीय ग्रामीण महिला संघ

(ग) जी, हां।

[हिन्दी]

चित्तौड़गढ़ किले का संरक्षण

6162. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले को पुरातत्वीय दृष्टिकोण से एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां के निवासियों पर, जो वहां काफी समय से रह रहे हैं प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप वे अपने आवासों की मरम्मत नहीं कर सकते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस किले में रह रहे लोगों को उनके मूल निवास स्थानों से हटाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या किले से हटाये जाने के बाद उनको पुनर्वास के लिये मुआवजा तथा भूमि दी जाएगी और यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) वहां रहने वालों पर अपने मकानों की मरम्मत करने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उदयपुर और दिल्ली के बीच उड़ानों में सीटों की कमी

6163. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रियों को उदयपुर से दिल्ली और दिल्ली से उदयपुर के बीच उड़ानों में सीटें नहीं मिलती और उन्हें कई दिन तक प्रतिक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उदयपुर के एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र होने के कारण लोग बड़ी संख्या में ग्रुपों में यहां आते हैं और ग्रुपों को अपनी सीटें काफी समय पहले आरक्षित करवानी होती हैं; जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों और स्वदेशी पर्यटकों को बहुत परेशानी होती है और हवाई जहाज के टिकट नहीं मिले पाते;

(ग) क्या यात्रियों की परेशानी को दूर करने के लिये दिल्ली और उदयपुर के बीच सप्ताह में सभी दिन सीधी बोइंग सेवा चलाने का विचार है;

(घ) क्या उदयपुर में रात के समय विमानों के उतरने की सुविधा नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुविधा वहां पर कब तक उपलब्ध की जायेगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स पहले ही दिल्ली/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/औरंगाबाद बम्बई मार्ग पर एक दैनिक बी-737 सेवा का प्रचालन कर रही है। इण्डियन एयरलाइन्स ने 18 नवम्बर, 1985 से दिल्ली और उदयपुर के बीच सप्ताह में तीन एच एस-748 सेवा का प्रचालन भी शुरू कर दिया है।

(घ) और (ङ) उदयपुर में सीमित रात्रिकालीन अवतरण सुविधाएं उपलब्ध हैं। उदयपुर में वर्तमान रात्रि अवतरण सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं प्रगति पर हैं :—

(1) मध्यम तीव्रता वाली धावनपथ प्रकाश व्यवस्था को उच्च तीव्रता वाली धावनपथ प्रकाश व्यवस्था में बदलना।

(2) 3–बार वासीस; और

(3) पहाड़ों पर प्रतिरोधक प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था। कार्य के वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

राजस्थान में कार्यरत एकीकृत बाल विकास सेवा एककें

6164. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितनी एकीकृत बाल विकास सेवा एककें कार्य कर रही है और चित्तौड़गढ़ जिले में कितनी एककें कार्य कर रही है;

(ख) क्या इन एककों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य तथा खेल और महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) वर्ष 1985-86 तक राजस्थान के लिये 55 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिन में से 2 चित्तौड़गढ़ जिले में हैं। 1986-87 के दौरान राजस्थान के लिए 8 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली/लखनऊ द्वारा परियोजना स्तरीय कर्मचारियों को 2 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। मध्य स्तरीय कर्मचारियों अर्थात् पर्यवेक्षकों को गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा 3 मास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य में अनेक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है । इनको 3 मास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में वायुदूत सेवा

6165. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वायुदूत" का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आंध्रप्रदेश में अपनी सेवा का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के दौरान, किन-किन स्थानों के लिये यह सेवा आरम्भ की जायेगी; और

(ग) तत्पश्चात् किन-किन स्थानों के लिये यह सेवा आरम्भ की जायेगी और इस सम्बन्ध में विशेषकर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये, क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सातवीं योजना अवधि से आगे के लिए वायुदूत सेवाओं के विस्तार के लिए कोई योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं।

केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में कथित भ्रष्टाचार

6166. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध चिकित्सा अनुसंधान परिषद् आयुर्वेद तथा सिद्ध चिकित्सा में अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय है;

(ख) इस संस्थान के निदेशक तथा परिषद् के निदेशक की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है और उनकी सेवाएं प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी मामलों में संगठन की प्रगति के अनुरूप न होने की स्थिति में उन्हें किस प्रकार हटाया जाता है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में भ्रष्टाचार के बारे में 26 दिसम्बर, 1985 के "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है और क्या इससे उन उद्देश्यों पर जिनके लिए इस परिषद् की स्थापना की गई थी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) संस्थानों के निदेशक और परिषद् के निदेशक की नियुक्ति विविधत गठित चयन समितियों/ विभागीय प्रोन्नति समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रख कर शासी निकाय द्वारा अनुमोदित इन पदों के भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है। इन संस्थानों के निदेशकों के संबंध में परिषद् के शासी निकाय का अध्यक्ष, नियोक्ता प्राधिकारी होता है। परिषद् के निदेशक की नियुक्ति, परिषद् के शासी निकाय द्वारा, परिषद् के उपनियमों के अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद की जानी होती है। केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम इस परिषद् के कर्मचारियों पर लागू होते हैं और किसी नियम अथवा कार्य-विधि का उल्लंघन करने लिए अथवा किसी अनियमितता के लिए इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) परिषद् ने, 26 दिसम्बर, 1985 के "जनसत्ता" समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में निहित आरोपों की जांच की है। अधिकांश आरोप अस्पष्ट और मामूली हैं। जहां तक विशेष मामलों का संबंध है, जांच से यह पता चला है कि प्रथमतः इनमें कोई अनियमितताएं नहीं बरती गई हैं।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् में भर्ती

6167. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् पर किस किस्म का नियंत्रण है;

(ख) परिषद् के निदेशक की किस प्रकार नियुक्ति की जाती है तथा क्या केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् के लिए शासी निकाय होने के बावजूद नियुक्ति पर सरकार से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है;

(ग) परिषद् में तकनीकी व्यक्ति की नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों या अन्य कारणों के फलस्वरूप अयोग्य पाये गये व्यक्तियों को हटाने के मामले में संस्थागत व्यवस्था क्या है; और

(घ) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान निदेशक अथवा उसके समान पदों पर नियुक्त किये गये कुछ अधिकारियों को उनके कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के पश्चात् अनुपयुक्त पाया गया था और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस परिषद् के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रखता है। यह परिषद् सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत एक स्वायतशासी निकाय है। इस मंत्रालय का परिषद् के शासी निकाय और स्थायी वित्त समिति दोनों में पर्याप्त रूप से

प्रतिनिधित्व है। भारत सरकार को इस परिषद् के लिए निदेशक जारी करने की शक्ति है। परिषद् मंत्रालय के माध्यम से संसद के समक्ष रखने के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करती है।

(ख) परिषद् के निदेशक की शासी निकाय द्वारा परिषद् के नियमों और विनियमों तथा उपनियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से नियुक्त किया जाता है।

(ग) परिषद् में तकनीकी व्यक्तियों की भर्ती परिषद् के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है। इस समय परिषद् के कर्मचारियों पर भारत सरकार के केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण), नियंत्रण एवं (अपील) नियम लागू होते हैं।

(घ) इस परिषद् के निदेशक को 31 मई, 1982 (अपराह्न) से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। उन्हें परिषद् के अध्यक्ष के आदेशों पर 14 दिसम्बर, 1984 (अपराह्न) को केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद) दिल्ली के निदेशक के अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। इस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है।

आयुर्वेद संस्थानों/केन्द्रों के शीर्ष पदों पर गैर-आयुर्वेदिक व्यक्ति :

6168. **श्री धर्मपाल मलिक** : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेद में अनुसंधान करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जाती है और केन्द्रीय आयुर्वेद और अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत चलाये जा रहे अनुसंधान कार्य के लिए कितने संस्थान केन्द्र कार्य कर रहे हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि आयुर्वेद के प्रमुख संस्थानों/केन्द्रों के शीर्ष पद पर गैर-आयुर्वेदिक व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और क्या इससे आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान की प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ता है?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। 1985-86 के दौरान केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् को 4.19 करोड़ रुपये की धनराशि भुगतान की गई थी। इस परिषद् के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों में 6.27 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इस परिषद् के अधीन इस समय 106 संस्थान/केन्द्र/यूनिट/सहायता-अनुदान इन्क्वारीज कार्य कर रही हैं।

(ख) जी, नहीं। भारतीय कायचिकित्सा संस्थान, पटियाला नामक केवल एक बड़ा संस्थान ही इस समय एक गैर-आयुर्वेदिक व्यक्ति के नियंत्रण में कार्य कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस संस्थान के अध्यक्ष के लिए निदेशक (आयुर्वेद)/सहायक निदेशक (आयुर्वेद) के पद पर एक अधिकारी की नियुक्ति लम्बित पड़ी है जिसके लिए भर्ती संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

मोटर वाहन अधिनियम संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट

6169. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर वाहन अधिनियम 1939 के उपबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकार द्वारा

गठित कार्यदल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या निर्णय लिये गये हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी हां।

(ख) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की व्यापक समीक्षा में कार्य समूह की रिपोर्ट में की गई बड़ी सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं;

(i) अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्राज्य परमिटों जैसे केवल दो श्रेणियों के सुझाव द्वारा माल वाहनों के परमिटों की बहुसंख्यता का समापन।

(ii) बसों के आल इण्डिया टूरिस्ट परमिटों के लिए संशोधित योजना जहां कि परमिट धारक परिचालन के लिए बिना प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता के तथा एकल बिन्दुकराधान की सुविधा सहित कम से कम पाँच राज्यों का चयन कर सकता है जिसमें उसका अपना राज्य भी शामिल है।

(iii) नई स्कीमों जैसे किराये पर वाहन लेने की प्रणाली पट्टा-करार पर वाहन लेने आदि का समावेश।

(iv) वाहनों की नई श्रेणियों जैसे-मिनी बसें, मैक्सी कैब, कैम्पिग ट्रेलर/वैन, प्राइवेट सर्विस वाहन, ट्रेक लैस ट्रोली इत्यादि को शामिल करना।

(v) परमिट स्वीकृत करने की कार्य पद्धति को आसान बनाना जैसे माल वाहनों तथा कान्ट्रैक्ट गाड़ियों के परमिटों की आरम्भिक राज्य-वार स्वीकृति तथा सभी प्रकार के परमिटों का स्वत: ही नवीकरण और पांच वर्षों के लिए उनकी एक-रूप वैधता।

(vi) ड्राइविंग लाइसेंसों का किसी मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण स्कूल में तीन माह के प्रशिक्षण द्वारा सख्त एवं व्यापक परीक्षण के पश्चात् शिक्षार्थी लाइसेंस के आधार पर जारी किया जाय। ड्राइवर लाइसेंस के प्रत्येक नवीकरण के साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र। चालक का फिर से परीक्षण यदि वह किसी घातक दुर्घटना से संबंधित है। विश्वस्त चिकित्सा अधिकारी एवं अधिकारी के उत्तरदायित्व की व्यवस्था जो ड्राइविंग टैस्ट ले सकें।

(vii) सड़क सुरक्षा एवं वायु प्रदूषण की दृष्टि से उसके जटिल काम्पोनेन्टों के संबंध में वाहनों के रजिस्ट्रेशन से पूर्व पालन किए जाने वाले मानकों का निर्धारण।

(viii) केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देना कि वह ट्रांसपोर्ट वाहनों की आयु सीमा का निर्धारण कर सके।

(ix) राज्य सरकारों द्वारा स्टेज गाड़ियों के किरायों को निश्चित करने की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर नया सुझाव है कि यह राज्य के कानून के अनुसार अनुमोदित हो।

(x) राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा परिचालन स्कीम के प्रारम्भ करने, अनुमोदन व सुधार के लिए स्कीम के समाप्त हो जाने पर गैर-सरकारी परिचालन की व्यवस्था सहित एक वर्ष का समय निर्धारण।

(xi) न्यायालय में मोटर दुर्घटना का दावा करने से पूर्व मृत्यु अथवा गंभीर चोट से

संबंधित मोटर वाहन दुर्घटना की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि भरी जानी चाहिए तथा न्यायालय को यह शक्तियां दी जाएं कि वह अपने सविवेक पर इस प्रकार की प्रथम सूचना रिपोर्ट का क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र की भांति प्रयोग करे।

(xii) मोटर वाहन के स्वामित्व के स्थानांतरण के साथ ही स्वयंमेव बीमा पालिसी का भी स्थानान्तरण हो।

(xiii) सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण मानक के उल्लंघन सहित यातायात विनियमों का उल्लंघन करने वालों को हतोत्साह करने वाले दण्ड और जुर्माने हों, तथा साथ ही जोखिम वाली और विस्फोटक सामग्री के यातायात के लिए मानक निर्धारित हो।

(xiv) यातायात नियंत्रण के एक भाग के रूप में राज्य सरकारों का दायित्व है कि राजमार्ग पेट्रोलिंग योजनाओं में सुधार लाने के लिए ट्रैफिक—एड—पोस्टों का निर्धारण करे तथा राजमार्गों के साथ-साथ ट्रक पार्किंग काम्पलेक्सों की स्थापना करे।

(ग) और (घ) अब तक इन सिफारिशों पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि, इन सुझावों को आरम्भ करने के लिए पहले से ही आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पटना और बम्बई के बीच विमान सेवा शुरू करना

6170. **श्री ललितेश्वर शाही** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पटना-बम्बई विमान सेवा जिसके लिये बिहार सरकार और संसद सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार से अनेक बार अनुरोध किये हैं कब शुरू की जायेगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : वर्तमान में, इंडियन एयरलाइन्स बी-737 विमानों की प्रचालन क्षमता की कमी का सामना कर रही है। जब एक बार बी-737 विमान की अतिरिक्त क्षमता को सेवा में लगा दिया जायेगा और पटना-बम्बई क्षेत्र पर यातायात की मांग इस प्रकार के प्रचालन के औचित्य को सिद्ध कर लेगी तो इंडियन एयरलाइन्स उपरोक्त क्षेत्रक पर उड़ान को चलाये जाने पर विचार करेगी।

"एड्स" से प्रभावित मलयाली युवक

6171. **श्रीमती डी० के० भण्डारी**
श्री पी० आर० कुमारमंगलम } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक 24 वर्षीय मलयाली युवक ऐडस् की बीमारी से ग्रस्त पाया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि "ऐडस्" का पता लगाने के लिये देश में केवल बेल्लौर मेडिकल कालेज में ही उपकरण उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो ऐडस् का पता लगाने के लिये अन्य स्थानों पर उपकरण लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) भारत में अब तक एडस् का कोई पाजीटिव रोगी नहीं पाया गया है। त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज अस्पताल में एड्स के एक संदिग्ध रोगी को दाखिल किया गया था और वास्तविक रोग का पता

लगाने के लिए इस रोगी पर अनेक परीक्षण करने के बाद इसे नेगेटिव पाया गया था।

देश में एड्स के रोगियों के निदान के लिए लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने एड्स के रोगियों का निदान करने के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे और क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेलोर में दो संदर्भ प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में एक निगरानी सेल भी खोला गया है।

त्रिवेन्द्रम में राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण स्थापित करना

6172. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम (केरल) में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नर्मदा परियोजना की सिंचाई क्षमता

6173. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा घाटी, विकास परियोजना के पूरा होने पर मध्य प्रदेश और गुजरात में कुल कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी;

(ख) इस परियोजना से मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों में कितने गांवों और इन गांवों के कुल कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इस बांध के पूरा होने पर मध्य प्रदेश और गुजरात के कुल कितने गांव जलमग्न हो जायेंगे; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात में 17.92 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता तथा मध्य प्रदेश को 57% विद्युत लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश तथा गुजरात में जलमग्न होने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा निम्नवत् है :—

	मध्य प्रदेश	गुजरात
(I) प्रभावित गांवों की संख्या		
आंशिक रूप से जलमग्न	34	16
पूर्ण रूप से जलमग्न	148	3
(II) प्रभावित परिवारों की संख्या	7500	1900

मध्य प्रदेश में बीना, सागर, रायगढ़ रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधायें

6174. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बीना, सागर, रायगढ़, तथा अनेक अन्य रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधायें असंतोषजनक हैं; और

(ख) यदि हां, तो महत्वपूर्ण सुपर फास्ट अप और डाउन रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण

कोटा, पूछताछ खिड़कियों, विश्राम कक्षों और बुकिंग कार्यालयों, आदि को 24 घंटे खुले रहने की सुविधाओं सहित यात्रियों को बेहतर सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) यातायात के स्तर को देखते हुए इन स्टेशनों पर मौजूदा यात्री सुविधाएं सामान्यत: पर्याप्त हैं। भारतीय रेलों के विभिन्न स्टेशनों पर सुविधाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आबंटित धनराशि के भीतर आवश्यक सुधार परिवर्धन किये जाते हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अन्तर्गत करनाल में मेडिकल स्टोर की स्थापना

6175. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र अर्थात् हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश को दवाइयों की सप्लाई करने के लिये महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत करनाल में एक स्टोर स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा इस स्टोर से अलग-अलग कितनी दवाइयों की मांग की गई थी;

(ग) प्रत्येक राज्य को प्रत्येक समय में उनकी मांग की तुलना में दवाइयों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई थी;

(घ) क्या यह सच है कि गत वर्ष केवल पंजाब से प्राप्त मांग का ही बहुत कम भाग उसे सप्लाई किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पंजाब की मांग को पूरा न करने के क्या कारण है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, चण्डीगढ़ और दिल्ली को दवाईयां भेजता है। यह हिमाचल प्रदेश को दवाईयां नहीं भेजता है। यह डिपो उत्तरी क्षेत्र में डाक और तार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, एस० एस० बी० और भारतीय सर्वेक्षण को भी दवाईयां भेजता है।

(ख) और (ग) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा मांगी गई दवाईयों की कीमत और भेजी गई दवाईयों के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) इन मांगों को सम्पूर्णत: पूरा न करने के कई कारण हैं जैसे मांगकर्ताओं की मांग में सब जगह से वृद्धि और वित्तीय कठिनाइयां हैं।

विवरण

राजकीय मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल द्वारा उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं द्वारा इन्डेन्ट और दी जाने वाली दवाईयों की कीमत

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/ केन्द्रीय सरकारी संस्था के नाम	1984-85		1985-86	
		प्राप्त हुए इन्डेन्ट की कीमत	की गई पूर्ति	प्राप्त हुए इन्डेन्ट की कीमत	की गई पूर्ति
	पंजाब	3,50,00,000/-	3,35,67,607/-	3,65,00,000/-	2,60,00,000/-
	हरियाणा	1,00,00,000/-	89,35,831/-	1,08,00,000/-	70,00,000/-
	दिल्ली	65,70,000/-	54,44,000/-	30,00,000/-	29,90,000/-
	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली	5,00,00,000/-	4,54,00,000/-	.....	39,60,000/-
	चण्डीगढ़	20,00,000/-	18,00,000/-	9,78,000/-	7,89,190/-
	जम्मू व कश्मीर	3,00,000/-	1,99,776/-	8,00,000/-	7,03,774/-
	केन्द्रीय सरकारी संस्थान	2,60,00,000/-	2,01,48,581/-	2,05,00,000/-	1,35,00,000/-

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजना में नए हवाई अड्डों का निर्माण

6176. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जिन नये हवाई अड्डों का निर्माण किया जायेगा/निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा उनके नाम क्या हैं;

(ख) इस कार्य के लिये कुल कितनी राशि प्रदान किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन हवाई अड्डों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) नये हवाई अड्डे केरल में करीपुर (कालीकट) और हिमाचल प्रदेश में शिमला में बनाये जा रहे हैं। इनके सातवीं योजना में पूरा होने की आशा है।

(ख) (1) करीपुर (कालीकट) —14.66 करोड़ रुपए
(2) शिमला — 4.36 करोड़ रुपए

(ग) (1) करीपुर (कालीकट) के दिसम्बर, 1987 तक पूरा होने की आशा है; और

(2) शिमला में जून, 1988 तक पूरा होने की आशा है।

केरल में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या

6177. **श्री वी एस० विजयराघवन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(ख) क्या वहां की अवश्यकता पूरी करने के लिये इन विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) क्या नये स्कूल खोलने के लिये केरल से कोई नई मांगें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो ये स्कूल किन स्थानों पर खोले जाने का अनुरोध किया गया है; और

(ङ) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सोलह

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) कल्ट्रान नगर, कोजीकोडे, पाल्लीपुरम और शोरानुर

(ङ) ये केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन है।

राज्यों की राजधानियों से दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें

6178. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों की राजधानियों से दिल्ली के लिये एक से अधिक सीधी उड़ानें हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : राज्यों की निम्नलिखित राजधानियों से दिल्ली के लिए एक से अधिक सीधी उड़ानें परिचालत की जाती हैं :

1. अहमदाबाद
2. बंगलौर
3. भोपाल
4. बम्बई
5. कलकत्ता
6. गुवाहाटी
7. हैदराबाद
8. जयपुर
9. श्रीनगर
10. लखनऊ
11. मद्रास
12. पटना
13. चंडीगढ़

इंडियन एयरलाइन्स के अनुसार, एक सीधी उड़ान वह है जहां से कोई यात्री एक निर्दिष्ट स्थान से बिना विमान बदले दूसरे स्थान को यात्रा करता है ।

कल्याण स्टेशन (मध्य रेलवे) पर "होम प्लेटफार्म" परियोजना

6179. **श्री एस.जी. घोलप** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे के कल्याण स्टेशन पर "होम प्लेट-फार्म" परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है और परियोजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) क्या "होम प्लेटफार्म के निर्माण के बाद रेलवे कल्याण से बी. टी. को हर 3 से 5 मिनट के बाद स्थानीय रेलगाड़ियां चलाने में समर्थ होगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन

6180. **श्री एन० डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक्टर सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने से हिचकिचाते हैं;

(ख) क्या डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कोई प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान डाक्टरों को कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति स्वीकार करने के लिए चिकित्सा स्नातकों को आकृष्ट करने के संबंध में आठवें वित्त आयोग ने कुछ प्रोत्साहन सुझाए हैं, जो इस प्रकार हैं :

(i) प्राथमिक केन्द्रों में काम कर रहे डाक्टरों को प्रतिमाह 250/-रु० की दर से ग्रामीण भत्ता स्वीकृत करना; और

(ii) जहां डाक्टरों को रिहायशी आवास उपलब्ध नहीं किया गया है वहां प्रतिमाह 150/-रु० की दर से मकान किराया भत्ता।

इसके अतिरिक्त वित्त आयोग ने डाक्टरों के रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए 53.52 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण लागत 30 प्रतिशत बढ़ाकर रखी गई है। इन सिफारिशों को वित्त मत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। जो राज्य इन सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहते उन्हें अपनी कार्य योजनाएं वित्त मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भेजनी होंगी। इस समय ऐसा कोई अन्य प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कन्याकुमारी के लिए अधिक एक्सप्रेस गाड़ियां चलाना

6181. **श्री एन० टेनिस** : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम और नागरकोइल के बीच की रेल पटरी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के लिए उपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उस रेलवे लाइन पर कितनी एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं;

(ग) क्या कन्याकुमारी के लिए और अधिक एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) दो जोड़ी, एक प्रति दिन तथा एक सप्ताह में एक दिन।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मौजूदा दो एक्सप्रेस तथा 4 पैसेंजर गाड़ियां यहां होने वाले यातायात को सम्हालने के लिए पर्याप्त हैं। पैसेंजर गाड़ियां तिरुवनन्तपुरम में लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ उपयुक्त कनेक्शन भी सुलभ कराती हैं।

त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी रेलवे लाइनों पर कुछ स्टेशनों पर "हाई लेवल" प्लेटफार्म

6182. **श्री एन० डेनिस** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेल लाइन पर पाल्लियाडि, वीरानी अल्लूर नगर कोयल टाउन, सुचिन्द्रम, थामाराकुलम और अगस्तीश्वरम में "हाई लेवल" प्लेटफार्म न होने की जानकारी है;

(ख) क्या उक्त रेलवे स्टेशनों पर "हाई लेवल प्लेटफार्म" बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऊपरी (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मराठवाड़ा (महाराष्ट्र) में परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए रेल परियोजनायें

6183. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को चार रेल परियोजनाओं की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिफारिश की गई प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) और (ख) मराठवाड़ा क्षेत्र में रेल परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार सहित विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

2. निम्नलिखित परियोजनाएं पहले से ही अनुमोदित हैं :—

(1) मनमाड-औरंगाबाद-पर्ली-वैजनाथ मीटर लाइन (354 कि.मी.) का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन

(2) परमनी-पूर्णा तथा मुदखेड-आदिलाबाद मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन तथा पूर्णा और मुदखेड के बीच समानान्तर बड़ी लाइन (246 कि.मी.)

(3) नंदेड में मंडल कार्यालय।

3. अन्य परियोजनाएं जिनके लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और जिन्हें अनुमोदित नहीं किया गया है, निम्नलिखित हैं :—

(1) मिरज-लातूर छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन तथा उसका लातूर रोड तक विस्तार।

(2) पर्ली वैजनाथ और अहमदनगर के बीच नयी बड़ी लाइन।

अलाभप्रद नौवहन कंपनियां

6184. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अलाभप्रद नौवहन कम्पनियों को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों की देयता कितनी है; और

(घ) उनकी रुग्णता का पहले पता न लगाने के क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) से (ख) सरकार ने ऋण का भुगतान नहीं करने वाली किसी भी नौवहन कम्पनी को अलाभप्रद घोषित नहीं किया है। तथापि, नौवहन विकास निधि समिति ने उन सभी नौवहन कंपनियों को ऋण समझौते के अनुसार बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने का नोटिस दिया है जिन्होंने नौवहन विकास निधि समिति के ऋण का भुगतान नहीं किया है। कुछ कंपनियों के मामले में उनका रेहननामा समाप्त करने के कदम उठाए गये हैं।

कलकत्ता पत्तन में सुधार के लिए प्रस्ताव

6185. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी**: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता, बम्बई और मद्रास पहुंचने वाले जहाजों की

संख्या क्या है;

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन प्राधिकरण ने सातवीं योजना अवधि में पत्तन में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास पोर्ट पर पिछले तीन वर्षों के दौरान मंगाए गए जहाजों की संख्या निम्नलिखित है :—

पत्तन	1983-84	1984-85	1985-86
कलकत्ता	810	761	869
हल्दिया	419	455	562
बम्बई	3956	4193	4218
मद्रास	1438	1522	1617

(ख) कलकत्ता पत्तन न्यास ने पत्तन के सुधार के लिए पहले से ही अपनी योजनाएं सातवीं योजना की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत कर दी है। कलकत्ता पत्तन न्यास की योजनागत-स्कीमों के लिए सरकार ने 139 करोड़ रु० के प्रावधान की व्यवस्था की है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है :—

(क) कलकत्ता	47 करोड़ रु०
(ख) हल्दिया	62 करोड़ रु०
(ग) हुगली खाड़ी में के सुधार के लिए विस्तृत प्रणाली	30 करोड़ रु०
	139 करोड़ रु०

(ग) कार्यान्वयन के लिए अब तक निम्नलिखित स्कीमें स्वीकृत की गई है :—

	(रु० करोड़ में)
(1) द्वितीय तेल जैटी	35.71
(2) टग "मालती" का स्थानान्तरण	2.50
(3) वृग "स्टालवार्ट" का बदलाव	4.10
(4) नदी सर्वेक्षण पोत "पाथनाइंडर" का बदलाव	6.50
(5) मोबाइल क्रेनों का बदलाव	1.90
(6) कलकत्ता में कन्टेनर लदान उतार सुविधा	10.36
(7) हुगली खाड़ी में सूखे के सुधार के लिये विस्तृत स्कीम	40.50

सम्बलपुर स्थित नए रेलवे डिवीजन का क्षेत्राधिकार

6186. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा व सम्बलपुर में हाल ही में बनाये गये रेलवे डिवीजन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रेलवे लाइन का कुल कितना किलोमीटर क्षेत्र आता है;

(ख) उपर्युक्त रेलवे डिवीजन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कौन-कौन से विभिन्न रेल मार्ग आते हैं;

(ग) सम्बलपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना के लिए कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है/नियत की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) सम्बलपुर मंडल के क्षेत्राधिकार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) सम्बलपुर रेलवे मडल की स्थापना के लिए किसी भूमि का अभी तक अधिग्रहण/सीमांकन नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में रेल सम्पर्कों का सर्वेक्षण

6187. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रस्तावित रेलवे संपर्क लाइनों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है जिनके सर्वेक्षण कार्य की मंजूरी दी गई है;

(ख) प्रत्येक प्रस्तावित लाइन की दूरी कितनी है;

(ग) प्रत्येक लाइन का सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) खोरधा रोड-बोलनगीर रेल लाइन के सर्वेक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

(ख) लगभग 295 कि० मी० ।

(ग) 1986-87 में ।

(घ) मार्च, 86 तक सर्वेक्षण की प्रगति 71 प्रतिशत है ।

उड़ीसा में बौद किआकटा सड़क पर महानन्दा पर पुल बनाने का प्रस्ताव

6188. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तर-राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व ऋण योजना के अन्तर्गत बौदकिआकटा सड़क पर महानन्दा नदी पर एक पुल के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विशाखापत्तनम पत्तन में मत्स्य नौकाओं को शुष्क जगह पर लाने के शुल्क की दरें

6189. **श्री टी० बाल गौड़**
श्री मुरलीधर माने } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम पत्तन मे मत्स्य नौकाओं को शुष्क जगह पर लाव के लिये शुल्क की दरें बढ़ा दी हैं;

(ख) पत्तन न्यास के प्राधिकारियों द्वारा प्रभावित पक्षों के साथ विचार विमर्श न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1985 से शुष्क जगह पर लाने के शुल्क की दरें क्या थी और 1 फरवरी, 1986 से शुल्क की दरें क्या हैं; और

(घ) मत्स्य नौकाओं को शुष्क जगह पर लाने के शुल्क की दरें कम करने और युक्ति-संगत बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी, हां। स्लिप-वे दरों में 14 नवम्बर, 1985 से संशोधन किया गया था।

(ख) मजदूरी में वृद्धि, स्टोरों आदि के मूल्यों मे तेजी के रूख के फलस्वरूप स्लिप-वे प्रभार में संशोधन करना अपरिहार्य हो गैया था। वास्तव में स्लिप वे प्रचालनों के रख-रखाव पर खर्च आय से अधिक होता था। इसलिए पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड ने 1979 में निर्धारित दरों में वृद्धि का अनुमोदन किया और उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

(ग) **विवरण** संलग्न है।

(घ) चूंकि समय-समय पर प्रचालन लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए "बिना लाभ हानि" के आधार पर दरों को संशोधित किया गया था; अतः इसमें कोई कटौती करना सम्भव नहीं समझा गया है।

विवरण

विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट में मछली पकड़ने वाले ट्रालर्स की ड्राई डाकिंग की दरें

क्रम संख्या	टनेज	1985 की दरें	14.11.1985 से संशोधित दरें
क	जहाज को डाक के अन्दर ले जाने और बाहर लाने के प्रभार :—		
1.	0-15	15 रु० प्रति टन न्यूनतम 600 रु०	140 रु० प्रति टन न्यूनतम 2100 रु०
2.	15-25	पहले 15 टन के लिए	पहले 15 टन के लिए

क्रम संख्या	टनेज	1985 की दरें	14.11.1985 से संशोधित दरें
		750 रु०, उसके बाद 45 रु० प्रति टन	2100 रु० और उसके बाद 140 रु० प्रति टन
3.	25-50 से अधिक	पहले 25 टन के लिए 1,200 रु० और उसके बाद 40 रु० प्रति टन	पहले 25 टन के लिए 3,500 रु० और उसके बाद 90 रु० प्रति टन
4.	50-80 से अधिक	पहले 50 टन के लिए 2,200 रु० और उसके बाद 30 रु० प्रति टन	पहले 50 टन के लिए 6,000 रु० और उसके बाद 70 रु० प्रति टन
5.	80-125 से अधिक	पहले 80 टन के लिए 3,100 रु० और उसके बाद 25 रु० प्रति टन	पहले 80 टन के लिए 8, 250 रु० और उसके बाद 50 रु० प्रति टन
6.	125 से अधिक	पहले 125 टन के लिए 4,225 रु० और उसके बाद 15 रु० प्रति टन	पहले 125 टन के लिए 10,000 रु० और उसके बाद 40 रु० प्रति टन
	ख. स्लिप वे मरम्मत बर्थ भाड़ा प्रभार :—		
1.	0-50	पहले दिन के लिए 350 रु० बाद के दिनों के लिए 175 रु० प्रति दिन	पहले दिन के लिए 1100 रु० दूसरे से 10 वें दिन तक के लिए 550 रु० प्रति दिन तक 11 वें से 15 वें दिन तक के लिए 1,100 रु० प्रति दिन 16वें और उससे आगे के दिनों के लिए 1,400 रु० प्रति दिन।
2.	50-80 से अधिक	पहले दिन के लिए 420 रु० बाद के दिनों के लिए 210 रु० प्रति दिन	पहले दिन के लिए 1,200 रु० दूसरे से 10वें दिन तक के लिए 600 रु० प्रति दिन, 11वें से 15वें दिन तक के लिए 1200 रु० प्रति दिन 16वें दिन और उससे आगे दिनों के लिए 1600 रु० प्रति दिन

क्र० संख्या	टनेज	1985 की दरें	14.11.1985 से संशोधित दरें
3.	80-125 से अधिक	पहले दिन के लिए 500 रु०, बाद के दिनों के लिए 250 रु० प्रति दिन	पहले दिन के लिए 1300 रु० दूसरे से 10वें दिन के लिए 650 रु० प्रति दिन, 11वें से 15वें दिन के लिए 1300 रु० प्रति दिन, 16वें दिन और आगे के लिए 1800 रु० प्रति दिन
4.	125 से अधिक	पहले दिन के लिए 650 रु०, बाद के दिनों के लिए 325 रु० प्रति दिन	पहले दिन के लिए 1,400 रु० दूसरे से 10वें दिन के लिए 700 रु० प्रति दिन, 11वें से 15 वें दिन के लिए 1,400 रु० प्रति दिन, 16वें दिन और आगे के लिए 2,000 रु० प्रति दिन

कोचीन शिपयार्ड को हानि

6190. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को वर्ष 1985-86 के दौरान 16 करोड़ रुपये की भारी वित्तीय और कार्यपालन हानि हुई है; और

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यनिष्पति के रिकार्ड के अनुसार कम्पनी की कार्यचालन हानि में कभी भी कोई कमी अथवा गिरावट नहीं आई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को वर्ष 1985-86 में अनुमानत: 8.48 करोड़ रुपए का घाटा होगा।

(ख) कोचीन शिपयार्ड के पिछले पांच वर्ष के प्रचालन परिणाम नीचे दिये गए हैं :—

	(लाख रुपए)
1980-81	+ 288.45
1981-82	+ 1.75
1982-83	— 668.27
1983-84	—1030.72
1984-85	—1324.79
1985-86 (अनुमानित)	— 848.00

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य शुरू करने के प्रस्ताव

6191. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सातवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा सातवीं योजना में कितने परिव्यय की मांग की गई है;

(ग) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये परिव्यय की मांग की गई है;

(घ) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान 25.36 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृति के लिए भेजा गया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उसे स्वीकृत कर दिया गया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी हां।

(ख) 136.00 करोड़ रुपए

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(i) सामान्य निर्माण कार्य	93.00 करोड़ रु०
(ii) सम्पर्क मार्गों पर निर्माण कार्य	15.00 करोड़ रु०
(iii) पुल का निर्माण कार्य	28.00 करोड़ रु०
कुल :	136.00 करोड़ रु०

(घ) और (ङ) वर्ष 1985-86 के लिए राज्य सरकार ने 25.36 करोड़ रुपए का योजना प्रस्ताव भेजा था। वर्ष 1985-86 में 20.20 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

दक्षिण पूर्व रेलवे में खुर्दा रोड डिवीजन में जटनी मालगोदाम को जोड़ने के लिए "रोड अन्डरब्रिज"

6192. **श्री चिंतामणी पाणिग्रही** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में खुर्दा रोड डिवीजन में जटनी माल गोदाम को जोड़ने के लिए रेलवे विभाग द्वारा बनाए गए रोड अन्डरब्रिज की मरम्मत और सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में जटनी सेन्टाराम चाक से मालगोदाम चाक तक इस रोड की देख-रेख और मरम्मत आदि के लिए कोई राशि प्रदान की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस रेल-मार्ग के लिए प्रदान की गई और खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस रेल-रोड मार्ग में पूर्ण रूप से सुधार करने के लिए 1986-87 में पर्याप्त धनराशि आवंटित करेगी ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) जटनी माल गोदाम को जोड़ने वाले निचले सड़क पुल की मरम्मत अन्य सड़कों के साथ की जाती है। सड़क अनुरक्षण के किसी विशेष भाग के लिये न तो अलग से धन की व्यवस्था की जाती है

और न ही अलग से उसका हिसाब रखा जाता है । 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में आवश्यक मरम्मत कर दी गयी थी । कालोनी की अन्य सड़कों के साथ-साथ इस सड़क पर डामर बिछाने और मरम्मत कार्यों के लिये 4 लाख रुपये के अनुमानित मूल्य का एक ठेका दे दिया गया है । ठेकेदार ने हाल ही में कार्य आरम्भ किया है ।

उड़ीसा में बलेश्वर में सड़क ऊपरिपुल

6193. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग में उड़ीसा में दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर मण्डल के अन्तर्गत बलेश्वर में सड़क ऊपरिपुल के संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत कर दिए हैं;

(ख) क्या रेलवे को अपने हिस्से के 28.83 लाख रुपए का भुगतान करना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस देय धनराशि का उड़ीसा सरकार को अब तक भुगतान कर दिया गया है ।

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) बालासोर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण-कार्य रेलों और उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा लागत में संयुक्त भागीदारी के आधार पर शुरू किया गया था । राज्य लोक निर्माण विभाग ने अपने द्वारा निर्मित ऊपरी सड़क पुल के पहुंच-मार्गों की लागत में संशोधन करके उसे 208 लाख रुपये कर दिया है जबकि अनुमानित लागत 77 लाख रुपये थी । राज्य लोक निर्माण विभाग को लागत में हुई वृद्धि के कारणों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है । इन ब्यौरों के प्राप्त हो जाने के बाद रेलें संशोधित अनुमान को मंजूरी देने, रेलों और राज्य सरकार के बीच लागत के संशोधित संविभाजन को अन्तिम रूप देने तथा राज्य सरकार को किसी शेष राशि की, यदि देय हुई तो, प्रतिपूर्ति करने के लिए कार्रवाई करेंगी ।

भुवनेश्वर से राउरकेला तक रेल सम्पर्क

6194. **श्री के० प्रधानी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला का एक बड़े शहर के रूप में विकास होने के बावजूद अभी तक राज्य को राजधानी भुवनेश्वर के साथ इसका कोई समुचित रेल सम्पर्क नहीं हो पाया है;

(ख) क्या वह राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच सुविधाजनक रेल सम्पर्क विकसित करने की आवश्यकता पर विचार करेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) राउरकेला और भुवनेश्वर एक बहुत ही सुविधाजनक रात्रिकालीन एक्सप्रेस रेल गाड़ी अर्थात् 77/78 कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस के माध्यम से पहले ही जुड़े हुए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भगवान जगन्नाथ मन्दिर के विकास के लिए मास्टर प्लान

6195. **श्री के० प्रधानी** : मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मन्दिर के

सारे परिसर के विकास के लिये कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसका अनुमानित पूंजीगत परिव्यय कितना है; और

(ग) यदि योजना कितने चरणों में कार्यान्वित की जायेगी ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जगन्नाथ मन्दिर के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

(ख) संरक्षण के लिए मास्टर प्लान की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

(i) मन्दिर की इमारतों तथा मन्दिर और जगन्नाथ मंदिर काम्पलेक्स की चार दीवारी का पलस्तर उतरना और उनका संरचनात्मक तथा रासायनिक संरक्षण।

(ii) सम्पूर्ण मन्दिर को साफ रखने के लिए मन्दिर में और उसके चारों ओर अतिक्रमण और अवैध झोपड़ियों को हटाना।

(iii) विद्यमान बाग में सुधार करने की दृष्टि से चारदीवारी के चारों ओर एक बगीचा विकसित करना।

(ग) इस योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्रियान्वित किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा हेलीकाप्टर निगम के लिए किया गया सम्भाव्यता सर्वेक्षण

6196. **श्री हरीश रावत** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने हेलीकाप्टर निगम की ओर से ऐसे कुछ स्थानों का संभाव्यता सर्वेक्षण किया है जिन्हें हैलीकाप्टर सेवा से जोड़ा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ग) उक्त सर्वेक्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों को हेलीकाप्टर सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) और (घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित सेवाओं के लिए निम्नलिखित प्रचालन ढांचे का सुझाव दिया गया था :—

(1) देहरादून—जमनोत्री—गंगोत्री—उत्तरकाशी—देहरादून।
(2) देहरादून—उत्तरकाशी—गंगोत्री—जमनोत्री—देहरादून।
(3) देहरादून—केदारनाथ—देहरादून
(4) देहरादून—बद्रीनाथ—जोशीमठ—देहरादून।
(5) देहरादून—जोशीमठ—बद्रीनाथ—देहरादून।
(6) पन्तनगर—नैनीताल—रानीखेत—अलमोड़ा—कौसानी—पन्तनगर।

(7) पन्तनगर—कौसानी—अलमोड़ा—रानीखेत—नैनीताल—पन्तनगर।

(8) पन्तनगर—कौसानी - पिथौरागढ़—धारचुला—पन्तनगर।

(9) पन्तनगर—धारचुला—पिथौरागढ़—कौसानी—पन्तनगर।

निगम की विस्तृत प्रचालन योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और यह विमान क्षमता की उपलब्धता और प्रचालनों की आर्थिक साध्यता पर निर्भर करेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों के मन्दिरों से मूर्तियों की चोरी

6197. **हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्राचीन मन्दिरों से पुरातत्वीय महत्व की कितनी कलात्मक मूर्तियों की चोरी हुई है और जिन मन्दिरों से ये चोरियां हुई हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या ये मूर्तियां अधिकतर उन मन्दिरों से चोरी हुई हैं जहां पुरातत्व विभाग ने मूर्तियों की सुरक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किये हैं; और

(ग) यदि हां तो उन मन्दिरों और मूर्तियों की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1984 के दौरान बालेश्वर मन्दिर, चम्पावत से कलात्मक और पुरातत्वीय महत्व की दो पत्थर की मूर्तियां चुरा ली गई थी जिन्हें अब बरामद कर लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जोगेश्वर मन्दिर की मूर्तियों को संरक्षण के लिए संग्रहालय

6198. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा जिले में पुरातत्वीय महत्व के जोगेश्वर मन्दिर में मूर्तियों के संरक्षण के लिये एक संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया था और इसके लिये भूमि आदि का चयन किये जाने के बाद कितना समय बीत गया है; और

(ग) इस संग्रहालय के निर्माण कार्य को शुरू करने में अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं और उन कारणों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है और उक्त निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। जोगेश्वर, जिला अलमोड़ा, उत्तर प्रदेश में एक मूर्ति शेड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्ताव को 1968 में अर्थात् 17 वर्ष पहले स्वीकृत किया गया था।

(ग) मूर्ति शेड का निर्माण शुरू करने में विलम्ब भूमि की अनुपलब्धता के कारण हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार से अधिग्रहण कार्रवाई को शीघ्र निबटाने का अनुरोध किया गया है जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

पिथौरागढ़ और अन्य धार्मिक स्थानों को वायुदूत/हेलीकाप्टर सेवा से जोड़ना

6199. **श्री हरीश रावत** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ़ और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रसिद्ध कैलाशमानसरोवर तीर्थस्थल के रास्ते में पड़ने वाले बद्रीनाथ और केदारनाथ के धार्मिक स्थानों को वर्ष 1986-87 के दौरान हेली-काप्टर/वायुदूत सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन स्थानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इन स्थानों को हेली-काप्टर/वायुदूत सेवा से कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) वायुदूत की फिलहाल, पिथौरागढ़ और बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के धार्मिक स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

हेलीकाप्टर निगम ने अभी तक अपनी प्रचालनात्मक योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया है। इन स्थानों और अन्य स्टेशनों का प्रचालन शुरू करना हेलीकाप्टरों की उपलब्धता और प्रचालनों की आर्थिक साध्यता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

केरल में मुथाकुन्नम-एडापल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, कुम्बालम अरुरपुल वेंलिगटन द्वीप पुल को पूरा करना

6200. **श्री के० बी० थामस** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुथाकुन्नम और एडापल्ली को बरास्ता एर्णाकुलम में नार्थ पराबूर जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के अन्तर्गत एर्णाकुलम में कुम्बालम-अरुर पुल का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) एर्णाकुलम-वेंलिगटन द्वीप पुल का कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) मूथाकुन्नम और इडापल्ली के बीच मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 को अभी सुधारने की योजना बनाई जा रही है। सातवीं योजना में मोड़/सड़क के सुधार के लिए भूमि अधिग्रहण का काम चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। इस पहुंच मार्ग पर वारापुजा पुल के निर्माण के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी अनुमान की मंजूरी दी गई है।

(ख) कुम्बालम-अरूर पुल के मार्च, 1987 तक बनकर तैयार हो जाने की आशा है।

(ग) इर्नाकुलम-वेलिंगडन द्वीप पुल के जनवरी, 1988 तक बनकर तैयार हो जाने की आशा है।

केरल में लघु और मध्यम दर्जे के पत्तन के लिए केंद्रीय सहायता

6201. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में लघु और मध्यम दर्जे के पत्तनों का विकास करने के लिए केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भू तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी हां।

(ख) पत्तन क्षेत्र पर गठित कार्यदल का एक उप-दल उन छोटे पत्तनों का पता लगाने के लिए गठित किया गया है जिन्हें चुनकर विकसित किया जाए।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में नकली पुर्जों के उपयोग में होने वाली दुर्घटनाएं

6202. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण बसों में नकली पुर्जों का उपयोग है; और

(ख) यदि हां, तो यदि इस कार्य में कोई अधिकारी शामिल पाया गया है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी नहीं। दिल्ली परिवहन निगम के पास असली कल पुर्जे खरीदने की एक सुव्यवस्थित नीति है। बसों की दैनंदिनी मरम्मत व अनुरक्षण की अधिकांश आवश्यकताएं मूल उपस्कर सप्लायरों जैसे लेलैंड, टैलको, माइको तथा सुन्दरम क्लेटोन इत्यादि से खरीदी जाती हैं, जो कि वाहनों के प्रयोग में आने वाले मूल पुर्जों के निर्माता हैं। राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के एसोसिएशन की स्थायी समिति के रेट कांट्रेक्ट के आधार पर भी फर्मों से वस्तुएं खरीदी जाती हैं। इस समुदाय के पास एक पूर्ण नियोजित प्रयोगशाला है जिसमें समय-समय पर प्रतिरूपों का परीक्षण किया जाता है। यह केवल कोटि की संतोषजनक स्थापना पर निर्भर है कि इन फर्मों को नियमित रेट कान्ट्रेक्ट दिए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त निगम में एक स्वतन्त्र परीक्षण विभाग है जहां रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर फर्मों से अथवा मूल उपकरण सप्लायरों में भी प्राप्त सभी पुर्जों को वेयरहाउस में लाने से पूर्व उनकी अच्छी तरह से जांच की जाती है।

खरीद के इन निर्धारित नियमों, के होते हुए जिनका कि सख्तीपूर्वक पालन किया जाता है, किसी प्रकार के नकली पुर्जे इस्तेमाल करने की संभावना नहीं हो सकती।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नीलाचल एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा

6203. **हरिहर सोरन** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान नीलाचल एक्सेप्रेस में बिना टिकट यात्रा की जांच करने में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) किन स्टेशनों के बीच सबसे अधिक बिना टिकट यात्री पकड़े गये हैं; और

(ग) कुल कितना जुर्माना वसूल किया गया है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) गाड़ियों में सामान्य टिकट जांच के अलावा समय-समय पर नीलाचल एक्सप्रेस सहित कुछ गाड़ियों में विशेष जांच भी की

जाती है। इन जांचों के दौरान रेल सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस को तैनात किया जाता है और राज्य सरकारों की सहायता ली जाती है;

(ख) और (ग) पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या तथा उनसे वसूल किये गये जुर्मानें के आंकड़े स्टेशनवार तथा गाड़ीवार नहीं रखे जाते।

उड़ीसा में स्थानीय रेल गाड़ियां चलाना

6204. **श्री अनादि चरण दास** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कुछ स्थानीय रेल गाड़ियां चलाकर रेलवे यातायात को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या देश के किसी भी भाग में स्थानीय रेल सेवायें शुरू करने से पूर्व उनकी संभावनाएं आदि सुनिश्चित करने हेतु उस क्षेत्र की सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है; और

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा कितनी स्थानीय रेल गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव रेल विभाग को भेजे गये हैं और उनमें से जितनी गाड़ियां चलाई गई हैं और कितनी गाड़ियां चलाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) रेल दर जांच समिति तथा राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों के अनुसार रेलों को अपने सीमित संसाधनों का उपयोग मूलतः लम्बी दूरी की तेज गाड़ियां चलाने के लिए करना चाहिए, सिवाय ऐसे मामलों के जहां महानगरों में बहुत सघन दैनिक यात्री यातायात हो और अकेले सड़क सेवाओं से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती हो परम्परागत गाड़ियों में मौजूदा दैनिक यात्री सेवाओं का पुनर्गठन क्षेत्रीय रेल द्वारा स्थानीय यात्रियों के हितों को ध्यान में रखकर तथा परामर्श समितियों से परामर्श करके किया जाता है।

(ख) गाड़ी के लिये वाणिज्यिक औचित्य की जांच की जाती है।

(ग) यह एक सतत प्रक्रिया है कुछ अनुरोधों को पूरा कर दिया गया है, जैसे 28-11-84 से 221/222 तालचेर-भुवनेश्वर सवारी गाड़ी। भुवनेश्वर-बालासोर के बीच गाड़ी चलाने के अनुरोध को 37/38 मद्रास हावड़ा जनता एक्सप्रेस के साथ 1-6-85 से भुवनेश्वर और बालासोर के बीच एक सवारी डिब्बा लगाकर आंशिक रूप से पूरा कर दिया गया है। हाल में किसी अन्य गाड़ी को चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

अंधेपन की रोकथाम के लिए डा० राजेंद्र प्रसाद नेत्र केंद्र के समान अन्य नेत्र केंद्रों की स्थापना

6205. **श्री यशवन्त राव गाडाख पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्धेपन की रोकथाम को उच्च प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो अन्धेपन के मामलों में तेजी से कमी लाने के लिए बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और सातवीं योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या डा० राजेंद्र प्रसाद नेत्र केंद्र, नई दिल्ली के समान और केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने दृष्टिहीनता पर नियन्त्रण पाने के लिए सन् 1976 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नेत्र उपचार के लिए विभिन्न स्तरों पर अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, जिला मोबाइल यूनिटों, मेडिकल कालेजों, क्षेत्रीय संस्थानों और प्रशिक्षण स्कूलों में आधार भूत ढांचा विकसित किया गया है। सातवीं योजना के दौरान और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिलों मोबाइल यूनिटों को शामिल करने और नेत्र बैंक खोलने का विचार है। हमारा यह लक्ष्य है कि नेत्रहीनता की दर को सन् 1990 में 1.4 प्रतिशत से घटाकर 0.7 प्रतिशत और अन्ततः वर्ष 2000 ईस्वी तक इसे घटाकर 0.4 प्रतिशत कर दिया जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थानों को चुना गया है जहां पर डा० राजेंद्र प्रसाद केंद्र के पैटर्न पर नेत्र विज्ञान की विभिन्न उपविशेषताओं को विकसित करने का विचार है।

औषध परीक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना

6206. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषध परीक्षण के लिये पर्याप्त सुविधायें जुटाने हेतु केंद्र द्वारा शत प्रतिशत प्रायोजित योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने के लिये तैयार की गई है, जैसे कि प्राक्कलन समिति (1985-86) ने अपने सोलहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी छठी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना तैयार की गई थी परंतु इसे स्वीकृत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

छठी योजना से आगे लाई गई सिंचाई परियोजनाएं

6207. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के राज्य वार/श्रेणी वार नाम क्या हैं जिन्हें छठी योजना के दौरान पूरा किया जाना था लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जा सका;

(ख) प्रत्येक परियोजनाओं का पूरा होने का संशोधित समय क्या है और उन पर कितना धन खर्च होने की सम्भावना है; और

(ग) उन परियोजनाओं में से जिन परियोजनाओं की कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय द्वारा पुनरीक्षा की गई है उनके नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में उनके निष्कर्ष क्या हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना सम्बन्धी विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/परियोजना का नाम	क्रम सं०	राज्य/परियोजना का नाम
आंध्र प्रदेश		**मध्य प्रदेश**	
1.	नागार्जुनसागर	22.	महानदी जलाशय सोपान—एक
2.	श्रीरामसागर चरण–एक	23.	अपर वेन गंगा
3.	गोदावरी बराज	**महाराष्ट्र**	
4.	वम्सधारा चरण–एक	24.	जयकवाड़ी चरण – एक
	—तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण—दो	25.	कृष्णा
5.	सोमसिला चरण—एक	26.	भीमा
असम		27.	अपर तापी
6.	धनसिरी	28.	मांजरा
बिहार		29.	वाधुर
7.	बरनार जलाशय	30.	खडगवासला
गुजरात		31.	अपर गोदावरी
8.	दमनगंगा	**मणिपुर**	
9.	पानम	32.	लोकतक लिफ्ट सिंचाई
10.	साबरमती	**उड़ीसा**	
हरियाणा		33.	आनन्दपुर बराज
11.	गुड़गांव नहर	34.	रेंगाली बांध
12.	जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट	**राजस्थान**	
13.	लोहारू लिफ्ट	35.	जाखम
14.	पश्चिमी यमुना नहर पुनर्रूपन	36.	माही बराज सागर
कर्नाटक		37.	राजस्थान नहर चरण—एक
15.	भद्रा		—गुड़गांव नहर
16.	तुंगभद्रा निम्न स्तर नहर	**तमिलनाडु**	
17.	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर—चरण दो	38.	परम्बिकुकुलम एलियार
केरल		**उत्तर प्रदेश**	
18.	चित्रूरपूझा	39.	गण्डक नहर
19.	कुट्टीयाड़ी	40.	शारदा सहायक
20.	पम्बा	41.	कोसी सिंचाई
21.	पझासी	42.	नारायणपुर पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना

क्रम सं०	राज्य/परियोजना का नाम	क्रम सं०	राज्य/परियोजना का नाम
43.	सोन पम्प नहर		**गोवा दमन और द्वीप**
44.	देवकाली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना		
पश्चिम बंगाल		48.	सलौली
45.	कंगसबती जलाशय		—दमन गंगा
46.	तीस्ता बराज		
47.	दामोदर घाटी निगम का बराज तथा सिंचाई प्रणाली (विस्तार एवं सुधार)		**दादर और नागर हवेली** —दमन गंगा

मध्यम परियोजनाओं के लिए ऐसी पहचान नहीं की गई थी।

इन परियोजनाओं को पूरा किया जाना राज्य सरकारों द्वारा परिव्यय उपलब्ध कराने पर निर्भर करेगा। चूंकि परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो रही है अत: इन परियोजनाओं पर होने वाला सम्भावित व्यय बता पाना सम्भव नहीं होगा।

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय द्वारा की जाने वाली पुनरीक्षा सम्पूर्ण सिंचाई क्षेत्र के लिए होती है।

[अनुवाद]

छठी योजना के अन्त में नई रेल लाइनों और लाइनों को बदलने के सम्बन्ध में कार्य-निष्पादन

208. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूरा करने के लिये राज्य-वार पृथक-पृथक कौन कौन सी नई रेल लाइनें बिछाने का कार्य आरम्भ किया गया था;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य-वार कौन-कौन सी रेल लाइनों को मीटर गेज से बड़ी लाइन में बदलने का कार्य आरम्भ किया गया था;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में नई रेल लाइनें बिछाने और लाइनों को बदलने दोनों के सम्बन्ध में कार्य-निष्पादन की क्या स्थिति थी; और

(घ) उनमें से कितने कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में पूरा करने के लिये अधूरे पड़े थे ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) छठी योजना के दौरान पूरी की गयी/शुरू की गयी नयी लाइनों और आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। छठी योजना के दौरान बजट में अनुमोदित नयी लाइनों और आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। विवरण-2 में उल्लिखित आमान परिवर्तन की एक परियोजना को भी छठी योजना के दौरान पूरा किया गया था। शेष निर्माणकार्य सातवीं योजना में किये जाने हैं।

विवरण-I

छठी योजना अवधि के दौरान शुरू की गयी नई लाइनें और आमान परिवर्तन

क्र० सं०	राज्य	परियोजना का नाम
		नई लाइनें
1.	आंध्र प्रदेश	बीबीनगर—नालगोंडा—मिरयालगुडा
2.	,,	गूटी—धर्मावरम
3.	,,	भद्राचलम मार्ग—मनुगुरु
4.	असम	न्यू बोंगाइ गांव—गुवाहाटी
5.	हरियाणा	रोहतक—भिवानी
6.	मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश	करैला मार्ग—ककड़ी—जयन्त
7.	महाराष्ट्र	वसई मार्ग—दिवा
8.	,,	आप्टा—पेन—नगोठाणा
9.	,,	वणि—पिंपलकुट्टी
10.	,,	माणिकगढ़—चन्दूर
11.	उड़ीसा	जखापुरा—दैंतरी
12.	पंजाब/हिमाचल प्रदेश	नंगल डैम—राय मेहतपुर
13.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली—नागरकोइल
14.	उत्तर प्रदेश	शामली—सहारनपुर
15.	पश्चिम बंगाल	संतरागाछी—बड़गाछिया
	आमान परिवर्तन	
1.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक	धर्मावरम—येलाहांका—बंगलौर
2.	बिहार/उत्तर प्रदेश	सोनपुर—बाराबंकी
3.	बिहार	बरौनी—कटिहार
4.	गुजरात	वीरमगांव—हापा—ओखा/पोरबन्दर
5.	राजस्थान	सूरतगढ़—सरूपसर—अनूपगढ़

विवरण

छठी योजना अवधि के दौरान अनुमोदित नयी लाइन और आमान परिवर्तन

क्र० सं०	राज्य	परियोजना का नाम	31-3-85 को प्रतिशत प्रगति	शुरू किये गये खंड
1	2	3	4	5
		नयी लाइनें		
1.	आन्ध्र प्रदेश	मोटुमारी—जग्गयापेटा	46	

क्रम सं०	राज्य	परियोजना का नाम	31-3-85 को प्रतिशत प्रगति	शुरू किये खंड
1	2	3	4	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	तेलापुर पाटनचेरू	60	
3.	आन्ध्र प्रदेश और अंशत: महाराष्ट्र में	अदिलाबाद—पिम्पलकुट्टी	6	
4.	असम	जोगीघोपा से गुवाहाटी तक एक बड़ी रेल लाइन सहित जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर पुल	1	
5.	गुजरात	भुज–नलिया	30	
6.	हिमाचल प्रदेश तथा अंशत: पंजाब में	नंगल डैम तलवाड़ा	5	नंगल डैम—राय महेतपुर (7 मि० मी०) मार्च, 85 में चालू की गयी
7.	जम्मू और कश्मीर	जम्मूतवी—ऊधमपुर	5	
8.	कर्नाटक अंशत: आंध्र प्रदेश में	चित्रदुर्ग—रायदुर्ग	10	
9.	केरल	अल्लेप्पी—कायमकुलम	0.1	
10.	उड़ीसा	कोरापुट—रायगडा	10	कोरापुट से मछलीगुडा (20 कि० मी०) दिस०, 85 में चालू की गयी।
11.	उड़ीसा	ताल चेर—सम्बलपुर	2	
12.	पंजाब	भटिंडा बाईपास लाइन	6	
13.	राजस्थान तथा अंशत: उत्तर प्रदेश में	मथुरा—अलवर	5	
14.	राजस्थान	कोटा—चित्तौड़गढ़—नीमच	13	
15.	तमिलनाडु	करुर-डिंडीगुल—मदुरै—मनियाची—तूनीकोरिन/तिरुनेलवेलि	22	तिरुनेलवेलि मिलविट्टान (53 कि०मी) मई, 85 में चालू की गयी
16.	पश्चिम बंगाल	लक्ष्मीकांतपुरम—कुल्पी सहित बजबज—नामखाना	—	
17.	पश्चिम बंगाल	इकलाखी—बालूरघाट	3	
18.	पश्चिम बंगाल	तामलुक—दीघा	—	
		आमान परिवर्तन		
1.	असम	गुवाहाटी—डिब्रूगढ़	—	

क्र० सं०	राज्य	परियोजना का नाम	31-3-85 को प्रतिशत प्रगति	शुरू किये गये खंड
1	2	3	4	5
2.	महाराष्ट्र तथा अंशत: आन्ध्र प्रदेश में	परभनी – पूर्णा और मुदखेड़—आदिलाबाद आमान परिवर्तन तथा पूर्णा—मुदखेड़ समानान्तर बड़े आमान की रेल लाइन		
3.	राजस्थान	सूरतगढ़—सरूपसर—अनूपगढ़	—	मार्च, 85 में यातायात के लिए खोला गया
4.	राजस्थान	सूरतगढ़ – बीकानेर		

सातवीं योजना के लिए मुख्य सिंचाई परियोजनाएं

6249. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे मुख्य सिंचाई परियोजनायें कौन-सी हैं जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) उन मुख्य परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उससे क्रमश: कितनी भूमि की सिंचाई की जायेगी;

(ग) उन मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी राशि का नियतन का विचार है; और

(घ) उन सभी मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सूचना विवरण 1 तथा 2 में दी गई है।

विवरण–1

सातवीं योजना के लिए वृहद तथा माध्यम सिंचाई कार्यक्रम के लिए परिव्यय

राज्य	सातवीं योजना में परियोजनाएं		परियोजनाओं की अनन्तिम क्षमता
	निर्माणाधीन	नई	(हजार हैक्टेयर)
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	14	—	2417.07
2. असम	2	1	90.43
3. बिहार	11	5	1093.12
4. गुजरात	11	—	2182.63
5. हरियाणा	9	2	996.00
6. हिमाचल प्रदेश	—	1	अनुपलब्ध

1	2	3	4	5
7.	जम्मू व कश्मीर	1	—	55.00
8.	कर्णाटक	13	—	1752.73
9.	केरल	10	1	553.03
10.	मध्य प्रदेश	20	1	2113.50
11.	महाराष्ट्र	42	—	2401.69
12.	मणिपुर	4	—	93.00
13.	मेघालय	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	5	1	1462.90
16.	पंजाब	3	—	825.00
17.	राजस्थान	6	2	1523.70
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	3	2	171.96
20.	त्रिपुरा	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	23	3	5383.79
22.	पश्चिम बंगाल	3	2	1647.64
	जोड़	180	21	24763.19
	संघ राज्य क्षेत्र	1	—	43.07
	कुल जोड़	181	21	24806.26

विवरण-2

सातवीं योजना के लिए बृहद तथा मध्यम सिंचाई कार्यक्रम के लिए परिव्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत सातवीं योजना परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1182.30
2.	असम	137.00
3.	बिहार	1285.00
4.	गुजरात	1469.09
5.	हरियाणा	418.50
6.	हिमाचल प्रदेश	13.50
7.	जम्मू व कश्मीर	52.86
8.	कर्नाटक	523.00

1 2		3
9. केरल		280.00
10. मध्य प्रदेश		1375.92
11. महाराष्ट्र		1320.00
12. मणिपुर		60.00
13. मेघालय		0.55
14. नागालैंड		——
15 उड़ीसा		550.00
16. पंजाब		270.78
17. राजस्थान		635.46
18. सिक्किम		6.00
19. तमिलनाडु		212.00
20. त्रिपुरा		27.00
21. उत्तर प्रदेश		1420.00
22. पश्चिम बंगाल		208.00
	कुल (राज्य)	11445.96
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	59.60
	कुल जोड़	11505.56

इण्डियन एयरलाइन्स का बेड़ा

6210. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स के पास इस समय कितने विमान हैं;

(ख) विमानों का किस्म-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स की कुल यात्री क्षमता कितनी है?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के स्वयं के विमानों की संख्या और किस्म-वार विवरण निम्न प्रकार हैं :—

विमान की किस्म	विमानों की संख्या
एयरबस—300	10
बोइंग—737	25
एफ —27	8
एच एस—748	11
	54

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स के पास प्रतिदिन उपलब्ध कुल सीट क्षमता लगभग 34,800 है।

रेलवे कांग्रेसजनों के राष्ट्रीय मंच (नेशनल फोरम आफ कांग्रेसमैन) को दी गई सुविधायें

6211. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल अधिकारियों ने रेलवे कांग्रेसजनों के राष्ट्रीय मंच को एक सामाजिक संगठन के रूप में मान्यता दी हुई है;

(ख) रेल अधिकारियों द्वारा इस मंच को क्या सुविधाएं दी गई हैं; और

(ग) रेल कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल करने और रेल प्रशासन की सहायता करने में इस मंच की क्या सुस्पष्ट भूमिका है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) रेलवे कांग्रेसमैन के राष्ट्रीय फोरम को, जो सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है, निम्नलिखित सुविधाएं देने के लिए अगस्त, 1983 में एक विनिश्चय किया गया था, जिसकी अब समीक्षा की गयी है—

1. राष्ट्रीय फोरम को एक सामाजिक संगठन मानते हुए इसके चुनिंदा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को कार्ड पास जारी किये जाएं,
2. फोरम के महत्वपूर्ण सदस्यों, जैसे महा-सचिव और अध्यक्ष को रेल कर्मचारियों के सामाजिक कल्याण के उपायों के संबंध में बातचीत करने के लिए प्रत्येक रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी से मिलने की अनुमति दी जाये, और
3. राष्ट्रीय फोरम उनकी जानकारी में आये भ्रष्टाचार और अन्य अनियमित गतिविधियों के मामले रेल प्रशासन के ध्यान में ला सकेगा ताकि उनकी जांच करायी जा सके और उस तरह की बुराइयों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा सके।

अगस्त, 1983 में जारी किये गये आदेशों में यह विशेष रूप से उल्लेख है कि सामाजिक कल्याण उपायों का अभिप्राय शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, व्यक्तिगत विपदाओं के समय सहायता आदि से संबंधित गतिविधियों से है और वे मामले जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ विचार-विमर्श के अंतर्गत आते हैं, खास तौर पर इनमें शामिल नहीं हैं।

कर्नाटक को दिया गया "केयर फूड"

6212. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के अन्त तक कुल कितना "केयर फूड" प्राप्त हुआ;

(ख) बालवाड़ी के बच्चों और गरीब परिवारों के उपयोग के लिए कर्नाटक को कितना "केयर फूड" दिया गया है;

(ग) क्या "केयर फूड" के दुरुपयोग के बारे में सरकार को कोई जानकारी प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

युवा कार्य तथा खेल और महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) कलैण्डर वर्ष 1985 के दौरान 1,36,316 मी० टन।

(ख) 1985 में 17,659 मी० टन ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है ।

इंडियन एयरलाइन्स में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति

6213. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों में आरक्षण तथा उन्हें अनुमत्य अन्य सुविधाओं के संबंध में सरकार के निदेशों तथा अनुदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इंडियन एयरलाइन्स में किसी सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स में सम्पर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-एककों की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन एककों के गठन का स्वरूप क्या है और ऐसे एककों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस सेल में एक अधिकारी और एक कर्मचारी है । इस समय इस सेल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का कोई अधिकारी/कर्मचारी नहीं है ।

(घ) इस सेल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के किसी अधिकारी/कर्मचारी को सम्मिलित करने के बारे में सरकारी निदेश में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है ।

परसिया-छिन्दवाड़ा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

6214. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परसिया-छिन्दवाड़ा छोटी लाइन को बड़ी रेल-लाइन में बदलने का है;

(ख) क्या इस रेल लाइन को बदलने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कब तक निर्माण कार्य आरम्भ होने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां ।

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

इन्दौर-दोहड रेल लाइन का निर्माण

6215. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदौर-दोहड रेल लाइन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) दोहड़ से महु तक बड़ी लाइन तथा महु से इंदौर तक मिश्रित रेल लाइन बिछाने के सम्बन्ध में पश्चिम रेलवे द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट

प्राप्त हो गयी है। सभी पहलुओं से जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

दल्ली-राजहरा-जगदलपुर रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण

6216. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दल्ली-राजहरा-जगदलपुर रेल सम्पर्क के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो क्या यह सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) इस रेल मार्ग का निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बस्तर जिला एक आदिवासी और पिछड़ा क्षेत्र है, और वहां औद्योगिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, सरकार का विचार इस रेलवे लाइन का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) यह सर्वेक्षण 1973-74 में किया गया था। अब इस सर्वेक्षण का अद्यतन बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण पूरा होने के बाद आगे कार्रवाई की जायेगी जो इस परियोजना के वित्तीय निहितार्थ तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

राज्यों द्वारा त्रिभाषा फार्मूला का कार्यान्वयन

6217. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अभी तक त्रिभाषा फार्मूला लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने यह फार्मूला लागू करने के लिए राज्यों पर दबाव डालने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। तमिलनाडु, मेघालय तथा पाण्डिचेरी ने त्रिभाषा सूत्र को अभी तक कार्यान्वित नही किया है।

(ख) तमिलनाडु ने 1968 में राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसार, एक द्विभाषा सूत्र अपनाया है। पाण्डिचेरी तमिलनाडु की पद्धति का अनुसरण करता है। मेघालय, स्थानीय रूप से बहुत सी भाषाओं के कारण इस सूत्र को अभी तक कड़ाई से कार्यान्वित नहीं कर सका है।

(ग) स्कूल शिक्षा की देख-भाल तथा अधिकांशत: उसका प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को नीति के सम्बन्ध में सलाह देती है और शिक्षा सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाएं प्रदान करती हैं।

केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में यथा निर्धारित त्रिभाषा सूत्र को निष्ठापूर्ण कार्यान्वित करने की निरन्तर सिफारिश की है। समय-समय पर राज्यों से इस आशय का आग्रह किया जाता रहा है कि इस सूत्र को तत्परता और निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए कारगर उपाय किए जाएं। इस सम्बन्ध में पिछली बार जुलाई, 1984 में राज्यों को सम्बोधित किया गया था।

बाढ़ के कारण हानि

6218. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बाढ़ से निरंतर प्रभावित रहे हैं;

(ख) इसमें से कौन-कौन से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बाढ़ के प्रकोप से बचाया गया और किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई बाढ़ नहीं आई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने पृथक्-पृथक् प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितनी राशि व्यय की;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में बाढ़ से हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की अदायगी की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जम्मू व कश्मीर तथा नागालैण्ड को छोड़कर सभी राज्यों ने पिछले प्रत्येक तीन वर्षों में बाढ़ से हानि होने की सूचना दी है। हालांकि गोवा, दमन और दीव के अलावा कोई भी संघ राज्य क्षेत्र इस अवधि के दौरान निरंतर बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने किसी भी वर्ष बाढ़ से हानि होने की सूचना नहीं दी है उनके नाम **विवरण-1** में दिये गये हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर किया गया व्यय **विवरण-2** में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा बाढ़ से हुई हानियों की सूचना **विवरण-3** में दी गई है।

(ङ) किसी भी राज्य को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान किसी भी वर्ष या वर्षों में बाढ़ हानियों की सूचना न देने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा

विवरण-1

वर्ष	1		राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम 2
1983	राज्य	:	नागालैण्ड।
	संघ राज्य क्षेत्र	:	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम और पांडिचेरी।
1984	राज्य		जम्मू व कश्मीर
	संघ राज्य क्षेत्र		अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह

1		2
1985	संघ राज्य क्षेत्र	अरूणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा नागर और हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप मिजोरम और पांडिचेरी। अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, चडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप और मिजोरम।

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर किए गए व्यय संबंधी विवरण

(लाख रुपयें में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1983-84 के दौरान हुआ वास्तविक व्यय		1984-85		1985-86 के दौरान प्रत्याशित व्यय	
		राज्य	केन्द्रीय ऋण सहायता	राज्य	केन्द्रीय ऋण सहायता	राज्य	केन्द्रीय ऋण सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	491.40	—	660.00	—	500.00	—
2.	असम	426.24	1000.00	526.25	1500.00	645.00	1500.00
3.	बिहार	2061.50	—	2487.00	200.00	3800.00	—
4.	गुजरात	315.78	—	309.86	—	170.00	—
5.	हरियाणा	1010.00	—	1457.00	—	1200.00	—
6.	हिमाचल प्रदेश	53.00	—	78.00	—	80.00	—
7.	जम्मू एवं कश्मीर	573.00	20.00	638.00	—	510.00	—
8.	कर्नाटक	35.61	—	70.00	—	64.14	—
9.	केरल	300.00	350.00	300.00	235.49	170.00	231.00
10.	मध्य प्रदेश	66.00	—	103.00	—	100.00	—
11.	महाराष्ट्र	14.00	—	20.10	—	15.00	—
12.	मणिपुर	57.00	23.00	77.55	16.00	120.00	—
13.	मेघालय	17.00	—	19.83	—	20.00	—
14.	उड़ीसा	280.00	320.00	489.00	461.00	500.00	400.00
15.	पंजाब	460.36	153.50	585.62	136.67	802.00	—
16.	राजस्थान	171.00	50.00	272.00	—	175.00	—
17.	सिक्किम	10.16	—	22.67	—	16.00	—
18.	तमिलनाडु	158.11	—	230.07	—	390.67	—

1 2	3	4	5	6	7	8
19. त्रिपुरा	120.86	27.00	114.71	—	140.00	—
20. उत्तर प्रदेश	1274.00	—	2195.00	134.00	1470.00	—
21. पश्चिम बंगाल	1364.01	160.00	974.46	66.84	1990.00	—
कुल राज्य जोड़	9259.03	2103.50	11630.12	2750.00	12878.51	2131.00
संघ राज्य क्षेत्र						
1. अरूणाचल प्रदेश	17.16	—	31.58	—	38.00	—
2. दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
3. दिल्ली	1106.08	—	1030.78	—	987.75	—
4. गोवा दमन और दीव	12.17	—	10.18	—	20.00	—
5. पांडिचेरी	18.21	—	21.50	—	35.00	—
6. लक्षद्वीप	4.50	—	3.07	—	10.00	—
7. संघ राज्यों क्षेत्रों का कुल जोड़	1158.12	—	1097.11	—	1090.75	—
8. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का जोड़	10417.15	2103.50	12727.23	2750.00	13969.26	2131.00

विवरण-3

पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ हानियों का ब्यौरा संबंधी विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल बाढ़ हानियां			28-2-86 की स्थिति
	1983	1984	1985	
1 2	3	4	5	
1. आन्ध्र प्रदेश	623.11	276.12	10.23	
2. असम	56.18	50.82	54.74	
3. बिहार	26.28	235.53	36.54	
4. गुजरात	217.99	39.22	3.64	
5. हरियाणा	50.97	1.93	73.37	

1 2	3	4	5
6. हिमाचल प्रदेश	37.17	0.08	129.22
7. जम्मू और कश्मीर	0.32	असूचित	नगण्य
8. कर्नाटक	6.75	3.33	1.51
9. केरल	0.95	96.58	638.40
10. मध्य प्रदेश	20.90	12.57	0.07
11. महाराष्ट्र	106.80	2.58	8.59
12. मणिपुर	0.27	2.00	7.39
13. मेघालय	3.05	13.25	10.00
14. नागालैण्ड	शून्य	2.61	3.95
15. उड़ीसा	11.47	161.59	223.08
16. पंजाब	8.35	1.12	237.64
17. राजस्थान	32.17	47.23	9.96
18. सिक्किम	27.88	11.24	18.55
19. तमिलनाडू	215.98	169.94	157.69
20. त्रिपुरा	20.46	15.22	6.22
21. उत्तर प्रदेश	1009.33	464.06	2400.94
22. पश्चिम बंगाल	14.43	298.49	19.44
23. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
24. अरूणाचल प्रदेश	0.33	असूचित	5.96
25. चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
26. दादरा और नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
27. दिल्ली	0.35	शून्य	00.7
28. गोवा, दमन और दीव	0.12	0.02	0.01
29. लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
30. मिजोरम	शून्य	असूचित	असूचित
31. पांडिचेरी	असूचित	असूचित	4.37

[हिन्दी]

सामुदायिक समूह गान योजना

6219. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक समूह गान योजना सर्व प्रथम कब प्रारम्भ की गई थी और उसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक इस योजना पर मद वार कितनी राशि व्यय की गई और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या इस योजना का कभी कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सामूहिक गायन के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना रा०शै०अ०प्र०प० के माध्यम से वर्ष 1982 में निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर शुरू की गई थी :—

(i) अपने देश के प्रति देश भक्ति और गर्व और तेजस्वी दाय के प्रति देशभक्ति उत्पन्न करना;

(ii) बच्चों द्वारा उन सभी भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति आदर और प्यार करना सीखना जो विभिन्न भारतीय भाषाओं के महान कवियों की कृतियों सहित भारत के ताने-बाने में जुड़ी हुई है, इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की भावना सुदृढ़ बनाना।

(iii) बच्चों को देश और इसके लोगों के सामान्य हितों पर सोचने की शिक्षा देना,

(iv) अनुशासन और सहकारी सहभागिता की प्रवृत्ति उत्पन्न करना;

(v) भारतीय समुदाय से सम्बन्ध होने के गौरव तथा कलात्मक स्वत: अभिव्यक्ति का अवसर बड़ी संख्या में लोगों को प्रदान करना; और

(vi) विश्व शान्ति के लिए भारत के रचनात्मक योगदान पर प्रकाश डालना।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1983-84 से 1985-86 के दौरान इस योजना पर विषय-वार खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

(i) अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	25.08 लाख रु०
(ii) अध्यापक भागीदारों में वितरण के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं के 15 गानों से परिपूर्ण रिकार्ड की गई कैसेटों तथा टेप-रिकार्डरों को खरीदना	13.99 लाख रु०
(iii) "आओ मिलकर गाएं" शीर्षक की गायन-पुस्तिका की छपाई	0.94 लाख रु०
(iv) जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में 14 नवम्बर, 1983 को बाल-दिवस मनाना	13.37 लाख रु०
(v) दिल्ली स्कूल बच्चों द्वारा गणतन्त्र दिवस परेड, 1986 में प्रस्तुत किया गया सामूहिक गायन	1.01 लाख रु०
(iv) राष्ट्रीय संगीतकारों/संचालकों के निरीक्षण में कार्यरत संगीत-अध्यापकों को परिश्रमिक	0.80 लाख रु०

इसके आरम्भ से रा०शै०अनु०प्र०परि० द्वारा अभी तक 55 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं जिसके अन्तर्गत 2500 अध्यापक प्रशिक्षित किए गए थे तथा 100 अध्यापकों को मुख्य व्यक्ति (मुख्य स्रोत व्यक्ति) के रूप में मान्यता दी गई है जिनका उपयोग अपने शिक्षकों तथा

छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविरों के सभी भागीदारी अध्यापकों को एक छपी हुई पुस्तक, "आओ मिलकर गाएं", टेपरिकार्डर का एक निःशुल्क उपहार तथा एक रिकार्ड की हुई कैसेट, जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं में 15 गाने भरे होते हैं, दी जाती है ताकि वे उन गानों को सिखाते समय कक्षा में शिक्षण-अध्ययन-स्थिति को विकसित कर सकें।

(ग) और (घ) यद्यपि, योजना का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है, रा० शै०अनु०प्र०परि० के अनुसार, जिन्हें क्षेत्र में कार्य के सम्बन्ध में प्रशिक्षित अध्यापकों से जो रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं, वे काफी प्रोत्साहक हैं।

[अनुवाद]

अण्डमान, निकोबार प्रशासन के परिवहन विभाग में पदों के सृजन/भर्ती के लिए प्रस्ताव

6220. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अण्डमान और निकोबार प्रशासन के परिवहन विभाग में योजना और गैर योजना क्षेत्रों में पदों के सृजन/भर्ती पर लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वीप समूह के निवासियों को परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को अण्डमान और निकोबार प्रशासन से बसें और जहाज चलाने और उनके रखरखाव के लिये तुरन्त आवश्यक पदों का सृजन करने/पदों पर भर्ती करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव कब प्राप्त हुए और कितने पदों की मांग की गई है तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सरकार को यात्री परिवहन सेवाएं पुष्ट करने, आटोमोबाइल वर्कशाप को सुदृढ़ करने और मोटर परिवहन विभागों, समुद्री विभागों आदि को पुनर्गठित करने के लिए पदों का सृजन करने के कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन पर नियमों के अनुसार निर्णय किया जाएगा।

विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर रात्रि के समय जहाज उतरने की सुविधाएं

6221. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर रात्रि के समय असैनिक विमानों के उतरने की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर इस समय दो हवाई पट्टियों की लम्बाई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या हवाई पट्टियों की लम्बाई बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है ताकि वहां बोइंग विमान भी उतर सकें ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) घावनपथ बोइंग-737 विमानों के लिए उपयुक्त है जिनका इस समय इण्डियन एयर-लाइन्स द्वारा परिचालन किया जा रहा है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं है। तथापि, विशाखापत्तनम विमान पट्टी अब भारतीय नौ सेना को स्थानांतरित कर दी गयी है और भविष्य में इसके विकास की देख-रेख नौ-सेना द्वारा की जाएगी।

ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित त्रिवार्षिक प्रदर्शनी

6222. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललित कला अकादमी ने हाल ही में त्रिवार्षिक प्रदर्शनी आयोजित की थी जिसमें विश्व विख्यात चित्रकारों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने विदेशी और भारतीय चित्रकारों ने भाग लिया और प्रदर्शनी के आयोजन पर कितनी लागत आई तथा कुल कितने पारितोषिक दिए गए;

(ग) क्या अकादमी ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मान्यता प्राप्त स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय चित्रकारों जो संरक्षण के अभाव में क्षीयमान हो रहे हैं, के लिए चित्रकला प्रदर्शनी के सम्बन्ध में कोई विचार-गोष्ठी का आयोजन किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक प्रदर्शनी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और सरकार ने देश में विभिन्न स्कूलों की चित्रकला विशेष रूप में से पर्वतीय चित्रकला को प्रोत्साहन देने के लिए भाग लेने वाले कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिया है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) 241 विदेशी कलाकारों और 76 भारतीय कलाकारों ने छठे त्रिवार्षिक भारत 1986 में भाग लिया। अकादमी ने प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए 33.23 लाख रुपए की राशि निर्धारित की। लगभग 1,00,000/- रुपये की लागत के पदकों के अतिरिक्त प्रत्येक 50,000/- रुपये के दस पुरस्कार थे।

(ग) अकादमी कला शिविरों तथा कला मेलों की राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करती रही है जिसमें सहभाजिता को विभिन्न मान्यता प्राप्त स्कूलों के कलाकारों तक ही सीमित नहीं रखा गया है।

(घ) वर्ष 1984, 1985 तथा 1986 में आयोजित तीन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में पर्वतीय क्षेत्रों से भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः 24, 31 तथा 26 थी तथा उनके द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों की संख्या क्रमशः 1, 4, तथा 1 थी।

फरवरी, 1986 में आयोजित कला मेले में भाग लेने के लिए अकादमी ने प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्थान को अल्प सहायक अनुदान प्रदान किया।

इसका सामान्य दृष्टिकोण दूरवर्ती तथा पर्वतीय क्षेत्रों के कलाकारों सहित बड़े पैमाने में कलाकारों द्वारा भाग लेने को प्रोत्साहित करना है।

[हिन्दी]

कलकत्ता से पटना के बीच चलने वाली गाड़ियों में राजगिर के लिए विशेष यात्री डिब्बा लगाना

6223. **श्री कुंवर राम** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा, राजगिर, पावापुरी, कोकोलाट और बोध गया जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिल्ली और कलकत्ता से पटना जाने और आने वाली महत्वपूर्ण अप और डाउन रेल गाड़ियों में राजगिर के लिए एक विशेष यात्री डिब्बा लगाने की मांग पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) इस मामले की जांच की गयी है लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है क्योंकि अधिकांश गाड़ियों में स्थान उपलब्ध नहीं है, और बख्तियारपुर में शंटिंग सुविधाएं नहीं हैं ?

सदाकत आश्रम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना

6224 **श्री कुंवर राम** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में समूचे सदाकत आश्रम जहां प्रथम राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था और उनका देहान्त हुआ, को राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसे एक रमणीय पर्यटन स्थल और प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सकादत आश्रम परिसर का ऐसे उपयुक्त कार्यकलाप शुरू करने के लिए उपयोग करने पर विचार किया गया है, जो डा० राजेन्द्र प्रसाद का एक उपयुक्त स्मारक बन सकें।

(ख) इसे पर्यटक स्थान बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) भवन की मरम्मत करना बिहार विद्यापीठ न्यास और बिहार सरकार का काम है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए देश की राजधानी में प्रत्येक राज्य के महत्वपूर्ण त्यौहारों का आयोजन

6225. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में बेहतर आपस सहयोग बढ़ाने के लिए देश की राजधानी में प्रत्येक राज्य के महत्वपूर्ण त्यौहारों को आयोजित करने का विचार है और इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) प्रत्येक राज्य के महत्वपूर्ण उत्सव राजधानी में विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों द्वारा मनाये जा रहे हैं, जिनके लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती।

हवाई अड्डों पर सामान बुक कराना

6226. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए सुरक्षा विनियमों के अन्तर्गत बुक किये गये सामान को हवाई अड्डे पर 24 घंटे के लिए रोका जाता है;

(ख) क्या इससे विमान द्वारा माल की ढुलाई में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है;

(ग) क्या मेटल डिटेक्टरों आदि से माल की जांच करने की कोई प्रणाली नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सामान को 24 घंटे तक रोके रखने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर सामान की जांच नये इलैक्ट्रानिक डिटेक्टरों द्वारा की जायेगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वर्तमान अनुदेशों के अधीन, माल को "कूलिंग आफ" अवधि के लिए 36 घंटे तक रोके रखना होता है। तथापि, जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुओं को एक्स-रे मशीन से निकलने के तुरन्त बाद स्वीकार कर लिया जाता है।

(ख) जी, नहीं। कूलिंग आफ अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विमान से सामान भेजने वालों को सलाह दी गई है कि वे अपने माल को काफी समय पहले भेज दें।

(ग) सामान्य माल के लिए धातु खोजी यन्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इस प्रणाली को संतोषजनक नहीं पाया गया है।

(घ) सामान की छानबीन कर सकने वाले विद्युत उपकरणों का पता लगाया जा रहा है और इन्हें धीरे-धीरे संस्थापित किया जाएगा।

[हिंदी]

मध्य प्रदेश में वर्तमान रेलवे लाइनें और सातवीं योजना अवधि के दौरान उनका विस्तार कार्यक्रम

6227. **श्री अजय मुशरान** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में प्रति सौ किलोमीटर के क्षेत्र में रेलवे लाइनों की लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या यह अखिल भारतीय औसत से बहुत कम है और राष्ट्रीय औसत की तुलना में इसका अनुपात क्या है;

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश के रेलवे विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में प्रति सौ वर्ग कि०मी० क्षेत्र में रेल लाइन मार्ग कि०मी० का औसत लगभग 1.30 कि०मी० है और सम्पूर्ण भारत के लिए यह लगभग 1.88 कि०मी० है।

(ग) और (घ) नई लाइनें केवल इस आधार पर शुरू नहीं की जाती हैं कि वे किसी राज्य विशेष में स्थित हैं। कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच के बीच (जो अंशत: नीमच के पास मध्य प्रदेश में है) नई बड़ी लाइन का निर्माण प्रगति पर है। सतना से रीवा (मध्य प्रदेश में) और गुना से इटावा तक (अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है) नयी लाइनों के निर्माण का अनुमोदन 1985-86 के रेल बजट में किया जा चुका है।

[अनुवाद]

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विदेशी एयरलाइनों द्वारा विमान किरायों में कमी करने की पेशकश

6228. **डा० बी० एल० शैलेश**
श्रीमती ऊषा चौधरी } : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया द्वारा इस समय यात्रा करने वाले यात्रियों को आकर्षित करने के प्रयास में ब्रिटेन में अनेक एयरलाइनों द्वारा विमान किरायों में विशेष कमी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिये कि इससे एयर इण्डिया के यातायात पर बुरा प्रभाव न पड़े सरकार तथा एयर इंडिया द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इस बारे में सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार की डाकरनाला सिंचाई योजना

6229. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना डाकरनाला सिंचाई योजना (बिहार) के मूल प्राक्कलनों में संशोधन किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलम्ब हो गया है, जिसके कारण इस योजना पर होने वाले खर्च में बहुत वृद्धि हो गयी है; और

(ग) इस योजना की क्रियान्विति में विलम्ब होने और यहां तक कि योजना के प्रथम चरण के अभी तक पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) डकरानाला सिंचाई स्कीम सोपान-एक को योजना आयोग ने 1976 में 843.24 लाख रुपए की लागत पर स्वीकार किया था। अद्यतन अनुमानित लागत 3264 लाख रुपए बताई गई है। राज्य सरकार ने परियोजना कार्य वास्तव में 1982 में आरम्भ किए थे। बताया गया है कि भूमि अधिग्रहण समस्या तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब हुआ है।

[अनुवाद]

मुआवजे की अदायगी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित की गई धनराशि

6230. **श्री शांताराम नायक** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मुआवजा निधि में मुआवजे की अदायगी के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-वार और संघ राज्य-क्षेत्रवार अब तक कितनी धनराशि वितरित की गई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : तोषण निधि से मुआवजे का भुगतान करने के लिए केंद्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों को 31-3-1986 तक 75.91 लाख रु० का निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार भुगतान किया है :—

क्रम सं०	राज्य/संघ प्रशासन	दी गई राशि (लाख रु० में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2.25
2.	अंडमान और नीकोबार	0.10
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.80
4.	असम	2.15
5.	बिहार	4.28
6.	चंडीगढ़	0.60
7.	दादरा और नागर हवेली	0.10
8.	दिल्ली	4.00
9.	गोवा, दमन और दीव	0.80
10.	गुजरात	8.25
11.	हरियाणा	2.65
12.	हिमाचल प्रदेश	0.10
13.	जम्मू-कश्मीर	0.70
14.	कर्नाटक	8.50
15.	केरल	2.28
16.	मध्य प्रदेश	8.25
17.	मणिपुर	0.10
18.	महाराष्ट्र	9.00
19.	मेघालय	0.40
20.	मिजोरम	0.10
21.	नागालैंड	0.10
22.	उड़ीसा	1.50
23.	पांडिचेरी	0.10
24.	पंजाब	1.70

1	2	3
25.	राजस्थान	5.50
26.	तमिलनाडु	2.00
27.	त्रिपुरा	1.10
28.	उत्तर प्रदेश	6.00
29.	पश्चिम बंगाल	2.50

केरल को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए धन का आवंटन

6231. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केरल राज्य को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए कितना धन आवंटित किया गया है;

(ख) क्या उक्त योजना के दौरान और अधिक मेडिकल कालेज खोलने के लिए केरल राज्य को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कालेजों को खोलने के स्थानों और समय के बारे में ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 52.00 करोड़ रुपए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण में रेल कारखाने/एकक

6232. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां रेलवे के उपकरण और अधिष्ठापन तथा कारखाने/एकक हैं;

(ख) क्या यह सच है कि केरल राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां इस प्रकार का कोई कारखाना अथवा एकक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) परिवहन मंत्रालय (रेल विभाग) के नियंत्रण में दक्षिण भारत में स्थित उत्पादन यूनिटों और मरम्मत कारखानों के नाम नीचे दिए गए हैं :

उत्पादन यूनिट/मरम्मत कारखाने का नाम	स्थान
1	2
1. सवारी डिब्बा कारखाना	पेरम्बूर, मद्रास (तमिलनाडु)
2. पहिया और धुरा संयंत्र	येलहंका, बेंगलूरू (कर्नाटक)

1	2
3. बड़ी लाइन के माल डिब्बों के लिए नया मरम्मत कारखाना (निर्माणाधीन)	गुंतापल्ली (आंध्र प्रदेश)
4. रेल इन्जन और सवारी डिब्बा कारखाना	लालागुडा (आंध्र प्रदेश)
5. बड़ी लाइन का नया मरम्मत कारखाना (निर्माणाधीन)	तिरूपति (आंध्र प्रदेश)
6. रेल इन्जन, सवारी और माल डिब्बा मरम्मत कारखाना	हुबली (कर्नाटक)
7. रेल इन्जन, सवारी तथा माल डिब्बा मरम्मत कारखाना	मैसूर (कर्नाटक)
8. रेल इन्जन, सवारी तथा माल डिब्बा मरम्मत कारखाना	गोल्डन राक (तमिलनाडु)
9. रेल इंजन तथा सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना	पेरम्बूर, मद्रास तमिलनाडु
10. सवारी और माल डिब्बा मरम्मत कारखाना	पेरम्बूर, मद्रास (तमिलनाडु)
11. सिगनल और दूर संचार कारखाना	पोद्नूर (तमिलनाडु)
12. सिविल इन्जीनियरी कारखाना	अरकोणम (तमिलनाडु)
13. इन्जीनियरी कारखाना	लालागुडा (आंध्र प्रदेश)
14. औजार तथा संयंत्र डिपो	गोल्डन राक (तमिलनाडु)
15. सिगनल और दूर संचार कारखाना	मेट्टुगुडा (आंध्र प्रदेश)

(ख) जी नहीं।

(ग) रेल संस्थापनाएं क्षेत्रीय अथवा राज्य आधार पर स्थापित नहीं की जाती हैं। अपितु, इनकी स्थापना रेलवे की परिचालनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

बिहार में लम्बित रेल परियोजनाएं

6233. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रेल परिवहन के सम्बन्ध में रेल विभाग में, रेल मार्गों और नए रेल मार्गों हेतु सर्वेक्षण के कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ख) इनमें से कितने मंजूर किए जा चुके हैं या विचाराधीन है और कब से; और

(ग) क्या उन पर कार्य आरम्भ करने के बारे में कोई संदर्शी योजना तैयार की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) बिहार में निम्नलिखित रेल लाइनों के निर्माण-कार्य अनुमोदित किए गए हैं :—

क्र०सं०	नई लाइनें	अनुमोदन का वर्ष	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	तालगढ़िया-तुपराडीह	79-80	कार्य प्रगति पर है।
2.	छितौनी-बगहा	74-75	बगहा-बाल्मीकि नगर (9

1	2	3	4
			कि०मी०) लाइन 1981 में खुल गयी थी।
3.	सकरी-हसनपुर	74-75	×संसाधन की स्थिति में सुधार होने पर ही क्रम सं० 2 के शेष कार्य और क्रम सं० 3 के कार्य पर विचार किया जाएगा।

सातवीं योजना के दौरान बिहार में अन्य नयी लाइन का निर्माण कार्य अनुमोदित करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, बिहार में निम्नलिखित नयी बड़ी लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं ताकि परियोजनाओं के वित्तीय फलितार्थ का पता लगाया जा सके।

(I) रांची—हजारीबाग टाउन-गिरिडीह।

(II) रांची—लोहारदगा छोटी लाइन के बड़ी लाइन में बदलाव के साथ-साथ लोहारदगा से टोरी।

विश्वविद्यालयों में कुलपतियों और विभागाध्यक्षों का चयन

6234. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और विभागाध्यक्षों का चयन पूर्णत: शैक्षिक योग्यता और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले पर विचार विमर्श किया है और कुछ मार्गनिर्देश जारी किए हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव) : (क) से (ग) कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रत्येक विश्वविद्यालय के अधिनियम और संविधियों में निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय के अभिशासन से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति (1971), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केंद्रीय विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति (1983) और 1984 में आयोजित कुलपतियों के सम्मेलन, इन सभी में कुलपतियों और विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के प्रश्न पर चर्चा की गई है। इन सभी निकायों द्वारा की गई सिफारिश यह है कि कुलपतियों की नियुक्ति विजिटर/कुलाधिपति द्वारा विशेष रूप से गठित समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से की जानी चाहिए। देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा सामान्य तौर से यही पद्धति अपनाई जाती है। जहां तक विभागाध्यक्षों की नियुक्ति का प्रश्न है, उपरोक्त उल्लिखित समितियों ने कोई एक समान पद्धति की सिफारिश नहीं की थी। उनका यह विचार था कि वरिष्ठतम प्रोफेसर को स्वत: ही विभागाध्यक्ष नियुक्त करने के बजाय प्रत्येक विश्वविद्यालय को चाहिए कि वह अपनी उपयुक्त प्रक्रियों की सिफारिश करें।

उपर्युक्त सिफारिशें सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के ध्यान में लाई गई हैं।

विकलांगों के लिये समेकित शिक्षा

6235. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों में विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार उसके क्या कारण हैं तथा इन कमियों को किस प्रकार दूर करने का विचार है;

(ग) क्या पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से इस योजना की प्रगति धीमी रही है;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ धनराशि ले लेने के बावजूद इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया है; और

(ङ) इस योजना के समुचित तथा शीघ्र क्रियान्वयन करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना अभी तक आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और मिजोरम में कार्यान्वित की जा रही है। असम, नागालैण्ड, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा राज्यों ने योजना को आरंभ करने के प्रारम्भिक प्रबन्ध कर लिए हैं।

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस योजना को कार्यान्वित करने में मुख्य कठिनाई विकलांगों को शिक्षण के लिए विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव तथा संसाधनों का अभाव है जिसके कारण हर जगह सहायता नहीं पहुंचाई जा सकती।

इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विकलांगों के शिक्षण के लिए विशेष शिक्षा में अल्पकालिक/दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों के लिए 6 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अब प्रबन्ध कर दिए हैं। उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक विश्वविद्यालयों/कालेजों को शामिल करने के लिए, इस कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और इसके क्षेत्रीय कालेजों में इस प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए भी प्रबन्ध किए गए हैं। सरकार छठी योजना में 2.8 करोड़ रु० की तुलना में सातवीं योजना में 5 करोड़ रु० तथा इस योजना के परिव्यय में वृद्धि कर पायी है।

(ग) योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, यद्यपि, यह सत्य है कि योजना का कार्य-क्षेत्र अभी तक काफी सीमित है।

(घ) गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल से योजना को कार्यान्वित करने/विगज मे उन्हें दी गई निधियों का उपयोग करने के बारे में रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ)इस मामले को, हाल ही में उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ भी उठाया गया था। जो कार्य-क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं तथा अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ भी उठाया गया था। जिन्हें यथा सम्भव शीघ्र योजना को आरम्भ करने के लिए योजना के क्रियान्वयन को अभी आरम्भ करना है। योजना को तीव्रगति से क्रियान्वित करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना में निधियों के बढ़े हुए प्रावधान भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस मामले पर राज्य-सरकारों के साथ आगे कार्रवाई की जा रही है।

[हिंदी]

सूरजगढ़ पम्प नहर योजना

6236. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरजगढ़ पम्प नहर योजना लगभग 146 लाख रुपये खर्च करने के बावजूद अभी तक अधूरी पड़ी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त योजना को जून, 1980 में पूरा हो जाना चाहिए था और उस समय उसकी अनुमानित लागत एक करोड़ तेरह लाख रुपए थी परन्तु इसमें अत्यधिक विलम्ब होने के कारण उसकी लागत बढ़ कर तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये हो गयी है और अभी तक लोगों को उस योजना से कोई लाभ भी नहीं मिला है;

(ग) इस योजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है/करने का विचार है; और

(घ) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी और जनता के लिए खोल दी जायेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी०'शंकरानन्द) : (क) से (घ) सूरजगढ़ पम्प नहर स्कीम योजना आयोग द्वारा 1976 में 112.39 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत की गई थी जिसमें 3300 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता की परिकल्पना की गई थी। तथापि, बिहार सरकार द्वारा वास्तविक निर्माण-कार्य 1979-80 में शुरू किया गया था। छठी योजना के अन्त तक 345 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं और 1600 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। अद्यतन अनुमानित लागत 477 लाख रुपए बताई गई है। स्कीम के पूरा होने में विलम्ब का कारण संसाधनों की कमी है। परियोजना के 1986-87 के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

[अनुवाद]

दिल्ली में वृद्ध लोगों के लिए अलग बहिरंग रोगी विभाग

6237. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अत्यधिक वृद्ध व्यक्तियों की सुविधा के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में अलग बहिरंग रोगी विभाग खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) दिल्ली के अस्पतालों में वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग से बहिरंग रोगी विभाग खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे, दिल्ली के बड़े-बड़े अस्पतालों के सभी रजिस्ट्रेशन काऊंटरों और बहिरंग रोगी विभागों में वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग लाइन लगाने के लिए उपाय किए गये हैं।

आंध्र प्रदेश में तडा-इच्छापुरम तटवर्ती सड़क के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव

6238. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से तडा से इच्छापुरम तक एक तटवर्ती सड़क के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) जी हां। तथापि चालू योजना के लिए निर्धारित नगण्य आवंटन के कारण इस सड़क के लिए किसी भी केंद्रीय प्रयोजित कार्यक्रम के तहत धनराशि देना सम्भव नहीं है।

विश्वविद्यालयों को धन आवंटित करने में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करना

6239. **श्रीमती पुष्पा देवी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों को धन आवंटित करते समय क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के लिए मध्य प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए कितनी राशि आबटित अथवा निर्धारित की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छठी योजना में विश्वविद्यालयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय किया है, जिनमें से प्रत्येक को अनुदानों का विशिष्ट आबंटन दिया जाएगा। यह वर्गीकरण वृद्धि और विकास के स्तर, उपलब्ध संसाधन और प्रबन्धकीय क्षमता, कोटि सुधार के लिए आवश्यकता, अध्यापन और अनुसंधान के व्यवहार्य स्कूलों के विकास आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। सातवीं योजना में भी विश्वविद्यालयों को ऐसे ही वर्गीकरण का अनुसरण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों के लिए आयोग द्वारा प्रस्तावित सामान्य विकास अनुदानों का अस्थायी आबंटन इस प्रकार है :

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	आबंटित राशि (लाख में)
1	2	3
*1.	डा० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	125
2.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	125
3.	विक्रम	100

1	2	3
4.	भोपाल	100
5.	देवी अहिल्या, इन्दौर	75
6.	जिवाजी	75
7.	रविशंकर	75
8.	ए०पी० सिंह रीवा	75
9.	इन्दिरा कला संगीत	50

* अवर स्नातक शिक्षा के विकास के लिए इस विश्वविद्यालय के वास्ते 10 लाख रुपये के अतिरिक्त आबंटन का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा अनुमोदित विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मिलता रहेगा।

मैसूर-बंगलौर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

6240. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलौर-मैसूर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

असम मेल गाड़ी का बन्द किया जाना

6241. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम मेल गाड़ी बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की सुविधा के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को असम मेल गाड़ी बन्द न करने सम्बन्धी कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) नयी दिल्ली तथा गुवाहाटी के बीच एक फास्ट ट्रेन चलाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया था कि नयी दिल्ली तथा गुवाहाटी के बीच आजकल चल रही आसाम मेल के बदले में 1.4.86 से बहुत कम ठहरावों वाली एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाई जाये। यद्यपि अतिरिक्त ठहरावों के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन अधिकांश जनता द्वारा इस नई गाड़ी का स्वागत किया गया है। पहले आसाम मेल से यात्रा करने वाले कम और मध्यम दूरी के यात्रियों के लिए, जो गुवाहाटी तक यात्रा करने वाले लम्बी दूरी के वास्तविक यात्रियों के लिए असुविधा उत्पन्न कर रहे थे, अन्य गाड़ियां उपलब्ध हैं।

रायलसीमा में भूमिगत के जल स्तर का गिरना

6242. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या जल संसधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तर्भोम जल स्तर (वाटर लेवल) के अनुसार रायलसीमा में भूमिगत जल का स्तर प्रति वर्ष चिंताजनक रूप से गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे पहले कि यह क्षेत्र रेगिस्तान में बदल जाये, इस रुख को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं/किये जाने का विचार है; और

(ग) इन उपायों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) कम वर्षापात तथा उसके फल-स्वरूप भूजल के अनुवर्ती अति-उपयोग के कारण जनवरी, 1984 से जनवरी, 1986 की अवधि के दौरान अधिकांशत: निम्न रिचार्ज के कारण रायलसीमा में जल स्तर में 7.50 मीटर तक की गिरावट रेकार्ड की गई है। इस क्षेत्र में उथले जलभृतों पर निर्भरता से छुटकारा पाने के लिए गहरे जलभृतों का पता लगाने के वास्ते केन्द्रीय भूजल बोर्ड कार्य-वेधन-कार्य हाथ में ले रहा है।

सिंचाई परियोजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता

6243. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सिंचाई परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन में विलम्ब तथा तदोपरान्त उनकी लागत में वृद्धि होने का एक बड़ा कारण कमजोर तकनीकी समर्थन है जो राज्य सरकारों को अपनी योजनाएं बनाने तथा लागत का ब्यौरा निर्धारित करने में प्राप्त होता है जो प्राय: संशोधित हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब होता है;

(ख) क्या इस पुरानी कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से सरकार एक इन्जीनियरिंग व्यवस्था स्थापित करेगी जो राज्य सरकार के विभागों को सिंचाई परियोजनाएं बनाने में तकनीकी सहायता देगी; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान व्यवस्था यदि कोई है तो क्या है तथा इनमें किस प्रकार का सुधार किया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय जल आयोग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं और राज्य सरकारों से राज्यों में उपयुक्त सर्वेक्षण और अन्वेषण एकक स्थापित करने का भी अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग सिंचाई स्कीमें तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को पहले ही तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

मद्रास जाने वाली कोचीन एक्सप्रेस में इडापल्ली के निकट विस्फोट

6244. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 मार्च, 1986 को मद्रास जाने वाली कोचीन एक्सप्रेस में इडापल्ली के निकट एक विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस विस्फोट के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ग) क्या विस्फोट के कारणों की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) दो यात्री घायल हो गये थे।

(ग) और (घ) केरल सरकार की अपराध शाखा इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राज्य सरकार द्वारा की जा रही जांच पड़ताल के कारण रेलवे ने इस घटना की जांच करने के लिए कोई आदेश नहीं दिए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों का प्रारम्भिक और प्राथमिक स्तर पर दाखिला

6245. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर दाखिले की प्रतिशतता क्या है;

(ख) अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में दाखिला लेते हैं;

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उनकी प्रतिशतता में वृद्धि हुई है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 के दौरान प्राइमरी तथा मिडिल स्तरों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित बच्चों का दाखिला अनुपात उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित है :—

	प्राइमरी (कक्षा I—V)	मिडिल (कक्षा VI—VIII)
अनुसूचित जाति	93.4	42.1
अनुसूचित जनजाति	81.9	26.0

(ग) जी, हां।

(घ) सातवीं योजना दस्तावेज में अ०जा० तथा अ०ज०जा० के बच्चों के लिए लक्ष्य अलग से निर्धारित नहीं किए गये हैं। सातवीं योजना के अन्त तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को चूंकि दाखिल करने का लक्ष्य है, अतः इसमें अ०जा०/अ०ज० जाति से सम्बन्धित सभी बच्चे शामिल हो जाएंगे।

विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे, विमान और स्टीमर सेवाओं की योजनाएं

6246. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवाहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की रेलवे, विमान और स्टीमर सेवाओं की हमारे देश में विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजनाएं/रियायतें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के सभी राज्यों में उक्त योजनाओं का प्रचार करने और टिकटों/पासों की बिक्री करने के लिये एजेंट नियुक्त किये गये हैं; और

(घ) ऐसे एजेंट किन-किन देशों में नियुक्त किये गये हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) एयरलाइन्स

(1) इण्डियन एयरलाइन्स

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा पेश किये गये विभिन्न प्रोत्साहक/रियायती किरायों के बारे में विस्तृत ब्यौरे नीचे बताए गए हैं :—

— **डिस्कवर इंडिया किराये** :

375 अमरीकी डालर, जिससे अन्तर्देशीय मार्गों पर 21 दिनों के लिए असीमित यात्रा की जा सकती है ।

— **भारत वन्डर किराये** :

200 अमरीकी डालर, जिससे भारत में चार क्षेत्रों में से किसी एक पर सात दिनों तक असीमित यात्रा की जा सकती है । पोर्ट ब्लेयर में लगने वाले 100 अमरीकी डालरों का अधिभार भी सम्मिलित है ।

— **यूथ किराये** :

30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए भारत से बाहर के लिए भारत-नेपाल किरायों पर तथा अन्तर्देशीय किरायों पर 25% तक की छूट ।

— **दक्षिण भारत भ्रमण किराये** :

मद्रास/तिरूचिरापल्ली, मदुरै, त्रिवेन्द्रम्, कोचीन, कोयम्बतूर और बंगलौर क्षेत्रकों पर भारत से बाहर पर विक्रय पर अन्तर्देशीय क्षेत्रकों पर 30% तक छूट ।

— **श्रीनगर शीतकालीन समूह किराये** :

नवम्बर से मार्च तक के महीनों के दौरान दिल्ली और श्रीनगर के बीच चारों ओर के दौरों पर यात्रा करने पर कम से कम 4 यात्रियों के समूह के लिए 30 प्रतिशत छूट ।

— **टीसी-3, 45 दिनों के भ्रमण किराये** :

बम्बई, कोलम्बो, मद्रास, कलकत्ता, ढाका, काठमांडू, दिल्ली, लाहौर, रावलपिंडी,

पेशावर, कराची और बम्बई के लिए जिसमें से एक स्टेशन को छोड़ा जा सकता है, दौरों के लिए परिक्रमक यात्रा पर 20% तक छूट।

— दक्षिण-एशिया क्षेत्र के अन्तर्गत यात्रा के लिए प्रोत्साहन किराये :—

(क) अंतर्राष्ट्रीय सैक्टर किराये पर अलग-अलग 20% छूट जब मार्ग सूची में दक्षिण एशिया (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका और मालदीव) के कम से कम तीन देश आते हों।

(ख) कम से कम 10 व्यक्तियों के समूह को उपर्युक्त मार्ग-सूची पर 30 प्रतिशत की छूट।

(2) एयर इंडिया :

एयर इंडिया भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में अग्रणी रही है और उसने इस प्रयोजन के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

(क) पर्यटक यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के लिए विशेष प्रोत्साहक किराये शुरू करना।

(ख) ऐसे यात्रियों को आकृष्ट करने के लिए जो सामान्यत: भारत में न रुकना चाहते हों, मध्य विश्राम भ्रमण शुरू करना।

(ग) भारत में समागमों और सम्मेलनों का संवर्धन जिनके लिए एयर इंडिया ने श्रव्य दृष्य/साहित्य और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की है।

(घ) भारतीय मूल के ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता-पिता विदेश में हों, भारत में परम्परागत भ्रमण योजनाबद्ध रूप से चालू करना।

(ङ) "इंडिया आन दि हाउस" को सुनियोजित ढंग से चालू करना जिससे एयर इंडिया पर यात्रा करने वाले और यहां से गुजरने वाले यात्रियों को भारत में नि:शुल्क एक दिन के मध्य विश्राम की अनुमति दी जाएगी जो कि यात्री द्वारा वहन किये जाने वाले खर्च पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

(च) "वन्य जीवन भ्रमण" की रूप रेखा बनाना जिसके लिए एयर इंडिया ने पहले ही श्रव्य-दृष्य प्रस्तुत कर दिया है।

(छ) जापानी मार्केट पर विशेष जोर देते हुए भारत को "हनीमून टूर" का संवर्धन।

(ज) अप्रैल/मई/जून के "लीन सीजन" के लिए यूरोप से "आफ सीजन टूर" शुरू करना।

(झ) एयर इंडिया द्वारा विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए पर्यटक रुचि के लेखों का परिचालन।

रेलवेज :

(1) "पैलेस आन व्हीलस" यह एक विशेष पर्यटक रेलगाड़ी है जिसमें भूतपूर्व एम०जी०, महाराजा सैलून को नये ढंग से सज्जित कर लगाया गया है। यह गाड़ी अक्तूबर

और मार्च के बीच चलती है और यह दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा और दिल्ली होकर प्रचालन करती है।

(2) "ग्रेट इंडियन मूवर" : यह एक पूर्ण रूप से वातानुकूलित और अलिन्दयुक्त बड़ी लाइन पर चलने वाली गाड़ी होती है जो कि किसी भी एजेन्सी द्वारा चार्टर के लिए उपलब्ध होती है।

(3) "ईडरेल रोवर जर्नी स्कीम" : सामान्य विक्रय अभिकर्ताओं के माध्यम से विदेशी मार्केटों में इंडरेल पासों की बिक्री के कार्य को करने के उद्देश्य से कुछ विदेशों में यह योजना आरम्भ की गई है। इस योजना में रेलवे में स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित होती है बशर्ते कि रेलवे को आरक्षण के लिए अनुरोध कम से कम 90 दिन पहले मिल जाये।

स्टीमर सेवाएं :

फिलहाल यात्रियों का वहन करती हुई स्टीमर सेवाएं निम्नलिखित मार्गों पर प्रचालन कर रही है :—

1. मैनलैंड—अंडमान
2. मैनलैंड—लक्ष्यद्वीप
3. बम्बई—गोवा
4. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आन्तरिक—द्वीपसमूह।

(ग) एयरलाइन्स

(1) इंडियन एयरलाइन्स

महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रजनित क्षेत्रों और रिमोट ऑफ लाइन क्षेत्रों में अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। इंडियन एयरलाइन्स के भारत के सभी राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों में अपने स्वयं के कार्यालय हैं।

(2) एयर इंडिया

भारत में आने वाले पर्यटक यातायात को हैडल करने वाले सभी यात्रा प्रचालक विदेशों में यात्रा प्रचालनों के सम्पर्क से इस प्रकार की योजनाओं को उत्साहवर्द्धक बनाने में लगे हुए हैं।

स्टीमर सेवायें :

टिकटों की बिक्री के लिए—जहाज के स्वामी-अभिकर्ता यात्रियों के आने/जाने वाले बंदरगाहों में विद्यमान है।

(घ) एयर-लाइन्स

(1) इंडियन एयरलाइन्स

इंडियन एयरलाइन्स के काफी संख्या में विदेशी एयरलाइनों के साथ अन्तःलाइन यातायात प्रबन्ध है जिससे यात्री को किसी भी विदेशी एयरलाइन के कार्यालय/उनके पूरे विश्व भर के अभिकर्ताओं से इंडियन एयरलाइन्स सेवाओं पर यात्रा करने के लिए टिकटें खरीदने की अनुमति है।

(2) एयर इंडिया

एयर इंडिया अग्रणी यात्रा अभिकर्ताओं और विदेशों में सभी अभिकर्ताओं के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखती है। अधिक यातायात प्रजनित करने वाले देश यू० के०, अमरीका, यूरोप, जापान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व है।

(3) रेलवे

अब तक इंग्लैंड, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, पश्चिमी जर्मनी, जापान, मारीशस और थाईलैंड में सामान्य विक्रय एजेन्ट नियुक्त किए गए हैं।

भारत और मालद्वीप के बीच नौ-परिवहन सेवा

6247. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा मालद्वीप के बीच नौ-परिवहन सेवा चालू है अथवा इस सेवा को चालू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) से (ग) मैसर्स अण्डमान मेरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास, अगस्त, 1985 से टूटीकोरिन और माले (मालदीव) के बीच पाक्षिक कार्गो जहाजी सेवा चला रहा है। इस जहाजी सेवा से कोलम्बो से माले और माले से कोलम्बो तक कार्गो लाने-ले जाने का काम भी होता है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-मिदनापुर सेक्शन में दूसरी लाइन बिछाना

6248. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-मिदनापुर सेक्सन में दूसरी रेल लाइन का नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान यातायात के लिए मौजूदा रेलपथ उपयुक्त है।

भारत पश्चिम जर्मनी के रेल अधिकारियों द्वारा दोनों देशों के बीच सहयोग के लिये वार्ता

6249. **श्री आर० एस० माने** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पश्चिम जर्मनी के रेल अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) विचार-विमर्श के दौरान रेल प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण तथा उत्पादन वृद्धि के क्षेत्रों में भावी द्विपक्षीय सहयोग के लिए कतिपय क्षेत्रों की पहचान की गई थी।

कोल्हापुर-मिरज बम्बई रेल लाइन को मध्य रेलवे के साथ जोड़ने का प्रस्ताव

6250. **श्री आर० एस० माने** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोल्हापुर-मिरज (महाराष्ट्र), बम्बई रेल लाइन, दक्षिण मध्य रेलवे से जुड़ी हुई है और इस क्षेत्र के व्यक्तियों की यह बड़ी मांग है कि इसे मध्य रेलवे के साथ जोड़ा जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मांग पर विचार करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेल मंडलों/जोनों के क्षेत्राधिकारों का निर्णय कार्यकुशलता की जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक और परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

चिराला रेलवे स्टेशन पर रेलवे ऊपरिपुल

6251. **श्री सी० सम्बु** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे पर चिराला रेलवे स्टेशन पर ऊपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलें, मौजूदा व्यस्त समपारों के बदले में ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण लागत में राज्य सरकार के साथ संयुक्त हिस्सेदारी के आधार पर करती हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिंदी]

महिलाओं के कल्याण के लिये कार्यक्रम

6252. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या मानवसंसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम बनाये हैं और इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्य कहां तक प्राप्त किये हैं; और

(ख) इन सभी कार्यक्रमों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए सरकार की नीति क्या है ?

युवा कार्य तथा खेल और महिला विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) जी, हां।

(ख) महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रबोधन एवं मूल्यांकन पद्धति का विकास किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मद्रास जाने वाली गाड़ियों के लिये तंजाऊर में सुविधाजनक समय उपलब्ध कराना

6253. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिणी रेलवे में तंजाऊर और मद्रास के बीच मुख्य लाइन पर पर्याप्त रेल सेवाएं नहीं है;

(ख) मद्रास से जाने और आने वाली गाड़ियों के छूटने और पहुंचने के समय यात्रियों के लिए तंजाऊर में बहुत ही असुविधाजनक है;

(ग) क्या रामेश्वरम एक्सप्रेस के समय में इस प्रकार परिवर्तन करने की कोई मांग है जिससे तंजाऊर में यात्रियों के लिए सुविधा हो सके; और

(घ) इस सेक्शन पर यात्रियों के लिए पर्याप्त और सुविधाजनक गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) वर्तमान सेवाएं पर्याप्त हैं ?

(ख) से (घ) मद्रास और तंजाऊर के बीच वर्तमान गाड़ियां दोनों दिशाओं में रात्रि-कालीन और दिन के समय की सुविधाजनक सेवाएं पहले ही प्रदान करती हैं। अतः 101/102 मद्रास-रामेश्वरम् एक्सप्रेस गाड़ियों के समय में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महानदी को तमिलनाडु में ताम्बरावनी के साथ जोड़ना

6254. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानदी को तमिलनाडु में ताम्बरावनी के साथ जोड़ा जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे तमिलनाडु को न केवल सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी मिलेगा बल्कि इससे बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी;

(ग) यदि हां, तो योजना के कार्यान्वयन के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये है; और

(घ) योजना के कार्यान्वयन में लगभग कितना समय लगेगा और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) देश के जल संसाधनों के इष्टतम विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय घटक में नदियों को अन्तः सम्बद्ध करना तथा जब भी आवश्यक हो भंडारण जलाशयों का निर्माण करना शामिल है। इस घटक का एक भाग पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के अधिशेष जल को पूर्व की ओर मोड़ना है जिसमें ताम्रापर्णी नदी का व्यावर्तन भी शामिल है। प्रायद्वीपीय घटक के व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन करने के लिए एक संगठन स्थापित किया गया है।

घटिया स्तर की औषधियों का आयात तथा उनकी जांच किये गये बिना उन्हें बाजार में भेजा जाना

6255. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में घटिया स्तर की औषधियों का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि औषध नियंत्रण प्राधिकारी इस औषधियों की जांच किए बिना उन्हें बाजार में भेज देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी आयातित तैयार औषधियों की जांच किये बिना बाजार में बिक्री के लिये भेजा गया था ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) नमूने जांच के लिए तभी लिये जाते हैं यदि औषधियां पहली बार आयात की जा रही हों। बाद में यदि उसी निर्माता की वही औषधि आयात की जाती है तो उसकी प्राप्त होने वाली खेपों में से अपनी मर्जी से नमूने लिए जाते हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पोलियों, खसरा तथा एम० एम० आर० टीकों का आयात

6256. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पोलियो, खसरा तथा एम० एम० आर० टीकों की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया और किन-किन देशों से आयात किया गया; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान देश में प्रत्येक टीके की कुल अनुमानित मांग कितनी होगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई वैक्सीनों का विवरण इस प्रकार है—

पोलियो वैक्सीन

वर्ष	मात्रा खुराकों में	जिस देश से आयात किया गया
1	2	3
1983-84	5,14400	इटली
	1,60750	यूगोस्लेविया
	398,00000	बेल्जियम
	4500	जापान
1984-85	30,00000	सोवियत संघ
	13,18780	यूगोस्लेविया

1	2	3
	420,50000	बेल्जियम
	10,07000	इटली
*1985-86	6,68200	इटली
	86,09675	सोवियत संघ
	10,12600	यूगोस्लेविया
	350,00000	बेल्जियम
खसरा		
1983-84	1,29000	फ्रांस
	1,35950	बेल्जियम
	16189	इटली
	7,00000	कनाडा
1984-85	3,06000	फ्रांस
	2,58000	बेल्जियम
	95100	इटली
	40000	यू०के०
*1985-86	20,57000	फ्रांस
	21,90475	बेल्जियम
	45000	इटली
एम०एम०आर०		
1983-84	शून्य	
1984-85	15000	यूगोस्लेविया
*1985-86	30000	यूगोस्लेविया
	5000	फ्रांस

*आंकड़े अनन्तिम

(ख) राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए 1986-87 के दौरान वैक्सीनों की आवश्यकता का अनुमान इस प्रकार है—

	वैक्सीन का नाम	मात्रा खुराकों में
I.	पोलियो	533,18000
II.	खसरा	100,00000
III.	एम०एम०आर०	विस्तारित रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं।

कैंसर रोधी तैयार औषधियों का आयात

6257. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयात की जा रही कैंसर रोधी तैयार औषधियों के नाम क्या हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की प्रत्येक औषधि का आयात किया गया ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 (सितम्बर 1985 तक) आयात की गई औषधियों के नाम, उनकी मात्रा और कीमत का विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले चार वर्षों अर्थात् 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 (सितम्बर 1985 तक)
के दौरान कैंसर रोधी औषधियों का आयात

क्र०सं०	औषधि का नाम	1982-83 इकाई	1982-83 मात्रा	1982-83 सी०आई०एफ० मूल्य (रुपयों में)	1983-84 मात्रा	1983-84 सी०आई०एफ० मूल्य (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बुसुलफेन	कि०ग्रा०	शून्य	—	—	शून्य
2.	क्लोराक्वुसिल	,,	शून्य	—	—	शून्य
3.	साइक्लोफोसफामाइड	,,	230	7,78,049	211.3	8,81,415
4.	(ट्रिट्रेट्स डोनोसविसिम काछविसिन भी शामिल है)	,,	शून्य	—	—	शून्य
5.	फ्लोरोरासिल	,,	80	1,22,278	150	2,83,542
6.	एल० एसपेरेजिनेस	कि०ग्रा०	बल्क योग	75 कि०ग्रा० 2000 शीशियां × 1000 आई०यू०	47,011 रुपया 1500 शीशियां 2,13960	1,75,755
7.	मेलफालान	,,	37,500 गोलियां × 2 मि०ग्रा० 20,00 गोलियां × 5 मि०ग्रा०	1,09,87	34800 गोलियां × 2 मि०ग्रा० 19,500 गोलियां × 5 मि०ग्रा०	2,68,756

1	2	3	4	5	6	7
8.	6-मरसेप्टोपुराइन	कि० ग्रा०	80	73,214	8	79,023
9.	एन०एन०एम० ट्रीथाइलिका थायोलोश फमइड (थायोटेपा योग)	,,	7,476 × मि०ग्रा०	1,77,993	7,500 शीशियां × मि०ग्रा०	2,00,118
10.	वायाब्लास्टिन सल्फेट	,,	600 वायलें × 10 मि०ग्रा०	23,398	2300 शीशियां	103,790
11.	विनक्रिप्टाइन	,,	82499 शीशियां × 1 मि०ग्रा० 300 शीशियां × 10 मि०ग्रा०	32,76,999 33,642	86,449 शीशियां 1 मि०ग्रा०	28,17,071 72,091 20 मि०ग्रा०

	1984-85		1985-86 (सितम्बर 1985 तक)	
	मात्रा	सी०आई०एफ० मूल्य (रुपयों में)	मात्रा	सी०आई०एफ० मूल्य (रुपयों में)
	8	9	10	11
1.	704 बोतलें × 100 गोलियां × 2 मि०ग्रा० 1000 बोतलें × 30 गोलियां × 2 ,, 298 बोतलें × 25 गोलियां × 2 ,,	1,13,094	— शून्य	—
2.	544 बोतलें × 25 गोलियां × 2 ,, 1000 बोतलें × 50 गोलियां × 2 ,, 162 बोतलें × 100 गोलियां × 5 ,,	78,017	— शून्य	—
3.	125	4,50,763	130	4,53,209
4.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	125	5,15,720	बल्क योग शून्य 4500 डिब्बे × 5 9 × 5 मि०लि०	शून्य 1,42,2629
6.	1000 शीशियां × 10,000 के०यू०	1,28,462	— शून्य	—
7.	400 बोतलें × 100 गोलियां 2 मि०ग्रा०	88,204	300 बोतलें × 100 गोलियां × 2 मि०ग्रा० 1300 बोतलें × 25 गोलियां × 2 मि०ग्रा०	3,20,0470
8.	1880 बोतलें × 25 गोलियां × 50 मि०ग्रा०	1,33,933	1100 बोतलें × 25 गोलियां × 5 मि०ग्रा०	1,36,983
9.	6500 शीशियां × 15 मि०ग्रा०	1,40,399	10,500 शीशियां 200 डिब्बे × 100 ऐम्प० × 5 मि०लि०	1,82573
10.	3600 शीशियां × 10 मि०ग्रा०	1,77,777	1600 शीशियां	83,602
11.	35 ग्राम 67284 शीशियां × 1 मि०ग्रा०	1,54,494 2601,204	1300 शीशियां 9600 डिब्बे 25 मि०ग्रा०	6,36,246

भारतीय खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में जीते गये महत्वपूर्ण इनामों पर शुल्क लगाया जाना

6258. **श्री के० एस० राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न भारतीय खिलाड़ी तथा टीमें ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रही है, जिनको जीतने पर नकद अथवा अन्य प्रकार से बहुत मूल्यवान इनाम मिलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गये महत्वपूर्ण इनामों तथा उनकी कीमत और उन पर लगाये गये शुल्क का ब्योरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) कुछ मामलों में ऐसा ही है ।

(ख) उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए महत्वपूर्ण पुरस्कार तथा प्रत्येक पुरस्कार के मूल्य के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है । पुरस्कारों पर लगाए गए कर के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह संबंधित वस्तुएं आयातित करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है । तथापि यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं० 115/85 सीमा शुल्क, दिनांक 30 मार्च, 1985 द्वारा कुछ शर्तों के अन्तर्गत, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पुरस्कारों पर सीमा शुल्क के भुगतान में छूट दी है ।

खिलाड़ी/टीम का नाम	प्रतियोगिता तथा वर्ष	पुरस्कार
1	2	3
कु० आशा अग्रवाल	—हांगकांग और सिंगापुर मेराथन दौड़े—1985	40,000 रु०
	—जनवरी—1986 में हांगकांग मेराथन 1	9,000 रु०
कु० अमी घिया	—स्वीडिश ओपन—1983	2000 एस०डब्ल्यू०सी०आर०
	—मलेशिया ओपन—1983	300 अमेरिकी डालर
	—विश्व कप—1983	750 अमेरिकी डालर
	—ग्रैंड प्रिक्स बोनस पूल—1984	800 अमेरिकी डालर
	—VI ए बी सी—1985	200 एम० डालर
सैयद मोदी	—अल्बा क्वार्टज	750 अमेरिकी डालर
	—स्वीडिश ओपन—1983	1000 एस०डब्ल्यू०सी०आर०
	—विश्व कप—1983	1750 अमेरिकी डालर
	—आस्ट्रेलियन ओपन—1984	800 अमेरिकी डालर

1	2	3
संजय शर्मा	—VI ए०बी०सी०—1985	150 एम० डालर
श्रीमती मधुमीता बिष्ट	—VI ए०बी०सी०—1985	200 एम० डालर
एल०डी० "सा	—VI ए०बी०सी०—1985	250 एम० डालर
अमिता कुलकर्णी	—थाई ओपन—1984	250 अमेरिकी डालर
विमल कुमार	—इंग्लिश मास्टर्स—1985	125 पाउण्ड
	—स्काटिश—1985	12.50 पाउण्ड
	—वेल्स ओपन-1985	40.00 पाउण्ड
	—डेनिस ओपन— 1985	1200 डी०के०आर०
रवि शास्त्री	—बेनसन और हेजेस विश्व —कप अन्तर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट फरवरी-मार्च, 1985	"ए०यू०डी०आई०" कार (कीमत उपलब्ध नहीं) (अधिसूचना सं० 115/85 — सीमा शुल्क दिनांक 30-3-1985 द्वारा कार के आयात पर ड्यूटी की छूट प्राप्त थी)।
फुटबाल (पुरुष) टीम	—वस्टइंडीज में टैस्ट मैच—1984	12000 अमेरिकी डालर
हाकी (पुरुष) टीम	—दोहा-कुवैत में टैस्ट मैच—1984	30000 अमेरिकी डालर
	—दुबई में टैस्ट मैच—1985	19250 अमेरिकी डालर
	—लन्दन में 4 राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट—1985	4000 पाउण्ड
	—दुबई और कुवैत में टैस्ट मैच—1986	50000 अमेरिकी डालर
कमलेश मेहता	—पहला एशियाई कप टूर्नामेंट—1983	300 अमेरिकी डालर
वी० चन्द्रमौली	—यू०एस० ओपन चैम्पियनशिप— 1984	100 अमेरिकी डालर
कुमारी इन्दु पुरी	— —वही—	100 अमेरिकी डालर
वी० चन्द्रशेखर	— —वही—	67 अमेरिकी डालर
मनमीत सिंह	— —वही—	66 अमेरिकी डालर
सुबय घोरपड़े	— —वही—	66 अमेरिकी डालर

दिल्ली के स्कूल अध्यापकों की मांगें

6259. श्री एल० एम० गुरुड़ी
श्री विजय कुमार मिश्र
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर
: क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतनमानों में संशोधन और चयन ग्रेड स्वीकृत करने के बारे में दिल्ली के स्कूल अध्यापकों को अनेक आश्वासन दिये गये थे और यदि हां, तो कब;

(ख) इन आश्वासनों के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अध्यापकों की मांगों पर कुछ समितियों द्वारा भी विचार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षकों को वेतनमानों के संशोधन और समयबद्ध प्रवरण ग्रेड देने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) दिल्ली स्कूल शिक्षकों द्वारा एक मांग-पत्र प्रस्तुत किए जाने और समिति द्वारा उस पर विचार किए जाने के फलस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में स्कूल शिक्षकों को दिए गए लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) प्रवरण ग्रेड के पदों की प्रतिशतता में बढ़ोतरी ।

(ii) कनिष्ठ शिक्षकों के वेतनमानों को 425-640 रुपए से 440-750 रुपए में संशोधन ।

(iii) शिक्षकों को वर्ष में आधे वेतन पर 20 दिन की छुट्टी के बजाय पूरे वेतन पर 10 दिन के अर्जित अवकाश का प्रावधान ।

(iv) सभी सीनियर माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य का प्रावधान ।

(v) प्राइमरी स्कूल के मुख्याध्यापकों के वेतनमानों को 425-640 रुपए से 440-750 रुपए में संशोधित करना ।

(vi) 5-9-82, 5-9-83 और 5-9-84 से तीन वेतन जमाव वेतन वृद्धियों को प्रदान करना ।

(vii) सेवा निवृत आयु को 60 वर्ष तक बढ़ाना ।

(viii) स्कूल शिक्षकों द्वारा पुराने रोगों के इलाज पर व्यय किए गए भारी खर्चों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 15 रुपए प्रतिमाह की दर से नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान करना ।

रेलवे स्टेशनों में स्टाल आबंटित करने के लिये नियम

6260. **श्री आर० एम० भोये** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों में स्टाल आबंटित करने के लिये क्या नियम हैं;

(ख) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षित कोटा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) सामान्यतः स्टालों का आबंटन प्रेस अधिसूचनाओं के माध्यम से और/अथवा स्थानीय नोटिसों के माध्यम से आवेदन-

पत्र मांग करके किया जाता है। ऐसे आवेदन-पत्रों की संवीक्षा एक जांच समिति द्वारा की जाती है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही आबंटन किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व बैंक की सहायता से रेल लाइनों का नवीनीकरण/आधुनिकीकरण

6261. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल**
प्रो० नारायणचन्द्र पराशर } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग का रेलवे लाइनों के नवीनीकरण के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) रेल विभाग द्वारा अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

सी० ए० बी० सिगनेलिंग और आटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (सी० ए० टी० पी०)

6262. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता मैट्रो रेलवे के लिए सी० ए० बी० सिगलेलिंग और आटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (सी० ए० टी० पी०) को केवल भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड द्वारा ही विकसित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इसके परीक्षण के पश्चात् सरकार का विचार ऐसी प्रणाली को विदेशों से आयात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) ई० सी० आई० एल० द्वारा केवल कलकत्ता मैट्रो रेलवे के लिए सी० ए० टी० पी० प्रणाली विकसित की जा रही है।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विकसित प्रोटोटाइप उपस्कर सफल नहीं पाया गया था और यह अचूक वैशिष्ट्य के लिए निर्धारित विशिष्टि की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा था। अतः यह निर्णय किया गया है कि कलकत्ता मैट्रो रेलवे के उस खंड की, जो वाणिज्यिक सेवाओं के लिए शीघ्र ही तैयार होने जा रहा है, तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रणाली का आयात किया जाये।

गोआ में कालबेल पुल के निर्माण कार्य में प्रगति

6263. **श्री शांताराम नायक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर गोआ में कालबेल पुल के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) कुएं की छह बुनियाद में से दो बनकर तैयार हो गई हैं और इन दोनों बुनियादों पर वृत्त ढांचा बनाने का काम चल रहा है। कुएं की शेष चार बुनियादें बनाने का काम चल रहा है और दिसम्बर 1985 तक सकल भौतिक प्रगति 51.5% थी।

(ख) इस निर्माण कार्य की प्रगति धीमी होने का कारण है ठेकेदार के लिए श्रमिक समस्याएं और कुआं खोदने में कठिनाई।

नैमित्तिक श्रमिकों का रेलवे-वार ब्यौरा

6264. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में नैमित्तिक श्रमिक हैं जिन्हें नियमित रोजगार देने के लिये नियमों से बचने के लिए सेवा में व्यवधान दिया जा रहा है;

(ख) 1-1-1984, 1-1-1985 और 1-1-1986 को विभिन्न रेलों में नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी थी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक रेलवे द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों को किये गये वार्षिक भुगतान का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"डाइमिराडामोल" का आयात

6265. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में "डाइमिराडामोल" का आयात किया और उसका प्रति किलोग्राम लागत बीमा और भाड़ा सहित मूल्य क्या था तथा प्रत्येक वर्ष स्त्रोत से इसका आयात किया गया; और

(ख) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान किन-किन कंपनियों ने कितनी मात्रा में "डाइमिराडामोल" का आयात किया और उसका प्रति किलोग्राम लागत, बीमा और भाड़ा सहित मूल्य क्या था तथा प्रत्येक वर्ष किस स्रोतों से इसका आयात किया गया ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तपेदिक रोधी औषधियों की खरीद

6266. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तपेदिक के रोगियों के इलाज के लिए तपेदिकरोधी औषधियां खरीदती है;

(ख) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान कौन-कौन सी तपेदिकरोधी औषधियां खरीदी गई;

(ग) तपेदिक-रोधी औषधियों की खरीद के लिए कितना वार्षिक बजट निर्धारित किया जाता है; और

(घ) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान किन-किन औषधि कंपनियों को क्रयादेश दिए गए थे और प्रत्येक मामले में कितने मूल्य का क्रयादेश दिया गया था ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां। क्षय रोधी दवाइयां आवश्यकताओं के अनुसार डी जी० एस० एण्ड डी० के माध्यम से खरीदी जाती हैं और देश में क्षय रोग केन्द्रों को क्षय रोगियों के घर पर जाकर इलाज करने के लिए सप्लाई की जाती हैं।

(ख) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान खरीदी गई क्षय रोग रोधी दवाइयों के नाम नीचे दिए गए हैं :

(i) आई एन०एच० की 100 मि० ग्रा० और आई० एन० एच० की 300 मि०ग्रा० की गोलियां।

(ii) थिआसीटाजोन की 50 मि०ग्रा० और 150 मि०ग्रा० की गोलियां।

(iii) संयोजन औषधि (दो क्षमता में आई०एन०एच० और टी०जेड०एन० अर्थात् आई० एन०एच० की 150 मि०ग्रा०+टी०जेड०एन० की 75 मि०ग्रा० और आई०एन० एच० की 75 मि०ग्रा०+टी०जेड०एन० 37.5 मि०ग्रा० की गोलियां।

(iv) एथमबुटोल की 200 मि०ग्रा० की 800 मि०ग्रा० की गोलियां।

(v) स्टेप्टोमाइसिन

(vi) पी०ए०एस० ग्रेनुअल्स

(ग) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान क्षयरोधी दवाइयां खरीदने के लिए बजट में निम्नलिखित व्यवस्था की गई :—

1984-85	929.50 लाख रुपए
1985-86	964.50 लाख रुपए

(घ) सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न दवाई कम्पनियों को दिये गये आदेशों का विवरण

1984-85

क्रम सं०	दवाई का नाम	मात्रा के लिए दिया गया आदेश	कीमत का आदेश (बिक्री कर इत्यादि को छोड़कर) (रुपए लाखों में)	कम्पनी का नाम जिसे आदेश दिया गया था
1	2	3	4	5
1.	आई०एन०एच० गोलियां			
(क)	आई०एन०एच० 100 मि०ग्रा०	700 लाख	18.30	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली।

1	2	3	4	5
	(ख) आई०एन०एच० 100 मि०ग्रा०	1155 लाख	21.94	मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान नई दिल्ली ।
1.1	(क) आई०एन०एच० 300 मि०ग्रा०	1400 लाख	96.94	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली ।
	(ख) आई०एन०एच० 300 मि०ग्रा०	300 लाख	18.10	मैसर्स ग्रेटस फार्मा नई दिल्ली ।
1.2	आई०एन०एच० पाउडर	10 टन	10.94	विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए ।
2.	टी०जेड०एन० टेबलेट (गोलियां)			
	(क) टी०जेड०एन० 50 मि०ग्रा०	400 लाख	5.50	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली ।
	(ख) टी०जेड०एन० 150 मि०ग्रा०	550 लाख	19.25	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली ।
3.	संयोजन औषधियां			
	(क) आई०एन०एच० 75 मि०ग्रा०+ टी०जेड०एन०—37.5 मि०ग्रा०	600 लाख	17.00	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली ।
	(ख) आई०एन०एच०—150 मि०ग्रा०+ टी०जेड०एन०—75 मि०ग्रा०	850 लाख	46.02	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली ।
4.	पी०ए०एस० ग्रेनुअल्स	45500 कि०ग्रा०	53.86	मैसर्स आई०डी०पी०
5.	एस०एम० वायल्स			एल० नई दिल्ली ।
	(क) एस०एम० वायल्स (075 ग्रा०)	25 लाख	50.00	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली ।
	(ख) एस०एम० वायल्स (075 ग्रा०)	110 लाख	220.00	मैसर्स एच०ए०एल० पुणे ।
	(ग) एस०एम० वायल्स (1 ग्रा०)	9 लाख	20.07	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली ।
6.	एथमबुटोल			
6.1	(क) एथमबुटोल 200 मि०ग्रा०	300 लाख	55.94	मैसर्स ल्युपिन प्रयोगशाला (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई ।
	(ख) एथमबुटोल 200 मि०ग्रा०	15 लाख	3.30	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली ।

1	2	3	4	5
6.2	(क) एथमबुटोल 800 मि०ग्रा०	300 लाख	210.59	मैसर्स ल्यूपिन प्रयोगशाला (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई।
	(ख) एथमबुटोल 800 मि०ग्रा०	23 लाख	23.81	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली।

वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न दवाई कम्पनियों को दिये गये आदेशों का विवरण

क्रम सं०	दवाई का नाम	मात्रा के लिए दिया गया आदेश	कीमत का आदेश (बिक्री कर इत्यादि के अलावा) (रुपये लाखों में)	दवाई कम्पनी का नाम जिसे आदेश दिया गया था
1	2	3	4	5
1.	**आई०एन०एच० गोलियां**			
	(क) आई०एन०एच० 100 मि०ग्रा०	485 लाख	16.90	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली।
	(ख) आई०एन०एच० 100 मि०ग्रा०	265 लाख	9.23	मैसर्स एच०ए०एल० पुणे।
1.1	(क) आई०एन०एच०300 मि०ग्रा०	510 लाख	48.62	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली।
	(ख) आई०एन०एच० 300 मि०ग्रा०	280 लाख	26.70	मैसर्स एच०ए०एल० पुणे।
2.	**टी०जेड०एन० गोलियां**			
	1. टी०जेड०एन०—50 कि०ग्रा०	300 लाख	4.51	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली।
	2. टी०जेड०एन०—50 कि०ग्रा०	100 लाख	1.40	मैसर्स आर०के०जी० फार्मा फरीदाबाद
2.1	(क) टी०जेड०एन० 150 मि०ग्रा०	300 लाख	11.59	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली
	(ख) टी०जेड०एन० 150 मि०ग्रा०	100 लाख	3.50	मैसर्स आर०के०जी० फार्मा, फरीदाबाद

1	2	3	4	5
3.	संयोजन औषधियां (दो क्षमता) (आई०एन०एच०+टी०टेड०एन०)			
	(क) आई०एन०एच० 75 मि०ग्रा०+ टी०जेड०एन० 3.75 मि०ग्रा०	375 लाख	13.20	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली
	(ख) आई०एन०एच० 75 मि०ग्रा०+ टी०जेड०एन० 375 कि०ग्रा०	125 लाख	3.80	मैसर्स अरनेष्ट एण्ड कम्पनी, इन्दौर
3.1	(क) आई०एन०एच०— 150 कि०ग्रा०+ टी०जेड०एन०—75 कि०ग्रा०	525 लाख	36.49	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली
	(ख) आई०एन०एच०— 150 मि०ग्रा०+ टी०जेड०एन०—75 कि०ग्रा०	175 लाख	10.68	मैसर्स अरनेष्ट एंड कम्पनी, इन्दौर
4.	पी०ए०एस० ग्रेनुअल्स 35000 कि०ग्रा०		41.43	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली
5.	एस०एम० वायल्स			
	(क) एस०एम० वायल्स (0.75 ग्रा०)	57.75 लाख	115.50	मैसर्स आई०डी०पी० एल० नई दिल्ली
	(ख) एस०एम० वायल्स (0.75 ग्रा०)	107.25 लाख	214.50	मैसर्स एच०ए०एल० पुणे
6.	एथमबुटोल			
	एथमबुटोल 200 मि०ग्रा०	375 लाख गोलियां	63.56	मैसर्स ल्युपिन प्रयोगशाला बम्बई
	एथमबुटोल 800 मि०ग्रा०	375 लाख गोलियां	246.94	मैसर्स ल्युपिन प्रयोगशाला बम्बई

फंगल कार्निया अल्सर के लिये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा खोजी गई नई औषधि

6267. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अन्धापन की आशंका की बिमारी, फंगल कार्निया अल्सर के लिए नई औषधि खोजी है और यदि हां तो उसके खोज का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बीमारी को परीक्षण के लिए कितने मामलों में सफलतापूर्वक उपचार किया गया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सिल्वर सल्फाडाइजिन नामक एक औषधि आंखों के अन्धेपन की एक फंगल कार्निया अल्सर के लिए कारगर पाई गई है। डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र ने सिल्वर सल्फाडाइजिन की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए प्रायोगिक केराटोमी कोसिस पर प्रयोगात्मक अध्ययन किये हैं। इस दवाई को बहुत ही प्रभावकारी पाया गया और इससे कोई ओकुलर टान्सीसिटी भी नहीं होती। इस कार्य का फायदा उठाते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्धेपन की इस भयानक बीमारी का इलाज करने के जिए भारत में कोई प्रभावकारी दवाई उपबन्ध नहीं है, इस औषधि की प्रभावकारिता का मूल्यांकन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थित डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र में मायकोटिक केरेटाइटिस के उन 30 रोगियों पर किया गया जिनमें यह रोग काफी आगे बढ़ चुका था। यह औषधि बहुत ही प्रभावकारी पाई गई है अध्ययन के दौरान कोई प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं नहीं देखी गईं।

नीलाचल एक्सप्रेस की गति बढ़ाना

6268. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली-मुगलसराय सेक्शन के बीच नीलाचल एक्सप्रेस के हाल्टों का समय कम करके या इसके हाल्ट समाप्त करके इसकी गति बढ़ाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) मौजूदा ठहरावों को समाप्त करने का वर्तमान उपयोगकर्ता विरोध करेंगे।

सरकारी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित औषधियों की जांच

6269. **श्री रेबुपद दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित औषधियों की केन्द्रीय अथवा राज्य औषध प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से जांच की जाती है;

(ख) क्या यह प्रयोगशालाय तैयार उत्पाद की बिक्री के लिये जांच करने से पूर्व प्रत्येक खेप की जांच कर सकने की स्थिति में हैं जैसा कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत खेपों की ऐसी जांच की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत औषध-निर्माता को उसके द्वारा निर्मित की गई औषधियों के प्रत्येक बैच की उसकी अपनी प्रयोगशाला में जांच करनी होती है। कानून में यह अपेक्षित नहीं है कि औषध निर्माता द्वारा निर्मित औषधियों के इन सभी बैचों की सरकारी औषध परीक्षण प्रयोग-

शालाओं में जांच की जाए। औषध निर्माता अपने द्वारा तैयार की गई औषधियों की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होता है। यदि किसी औषधि को बाजार में बेचे जाने के लिए रिलीज कर देने के बाद सरकारी विश्लेषक द्वारा जांच की जाती है। और उसे मानक क्वालिटी का नहीं पाया जाता तो निर्माता के विरुद्ध उसके लाइसेंस को निलम्बित/रद्द करने जैसी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है अथवा उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है।

(ख) राज्य और केन्द्रीय सरकार की औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत केवल स्टेचुटरी नमूनों की करती हैं जो उन्हें औषध निरीक्षकों द्वारा भेजे जाते हैं। इन प्रयोगशालाओं को किसी भी औषध निर्माता की औषधियों के नमूनों के किसी बैच की जांच, इन औषधियों को बिक्री के लिए रिलीज करने से पहले नहीं करनी होती है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में अस्पतालों को घटिया किस्म की जीवन रक्षक औषधियों की सप्लाई

6270. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सरकारी अस्पतालों को घटिया किस्म की लैसिक्स जैसी जीवन रक्षक औषधियां भारी मात्रा में सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे औषधी निर्माताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) जनता को अच्छे किस्म की औषधियां उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सूचना गुजरात राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

औषध एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेवार है :—

1. आयातित औषधियों की गुणवत्ता पर नियन्त्रण रखना;
2. राज्यों की गतिविधियों का ताल-मेल बैठाना तथा देश में उक्त अधिनियम के समान प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर उन्हें परामर्श देना;
3. औषधियों के विनियमन से सम्बन्धित उपायों तथा उनके मानकों का निर्धारण करना; और
4. देश में जिन नई औषधियों का निर्माण अथवा आयात किए जाने का प्रस्ताव है, उनको मंजूरी प्रदान करना।

राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य औषध नियंत्रण संगठनों के माध्यम से देश में निर्मित की जाने वाली, बेची जाने वाली तथा वितरित की जाने वाली औषधियों पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

कतिपय विशिष्ट बन्दरगाहों, जहां पर केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन के अधिकारी तैनात किए गए हैं, के माध्यम से औषधियों के आयात को प्रतिबन्धित करके भारत में आयात की गई औषधियों की गुणवता का नियन्त्रण किया जाता है। जब कभी औषधि का खेप आयात किया जाता है, आयातित खेप से सम्बन्धित बिल्स आव एन्ट्री को केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन को भेजा जाता है तथा जांच के लिए आयातित कन्साइनमैन्ट का निरीक्षण किया जाता है तथा नमूनों को भरा जाता है। यदि नमूने की जांच करने पर उसे मानक क्वालिटी का नहीं पाया जाता है, तो उस औषधि के आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है तथा या तो उक्त औषधि को जहां से वह आयात की गई थी, उस देश को वापिस भेज दिया जाता है अथवा उसे नष्ट कर दिया जाता है। देश में औषधियों के आने की अनुमति देने से पहले, लेबल से सम्बन्धित कमियों, यदि कोई हों, को ठीक किए जाने की भी आवश्यकता होती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जीव विज्ञान से सम्बन्धित औषधियों को भी लाइसेंस के अधीन आयात किये जाने की आवश्यकता होती है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत औषधियों के निर्माण पर नियंत्रण किया जाता है जिसके तहत यह आवश्यक होता है कि राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए केवल निर्माण करने के लाइसेंस पर ही औषधियों का निर्माण किया जा सकता है। लाइसेंस की मंजूरी प्राप्त करने के लिए पात्रता की पूर्वापेक्षित निम्नलिखित शर्तें निर्माण कर्ताओं द्वारा पूरी की जानी होती है :—

1. निर्माण कार्यों की निगरानी करने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति करना;
2. निर्माण की जाने वाली औषधियों की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण करने के लिए स्वच्छ तथा पर्याप्त परिक्षणों का रख रखाव करना;
3. सम्बन्धित औषधियों का निर्माण करने के लिए जरूरत पड़ने वाले आवश्यक उपकरणों का रख-रखाव करना;
4. निर्माण करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले कच्चे माल तथा निर्माण किए गए उत्पादों के प्रत्येक बैच का परीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाओं का होना/निर्माण एकक को परीक्षण एकक से स्वतंत्र होना चाहिए। निर्माताओं को लाइसेंस की मंजूरी देने के पश्चात् उन पर दिए गए लाइसेंस लागू की जाने वाली शर्तें इस प्रकार हैं :—पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करना, उपकरण तकनीकी कार्मिक तथा परीक्षण के लिए सुविधाएं देना, नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित निर्माण तथा परीक्षण के रिकार्ड रखना, अपने निर्माण स्थानों का निरीक्षण करवाने के लिए तकनीकी कार्मिकों की व्यवस्था करना, निर्माण की गई औषधियों का रिकार्ड रखना, औषध निरीक्षकों को अपने निर्माण स्थानों का निरीक्षण करने के लिये अनुमति देना, परीक्षण के लिये नमूने भरना आदि।

औषधियों की बिक्री राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा दिये गये बिक्री लाइसेंसों के अनुसार विनियमित की जाती है। बिक्री लाइसेंसों की औषध निरीक्षकों द्वारा जांच की जानी होती है और जहां कहीं आवश्यकता होती है। ये औषधि निरीक्षक परीक्षण के लिये नमूने भी भरते हैं।

घटिया और नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय किये गये हैं जो इस प्रकार हैं :—

1. औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को 1982 में संशोधित किया गया था ताकि नकली औषधियों के प्रयोग को रोकने के लिये और अधिक कारगर उपाय किए जा सकें।

2. केंद्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन देश में नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री की रिपोर्टों को मानीटर करता है। जब कभी आवश्यक होता है केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के जोनल कार्यालयों द्वारा राज्य सरकारों को सतर्क किया जाता है और ऐसी रिपोर्टों की जांच करने के लिए उनकी मदद की जाती है।

3. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने तथा स्वास्थ्य सचिवों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पत्र भेजे गए जिनमें उनका ध्यान नकली दवाओं के बढ़ते हुए निर्माण और बिक्री की तरफ आकर्षित करने के साथ-साथ इस बारे में आवश्यक उपाय करने तथा उनके औषधि नियंत्रण प्रशासन को व्यवस्थित करने के बारे में कहा गया था।

4. केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मंत्री ने 3 मई, 1983 को सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों को एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने संसद तथा प्रेस दोनों में हुई आलोचना की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया था तथा सरकार से आग्रह किया था कि नकली तथा घटिया स्तर की दवाइयों की समस्या को कारगर रूप से रोका जाए। उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि केंद्र सरकार ने एक टास्कफोर्स गठित की थी जिसने राज्य औषध नियंत्रण संगठनों की कमियों का पता लगाया है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य नकली दवाइयों की समस्या को उच्च प्राथमिकता दे और इस समस्या से निपटने के लिए राज्यों के औषध मानक नियंत्रण तंत्र को समुचित रूप से तेज किया जाये और मजबूत बनाया जाय।

5. सरकार द्वारा नियुक्त टास्कफोर्स ने उन विभिन्न क्षेत्रों का पता लगा लिया है जिनमें राज्यों को नकली और घटिया स्तर की दवाइयों के संकट को रोकने के लिए कार्रवाई करनी होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य सचिवों को भी एक पत्र भेजा है जिसमें टास्कफोर्स की विशिष्ट सिफारिशों तथा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई के बारे में लिखा है।

6. नकली दवाइयों की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को इंटेलिजेन्स-कम-लीगल तन्त्र स्थापित करने की सलाह दी गई है।

7. नकली तथा मिलावटी दवाइयों के विषय पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केंद्रीय परिवार कल्याण परिषद् की विभिन्न बैठकों में विचार किया गया जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री अध्यक्ष और राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्री सदस्य हैं। इन संयुक्त बैठकों में तथा 22 फरवरी, 1986 को केवल औषध और खाद्य नियमों की समीक्षा करने के लिए आयोजित बैठक में परिषद् ने "औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रवर्तन" पर संकल्प पारित किए। इन संकल्पों में राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि घटिया और नकली दवाइयों की समस्या को रोकने के औषध नियन्त्रण तन्त्र को मजबूत और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

खाद्यान्न ले जाने वाले गुमशुदा और बिना जोड़े हुए माल डिब्बों सम्बन्धी समिति

6271. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्थान से दूसरे स्थान को खाद्यान्न ले जाने वाले गुमशुदा और बिना जुड़े माल डिब्बों सम्बन्धी बकाया मामलों को निपटाने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हज-यात्रियों के बारे में दिनांक 27 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4294 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : 27-3-1986 को लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या 4294 के भाग "ख" के उत्तर को निम्नलिखित उत्तर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(ख) यद्यपि वर्ष 1983 के दौरान सऊदी अरेबियन एयरलाइन्स ने हज यात्रियों को लाने-ले जाने में भाग नहीं लिया था परन्तु वर्ष 1984 और 1985 में उक्त यातायात को लाने-ले जाने के लिए इसने भाग लिया । वर्ष 1986 के दौरान हज यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए इसके भाग लेने के इरादे के विषय में कुछ मालूम नहीं है ।"

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले बैठ जाइए । उसके बाद ही मैं आपका नाम पुकारूंगा । आज मैं इस तरफ से बुला रहा हूं ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के बहुत से पद खाली पड़े हुए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में मुझे लिखित में दीजिए । मैं उस पर विचार करूंगा ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) ·· के बारे में···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता । यह राज्य का विषय है । इसके बारे में मैं दो दिन पहले भी चर्चा कर चुका हूं । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह राज्य का विषय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने साफ-साफ लिखा है कि "आन्ध्र प्रदेश सरकार"। यह राज्य का विषय है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : न्यायधीश की सुरक्षा क्या राज्य का विषय है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वश्री बसुदेव आचार्य, सैफुद्दीन चौधरी, अमल दत्त और सुरेश कुरूप—आप सबने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : सदन को मालूम होना चाहिए कि किस विषय पर उन्होंने दिया है। **(व्यवधान)** जिस न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया है उसका जीवन संकट में है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए। मैं इस मामले पर अनुमति नहीं दूंगा। यह राज्य का विषय है। इसे राज्य देखेगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : इस सदन का एक सदस्य इसमें फंसा हुआ है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय वह सदस्य नहीं थे। यह एकदम अलग विषय है। आचार्य जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह किस तरह राज्य का विषय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय है कि यह राज्य का विषय है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : न्यायधीश की सुरक्षा का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था की समस्या से भी सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायधीश की सुरक्षा भी राज्य का विषय है—कानून और व्यवस्था की समस्या से सम्बन्धित है। वह इसे देखेंगे। अब प्रो० दडवते।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जबलपुर के वकीलों ने लिखा है कि सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अगर मैंने इसकी अनुमति दे दी तो मुझे बहुत सी बातों की अनुमति देनी पड़ेगी। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मैंने आपको बता दिया कि यह मेरा निर्णय है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । यह मेरा निर्णय है। मैं कारण नहीं बता सकता । कृपया बैठ जाइए । मैं इस बारे में पहले ही कह चुका हूं ।

श्री बसुदेव आचार्य : जिस न्यायाधीश ने सनसनी खेज निर्णय दिया है, उस पर हमले किए जा रहे हैं । (**व्यवधान**) न्यायपालिका राज्य का विषय नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सुरक्षा और बचाव की व्यवस्था करना राज्य का विषय है ।

अब प्रो० दंडवते ।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : न्यायधीशों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम न्यायधीशों की नियुक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं । वह सुरक्षा की बात कर रहे हैं और मैंने उन्हें बता दिया है कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है । इसे वह देखेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं अपना निर्णय दे चुका हूं ।

श्री बसुदेव आचार्य : आपका क्या निर्णय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता । यह राज्य का विषय है । न्यायधीशों की सुरक्षा राज्य का विषय है ।

श्री बसुदेव आचार्य : इसमें सदन का एक सदस्य फंसा हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं दो दिन पहले भी अपना निर्णय सुना चुका हूं । मैं आपको इसे उठाने की अनुमति नहीं दूंगा । मैंने आपको बताया था कि यह राज्य का विषय है । सुरक्षा आदि राज्य का विषय है । प्रो० दंडवते ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा मामला उठा रहा हूं जो पूरी तरह से केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है । संघ सरकार महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक पेट्रो-रसायन उद्योग लगा रही है । भूमि अधिग्रहण के कारण हजारों किसान विस्थापित हो गए हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : पहली बार आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं पचासों बार बोल चुका हूं । (**व्यवधान**)

महोदय, वह बे वजहा हस्तक्षेप कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : समस्या यह है कि आप दोनों का व्यवसाय एक ही है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बताना चाहता हूं कि संघ सरकार महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण में पेट्रो-रसायन उद्योग की स्थापना करने जा रही है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही, हजारों किसान विस्थापित हो रहे हैं और पर्याप्त मुआवजा और उपयुक्त पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। केन्द्र सरकार ऐसा कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, आपने यह बात बताई है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा आपसे केवल एक अनुरोध है। **(व्यवधान)**

कोंकण क्षेत्र में हाल ही में रविवार को हजारों किसान उपयुक्त मुआवजा न दिये जाने पर विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह एक वक्तव्य दें। अगर वह वक्तव्य नहीं दे सकते तो आप मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर ले।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दे रहा हूं। बहरहाल, आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस भी दिया हुआ है। तथ्यों का पता लगाने के लिए मैं इसे मन्त्री जी के पास भेज दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस, प्रश्न अल्प अवधि नोटिस पर प्रश्न सब कुछ दिया है। **(व्यवधान)**

[हिंदी]

श्री वी० तुलसीराम (नगरकुरनूल) : उपाध्यक्ष जी, मैंने नोटिस दिया है। बुलन्दशहर में रेलवे पर 18 हाथ के बम पाए गए हैं।.....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी, आपने लिखित में कुछ भी नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : बार्डर सीक्योरिटी फोर्स के आदमी के घर से चोरी हुई है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिए। मैं देख लूंगा।

[हिंदी]

श्री वी० तुलसीराम : उपाध्यक्ष जी, मैंने दूसरा नोटिस दिया है कि अमरीका पाकिस्तान को 2000 एण्टी टैंक मिसाइल दे रहा है। इससे हमारे देश के लिए बहुत खतरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैंने केरल में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। इसका देश की सुरक्षा से सम्बन्ध है। **(व्यवधान)**

इससे देश की सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक नोटिस दिया है। इसे स्वीकृति नहीं दी गई है। आप एक बार फिर लिख कर दें। मैं उसे देखूंगा।

श्री थम्पन थामस : सरकार में साझेदार मुस्लिम लीग उन्हें संरक्षण दे रही है लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए। अधिक आग्रह न कीजिए। आप लिखकर दीजिए।

श्री थम्पन थामस : केंद्रीय सरकार को कुछ करना चाहिए। यह सुरक्षा की समस्या है। केरल एक सीमावर्ती राज्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दें।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैंने एक नोटिस दिया है। 11 मार्च, 1986 को वित्त मन्त्री जी ने बजट पर मेरे भाषण के दौरान हस्तक्षेप करते हुए यह आश्वासन दिया था कि एक सार्वजनिक सभा में प्रधान मन्त्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार बम्बई को 100 करोड़ रुपये देने की अनुदान-सहायता दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

डा० दत्ता सामन्त : लेकिन अब मुख्यमन्त्री जी ने उल्लेख किया है कि यह केवल एक ऋण होगा (व्यवधान) यह वित्त मन्त्री द्वारा दिया गया आश्वासन है।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तविकता का पता लगाने के लिए मैंने इस विषय को पहले ही सौंप दिया है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर): हमारे राज्य में और जम्मू और अन्तनाग के कुछ भागों में हाल में जो साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं उनके विषय में जम्मू और काश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय के विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया है और प्रचार किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दें, मैं देखूंगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री जी ने अपनी पार्टी से सांसदों का एक शिष्ट मण्डल भेजा था क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और काश्मीरी लोगों को बदनाम किया गया है और कहा गया है कि बहुसंख्यक समुदाय ने सम्पत्ति की लूटपाट की है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आप लिखकर क्यों नहीं देते। कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : प्रधान मन्त्री जी के पास रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। आप मेरी बात सुनिए। आप इस विषय में लिखकर क्यों नहीं देते। पहले आप लिखकर दीजिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : हां मैं इसे लिखकर दूंगा।

[हिंदी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, 1973 से हाईकोर्ट के दस जजेज के पद खाली पड़े होने के कारण 88 हजार केसेस पेंडिंग हैं (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही उठाया जा चुका है। इसे 377 के मामलों के अधीन उठाएं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : पिछले तीन वर्षों से 88 हजार मामले विचाराधीन पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले बताया था कि आप इसे 377 के अधीन उठाने जा रहे हैं। यहां पर इसे मत उठाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। समय खराब न करें।

मैं दो सदस्यों को एक साथ बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी : प्रोवीडेंट के कर्मचारी अपनी मांगों के बारे में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। (व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा। समय व्यर्थ न करें।

श्री जंगा रेड्डी इस तरह से आप कई बार खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बैठने के लिए कह रहा हूं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। इस प्रकार का व्यवहार न करें। यह बहुत बुरी बात है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप समय क्यों नहीं व्यर्थ कर रहे हैं।

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : आन्ध्र प्रदेश को जो गम्भीर अकाल का सामना कर रहा है, केंद्रीय सहायता के लिए 193 नियम के अधीन नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा और देखूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं आशा करता हूं जैसे प्रो० दंडवते को आपने धैर्य से सुना वैसे ही मुझे भी सुनेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप वास्तव में संक्षिप्त में कहेंगे तो मैं आपकी बात निश्चय ही सुनूंगा। लेकिन अगर आप एक लम्बा वक्तव्य देने जा रहे हैं तब मैं नहीं सुनूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : संसद भवन की सड़क पार गुरुद्वारा रकाबगंज पूजास्थल हैं। अचानक ही 3,4 दिनों में सीमा दीवारों को 12 से 15 फीट तक ऊंचा कर दिया गया है···

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : होने दो। आप क्या चाहते हैं इसे मत उठाइये, श्रीमान् तिवारी यह आवश्यक नहीं है।

श्री बशर।

प्रो० के० के० तिवारी : यह ऐसा स्थान है जहां से गोली-बारी की जा सकती है। अगर कुछ उग्रवादी··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। किसी पर सन्देह मत करें।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : क्या इस प्रकार दीवार उठाने की अनुमति दी गई है ?··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस पर ध्यान रखेंगे, चिन्ता न करें।

श्री बशीर।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : पूजास्थल का मैं सबसे अधिक आदर करता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए आप संदेह मत कीजिए आप इसका संदेह क्यों कर रहे हैं ? श्री बशीर।

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल): यह गंभीर मामला है। मंत्री जी यहां है। खाड़ी क्षेत्रों में एयर इण्डिया के किराये की दरें बहुत ज्यादा है। इससे केरल के लोगों में रोष है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस मामले को पहले भी उठाया है। आप इसे न दोहराये। मैं जानता हूं आपने इसे उठाया है।

श्री टी० बशीर : यह समाचार पत्रों में छपा है यह गर्म मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को लिखिए वह देखेंगे।

श्री टी० बशीर : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वह देखूंगा।

श्री टी० बशीर : कृपया इसे जांचिए। मंत्री जी यहां है यह यात्रियों को लूटने के बराबर है और कुछ नहीं। यह दूसरे क्षेत्रों से 100 प्रतिशत अधिक है। इसलिए कृपया इसे जांचिए।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : यह एक गम्भीर विषय है। संयुक्त राज्य अमरीका ने पाकिस्तान को टैंक-भेदी 2000 मिसाइलें देने का निश्चय किया है। यह इस क्षत्र के सैनिक संतुलन को अव्यवस्थित करेगा। इस पर शीघ्र ही चर्चा होनी आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

12.13 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रावी-व्यास जल न्यायाधिकरण गठित करने के संबंध में अधिसूचना

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या का० आ० 169(अ) की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 2 अप्रैल, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा "रावी-व्यास जल न्यायाधिकरण" गठित किया गया है।

(2) उक्त न्यायाधिकरण के प्रति निर्देश संख्या 15(2)/85—आई०टी० की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2990/86]

वर्ष 1986-87 की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरे-वार मांगें पैस्टर इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं उसके कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) वर्ष 1986-87 की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरे-वार मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2491/86]

(2) (एक) पैस्टर इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया, कुन्नूर के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पैस्टर इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया, कुन्नूर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2492/86]

12.14 म०प०

प्राक्कलन समिति
30वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय—हिमाचल प्रदेश में पर्यटन संवर्धन—के संबंध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में

अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उक्त समिति का 30वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.14½ म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिंदी]

(एक) महाराष्ट्र के मालेगांव में रंगीन साड़ियों के निर्माण में लगे विद्युतचालित करघा श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री एस० एस० भोये (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार की नई टैक्सटाइल पालिसी में रंगीन साड़ियों के बन्द करने पर ज्यादा जोर दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य में मालेगांव, धुलीया, भिवंडो, येवला और कुछ शहर हैं। वहां हजारों पावरलूम हैं। वहां लाखों मजदूर पेट भरते हैं, खासतौर पर हरिजन नवबौद्ध (बीसी) अल्पसंख्यक लोग सूत की धुलाई रंगाई और भूमि बनाने का काम करते हैं।

सरकार की उपरोक्त पालिसी से मालेगांव शहर और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में और आसपास के देहातों में काम करने वाले कमजोर लोगों की रोजी-रोटी बन्द हो जायेगी।

सूखा के समय मालेगांव और अन्य शहरों में देहात के लोगों को चंदा मिलता था, वह भी बन्द हो जायेगा। इस निराशा से परेशान लोगों में बेचैनी फैल जायेगी।

रंगीन साड़ी के सामने मिलों के प्रिंट साड़ियों का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रंगीन साड़ी का चलन धीरे-धीरे बन्द हो जायेगा और पहले से ही बेरोजगारी बढ़ जायेगी।

सरकार से मेरी प्रार्थना है कि मालेगांव शहर और महाराष्ट्र के कुछ शहरों और देहात में उपरोक्त धन्धा करने वाले लोगों के आर्थिक विकास के लिएकुछ रास्ता निकाल के उनकी मदद करें।

[अनुवाद]

(दो) प्राइमरी विद्यालयों की न्यूनतम मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : हमारा देश 21वीं सदी की ओर जा रहा है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे देश के अधिकतर प्राइमरी विद्यालयों में बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे भवन, पुस्तकें, याद करने की सामग्री, पीने का पानी, और खेलने के लिए मैदान आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इनकी किस्म की बात तो छोड़िए।

भारत में बच्चों की शिक्षा के 'युनिसेफ' द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि भवनों, "श्यामपट्टों, ग्रंथालयों का प्रतिशत उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं से बहुत कम है।

पूरे भारत में जिसमें छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं औसत साधन स्थिति इस प्रकार है : भवन 47 प्रतिशत, श्यामपट्ट 16 प्रतिशत, ग्रंथालय 29 प्रतिशत, खेल के मैदान 20 प्रतिशत, शौचघर 20 प्रतिशत, पीने का पानी 30 प्रतिशत, जो आत्मा, मस्तिष्क नाड़ियों और हृदय के निधान स्वरूप शरीर के स्वास्थ्य का घोर उपेक्षा दर्शाता है।

देश में सरकार नई शिक्षा नीति शीघ्र ही लागू करने जा रही है, मैं केंद्रीय सरकार से इस ज्वलन्त समस्या के समाधान को उच्च प्राथमिकता देने का केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं ताकि देश में प्राइमरी स्कूलों की विशेष रूप से गांवों में स्थित स्कूलों की, जो बहुत अधिक उपेक्षित हैं न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं को नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले ही पूरा किया जा सके।

(तीन) नागर मालशेट कल्याण घाट रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

श्री एस० जी० घोलप (ठाणे) : श्रीमन्, बम्बई राष्ट्र के साथ दो घाट रोड से जुड़ा हुआ है लेकिन दोनों घाटों, पुणे घाट और नासिक घाट, पर अधिक भार है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य ने एक नया घाट रोड 3 करोड़ रुपये की लागत से बनाया है, जिसका नाम नगर मालाशेट कल्याण घाट है। यह घाट पिछड़े क्षेत्र मराठवाड़ा को छोटे रास्ते से बम्बई के साथ जोड़ता है। लेकिन अब भी इन दो घाटों से यातायात को दूसरे गालशेट घाट रोड की ओर नहीं मोड़ा जाता क्योंकि मालाशेट घाट रोड राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर का नहीं है।

महाराष्ट्र राज्य ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मालाशेट घाट रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग का स्तर दिया जाए। लेकिन यह मामला केंद्र सरकार के पास बहुत समय से लम्बित पड़ा है। इसलिए नगर मालशेट कल्याण घाट रोड को शीघ्र ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) अहमदनगर किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने तथा किले में दर्शकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने की आवश्यकता

श्री यशवंतराव गडाख पाटिल (अहमदनगर) : महोदय, दर्शकों की अहमदनगर के किले में प्रवेश की इजाजत नहीं है जिसका इस तथ्य की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व है कि यहां स्वतंत्रता के पूर्व हमारे महान राष्ट्रीय नेताओं को कैद में रखा गया था। यह किला रक्षा प्राधिकारियों के नियंत्रण में है। वे लोग तो इस किले में स्वतंत्रता संग्राम के हमारे प्रिय नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आते हैं, उससे वे बहुत निराश होते हैं। इस किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना चाहिए और दर्शकों के किले में प्रवेश पर प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(पांच) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों के चयन संबंधी प्रक्रिया को सुचारु बनाने और इन आयोगों द्वारा प्रत्याशियों के चयन की प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तन करने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि देश को आगे बढ़ाना है और पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना है तो हमें कर्मनिष्ठ, योग्य और सेवाभावी कर्मचारियों की

नियुक्ति करनी होगी। निकम्मे, भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों को सेवाओं से मुक्त करना होगा। इसके लिये हमें केन्द्रीय और राज्यीय लोक सेवा आयोगों के गठन और कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन लाना होगा।

सबसे पूर्व तो केन्द्रीय एवं राज्यों के लोक सेवा आयोगों का गठन ठीक प्रकार से नहीं होता। इनके सदस्यों का चयन राजनीतिक आधारों पर होता है। इसके कारण जो योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, जिनकी कोई सिफारिश नहीं होती है, वे अच्छी नौकरी प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं।

राज्यों में तो लोक सेवा आयोगों की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है।

जहां तक साक्षात्कार की प्रणाली का सम्बन्ध है, 5 या 10 मिनट में किसी व्यक्ति को पूरी तरह से समझ लेना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता और आयोग साक्षात्कार के लिए ज्यादा अंक रखते हैं। इसलिये सेवा आयोगों के गठन में, चयन की प्रणाली में आवश्यक सुधार किये जाने की बहुत आवश्यकता है। सीधे भर्ती को जहां तक हो सके सीमित किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

(छः) फ्लोटोवालटाइक्स के क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात के प्रस्ताव को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : भारत सरकार के अनिवासी भारतीयों के माध्यम से सोलार फोटोवोलक्टिस के बारे में विदेशी टेकनालाजी आयात करने के कथित निर्णय से आत्मनिर्भरता की नीति में दृढ़ विश्वास रखने वालों के लिए बहुत चिन्ता का विषय है। इस निर्णय से सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और बी एच ई एल द्वारा विकसित हमारी देशी टेकनालाजी को आघात लगेगा।

अतंरिक्ष तथा रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में टेकनोलाजी का आयात बड़ा महंगा सिद्ध होगा। अत: इन सभी क्षेत्रों में देशीकरण बहुत आवश्यक है। इस प्रकार की तकनीकी के आयात से संबंधित क्षेत्र में हमारे तकनीकी आधार की जड़ों को उखाड़ने और रोजगार सुविधाओं में कमी के अलावा यह हमारी सुरक्षित विदेशी मुद्रा को नष्ट कर देगा।

यहां यह बताना उपयुक्त है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने सोलार सेल और माड्यूलस के देशी निर्माण में महान प्रगति की है। सरकार ने भी इस तथ्य को माना है।

इसके अलावा, उन विदेशी फर्मों से जिनसे तकनीकी आयात की जाती है वह सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड जैसे हमारी सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों से घटिया है। स्पष्टरूप से इस कारण के लिए पश्चिम के उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों में निहित स्वार्थ के लोग हमारे देश में हमारी देशी तकनीकी की लागत पर अपनी तकनीकी को सस्ते दाम पर बेचना चाहते हैं जो उनके देश में पुरानी हो गई है।

हमारे देश की घोषित आत्म निर्भरता की नीति और विकासशील देशी तकनीकी के हित में, मैं सरकार से फोटोवोलटिक्स के क्षेत्र में अनिवासी के माध्यम से विदेशी तकनीकी के आयात के प्रस्ताव को त्यागने तथा सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को इन मद्यों का देशी निर्माण करने के लिए अपनी क्षमता को वर्धन की अनुमति के लिए आग्रह करता हूं।

(सात) बम्बई, ठाणा और अम्बरनाथ में कारखानों को बन्द न होने देने और उन्हें वहां से न हटाने की आवश्यकता

डा० दन्ता सांमत (बम्बई दक्षिण मध्य) : बम्बई—थाना — अम्बरनाथ एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें सैकड़ों छोटे बड़े कारखाने हैं। इन उद्योगपतियों ने बहुत लाभ कमाया है और पूरे भारत में कई अन्य कारखाने चालू किए हैं जिनमें से कुछ उसी प्रकार के हैं। क्योंकि कोई राष्ट्रीय मजदूरी नीति न होने तथा अन्य राज्यों में सस्ते मजदूर उपलब्ध होने के कारण इन क्षेत्रों में नियोजकों में लगभग 50 बड़े कारखाने बन्द कर दिए हैं। इनमें से मुख्य ये हैं;

1. केलिको केमिकल्स (सारा भाई ग्रुप)
2. श्रीनिवास काटन मिल
3. डब्ल्यू० जी० जार्ज
4. अमर डाई केमिकल्स
5. सालिड कंटेनर्स
6. बम्बई मालाबल
7. बम्बई पोटानर्स
8. डिग्विजय सीमेंट मिल्स

कुछ नियजकों ने सरकार को श्रमिकों की छंटनी या कुछ कारखानों को बन्द करने के लिए आवेदन किया है। हांलाकि राज्य सरकार कारखानों को बन्द करने की अनुमति नहीं दे रही है परन्तु नियोजक वेतन, बिजली के बिल आदि का भुगतान नहीं कर रहे हैं और इनमें से कई कारखाने दो वर्षों से अधिक बन्द पड़े हुए हैं। लगभग 30,000 मजदूर नौकरी से निकाले गए हैं। बैंक अपने पैसे की वसूली के लिए मामले को उच्च न्यायालय में ले गए हैं तथा इनमें से कई इकाइयां खत्म हो रही है इस प्रकार कार्मिक लोग अपने उपदान और अन्य लाभों से वंचित हो रहे हैं। जिन नियोजकों ने कारखाने बन्द किए हैं उनको देश में अन्यत्र इस तरह के कारखाने खोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। देश में किसी अन्य कारखाना लगाने के लिए बैंकों द्वारा उन्हें और आगे ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। नियोजकों की निजी संपत्ति अथवा उनकी इकाइयों की परिसम्पत्तियों से पैसा वसूल किया जाना चाहिए जहां बन्द इकाई का नियोजक का नियोजकों निदेयक है।

(आठ) राजस्थान में ऐतिहासिक। वास्तुकलात्मक महत्व के किलों का सर्वेक्षण करने और उनके उचित अनुरक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : महोदय, राजस्थान के किलों तथा महलों का ऐतिहासिक तथा वास्तुविद मूल्य के अलावा ये कितने ही विदेशी तथा देशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा कई तरीके से राज्य की अर्थ-व्यवस्था का विकास करने में सहायता देते हैं।

किन्तु यह देखा गया है कि राज्य सरकार और भारत सरकार इस प्रकार के अधिकतर किलों के उचित उपयोग और संरक्षण के लिए उचित ध्यान नहीं दे रही हैं जिन्हें राज्य को स्थानान्तरित किया गया है और जिनका वास्तुविद महत्व है। कोटा, बुंदी, भरतपुर, जेसलमेर जैसे

किलों की दीवारें इस प्रकार के अन्य स्थान जो जिला मुख्यालय में स्थित हैं को अनाधिकार प्रवेश के लिए तथा निजी व्यक्तियों के हाथ में दूषित करने के लिए अनुमति दी गई है 1000 वर्षों से अधिक के इतिहास के साथ गगरान के किले के साथ इसी तरह की उपेक्षा की गई है हांलाकि यह झालावाड़ शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो जिला मुख्यालय है। इस किले का भविष्य में पर्यटक के आकर्षण के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसलिए मैं अनुरोध सहित माननीय सांस्कृतिक मंत्री के ध्यान में यह समस्या लाना चाहता हूं कि राजस्थान के ऐतिहासिक तथा वास्तुविद मूल्य के इन किलों का सर्वेक्षण किया जाए और भविष्य में उनके समुचित रख रखाव की व्यवस्था की जाए।

12.26 म. प.

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय [जारी]

(दो) परमाण ऊर्जा विभाग [-जारी]

(तीन) इलैक्ट्रानिक्स विभाग [-जारी]

(चार) महासागर विभाग [-जारी]

(पांच) अंतरिक्ष विभाग [-जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आगे चर्चा तथा मद संख्या 5,6,7,8 और 9 पर मतदान को साथ-साथ लेंगे।

श्री राम सिंह यादव अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय कल मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू के योगदान के बारे में सदन को याद दिला रहा था जो उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और विकास क्षेत्रों में और देश का पुनर्निर्माण में वैज्ञानिक संस्कृति तथा वैज्ञानिक व्यवस्था को संस्थापित किया तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की दृढ़ राय थी कि जब तक हमारे देश के राष्ट्रीय जीवन की प्रगति में विज्ञान तथा विज्ञान की सहायता का उपयोग उपलब्ध नहीं होगा तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता, भूख और गरीबी से मुक्त नहीं हो सकती।

12.27. म. प.

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

यहां मैं इंडिया एण्ड दी एटम नामक पुस्तक के पृष्ट 1 से पंडित जवाहर लाल नेहरू को उद्धृत करता हूं :

> "केवल विज्ञान ही भूख और गरीबी·····अंधविश्वास तथा भूखों भरने वाले लोगों द्वारा अपनाए गए शामक रीति रिवाज की समस्याओं का समाधान कर सकता है जो वास्तव में आज विज्ञान की उपेक्षा के समर्थ हो सकते हैं? भविष्य विज्ञान से संबंधित है और जो विज्ञान के साथ मैत्री करते हैं।"

पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इन शब्दों को व्यक्त किया था और ये शब्द, उनकी सभी संकल्पनाओं के साथ आज लागू होते हैं और कल तथा आने वाले समय में लागू होंगे। केवल यही नहीं, वह इस बात से भी सचेतन थे कि विज्ञान और वैज्ञानिक खोज–वे विनाशकारी भी हो सकते हैं तथा हीरोशीमा और नागाशाखी के मामले में विनाश भी साबित हुए हैं। फिर भी, वहा मानव का उद्देश्य है, और यदि मानवता के कल्याण के लिए मानव विचार कार्य करता है, यदि यह मानव समाज के विकास के लिए कार्य करता है तथा विश्व मानव समाज की भलाई के लिए उनके अस्तित्व के लिए मानव विचार कार्य कर सकता है तब परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस पर जोर देते हुए कहा :

> "यदि अभी हम इस बारे में निश्चित नहीं करते, प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए कि वह परमाणु ऊर्जा को बनाने की ओर जाता है तथा विद्यार्थी और अन्वेषक के साथ मिलते हैं जो इसका विकास करने की कौशिश कर रहे हैं, हम बहुत पीछे हो जाएंगे·· राज्य को प्रत्येक सुविधा का यह विकास देना चाहिए"

इसलिए भारत ने अपनी आर्थिक, सामाजिक और अपने राष्ट्रीय जीवन के सभी विकास पहलुओं में वैज्ञानिक संस्कृति, वैज्ञानिक संस्थान तथा वैज्ञानिक विकास अपनाया है। केवल यही बात नहीं है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिक नवीनता और वैज्ञानिक विकास पर निवेश तथा अनुकूलनशीलता पर बल दिया। इस कारण मेरे राज्य पोखरन में 18 मई 1974 को भूमिगत विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट ने विश्व के पांच देशों में हमारे देश को श्रेणीबद्ध किया जिसके पास इस प्रकार के विस्फोट का अनुभव है।

तमिलनाडु में कल्पाकाम पर परमाणु बिजली परियोजना के उद्घाटन के समय हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने वेद का एक दोहा सुनाया और वैज्ञानिक आविष्कार तथा वैज्ञानिक विकास का विस्तार बताया जैसा कि यह कहा गया है :

"यस्य छाया अमृतम्, यस्य मृत्यु"

इसका मतलब यह है कि भगवान का वरदान समाज के कल्याण के लिए हो सकता है और यदि यह किसी अन्य प्रकार से होता है तो समाज उन्नति नहीं कर सकता। विज्ञान के साथ यही बात है। विज्ञान का वरदान देश का विकास कर सकता है और यदि वह विज्ञान तथा वैज्ञानिक तकनीकी मानवता के विनाश के लिए उपयोग की जाती है तो वह मानव समाज के लिए हानिकर भी सावित हो सकती है। इसलिए, आज भी देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक संस्कृति और वैज्ञानिक जटिलता की आवश्यकता है। उसके लिए आज हमें विज्ञान तथा टैक्नोलाजी के क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। जबकि हम रोबोट युग में रह रहे हैं हमें यह देखना होगा कि विश्व के विकसित देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलुओं के विकास के साथ हम किस प्रकार से कदम मिला सकते हैं।

यहां, कल दूसरी ओर से मेरे दोस्त तर्क दे रहे थे कि भारत विदेशी तकनीकी की खरीद पर निर्भर करता है।

उन्होंने औद्योगिक तथा अन्य इंजीनियरी क्षेत्रों में भी प्रौद्योगिकी के आयात में छूट की आलोचना की है। यहां मैं सरकार की नीति का समर्थन करता हूं तथा केवल यही एक उचित

नीति है जो राष्ट्र का औद्योगिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तथा कृषि क्षेत्र में भी विकास कर सकती हैं। क्योंकि यदि राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को प्राप्त करना है तो इसे प्राप्त कर लेना चाहिए। इसलिए सरकार की नीति समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप है। केवल यही नहीं है। दक्षिणी कोरिया जैसे छोटे देश नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए खरबों डालर चुका रहे हैं। वर्ष 1985 में दक्षिण कोरिया विभिन्न विकसित देशों—अमरीका, जापान, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी को नई प्रौद्योगिकी की प्राप्ति के लिए 1.14 बिलियन डालर का भुगतान कर चुका है। इसलिए आज भारत अपने आपको अलग नहीं रख सकता।

जहां तक नई प्रौद्योगिकी के विकास का सम्बन्ध है, इसकी आवश्यकता है जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमारे वैज्ञानिकों तथा कुशल तकनीशनों से आह्वान किया है कि आयातित प्रौद्योगिकी चाहे कैसी भी हो, फिर भी इस बात की आवश्यकता है कि वे आविष्कार करें। उन्हें इसका विकास अपने ढंग से करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इस बात की आवश्यकता है कि यदि इस प्रौद्योगिकी का आयात किया जाता है तो यह इस किस्म की होनी चाहिए जो देश की आवश्यकताओं और देश की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हो। देश में विभिन्न संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देता हूं कि विभिन्न उद्योगों अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर आदान-प्रदान की आवश्यकता है ताकि नई प्रौद्योगिकी को राष्ट्र के विकास के लिए तथा आम व्यक्ति गांवों और कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जा सके।

देश की दूसरी जरूरत यह है कि वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों तथा आम व्यक्ति के बीच यानि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच सम्पर्क में बाधा नहीं होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने चाहिये ताकि उस राज्य विशेष की स्थानीय आवश्यकतायें पूरी की जा सकें। जहां तक मेरे राज्य राजस्थान का प्रश्न है, इसमें खनिज पदार्थों की बहुतायत है। इसलिए इसमें एक संस्थान होना चाहिए जो लोगों को स्थानीय परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप प्रौद्योगिकी या प्रशिक्षण दे सके और दूसरे राज्यों के लिए भी यही धारणा होनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव भी दूंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए। खण्ड स्तर पर बहुशिल्प संस्थान स्थापित किये जाने चाहिये, ताकि ग्रामीण लोगों को नई प्रौद्योगिक उन्नति तथा नई वैज्ञानिक उन्नति का लाभ मिल सके और लोगों को सामान्य जीवन में इसका लाभ मिल सके।

आजकल हमारे वैज्ञानिकों और कुशल तकनीशियनों का अनुसंधान कार्य एवं ज्ञान शहरी जीवन तथा प्रयोगशालाओं तक ही सीमित है। सरकार एवं संस्थाओं के अनुरोध पर एक बार यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि अनुसंधान का परिणाम कृषकों एव छोटे गांवों तक पहुंचे ताकि कुटीर उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों को इनका लाभ मिल सके।

माननीय मन्त्री महोदय को मैं यह सुझाव भी दूंगा कि इन सभी तकनीकी गतिविधियों पर प्रत्येक स्तर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुनः विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि विकासशील तथा विकसित देशों के बीच और विकासशील देशों के बीच में भी आपस में आदान-प्रदान होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय उन्नति की है और हम 1958 के वैज्ञानिक नीति संबंधी सकल्प का अनुसरण कर रहे हैं और आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस नीति का अनुसरण करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं। इसके लिए किये गये वायदे और नेतृत्व के लिए पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी को धन्यवाद।

विज्ञान एवं वैज्ञानिक जनशक्ति के क्षेत्र में हमारा देश विश्व का तीसरा बड़ा देश है। इसके बावजूद हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी है। यह सच है कि अधिक संस्थान होने के कारण हम विकसित देशों सहित अन्य देशों में वैज्ञानिक एवं तकनीशियन तथा विशेषज्ञ भेजने में सक्षम हैं। परन्तु इन सब बातों के बावजूद अभी तक लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जा सका है। मैं यह महसूस करता हूं। मैं यह नहीं कहता कि यह हमारे पास बिल्कुल भी नही है या इसकी पूर्णतया कमी है। परन्तु कुशल वैज्ञानिक जनशक्ति को ध्यान में रखते हुये यह उचित मात्रा में नहीं है।

यदि आप इसका थोड़ा और विश्लेषण करें तो हम जान सकते हैं कि क्षेत्रवाद साम्प्रदायिकता और सभी प्रकार की हिंसा और अराजकता का कारण भी लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी ही है। इसलिए, मेरे विचार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में ही कुछ किया जाना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली में विज्ञान इतिहास की तरह पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी कुछ इतिहास पढ़ रहे हैं या भाषा सीख रहे हैं, या कोई विवरण पढ़ रहे हैं या कुछ परीक्षण कर रहे हैं इत्यादि। परंतु यह सही मायने में वैज्ञानिक ढंग की शिक्षा नहीं है। सही वैज्ञानिक शिक्षा ज्ञान की खोज पर आधारित है, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा है और लोगों के दिमाग में जिज्ञासा की भावना और शोध की भावना पैदा करना है। अत: मेरा सुझाव यह है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को शिक्षा मन्त्रालय से इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए और हमारी शिक्षा प्रणाली नये सिरेसे शुरू करनी चाहिए ताकि उसका मुख्य उद्देश्य लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना हो।

इस सम्बन्ध में आपको याद होगा कि 1976 में एक संविधान संशोधन द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों को प्रस्तुत किया था और इनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को शामिल किया था।

परन्तु लोगों में बेहतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं।

विज्ञान किस लिए है? विज्ञान केवल ज्ञान के लिए नहीं है। निःसंदेह, विशुद्ध विज्ञान

है और बहुत से लोग ज्ञान अर्जित करने के लिए और ज्ञान वृद्धि के लिए शोध कार्य करते हैं और नई खोज करते हैं। परन्तु हमारे जैसे देश के लिए विज्ञान विकास के लिए है और शोध कार्य भी विकास के लिए है। परंतु मैंने देखा है कि वास्तविक शोध कार्य और वास्तव में इस क्षेत्र में किये गये कार्य में बहुत अधिक अन्तर है। शोध कार्य के नतीजे इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं जहां शोधकार्य के नतीजों की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि इस अकेले पहलू पर शोध कार्य किया जाना चाहिए।

हमारे पास कई विश्वविद्यालय हैं और कई श्रेष्ठ संस्थान हैं जहां उच्चकोटि का शोध कार्य हो रहा है। इसके लिए हमें अपने वैज्ञानिकों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। परंतु शोधकार्य का लाभ समाज तक पहुंचना चाहिए और यह देखना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कर्त्तव्य है कि ये लाभ समाज तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे।

शोधकार्य उद्देश्यमूलक होना चाहिए। स्वयं हमारे प्रधानमन्त्री जी ने अभी उद्देश्यमूलक शोध कार्य के बारे में कहा है। हमारे समाज में जहां लोगों का एक अच्छा खासा वर्ग गरीबी रेखा के नीचे है, उद्देश्य मूलक शोधकार्य के क्या मायने हैं? शोधकार्य इस तरह का होना चाहिए जो गरीब लोगों को लाभ पहुंचा सके। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि शोधकार्य अति आधुनिक क्षेत्रों में होना चाहिए, मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि शोधकार्य ज्ञान वृद्धि के लिए होना चाहिए। परंतु शोधकार्य का कितना प्रतिशत भाग गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। मेरे विचार में यह उस सीमा तक नहीं है जिस तक हम चाहते हैं। मैं एक या दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। बैलगाड़ी को ही लीजिए। हमारे देश में बैलगाड़ी का प्रयोग लाखों गरीब लोगों द्वारा किया जा रहा है। वे इसके प्रयोग से अपनी आजीविका कमाते हैं और यह एक ईंधन की बचत करने वाला परिवहन साधन है। क्या बैलगाड़ी को और अधिक कार्य-कुशल बनाने के लिए इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए कोई शोधकार्य किया गया है? मैं नहीं जानता कि कुछ किया गया है? क्या अपने बेहतर कार्यकुशलता वाली बैलगाड़ी का आविष्कार किया है। मेरे विचार में हमारे वैज्ञानिकों को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : मेरे विचार में आपका उद्देश्य शक्ति बैलगाड़ी है। (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्यक्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। यह वृद्धि एक बेहतर बैलगाड़ी का नमूना बनाने पर ही हो सकती है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में शोधकार्य किया जाना चाहिए।

मुझे खुशी है कि ईंधन की बचत करने के लिए कुछ कार्य किया गया है। उदाहरण स्वरूप मैंने आपकी रिपोर्ट में पढ़ा है कि आपने एक नये चूल्हे का, धूआं रहित, अधिक कार्यकुशल चूल्हे का आविष्कार किया है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं। इस क्षेत्र में कुछ काम तो हुआ है। कम ईंधन की खपत वाले तथा धूयें रहित चूल्हे पर कुछ शोधकार्य किया गया था। अतः परिणाम आपके समाने है। गरीब लोगों के लिए सस्ते मकान बनाने के लिए शोधकार्य किया गया था। इस क्षेत्र में भी कुछ उपलब्धियां हैं। परन्तु यह काफी नहीं है।

महोदय साइकिल आम आदमी की सवारी है। क्या साइकिल की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कोई शोधकार्य किया गया है। यदि नहीं किया गया तो इसे किया जाना चाहिए। साइ-

किल की कार्यकुशलता में वृद्धि बहुत आवश्यक है। मैं जानता हूं और मैंने कहा है कि कुछ विदेशी साइकिलों पर यदि आप सवारी करेंगे तो आप उन्हें अधिक सुविधाजनक पायेंगे। साइकिल पर शोधकार्य करके और अधिक कार्यकुशल साइकिलों का आविष्कार करके साइकिल की कार्य-कुशलता में वृद्धि सम्भव है। ये सब बातें सम्भव हैं बशर्ते कि शोधकार्य गरीब वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए किया जाये। परन्तु मैं अपने वैज्ञानिकों का भी शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि बायोगैस के क्षेत्र में हमारी अच्छी उपलब्धियां हैं, बायोगैस के सम्बन्ध में चीन के बाद तकनीकी जानकारी में हमारा दूसरा स्थान है। परंतु बायोगैस प्रौद्योगिकी के लिए प्रचार की आवश्यकता है और इसके लिए सहायता की जरूरत है। मुझे आशा है कि मन्त्रालय इस बात पर ध्यान देगा।

पुन: मैं गैर परम्परागत ऊर्जा की खोज पर और इसके उपयोग पर आता हूं। मेरा सुझाव है कि इन सभी क्षेत्रों में अनुसंधान पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। यह काफी नहीं है कि चुनिंदा क्षेत्रों में ही अनुसंधान किया जाये, यह भी काफी नहीं है कि ये उच्च प्रौद्योगिकी के ही क्षेत्र हों। परन्तु इन क्षेत्रों पर यदि आप ध्यान दें और अधिक धन खर्च करें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि गरीब लोगों की स्थिति काफी हद तक सुधर जायेगी। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं उसमें मैं देखता हूं कि हमारे देश में बहुत वैज्ञानिक मानव-शक्ति उपलब्ध है। इस वैज्ञानिक मानव शक्ति का पश्चिमी देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा अपनी उत्पादकता और कुशलता को बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। हमारे वैज्ञानिकों में बहुत असंतोष भी है। अफसर शाह मुझे माफ करेंगे। हमारे देश में वैज्ञानिक यह महसूस करते हैं कि वे अफसरशाहों से निम्न हैं। मेरी यह दृढ़ भावना है कि यह धारणा बदलनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिकों में असंतोष उन्हें अफसरशाही से नीचे रखने के कारण ही है। असंतोष का एक ही कारण नहीं हो सकता है। कुछ और भी कारण हैं जैसे सुविधाओं की कमी, अनुसंधान सुविधाओं की कमी। मुझे विश्वास है कि वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि करना चाहेगा। और इसलिए वह अनुसंधान सुविधायें चाहता है। अनुसंधान सुविधाओं की कमी के कारण उसमें असंतोष है उचित वेतन और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण भी उनमें असंतोष है। अत: विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत काफी संख्या में हमारे वैज्ञानिक, डाक्टर, इंजीनियर और विशेषज्ञ वास्तव में दूसरे देशों में चले जाते हैं। हमारे इंजीनियर, डाक्टर और वैज्ञानिक इन्हीं कारणों से विदेशों में कार्य कर रहे हैं।

प्रतिभापलायन के बारे में बहुत कहा जा सकता है। मैं इसके बारे में अब अधिक नहीं कहना चाहता हूं। परन्तु यह सच है कि हमारे देश का मूल्यवान निवेश अन्य देशों में पलायन कर रहा है। हाल ही में मैंने एक समाचार पत्र में एक लेख पढ़ा है जहां यह कहा गया है कि केवल चिकित्सकों के पलायन से ही हमें 1440 लाख डालरों का नुकसान हुआ है। जब एक डाक्टर विदेश जाता है और वहां बस जाता है तो उस धन के बारे में सोचिये जो हमने उस डाक्टर को प्रशिक्षित करने में लगाया है। परन्तु उस डाक्टर को सेवाओं का संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य विदेशों द्वारा उपयोग किया जाता है, अत: इसके बजाय कि प्रौद्योगिकी विकसित देशों से अविकसित देशों को दी जाये यहां यह अदभुत बात यह है कि प्रौद्योगिकी प्रतिकूल दिशा में जा रही है; यह प्रौद्योगिकी का उलटा बहाव है यह बात न केवल डाक्टरों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के ही

सम्बन्ध में है अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी है। प्रौद्योगिकी का विपरीत बहाव एक गंभीर समस्या है जिसका विकासशील देश सामना कर रहे हैं। हम भी गंभीर रूप से उसका सामना कर रहे हैं।

मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री ने इस सभा में कहा है कि इसे प्रतिभा-पलायन की तरह नहीं समझा जाना चाहिए; विदेशों में इन वैज्ञानिकों को 'प्रतिभा बैंक' समझा जा सकता है। मैं इससे सहमत हूं। वे प्रतिभा-बैंक तभी समझे जा सकते हैं जबकि हम एक चैक भेज कर उस बैंक से धन निकाल सकें। वे प्रतिभा बैंक तभी समझे जा सकते हैं बशर्ते कि आप उनके लिए कतिपय शर्तें निर्धारित करें। पहली बात यह है कि वे वापस आने के इच्छुक हों। दूसरी यह कि आपको उनके वापस आने के लिए कतिपय परिस्थितियां बनानी हैं। तीसरी यह कि यहां आने के उपरान्त उन्हें लगे कि जैसी स्थिति यहां उनके विदेश जाने से पहले थी वह अब नहीं है। क्या आप उस दिशा में कुछ कर रहे हैं? यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप वैज्ञानिकों के वापस आने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। मैं उन्हें प्रतिभा बैंक मानने के लिए तैयार हूं। परन्तु आप उस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं? जो भी कदम आपने अब तक उठाये हैं वे संतोषजनक नहीं हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कितने प्रतिभा सम्पन्न वैज्ञानिक, डाक्टर और इंजीनियर हमारे देश में वापस आये हैं? मैं जानता हूं कि कुछ आवेदन आये हैं। परन्तु ये आवेदन नौकर-शाही द्वारा जांचे जायेंगे। और वे इसमें अड़चन डालेंगे। हाल ही में एक वैज्ञानिक केरल आये थे और उन्होंने मुझे बताया, "मैं भारत वापस आना चाहता हूं; मैं दर-दर भटक रहा हूं और मैं लालफीताशाही के कारण इसमें बहुत कठिनाई समझ रहा हूं" नौकरशाह वैज्ञानिकों को वापस आने नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री को सुझाव दूंगा कि कुछ कार्यक्रम बनायें जिससे कम से कम उन वैज्ञानिकों की संख्या के कुछ प्रतिशत को वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। आप भारत महोत्सव और इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर रहें हैं। क्यों नही इन अन्य देशों में उन वैज्ञानिकों की बैठक बुलाई जाये, उनसे वहां बात की जाये, ताकि यह पता लगे कि वे क्या चाहते हैं और उन सुविधाओं को यहां उपलब्ध कराया जाये? मुझे विश्वास है यदि इनमें से कुछ विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को वापस बुला सकें तो इससे हमें कभी नुकसान न होगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसका ध्यान रखेंगे और इस दिशा में उचित कदम उठायेंगे।

महोदय, मैं समय की पाबन्दी से वाकिफ हूं इसलिए मैं अब इलेक्ट्रानिक पर आ रहा हूं। इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र में थोड़े समय में ही हमने आश्चर्यजनक प्रगति की है। मैं मन्त्री महोदय को और इलेक्ट्रानिक विभाग को इसके लिए बधाई देता हूं। जैसा कि प्रौद्योगिकी को आयात करने और तकनीकी जानकारी के बारे में कहा गया है मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमें वैज्ञानिक ज्ञान का आयात करना है। तकनीकी ज्ञान और प्रौद्योगिकी किसी की अपनी सम्पत्ति नहीं है। यह वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। एक सच्चा वैज्ञानिक विश्व का नागरिक है। इसलिए हमें प्रौद्योगिकी का आयात करना है; परन्तु उसी समय जब हम प्रौद्योगिकी का आयात करें, उसका उपयोग अपनी स्वदेशी जानकारी और प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिये किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप इसे कर रहे हैं या नहीं। प्रोद्योगिकी को आयात करते रहना और उसे जारी रखना एक अच्छी बात नहीं है परन्तु हमें प्रौद्योगिकी आयात करना चाहिए और उसका प्रयोग हमारी अपनी स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि अन्त में हम प्रौद्योगिकी को आयात किये बिना विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में आ सकें।

इस सम्बन्ध में मैं पुन: मन्त्री महोदय को और मन्त्रालय को जापान का सहयोग प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूं। मैं जानता हूं कि गत वर्ष जापान और हमारे देश के मध्य कुछ समझौते हुए थे। मैं उनका स्वागत करता हूं। जापान हमारे लिए औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक अच्छा उदाहरण है विशेषता इलेक्ट्रानिक विकास के क्षेत्र में। परन्तु इस क्षेत्र में मैं जोर देना चाहूंगा कि हमें जापान का रास्ता अपनाना चाहिए। उस देश में भी जनसंख्या का अधिक घनत्व है जो कि हमसे मिलता जुलता है।

अत: हमारे बीच निकटतम सहयोग होना चाहिए और जो कोई भी प्रौद्योगिकी हमें उस देश से उपलब्ध करायी जाती है उसे हमारी स्वदेशी जानकारी को बढ़ाने और उसका विकास करने में उपयोग करना चाहिए।

कोरिया, ताईवान जैसे अन्य देशों ने जिन्होंने दूसरे देशों से सहयोग लिया काफी अधिक आर्थिक विकास किया है। महोदय, ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे देश में एक प्रकार की इलेक्ट्रानिक संस्कृति का विकास हो। क्योंकि, इलेक्ट्रानिकी एक ऐसी शाखा है जो ऐसे अच्छे परिणाम दे सकती है कि आपको विश्वास न आये।

मैं इसका स्वागत करता हूं कि आपने विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता के बारे में शिक्षण प्रारम्भ कर दिया है। किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। जनता के अन्दर कम्प्यूटर साक्षरता, इलेक्ट्रानिक्स के प्रति रूचि और लगाव पैदा करना चाहिए। यह सुधार तथा श्रेष्ठ परिणामों के लिए बहुत मददगार होगा।

इलेक्ट्रानिक उद्योग की कुछ अपनी विशेषतायें हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इलेक्ट्रानिक उद्योग प्रदूषण मुक्त है। दूसरे उद्योगों में प्रदूषण की समस्या है। किन्तु इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर तो प्रदूषण है ही नहीं और अगर है तो बहुत कम। यह प्रथम विशेषता है।

दूसरी विशेषता यह है कि किसी दूसरे उद्योग की तुलना में इस उद्योग में प्रति कर्मचारी निवेश बहुत कम है। तीसरी विशेषता यह है कि इलेक्ट्रानिक उद्योगों में काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इसलिए, मेरा नम्र निवेदन यह है कि जो धन इस विभाग के लिये निर्धारित किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। आपकी पुस्तक के अनुसार 1986-87 के लिए 99.70 करोड़ रुपये इस विभाग को आबंटित किये गये हैं। मेरा कहना है कि इलेक्ट्रानिक्स के लिए यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। इलेक्ट्रानिक्स के लिए हमें अधिक धनराशि निर्धारित करनी चाहिए।

इलेक्ट्रानिक उद्योगों के बारे में जो मेरा विचार है वह यह है कि इन उद्योगों को शहरों में केन्द्रित नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा उद्योग है—हम उद्योगों के शहरों में केन्द्रीकरण की बात करते हैं—जिसे गांवों और पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है। आधारभूत ढांचे की कमी के करण आप दूसरे उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए, इलेक्ट्रानिक उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर देना चाहिए।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र इडुक्की पूर्णतया एक पर्वतीय क्षेत्र है। इस जिले में एक भी उद्योग नहीं है। इसलिए, मेरा मंत्री महोदय से एकमात्र अनुरोध यह है कि कृपया कुछ करें जिससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र इडुक्की में कम से कम एक इलेक्ट्रानिक उद्योग तो स्थापित किया जा सके।

श्रीमान,..... ...पर बोलते हुए

सभापति महोदय : कृपया अपने भाषण का समापन करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कृपया मुझे दो-तीन मिनट का समय और दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया एक ही मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने सिर्फ दो बातें और कहनी हैं।

1.00 मं० प०

पहली बात तो यह है कि जहां तक परमाणु ऊर्जा का संबंध है हमारा देश आणविक ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग के प्रति वचनबद्ध है। हमने बहुत अधिक तरक्की कर ली है और हमारे पास अपने आणविक ऊर्जा केन्द्र भी हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि केरल मे भी एक आणविक ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने के लिए मंत्रालय इसकी संभावना का सर्वेक्षण करे। पहले से ही एक अध्ययन किया जा चुका है और उसका प्रतिवेदन मंत्रालय के पास है। सरकार ने उस प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना चाहिए और केरल में एक आणविक ऊर्जा इकाई स्थापित करे।

श्रीमान्, समुद्रविज्ञान पर आते हुये मुझे यह कहना है कि समुद्र विज्ञान का विभाग खोलने के लिए श्रेय फिर से श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है। यह विभाग बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं। किन्तु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास समुद्री जल के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 20 लाख हैक्टेयर हैं। इस 20 लाख हैक्टेयर आर्थिक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि वहां मछलियां बहुतायत में है। और यह नहीं किया गया है। हाल ही में जब मैंने हमारे देश से मछली निर्यात के बारे में पढ़ा तो मैंने पाया कि पश्चिमी तट पर हमारे समुद्रीय साधन घटते जा रहे हैं। कोई भी इसका कारण नहीं जानता। कोई कहता है कि यह अधिक शोषण के कारण है किन्तु इसका और भी कारण हो सकता है। इसलिए, संसाधनों के बेहतर संरक्षण और प्रबन्ध के लिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र का एक गहन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब तो अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : श्रीमान, मैंने कुछ और बातें कहनी है। समयाभाव के कारण मैं उनको नहीं कह सकता। इसलिए, मैं उन मुद्दों के बारे में मंत्री महोदय को लिखूंगा। इन शब्दों के साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता।

सभापति महोदय : अब मेरे विचार में, अगर सदन सहमत है तो हमें मध्याह्न भोजन तक के लिए बैठक स्थगित कर देनी चाहिए।

1.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

2.04 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिंदी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : आजकल उपाध्यक्ष महोदय की भी ड्यूटी बहुत कड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा है, अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री जार्ज जोसफ मुण्डाकल (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान मैं विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और इस मंत्रालय के उचित बजट तथा धन आबंटन में बढ़ौतरी के लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। श्रीमान, इस संबंध में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री और इस महान् सदन के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जापान और कोरिया हम से बहुत आगे बढ़ गये हैं। हमारे देश में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास के लिए हमें बहुत ज्यादा मात्रा में धन खर्च करना पड़ेगा। हमारे देश से काफी संख्या में वैज्ञानिक और प्राध्यापक बेहतर अवसरों के लिए विदेशों में गये हैं। और अब लोग तेल संकट के कारण, नाईजीरिया तथा मध्य-पूर्व के कुछ देशों से हमारे देश में वापिस आ रहे हैं। श्रीमान्, जैसा कि आप जानते हैं, साक्षरता प्रतिशत केरल में सबसे अधिक है और केरल में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत भी सबसे अधिक है। किन्तु, दुर्भाग्यवश, केरल में बेरोजगारी समस्या बहुत गंभीर है। यद्यपि लोग बहुत निपुण और समर्थ है, लेकिन फिर भी वे काम की खोज में बाहर जाते हैं और उनके अपने राज्य तथा देश में कोई प्रोत्साहन और काम नहीं है। मैं माननीय मंत्री से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर और अधिक धन खर्च करने तथा हमारे राज्य में और अधिक उद्योग लगाने का अनुरोध करता हूं।

हमें, हमारे देश में, अगले चार-पांच वर्षों के दौरान बहुत अधिक विद्युत संकट का सामना करना पड़ेगा। जब कभी भी केरल प्रांत जल विद्युत योजनायें बनाता है, यह कह दिया जाता है इनसे पर्यावरण समस्याएं हो जाती हैं। हम कोयला क्षेत्र से बहुत दूर हैं इसलिए थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करना मुश्किल है। इस प्रकार, केरल का भविष्य आणविक ऊर्जा तथा आणविक ऊर्जा केन्द्रों पर निर्भर है। केरल में कुछ आणविक ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने के लिए मंत्री महोदय द्वारा अधिक रूचि दिखाते हुये और अधिक धन आबंटित किया जाना चाहिए।

आगे, वैज्ञानिकों को उचित प्रोत्साहन देने के लिए, उनको अध्ययन और अधिक तकनीकी जानकारी के लिए, अधिक विकसित देशों जैसे जापान और कोरिया में भेजना चाहिए। कोचीन के पास नया औद्योगिक क्षेत्र उभर रहा है और वहां हम कई उद्योग लगाने जा रहे हैं। हमारे पास श्रमिक शक्ति और कुशल लोग हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत अच्छे आसार हैं। हमारे देश का भविष्य इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर निर्भर है; क्योंकि हम इन वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। हम अधिक कामगारों को काम दे सकते हैं।

इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। उसके साथ ही मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अविकसित तथा अल्प विकसित क्षेत्रों का विशेष रूप से केरल जैसे राज्यों का इन मामलों में ध्यान रखें।

श्री जी०एस० मिश्र (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, इस शताब्दी के अंत तक बहुत-सी समस्याएं पैदा होंगी तथा उनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या होगी जनसंख्या में वृद्धि उनके भोजन के लिए हमारे पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ हो सकते हैं परन्तु उनके लिए खाना पकाने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं हो सकती। अगली शती के प्रथम दशक तक सभी तेल जैसे संसाधन तथा कोयला जैसे अन्य ईंधन समाप्त हो सकते हैं। वनों से जलाने की लकड़ी नहीं मिल पाएगी।

अत: घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन की व्यवस्था करना मुख्य समस्या होगी। कोयले की कमी के कारण कोयले पर आधारित तापीय बिजली केन्द्र उस समय उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। वन नहीं होंगे तथा आपके द्वारा बनायी गई सभी झीलें गाद से भर जायेंगी। यदि तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार समाप्त हो जाते हैं तो हमारे लिए कृषि के लिए उर्वरक, रसायन तथा अन्य सामग्री जुटानी कठिन हो जायेगी। इस प्रकार अगली शती के शुरू में हमें बहुत-सी समस्याओं का सामना करना होगा।

परन्तु इन समस्याओं का समाधान क्या है। हमें कोयला बचाना होगा तथा तेल, प्राकृतिक गैस तथा सभी तरह के जीवाश्म ईंधन बचाने होंगे। अन्यथा हमारी ऐसी कठिन स्थिति हो जायेगी कि जिससे छुटकारा पाना असंभव हो जायेगा तथा यदि हमें जीवाश्म ईंधन को बचाना है तो प्रश्न पैदा होता है कि कौन से ईंधन का हम उपयोग करें तथा क्या हमारे पास ऐसा ईंधन है जिसकी पुन: प्राप्ति हो सके। उत्तर है "हां" फिर भी कलपक्कय परमाणु विद्युत केन्द्र इस बात का प्रमाण है कि इससे दुबारा काम में लाये जा सकने वाले ईंधन का निर्माण होगा। हमारे देश में वैज्ञानिकों ने पहली बार नये मिश्रित कार्बाइड ईंधन 70 प्रतिशत प्लूटोनियम तथा 30 प्रतिशत यूरेनियम से तैयार किया है। इसका स्वदेश में विकास किया गया है तथा भारत पहला देश है जिसने कार्बाइड ईंधन का उपयोग किया है जिस के लिए हम डा० राजा रामन्ना तथा विशेष रूप से प्रधान मंत्री को धन्यवाद देते हैं जो कि हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री शिवराज पाटिल को भी धन्यवाद देता हूं।

हमारे पास थोरियम के भंडार बड़ी मात्रा में हैं जिसका इस उद्देश्य से सफलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर जितने ईंधन का उपयोग करता है उससे अधिक का उत्पादन करता है। अत: जितना यह खपत करता है। उससे अधिक प्लूटोनियम का उत्पादन करता है अत: आगामी शताब्दी में घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन की समस्या का समाधान परमाणु शक्ति ही है।

परन्तु मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि परमाणु ऊर्जा के रूप में पैदा की जा रही ऊर्जा कुल ऊर्जा का 2.6 प्रतिशत है तथा वर्तमान बजट के उपबन्धों के अनुसार भी शताब्दी के अंत तक परमाणु ऊर्जा के संसाधन में केवल 10% वृद्धि होगी। यह अत्यन्त दु:खद बात है। फ्रांस की जनसंख्या बेशक काफी कम है वह अपनी ऊर्जा का 60 से 70 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता हैं। इसी प्रकार कोरिया, जापान, अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा कई अन्य देशों ने इस कार्यक्रम को बहुत बड़े रूप में लिया है। परन्तु हम अत्यन्त धीरे चल रहे हैं। इसके अलावा परमाणु कृषि के क्षेत्र में भी हमारे मित्र श्री बिखे पाटिल को, जो प्रसिद्ध कृषक है, अत्यन्त चिन्ता हैं। वह बीज चाहते हैं। उन्होंने मुझे यह पुस्तक दिखाई है। परन्तु मैं उन्हें बीज नहीं दे सकता। केवल आप ही दे सकते हैं। परन्तु आप के पास बीज नहीं हैं।

फिर रेडियो मेडिकल-रसायन तूक्लियोनिक मापी, चिकित्सा उत्पादों का तूक्लियोनिक विसंक्रमण, जैसे कि कैंसर की चिकित्सा के लिए को बालट 60 चिकित्सा, कि किरण दवाइयां, कीट नियंत्रण, आदि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर और ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

जहां तक परमाणु फालतू माल के निपटान का प्रश्न है जो कि मेरे मित्र उठा सकते हैं। वह यह है कि इस बेकार बची सामग्री को किस तरह काम में लाया जाये। उसकी आज समस्या नहीं है। ऐसी ही स्थिति परमाणु दुर्घटनाओं की है। किसी परमाणु विद्युत केन्द्र में कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। परन्तु तापीय विद्युत या पन बिजली परियोजनाओं ये अनेक दुर्घटनायें हो सकती हैं। जली हुई राख से अधिक गामा किरणें पैदा होती हैं जिससे तापीय विद्युत केन्द्रों में रेडियो न्यूक्लाइड करता है। अतः परमाणु विकास द्वारा ही घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग के लिए आगामी शताब्दी के लिए सस्ता ईंधन पैदा किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं विज्ञान और औद्योगिकी महासागर विकास अंतरिक्ष तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों द्वारा किये गये अच्छे कार्यों की प्रशंसा करता हूं। महोदय, भारत अपने प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के प्रति आभारी है जिन्होंने देश के आर्थिक विकास को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित किया। जब वह राष्ट्रीय आयोजना समिति के चेयरमैन थे तब उन्होंने इन सुझावों को अस्वीकार किया कि भारत को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाना चाहिए अपितु कुटीर उद्योगों पर निर्भर रहना चाहिए उन्होंने बतलाया "ऐसा करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित किसी आधुनिक समाज और राष्ट्र के विकास के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता एक प्रगतिवादी कदम नहीं होगा। उन्होंने मिस्र का उदाहरण दिया जो कि राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र है परन्तु आर्थिक दृष्टि से पश्चिम पर निर्भर करता था। उन्होंने शुरू में ही महत्त्वपूर्ण कदम उठाया तथा देश को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के पथ पर आगे बैठाया। हम उनके और उस समय के दूसरे दिव्यदर्शनदृष्टाओं के आभारी हैं जिन्होंने आरंभ से ही अपना रास्ता तैयार किया है।

महोदय, आज न केवल हमारे पास राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं अपितु विज्ञान अकादमियां भी हैं। हमारे देश के भौतिक शास्त्र के नोबुल विजेता की सी० वी० रमण द्वारा स्थापित विज्ञान अकादमी, बंगलौर अच्छा कार्य कर रही हैं। इलाहाबाद की एकादमी एक राष्ट्रीय विज्ञान एकादमी है जो डा० मेघनाथ साहा ने स्थापित की थी। वैसी ही अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं ने अच्छा कार्य किया है तथा प्रतिवेदन से यह जान कर मुझे प्रसन्नता हुई है कि सोलह युवा वैज्ञानिकों को विभिन्न कार्यों के लिए चुना गया है। वे सभी 32 वर्ष से कम आयु के हैं। इससे पता चलता है कि युवा लोगों में विज्ञान के प्रति किस तरह से रुचि पैदा की गई है और किस तरह से हमारे वैज्ञानिक अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष का सर सी० वी० रमण अवार्ड प्रो० एम० जी० के० मेनन को दिया गया है जो कि इस देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का मार्ग तैयार करने में अग्रणी रहे हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उठाये गये कदम 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित किए जा रहे हैं। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। हमारे हाथ में कई योजनाएं हैं तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग का एक मुख्य काम यह रहा है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाये।

वैज्ञानिकों तथा उनकी संस्थाओं में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सहयोग का प्राथमिक महत्व है तथा मुझे खुशी है सरकार कार्यक्रम के इस पहलू को पूरी सहायता दे रही है।

ऐसी योजनाओं को नया बल दिया गया है। जिनका समाज के लिए विज्ञान के उपयोग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जहां विज्ञान के सैद्धांतिक और अन्य व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा करना अधिक रोचक नहीं होगा वहां यह जानना रुचिकर होगा कि हमारे देश के वैज्ञानिक समाज के विकास में कैसे योगदान देते हैं जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों तथा देशभक्तों ने दशकों पूर्व स्वप्न देखा था।

जन-शक्ति अनुसंधान कार्य में इस देश की आर्थिक साधन क्षमताओं के विभिन्न साधनों के अधिकतम उपयोग में वैज्ञानिकों को शामिल करना एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सातवीं योजना के दौरान इसे और आगे बढ़ाया जायेगा।

यह अत्यन्त रोचक बात है कि जीव विज्ञान के लिए अंशदान जो कि अनुसन्धान तथा विकास के लिए निर्धारित कुल धन राशि के लगभग 50% होता था, समाप्त किया जा रहा है। और अब भौतिक विज्ञान के लिए कुल धनराशि का 42% मिलती है और जीव विज्ञान का दूसरा स्थान आता है जिसके लिए 41% धनराशि मिलती है इसका अर्थ यह है कि भौतिक विज्ञानों को उचित स्थान दिया गया है और इसके लिए धन को अधिक हिस्सा दिया जाता है।

इसी प्रकार से वैज्ञानिकों को निचले स्तर पर अधिक अधिकार देते हुए विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न अन्य योजनाएं भी शुरू की गई हैं। कार्यक्रम सलाहकार समितियां गठित की गई हैं तथा विभिन्न सम्मेलनों और गोष्ठियों के लिए प्रोत्साहन दिये गये हैं। इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में इस आर्थिक क्रांन्ति की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रानिकी उत्पादिता के लिए तथा मानवीय क्रिया कलाप के विभिन्न अन्य पहलुओं के लिए अधिक साधन क्षमता प्रदान करती है। आज हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटरों पर अधिक निर्भर करना है।

वायु, जल, रेलगाड़ी तथा सड़क यात्रा में सुरक्षा प्राथमिक आवश्यकता है और इस कार्य अर्थात् सिगनल प्रणाली तथा दूर संचार क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटरों से काफी सहायता मिलती है।

इतना ही नहीं, अपने संसाधनों पर ध्यान देते हुए हम अंतरिक्ष अनुसन्धान में काफी प्रगति कर पाये हैं और मैं अंतरिक्ष विभाग तथा उन वैज्ञानिकों को, जिनका इससे संबन्ध है बधाई देता हूं जिन्होंने इन्सैट एक-बी के द्वारा उपलब्ध चैनलों का उपयोग किया है।

इस वर्ष के शुरू में अमरीका में "चैलेंजर" का जल जाना एक बड़ी दुर्घटना थी जिसके परिणाम स्वरूप भावी अंतरिक्ष कार्यक्रम को कुछ धक्का लग सकता है।

अब तक हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। यह बात ध्यान देने की है कि 31 जनवरी 1986 को इन्सेट वन बी ने अन्तरिक्ष में 29 महीने पूरे कर लिए हैं। इसमें से 27 महीने तक यह पूरी तरह संचालित रहा। फरवरी 1986 तक इस नेटवर्क में इन्सेट 1 बी ने 37 दूरसंचार टर्मिनल तथा 67 मार्गों पर 3956 'टू वे वायस' या लम्बी दूरी के दूर-संचार सर्किट प्रदान किए है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा शुरू तथा आगे बढ़ाए गए इस अन्तरिक्ष कार्यक्रम की सहायता से पृथ्वी केंद्रों पर दूरसंचार सुविधाएं स्थापित करना संभव हो सकता है। दूरसंचार के क्षेत्र में पृथ्वी केंद्र अर्थ स्टेशन हमारे देश के लिए वरदान हैं।

हमारे में से कुछ लोग कन्नौर जिले में लाहौल-स्पीति और कल्पा लेह में लद्दाख में और कारगिल, आदि गए होंगे, जहां दूरसंचार की व्यवस्था के लिए आम लाइनें नहीं बिछाई जा सकतीं, वहां यह देख कर बहुत हैरानी होती है कि उपग्रह और इन्सेट 1 बी द्वारा प्रदान किए गए चैनलों के माध्यम से लोगों को इनकी सुविधा मिलने जा रही है। यही नहीं तटीय जिले में मौसम की चेतावनी देने के लिए विज्ञान हमारी सहायता कर रहा है। तटीय क्षेत्र या यूं कहिए विशिष्ठ तटीय क्षेत्र में 100 आपदा चेतावनी प्रणालियां (डिजास्टर वार्निंग सिस्टमस) हैं। इस रिपोर्ट से यह भी बहुत दिलचस्प सूचना मिलती है कि इन्सेट 1 बी की सहायता से फरवरी 1986 में 10,000 में मेट्रोलाजिकल अर्थ आबजेक्शन इमेज का पता लगा है। तो अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में और हमारे दूर संचार इंजनों के सहायता के लिए ही नहीं बल्कि तट के किनारे रहने वाले किसानों और तूफान की तत्काल और बार-बार शिकार बनने वाली जनता के लिए विज्ञान की विभिन्न उपलब्धियों का उपयोग करने के लिए देश ने इतनी प्रगति की है। अब पहले से चेतावनी दी जा सकती है। टेलिविजन और रेडियो के क्षेत्र में अन्तरिक्ष कार्यक्रमों ने हमारी बहुत सहायता की है। मुझे पता चला है कि दिसम्बर 85 के अंत तक देश में मौजूदा 179 दूरदर्शन केंद्रों में से 173 केंद्र इन्सेट-1 बी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बद्ध रहे हैं। इसी तरह 93 अखिल भारतीय केंद्रों को इन्सेट बी द्वारा महत्वपूर्ण सिगनल तथा अन्य दूर संचार सिगनलों द्वारा सहायता दी गई है इन्सेट 1 सी को छोड़ने का हमारा कार्यक्रम जारी है और ठीक से प्रगति कर रहा है। इन्सेट 1 डी को छोड़ने की योजना को भी मंजूरी मिल गई है। तो यह है भावी तस्वीर जब विज्ञान सिगनल और दूरसंचार के क्षेत्र में ही हमारी सहायता नहीं करेगा बल्कि टेलिमीटर और विकसित हो रहे अन्य सहायक क्षेत्रों में भी सहायता करेगा।

जो बढ़िया मुद्दे उठाये गये हैं मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं। मेरा एक अनुरोध भी है। अनुरोध यह है कि विज्ञान की जननी अर्थात् गणित जिसका अपना सैद्धान्तिक आधार है और जो सभी दिशाओं में विज्ञान को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है, की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। आजकल गणित और भूगोल भी विज्ञान है जिन्हें राज्य के संरक्षण की आज इतनी जरूरत है जितनी पहले कभी नहीं थी। इससे पहले एस्केप के वेग का पता लगाकर अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अनुसंधान को जारी रखना संभव था। इससे पहले प्रक्षेप-पथ का पता लगाकर उपग्रह छोड़ना संभव था। वैज्ञानिकों के लिए स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों में काम करना संभव था लेकिन अब गणित तथा अन्य विभिन्न सहायक विधाओं में सैद्धांतिक अध्ययन करने के लिए अधिक संख्या में अति आधुनिक उपकरणों की जरूरत है।

तो महोदय, व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष कार्यक्रमों तथा हमारे वैज्ञानिक कार्य की विभिन्न शाखाओं में प्रयोग के लिए गणित को बेहतर संरक्षण देने की मैं वकालत करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अच्छे कार्य की सराहना करता हूं और वैज्ञानिकों की सहायता से इसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय मंत्री श्री पाटिल जी को भी बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष जी, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आज का दिन

भाषा का नहीं, दिन गौरव का है, सम्मान का है और स्वाभिमान का है। सम्मान और स्वाभिमान, जो हम ने विज्ञान के क्षेत्र में पाया है और हमारी जो नई दिशा है, हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है, इस क्षेत्र में जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस कल्पना को जब हम साकार होते देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें फख्र करना चाहिए। बहुत सारे लोग, जो विज्ञान में रुचि रखते हैं, कभी-कभी इस बात पर चर्चा कर देते हैं कि भारत का विज्ञान कहां पैदा हुआ ? कुछ लोग कहते हैं कि भारत का विज्ञान कलकत्ता की लेबोरेटरी में पैदा हुआ और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मद्रास की लेबोरेटरी में वह पैदा हुआ और कुछ लोगों का कहना है कि इलाहाबाद की लेबोरेटरी में वह पैदा हुआ पर मेरे जैसा व्यक्ति इस बात को अनुभव करने लगा है कि भारत का विज्ञान और टेकनोलोजी अहमदनगर जेल में पैदा हुआ था और एक युग द्रष्टा था, आजादी का दीवाना था, रेहबर था हम सब का, उस को यह अन्दाज नहीं था कि हम जेल से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे और वह सोचा करता था आगे आने वाले दिनों के लिए, वह व्यक्ति विज्ञान का विद्यार्थी था और उस व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू। उस ने डिसकवरी आफ इण्डिया लिखी और डिसकवरी आफ इण्डिया जब उस ने लिखी, तो उसे यदि यह उम्मीद नहीं थी कि हम कभी आजाद भी होंगे। फिर भी उस के मन में जो बात आई, उस ने लिख दी। उस ने कहा था :

[अनुवाद]

विज्ञान ही भूख और गरीबी की समस्याओं को हल कर सकता है और अस्वच्छता तथा अशिक्षा को समाप्त कर सकता है। भविष्य विज्ञान और विज्ञान से मैत्री करने वालों का है।"

[हिंदी]

यह अहमदनगर जेल में डिसकवरी आफ इण्डिया के पन्नों में लिखा गया था। हम उस नेता को आज हजार सलाम देते हैं, जिस ने आज हम को ला कर यहां स्थापित किया है।··· (व्यवधान)·· मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि मेघनाथ शाह हो, सर सी० वी० रमन हों या एच० जे० भाभा हों या हमारे विक्रम साराभाई हों, इन तमाम लोगों ने जिस नेतृत्व के नीचे काम किया, जिस नेतृत्व ने इन लोगों को उत्साहित किया स्वतन्त्र रूप से निर्माण के लिए प्रस्थापित किया, प्रतिष्ठित किया, उस का नाम जवाहरलाल नेहरू था। इसको हम भूल नहीं सकते हैं। चाहे हम कितना भी मजाक कर लें लेकिन सच्चाई यह है कि आज अगर हिंदुस्तान का विज्ञान इस जगह पर खड़ा है, चाहे वह परमाणु का क्षेत्र हो, आकाश का क्षेत्र हो या अवकाश का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रानिक्स का क्षेत्र हो, अगर किसी एक व्यक्ति की बुनियाद डाली हुई है, तो उस का नाम है जवाहरलाल नेहरू। हमें इस समय दोहराना पड़ेगा उस अतीत को भी जिसने हमको इस स्थान पर ला कर रखा है। हमारे साइंटिस्ट्स यहां भी बैठे हैं। वे नई किरण, नई ज्योति के साथ नये संसार को चमकाने की कल्पना कर रहे हैं। न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि आने वाले भविष्य के लिए वे पूरे समर्पण के साथ लगे हुए हैं। अब वे चाहे जगदीशचन्द्र बोस हों या सत्येन बोस हों, सी० वी० रमण साहब हों इन तमाम लोगों ने जो कल्पना की थी उसको साकार किया डा० मेनन ने, आयंगार ने, रमन्ना ने, राव ने, धवन ने, यशपाल ने, नायडुम्मा ने, श्रीनिवासन ने, स्वामीनाथन ने, कृष्णन् ने। ये तमाम लोग मिल कर विज्ञान की परिकल्पना

के साथ अपनी प्रयोगशालाओं में बैठ कर, अपने युवा वैज्ञानिकों के साथ नयी रचना के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इन सब को हम सलाम करते हैं और इनको हम निश्चित रूप से अशेष बधाई देते हैं।

इन्होंने अपने लिये कुछ किया हो या न किया हो लेकिन अपने देश को एक ऐसी जगह पर ला कर रख दिया है जहां पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम अपने पैरों पर खड़े हैं।

कौन व्यक्ति कलपाकम स्टोमिक एनर्जी के प्लांट को देख कर, उसकी फेबरिकेशन, उसकी डिजाइनिंग, उसकी ट्रांसमीशन की बात को देख कर खुश नहीं होगा ? ये सारी की सारी चीजें किस ने की है ? हमारे अपने वैज्ञानिकों ने की हैं। यही हमारी उपलब्धि है। पोखरन का परमाणु विस्फोट हमारे अपने वैज्ञानिकों की बुद्धि और विवेक के बल पर किया गया था, यह बात सब को स्पष्ट हो जानी चाहिए।

लेकिन इसके पीछे सब से महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि

2.35 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

इन लोगों ने भारत के विज्ञान को न केवल सेल्फ रिलाएंट बनाया है, बल्कि सेल्फ सफीशियेन्ट भी बनाया है। सेल्फ रिलाएंट और सेल्फ सर्फाशियेन्ट से आया है नेशनल सेल्फ कॉफिडेंस। जो देश अपने आत्म-विश्वास के बल पर अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, वह विज्ञान के क्षेत्र में, टेकनोलोजी के क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकता है। भीख मांग कर जिन्दा रहने की बजाए अपने पैरों पर खड़ा होकर तरक्की करना, भूखे रह कर आगे बढ़ना और नई सृष्टि करना यह हमारा उद्देश्य हैं।

अब हम सेल्फ एक्सपर्टाइज की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ,जिस किसी क्षेत्र में भी हम अपने सेल्फ एक्सपर्टाइज को देखते हैं तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिकों ने आगे कदम बढ़ाया है और हम एक ऊंचे स्थान पर खड़े हैं।

पहले जब जवाहर लाल नेहरू जी ने भाखड़ा नंगल डेम की योजना की कल्पना की, भाखड़ा नगल डेम बनाने की बात सोची तो इस देश की भोली-भाली जनता को विरोधी दल के कुछ लोगों ने कहा कि जवाहर लाल पागल आदमी है जो एक ऐसा काम कर रहा है। वह पानी से सारी बिजली निकाल लेगा। जब पानी का सत्व निकल जाएगा तो रह क्या जायेगा ? पानी में बचेगा क्या। क्या प्रवृत्ति थी, इन लोगों की और क्या मन बनाया गया लोगों का। आज हम लोगों को ऐसी स्थिति में ले आए हैं कि हाइडल प्रोजेक्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन की, एनर्जी की बात आप लोग समझने लगे हैं। एनर्जी के बारे में जो एक सुपरस्टीशन था, जो टेबू था, जो हंसी-मजाक लोग करते थे और उन बातों से लोग घबराते थे, सभापति जी आज वह स्थिति नहीं रह गयी है। यह हमारे वैज्ञानिकों की देन है।

जब-जब इंडियन साइंस कांग्रेस की मीटिंग हुई उसको इंदिरा जी खुद सम्बोधित किया करती थीं। विज्ञान के मेलों में, इंडियन साइंस कांग्रेस के अधिवेशनों में इंदिरा जी ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मन में भी भारत की एक कल्पना थी। सन् 1977 में उन्होंने कहा था—

[अनुवाद]

"हमारे वैज्ञानिकों को विभिन्न विदेशी स्वार्थों के प्रयासों के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमें अपने मार्ग से विचलित करने के लिए उनके द्वारा दिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी तर्कों को विश्लेषण और संचार द्वारा चुनौती देनी चाहिए।"

[हिन्दी]

हमें अपने पथ से विचलित करने के लिए कुछ बातें विदेशी ताकत कर सकती थीं, उसके लिए 1977 में इंदिरा जी ने कहा था कि ऐसी शक्तियां जो हमको अपने पथ से डिफ्लेक्ट करने की बात सोचती हैं, उनके खिलाफ वैज्ञानिकों तैयार रहना, तैयार रहो, यही तुम्हारा संघर्ष है, यही तुम्हारी नीति है, यही तुम्हारा चरमोत्कर्ष है, यह एक नीति की बात थी, किसी व्यक्ति की बात नहीं थी। नीति बनाने वाला आदमी इस बात को सोच लेता है कि हमारा दर्शन किधर जाएगा।

सभापति महोदय, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हम सब लोग गांवों से आते हैं, गांवों के रहने वाले हैं। कभी-कभी जब स्कूल से लौटते थे तो एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हम फेंका करते थे। आपस में पत्थर फेंकने की दूरी पर होड़ लगाया करते थे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किसके ऊपर ?

श्री डी० पी० यादव : अपने ऊपर और यह कहा करते थे कि देखो किसका पत्थर कितनी ऊंचाई पर जाता है। उस समय हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इसी हिन्दुस्तान में, लेबोरेट्री में बैठकर कुछ लोग यह भी सोच रहे हैं कि 34 किलो का एक छोटा सा बाक्स हम किस प्रकार से स्पेस में 3-4 सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फेंक सकें। डी० पी० यादव जब विद्यार्थी थे उस समय उसकी सोच-समझ इतनी थी, उस समय पंडित जवाहरलाल जी यहां के प्रधानमंत्री थे, उनकी सोच-समझ और आज की सोच-समझ जब हमारे वैज्ञानिक एक हजार किलो वजन का सैटेला इट बनाकर अपने राकेट में रखकर आकाश में 36 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करने की कल्पना ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका एक्सपेरीमेंट पूरा कर चुके हैं। यह है हमारा विज्ञान यह है हमारी नीति, यह है हमारा संघर्ष, हमने जो कुछ भी किया है, हाथ से फेंके जाने वाले पत्थर के टुकड़े की कल्पना से मिसाइल और मिसाइल से लोगों ने सैटलाइट के रूप में बदला और भास्कर (1) 34 किलो का भास्कर नंबर (1) था, अब 1000 किलो और 1500 किलो वजन का सैटलाइट 1995 ईस्वी तक हम भेज सकेंगे, यह नया संकल्प है, नया एक कदम है, आगे बढ़ने का संकल्प है, इस संकल्प को आज हम दोहराते हैं।

आज हमारे लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम किस ढंग से अपनी साइंस को फैलाएं। एक चीज मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस भारत ने एमिसरी सैटलाइट, फोटो इंटरप्रिटेशन सेंटर, लाज वीकल इत्यादि चीजों को बनाया है वहीं गांव के स्कूलों में किस प्रकार से इस बात को फैलाया जाए, किस तरह से विद्यार्थियों, शिक्षकों, अध्यापकों को यह बताया जाए कि हमारा विज्ञान और टेक्नालाजी आज इस स्थान पर आ गए हैं जहां हमें कहीं भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना है हम आत्मनिर्भर हैं। इस बात को विकास के लिए हम आगे बढ़ाएंगे, यह इंटरबोर्विंग एजूकेशन सिस्टम में किस प्रकार हो, इसको करना बहुत आवश्यक है ···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय मेरा विचार है कि हमें आत्मनिर्भरता का आयात करना चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : घबराइए मत, आप अपनी तेल प्रौद्योगिकी जारी रखिए ।

श्री राम सिंह यादव : महोदय, विपक्ष कभी भी गंभीर नहीं रहा, यहां तक कि इस जैसे नाजुक मसले में भी ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, विज्ञान पर प्रारम्भिक शिक्षा दी जा रही है तब हम अगंभीर कैसे रह सकते हैं ?

[हिंदी]

श्री डी० पी० यादव : अब रह गई बात विज्ञान और टेक्नालोजी को हम किस दिशा में ले जाएं । जो बात हमारे नेताओं ने कही है और जिस बात की कल्पना हमारे वर्तमान नेतृत्व ने की है, वह कल्पना है भूख से हमें निवृत्ति दिलाना, गरीबी को दूर करना, गांवों में, हर गांव में, हर घर में सुख और समृद्धि लाना । रीमोट सेन्सींग फोटोग्राफ से हम समुद्र के नीचे से जो हमारे पास रत्न है जैसे-आयल और गैस है, उसकी खोज करनी होगी । इन तमाम चीजों को एक साथ आग-मेंट करके हम एक नए भारत की रचना के बारे में सोचते हैं, यह हमारी उपलब्धि है । डिफेन्स के मामले में हमारे वैज्ञानिकों ने जो भी काम किया है, वह अपने आप में अनूठा है चाहे वह डिफेन्स रिसर्च की लेबोरेटरी हो या डिफेन्स प्रोडक्शन का सेन्टर हो । हमारा जो पायलटलैस टारगेट एएयरक्राफ्ट बन रहा है वह निश्चित रूप से वार टेक्नोलाजी एक बड़ी भारी उपलब्धि है । इस पर हमको फक्र करना चाहिए । वार स्ट्रेटेजी और टेक्नालोजी में भी हमारे वैज्ञानिकों ने जो उपलब्धि की है और जिस तरह से वह काम कर रहे हैं, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं । बात चाहे ग्रामीण विकास, उद्योग, डिफेन्स, इलैक्ट्रानिक्स, कम्यु-निकेशन, पावर, एनर्जी, एटोमिक एनर्जी, स्पेस या ओशनोग्राफी की हो या ऐसी बातें जिस किसी से भी विकास प्रस्फुटित हो रहा है, वैसी तमाम चीजों को समग्र रूप से एक साथ करके नए भारत की कल्पना करने के लिए हमारे वैज्ञानिक, हमारा विज्ञान, हमारी प्रयोगशालाएं और हमारा नेतृत्व सक्षम है तथा आगे आने वाला समय हमारे लिए निश्चित रूप से अच्छा है ।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे विज्ञान की लेबोरेटरी में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपने घर और अपने बाल-बच्चों की चिंता से मुक्त करना होगा । उनकी सुख-सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । उनको अपने घर-परिवार की चिंता से मुक्त कीजिए और राष्ट्र की चिंता उनके हाथों में सौंप दीजिए तथा उनकी चिंता अपने हाथ में लीजिए ।

मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि देश को आपने न केवल दिशा दी है, और दशा भी देंगे और आगे आप बढ़ेंगे । इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

[अनुवाद]

डा० चिंता मोहन (तिरुपति) : देश में अज्ञानता और गरीबी को दूर करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान तथा विकास शक्ति का स्रोत तथा आधुनिकीकरण के माध्यम है। आज हमारे पास 25 लाख वैज्ञानिक हैं और हर वर्ष एक लाख 60 हजार वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तैयार हो रहे हैं। अच्छे वैज्ञानिक तैयार करने में सोवियत संघ और अमरीका के बाद हमारा स्थान है। इसके लिए मैं वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। नीति और सिद्धांतों पर नजर डाले तो बहुत अंतर नजर आता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में हमारे पूर्वजों ने हमें अच्छी नीतियां दी हैं पर हम देखते हैं कि कथनी और करनी, संभावना और प्रगति, घोषणा और कार्य में बहुत अंतर है।

हम इन दो क्षेत्रों में बहुत अक्षमता देखते हैं। हमारी स्वर्गीय इन्दिरा जी ने योजना आयोग की एक बैठक में कहा था कि सैंकड़ों इरादों से एक काम कर लेना बेहतर है। मालूम नहीं कि हमारी मौजूदा सरकार इस आदर्श का पालन कर रही हैं या नहीं। विश्व में हम विरोधाभासों के लिए जाने जाते हैं। हम हमेशा आत्मनिर्भरता तथा उद्योगों के आधुनिकीकरण की बात करते हैं। हम अंतरिक्ष की ओर तो जा रहे हैं पर अपनी कारों के लिए एक कारबोरेटर तैयार करने में असमर्थ हैं। देश में इस तरह की आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण है।

हमारे यहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् है। देश में अनेकों अनुसंधान संस्थान हैं। हमारा कहना है कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। हम 1500 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन हम देश में बहुत अधिक मात्रा में तिलहनों का आयात कर रहे हैं। तो कृषि विभाग में इस प्रकार की आत्मनिर्भरता है। मेरे ख्याल से सरकार को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जानकारी होगी। मेरे ख्याल से सरकार को देश में मुखमरी, भूख और प्यास से मरने वाले लोगों की जानकारी होगी। और मेरे ख्याल से सरकार को इस बात की भी जानकारी होगी कि अब हम कितने आत्मनिर्भर हो गये हैं। इन सबके लिए देश में सामाजिक क्रांति और मूल ढांचे में परिवर्तनों की जरूरत है। तभी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। देश में बहुत वैज्ञानिक प्रगति हो रही है और यहां मृत्यु की दर भी बहुत अधिक है। हमारे देश में बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं और हम उन्हें बी काम्पलेक्स और डेप्सोन जैसी आम दवाइयां जो आम तो हैं पर कोढ़ के इलाज के लिए बहुत जरूरी है, भी नहीं दे पाते। दुर्भाग्य से हम इन सबका आयात कर रहे हैं। देश में यह स्थिति है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की यह स्थिति है। हमें न केवल एस० एल० वी० पी० एस० एल० वी०, ए० एस० एल० वी० आदि छोड़ने बल्कि अपनी जनता की गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जरूरत है।

महोदय देश में अनुसंधान संस्थान हैं। हम उन पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या आप इन संस्थानों पर नजर डाल सकते हैं? मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या अनुसंधान संस्थान परिणामोन्मुख हैं? क्या ये समयबद्ध हैं? क्या ये उद्देश्योन्मुख हैं? ये तो केवल रोजगारोन्मुख हैं। हमारे लोगों को रोजगार और आश्रय की जरूरत है।

हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उसकी प्रगति को पसन्द करते हैं लेकिन हमें भोजन और अन्य आधारभूत जरूरतों की भी आवश्यकता है।

हम अनुसंधान और विकास की बात कर करते हैं पर अनुसंधान और विकास के बीच

बहुत अंतर है। हम सागर विकास की बात करते हैं। हम सागर में 6 मील गहरी खुदाई करते हैं और नाड्यूल की बात करते हैं और उसे इलेक्ट्रानिक माइक्रोस्कोप से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुतायत में निकल यूरेनियम और सोना आदि है। समुद्र से एक नाड्यूल निकलने से क्या फायदा ? अगर आप वास्तव में गंभीर हैं तो सागर से टनों नाड्यूल निकालिए और देश की अर्थव्यवस्था सुधारिए। इस समय देश को इस तरह के विकास की जरूरत नहीं है। इस तरह के विकास की जरूरत हमें 20वीं सदी के बाद या 21वीं सदी में होगी, जिसकी चर्चा करते हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं थकते। लेकिन इस समय हमें खाद्यान्न और अन्य मूलभूत जरूरतों की आवश्यकता है और सरकार को यह बात भूलनी नहीं चाहिए।

धारणा और रचना में काफी अन्तर है। मालूम नहीं सरकार प्रक्रिया अभियांत्रिकी पर कितना खर्च कर रही है। इसके लिए काफी पैसे की जरुरत है। मालूम नहीं पहली से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना तक के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। प्रक्रिया अभियांत्रिकी के बिना हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निर्माण नहीं कर सकते।

अन्त में मैं इस माननीय सदन के समक्ष एक विशिष्ट प्रश्न रखना चाहता हूं: इस उच्च प्रौद्योगिकी विकास से गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में कैसे सहायता मिलेगी ?

इस विशिष्ट प्रश्न के साथ, मैं समाप्त करता हूं।

2.54 म०प०

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर): सभापति महोदय, श्रीमान, निस्संदेह यह कहना एक सत्य है कि हमारे देश की संपन्नता और सुरक्षा हमारी विज्ञान और तकनीकी नीति के सही निर्माण और प्रभावी ढ़ंग से लागू होने पर निर्भर करती है। हमारी एक के बाद दूसरी सरकारें इस थोथी उक्ति के बारे में घोषणाएँ करती रही हैं किन्तु हमने इस दिशा में कोई खास उन्नति नहीं की है। हमारे वैज्ञानिक प्रशासन के ढ़ांचे के साथ कुछ गड़बड़ है। पहले, केन्द्रीय मंत्रि मंडल की विज्ञान संबंधी सलाहकार परिषद होती थी। अचानक मंत्रिमंडल को इससे मुक्ति दे दी गयी और इसका भार प्रधान मंत्री पर डाल दिया गया। सम्पूर्ण मंत्रिमंडल से जिसका सभापति प्रधान मंत्री होता है, प्रधानमंत्री के पद को इस तरह ऊंचा उठाने की प्रक्रिया की सराहना करना तो दूर की बात है, मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा हूं। वैज्ञानिक सलाहकार परिषद् के अलावा, उनके पास प्रो० एम० जी० के० मेनन वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। इस वैज्ञानिक सलाहकार परिषद में 7 सदस्य हैं। सरकार चयन करना चाहती है। किन्तु वास्तव में मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे इन दो व्यक्तियों को इस परिषद् का सदस्य बना दिया गया। इनमें से एक तो हैं···

**···इंडियन एक्स्प्लोजिव्स लिमिटेड के वर्क्स मैनेजर। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनका कौन सा विशेष वैज्ञानिक योगदान रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री के बचपन के साथी रहे होंगे। क्या कोई सिर्फ साथ रहने से ही प्रतिभा प्राप्त कर लेता है ? मैं नहीं जानता इंडिन एक्स्प्लोजिव्स लिमिटेड इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, की एक सहायक कंपनी है।

मैं परिषद् के दूसरे सदस्य हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के चेयरमैन ·· ** की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह यूनिवर्सल लीवर्स लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। जहां तक कई वैज्ञानिक नीति निर्णयों के प्रभावों का संबंध है सुरक्षा की आड़ में संसद को भी अंधेरे में रखा जाता है। मैं नहीं जानता कि संसद को विश्वास में न लेते हुए इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कैसे विश्वास किया जा रहा है। हमारा वैज्ञानिक प्रशासन सेवा निवृत वैज्ञानिक तानाशाहों के हाथों में है मैं तो उनकी सूरत तक से नफरत करता हूं। मुझे नहीं पता की कि सरकार इनको कैसे सहन कर रही है। आप ···**···का ही मामला ले। मेरे विचार से उनको एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक बनना था। 20 वष पहले उन्होंने कुछ वास्तविक उत्तम कार्य किया था। मैं नहीं जानता कि गत 20 वर्षों में उन्होंने क्या कार्य किया है। वह प्रशासन के गोरख धंधे में भटक गये हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्यों अच्छे वैज्ञानिकों को नाकारा बना दिया जाता है।

सभापति महोदय : श्री रेड्डी आप उनके नाम न बताएं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं।

सभापति महोदय : अच्छा होगा यदि आप नाम न बताएं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे आशंका है कि आम आदमियों को भी पवित्र गाय का दर्जा देने का प्रयास किया जा रहा है।

सभापित महोदय : आप दोषारोपण कर रहे हैं। आपने कहा है कि उन्होंने 20 वर्षों से कार्य नहीं किया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं, यह दोषारोपण नहीं है।

सभापति महोदय : निर्णय करना मेरा काम है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किन्तु यह सरकार की नीति है।

सभापति महोदय : आप नामों का उल्लेख न करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कृपया मुझे सलाह देने से पहले ऐसा नियम बनाइये।

सभापति महोदय : नामों को कार्यवाई वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : श्रीमान, मेरा एक निवेदन है।

नाम न बताने की सदन की परंपरा रही है। अगर किसी अधिकारी का जिक्र करना है तो, यह उसके पद द्वारा किया जाता है।

सभापति महोदय : यह ठीक है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह इसलिए है क्योंकि जिस अधिकारी का नाम लिया जाता है, उसको सदन में आकर अपना बचाव करने का अधिकार नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सदन के कामकाज का मुझे भी कुछ अनुभव है। किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध बिना कोई सूचना दिए कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। किसी व्यक्ति के योगदान के संबंध में कभी भी जिक्र किया जा सकता है।

श्रीमान, अब हम परमाणु ऊर्जा आयोग को लेते हैं। इसके सात सदस्य हैं। मेरे विचार मे, परमाणु ऊर्जा आयोग को हमारे कार्यक्रम लागू करने का काम सौंपा गया है। लेकिन, श्रीमान,

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य वे लोग हैं जो परमाणु ऊर्जा विभाग में भी हैं। एक ही प्रकार के लोग नीति का निर्माण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करते हैं। मेरे विचार में राज्य मंत्री को भी उनके कार्यकलाप का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं दिया गया है। केवल प्रधान मन्त्री ही ऐसा कर सकता है।

3.00 म०प०

श्री जे० आर० डी० टाटा परमाणु ऊर्जा आयोग के एक सदस्य हैं। उनकी सदस्यता पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मूलत: वह पूर्ण शोध कार्य से संबंधित थे। किंतु फिर···(व्यवधान) ·· मैं इस बारे में जानता हूं। मैं उनका आदर करता हूं।

लेकिन बात यह है कि टाटा की कंपनियां परमाणु ऊर्जा विभाग का 50-60 प्रतिशत तक ठेका ले लेती हैं। ऐसे हालात में, उस कंपनी के अध्यक्ष को इस आयोग का सदस्य भी कैसे बनाया जा सकता है?

मैं उनमें से हूं जो यह विश्वास रखते हैं कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन का कार्यक्रम सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सारे विश्व में यही धारणा है।

किन्तु हमारे रिकार्डों पर नजर डालिए। भूतपूर्व श्री होमी भाभा ने 1964 में कहा था कि 1980 में देश में उत्पादित ऊर्जा का 12 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से होगा। लेकिन आज 1986 में यह 2 प्रतिशत से भी कम है।

एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए यह संतोष का विषय है कि कालपक्कम में हमारे द्रुत परमाणु रिएक्टर ने द्रुत प्रजनन तकनीक के संबंध में सफलता प्राप्त की है।

किन्तु फिर भी हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि अब भी हम प्रयोगात्मक स्थिति में हैं। जब तक हम इस प्रक्रिया को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनायेंगे, तो विश्व की दूसरी परमाणु शक्तियां किसी और अवस्था तक पहुंच चुकी होंगी, जिसे द्रवण तकनीक कहते हैं।

परमाणु इंधन कांपलेक्स को ही लीजिए। यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। मूलत: यह 10 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होना था। जबकि इस पर 153 करोड़ रुपये खर्च हुये थे। जिस तरह से धन खर्च किया गया था उसका निरीक्षण कोई नहीं कर सकता। किसी का उत्तरदायित्व तो होना ही चाहिए।

तकनीक के संबंध में हमने काफी उन्नति की है यद्यपि दूर संचार उपग्रहों पर हमने बहुत कुछ और करना है।

अंटार्टिका अभियान के लिए हमें अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। मेरे साथी श्री चिन्ता मोहन समुद्र से निकाले गये कुछ नौड्यूल का जिक्र कर रहे थे। मेरे विचार में अपने आप में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

श्री चन्द्र प्रताप नरायण सिंह : वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हां, वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए। यद्यपि परियोजनाओं

को पूरा करने में देरी हुई है और अनाप शनाप खर्च किया गया है, फिर विज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, समुद्र विज्ञान इत्यादि में अच्छा कार्य किया है।

लेकिन जिससे मुझे हैरानी हो रही है वह यह है कि जैसा कि कहा जाता है एक गरीब और पिछड़े राष्ट्र ने ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन विज्ञान और तकनीक के कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह बुरी तरह असफल रहा है। इस असंगति तथा विरोधाभाष को कौन कैसे स्पष्ट कर सकता है ?

मेरे विचार में इसका कारण यह है कि आयात नीति ने ही हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयत्न को नष्ट कर दिया और हमारे राष्ट्रीय उद्योग को पंगु बना दिया। हमारे देश का शासन अब अकुशल प्रबन्धकों द्वारा चलाया जा रहा है इसलिए अब इस क्षेत्र का मूल्यांकन प्रबंध मानदण्डों द्वारा किया जाना चाहिए।

1985-86 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पर राष्ट्रीय खजाने से 163 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे जबकि लाभ इससे सिर्फ 3.22 करोड़ रुपये का हुआ है। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि औद्योगिक शोध का मूल्यांकन मात्रा के आधार पर किया जाये और न ही यह वाणिज्यिक या आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में उपलब्धि देखिए। ग्रामीण विकास के लिए शोध क्षेत्र के बारे में इस वर्ष की रिपोर्ट दो बातें प्रकट करती है—(1) फिस रोड की खोज और दूसरा सिट्रोनेला आसवन। यह सिट्रोनेला आसवन काफी समय से जाना गया है। सिट्रोनेला एक घास है ···(व्यवधान)···इसके सिर्फ ये दो योगदान हैं। फिश रोड ··(व्यवधान)। यह फिश रोड ···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं जानता हूं कि फिश क्या होती है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम जानते हैं कि हमारे 75 प्रतिशत से भी अधिक लोग देहाती क्षेत्रों में रहते हैं और जो अनुसंधान हमने औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में किया है उसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सामान्य या पाश्चात्यकृत कहे जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में मैं कह सकता हूं कि 1985-86 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने सिर्फ 82 पेटेन्ट दाखिल किये थे और इनमें से केवल एक पेटेन्ट को विदेश में स्वीकृत किया गया था। दूसरे शब्दों में, बचे हुये 81 पेटेन्ट चक्र की पुनः खोज की प्रक्रिया में एक प्रयोग से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। आजकल हमारे विदेशों में कार्यरत प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को प्रलोभन देकर भारत में वापिस बुलाने की बहुत चर्चा है...

सभापति महोदय : कृपया, अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बहुत कम लोग हैं···

श्री सोमनाथ चटर्जी : विपक्ष के लिए निर्धारित समय उनको दे दिया गया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : धन्यवाद।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इस क्षेत्र में कोई विकास करने में असफल रही है। आपने विदेशों में कार्यरत 386 वैज्ञानिकों को पंजीकृत किया है और उनमें से सिर्फ 79 ने अपना विवरण भेजने पर ध्यान दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे हमारे देश से जुड़े हुये नहीं हैं। वे वापिस भारत आने के मामले में बड़े सतर्क हैं क्योंकि वे नहीं सोचते कि वे हमारी वैज्ञानिक व्यवस्था के इस दमघोंटू वातावरण में रह सकते हैं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तकनीकी स्तर पर अध्ययन करती रही है। इसका अर्थ यह है कि यह ये बताने की कोशिश करती है कि दूसरी जगहों पर क्या-क्या खोजें की गयी हैं और हमारे वैज्ञानिकों को यह जानकारी देने के लिए कि यहां की तकनीकी स्थिति और स्तर कैसा है। लेकिन इसमें भी हम अपने आप को नवीनतम प्रवृत्तियों से संबंधित नहीं रख पाये।

मैं दो बातों की चर्चा करूंगा जिनका जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। उदारहण के तौर पर, सीसे के अम्ल की बैटरियां और कम प्रतिरोधक वस्तुएं जैसे पोलियोलिफिन पृथक्कारक और ग्लोइलेक्ट्रालिस अब से 10 वर्ष पहले से भी प्रचलित हैं और हमारी तकनीकी स्तर के अध्ययन इस वर्ष इनकी चर्चा करते हैं। इसके बाद उदारहण के तौर पर डीजल इंजनों को लीजिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कुओं से सिंचाई करने के लिये काम में लाए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये वास्तव में भारी हैं, और बहुत ज्यादा डीजल खा जाते हैं और हमें 10 वर्ष से पता है कि चीन के डीजल इंजन वजन में हमारे इंजनों से एक तिहाई हैं। मैं नहीं जानता कि इन क्षेत्रों में क्यों कोई पहल नहीं की गयी।

अब मैं औद्योगिक उपक्रमों में तथाकथित घरेलू अनुसधान और विकास इकाइयों की चर्चा करता हूं। उदारहण के तौर पर, बेकलाइट हेलम में मुश्किल से परीक्षण और अनुसंधान तथा विकास में कोई भेद किया गया है।

क्या उन्होंने एक भी नई प्रक्रिया रखी है? क्या मन्त्री महोदय इस बात पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? एक दूसरी कम्पनी है अर्थात् ए-कोरडियोराईट जो एक छोटी-सी कम्पनी है। यहां तक कि रिपोर्ट में भी मैंने यह सारी जानकारी रिपोर्ट से प्राप्त की हैं, यह दिखाया गया है कि शोध एवं विकास पर 46 लाख रुपये खर्च हुये हैं। यह एक लघु उद्योग है। अत: मै यह जानना चाहता हूं कि उत्पादन के परिपेक्ष्य में इस खर्च का अनुपात कितना है। दुर्भाग्यवश, भारतीय उद्योग के विषय में हमारा अनुभव यह रहा है कि शोध एवं विकास पर किया गया खर्च धोखे से अधिक कुछ भी नहीं है या कर बचाने की चाल के सिवाय कुछ भी नहीं है।

रेक्केट कॉलमैन, जहां हमारे एक मन्त्री महोदय काम करते थे और एक कुशल प्रबन्धक के रूप में ख्याति प्राप्त की थी, बूट पालिश तथा डेटॉल ऐक से अधिक कुछ भी नहीं बनाती है। (व्यवधान)

इस कम्पनी ने शोध एवं विकास पर किया गया खर्च 30 लाख रुपये दिखाया है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे जूते पहले की अपेक्षा अच्छी तरह से चमक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका जूता बहुत महंगा है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यही कारण है कि उनका मुंह सदैव जूतों की तरफ रहता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेटल बाक्स कम्पनी ने 154 लाख रुपये खर्च किये हैं। इस कम्पनी का नई प्रक्रिया के आविष्कार में क्या योगदान है? ग्लेक्सो ने, जो कि हम जानते हैं एक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी है, शोध एवं विकास खर्च के नाम पर 300 लाख रुपये दिखाया है जबकि वह अपनी मूल कम्पनी से एक फार्म्यूलेशन लेती है। वारनर हिंदुस्तान भी एक बहु-राष्ट्रीय कम्पनी है, जिसने 120 लाख रुपये का खर्च दिखाया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि

हमारी औद्योगिक इकाईयों में स्थित इन शोध एवं विकास प्रभागों पर किये गये खर्च की सच्चाई के बारे में जानने के लिए एक विशेष समिति को जांच पड़ताल करनी चाहिए।

मैं प्रौद्योगिकी के आयात सम्बन्धी विषय पर कुछ कहूंगा। श्रीमान् एम० आर० कुरूप जो एस० एच० ए० आर० के निदेशक हैं ने कहा था कि जापान ने एक बार प्रौद्योगिकी का आयात किया था, अब भी करता है, केवल उसमें कुछ सुधार करके फिर उसका निर्यात करने के लिए हो। परंतु हम भुखमरी बढ़ाने के लिए, आयात की मांग बढ़ाने के लिए और अधिक आयात की भूख बढ़ाने के लिए आयात कर रहे हैं।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थान ने व्यापारिक दृष्टि से सक्षम 72 प्रणालियों का विकास किया है परन्तु हमारे प्रशासन हमारे देश के उद्योगों को एक भी ऐसी प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी है।

डा० अब्दुस सलाम, पाकिस्तान के नोबेल पुरस्कार विजेता ने एक बार ऋणग्राहियों का जो कि विकासशील देश हैं। एक संघ बनाने के लिए कहा था। ऐसा उन्होंने हमारी सौदाकारी शक्ति का खून चूसने वाली बहुराष्ट्रीय शक्तियों, जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे उच्च प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता प्राप्त हैं; के मुकाबले में सुदृढ़ बनाने के लिए कहा था। वास्तव में हम किस किस्म की प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं? यह पेचकश की प्रौद्योगिकी से कुछ बेहतर नहीं है।

इस सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में हमारी सरकार ने बताया कि हमारे देश में प्रयुक्त 80% कलपुर्जों का आयात किया जाता है। (व्यवधान) मन्त्री महोदय खंडन करने अथवा पुष्टि करने का अधिकार रखते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये। अपना समय मत गंवाईये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हां, महोदय। मैं मोटर कार उद्योग पर आऊंगा। मारुति कार को ही लीजिये। हम कलपुर्जों का आयात कर रहे हैं जिनकी लागत, एक प्रश्न के दिये गये उत्तर के अनुसार 1300 लाख डालर है। यह लागत केवल उन कलपुर्जों की है जो उनको दिये जाने हैं जिन्होंने पहले ही मारुति कारें खरीद रखी हैं। हमने बहुत-सी कम्पनियों को लाईसेंस दे दिये हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। हैदराबाद में आलविन कम्पनी को निसान के साथ सांझेदारी की इजाजत दी गई थी। दिल्ली में डी० सी० एम० को टोयॉटा के साथ सांझेदारी की स्वीकृति दी गई थी। वास्तव में प्रौद्योगिकी दोनों में एक ही प्रयोग में लाई गई है। यदि दोनों कम्पनियों को वही प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वीकृति दे दी जाये तो वे इसे किस तरह आत्म सात कर सकेंगी और किस तरह से वे शोध एवं विकास पर खर्च कर सकेंगी। यह केवल आन्तरिक स्पर्धा के उद्देश्य के लिए है, आन्तरिक स्पर्धा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभों के लिए जिन अधिक व्यापक बातों की आवश्यकता होती है, हम उन्हें इससे पूरा नहीं कर सकते। बड़े पैमाने पर उत्पादन की बचतों को प्राप्त किये बिना हम आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि सभा में और सभा के बाहर बहुत से पूंजीपति दक्षिण कोरिया का जिक्र करते रहते हैं। क्या हमें मालूम है कि दक्षिणी कोरिया की ह्युन्दाई कम्पनी ने अपनी कार का डिजाइन खुद तैयार किया है? इसने इसका आयात नहीं किया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन की बचतों को प्राप्त कर लिया है और निर्यात करने को सक्षम

हो गये हैं । मारुति को ही लीजिये हमारा हिंदुस्तान मशीन टूल्ज सप्लाई करने के लिए तैयार था···

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये । आप पहले ही अधिक समय ले चुके हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : भाषण को समाप्त करने में मैं अक्षरशः अपने नेता के पद चिह्नों का अनुसरण कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : नेता का अनुसरण नहीं कर रहे हैं आप ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे उभरने में समय लगता है ।

सभापति महोदय : एक अच्छा वक्ता वह है जो कम समय लेता है और अधिक बात कहता है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : और आलोचना भी करता है ।

सभापति महोदय : इस ढंग से आप आलोचना कर सकते हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, अब आप मेरा समय ले रहे हैं । एच० बी० जे० पाईप लाईन को लीजिये । मैं संविदाओं से सम्बन्धित विचार में नहीं जा रहा हूं । सितम्बर 1984 में सरकार के सचिव स्तर के 18 अधिकारियों की एक अधिकार प्राप्त समिति ने यह निर्णय लिया था कि इस परियोजना को "टर्न की" आधार पर पूरी करने के लिए कदापि स्वीकृति नहीं दी जायेगी तथा फिर भी ऐसी स्वीकृति दी गई । यहां तक कि उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी जो कि 'टर्न की' आधार पर नहीं दी जाती आत्मनिर्भरता के ढांचे भावना, दृष्टिकोण तथा तत्व को क्षति पहुंचाई जा रही है, यदि इनकी अवहेलना नहीं भी की जा रही है तो । पी० डी० आर० आई० को लीजिये···

सभापति महोदय : अब आपको अपना भाषण समाप्त करना पड़ेगा ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, अन्तिम बात और कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : ऐसा आप पांच या छः बार कह चुके हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारी आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने के लिए सनाम प्रोगेती ने पी० डी० आर० आई० के साथ सहयोग का समझौता किया···

सभापति महोदय : आप पहले ही 20 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं । क्या यह आपको अच्छा लगता है कि ऐसे ही बोलते जायें ? अब मैं मन्त्री महोदय को बुला रहा हूं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे केवल आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा समुद्र विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): सभापति महोदय, वैज्ञानिक विभागों के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए दिये गये इस अवसर के लिए मैं इस सभा का पीठासीन अधिकारियों का, कार्यमन्त्रणा समिति के सदस्यों का और सभा के अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं । हम लोक सभा में ऐसा पहली बार कर रहे हैं । इससे सरकार

का सभा में लोगों के प्रतिनिधियों के विचार जानने का अवसर मिला है। इससे सदस्यों को हुई गलतफहमी तथा कुछ शक भी दूर करने का अवसर मिला है। हम माननीय सदस्यों के प्रति बहुत अच्छे प्रसंग उठाने तथा बहुत अच्छे सुझाव देने और वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिक विभागों की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लिए आभार प्रकट करते हैं। यहां माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रसंगों का उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे परन्तु उन द्वारा उठाये गये सभी प्रसंगों का जवाब देना शायद सम्भव नहीं होगा। हम माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ न्यायसंगत प्रसंगों, जो वास्तव में नीतियों और बड़े मामलों से सम्बन्धित नहीं है, का उत्तर लिखित में भेजने की सोच रहे हैं।

मैं तो वाद-विवाद के मध्य बोल रहा हूं। मेरे विचार में माननीय प्रधान मन्त्री जी इस चर्चा का उत्तर 5 बजे देने वाले हैं।

महोदय एक प्रश्न प्रधान मन्त्री की विज्ञान सलाहकार समिति के गठन और प्रधान मन्त्री के विज्ञान सलाहकार के बारे में उठाया गया। प्रो० मेनन विज्ञान सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। आजकल वह विज्ञान सम्बन्धी नीतियों को लागू करने से सम्बन्धित दिन-प्रति-दिन के मामलों पर प्रधान मन्त्री को सलाह देते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं।

प्रधान मन्त्री की विज्ञान सलाहकार समिति का कार्य लम्बी, मध्य और अल्प अवधि की योजनाओं और नीतियों का निर्माण करना है और अपने विचारों से प्रधान मन्त्री महोदय को अवगत कराना है। प्रधान मन्त्री महोदय को विचारों से अवगत कराने के बाद उन पर विभागीय स्तर पर विचार विमर्श होता है या मन्त्रालय में उन पर विचार विमर्श होता है और जहां कहीं यह आवश्यक होता है कि इन मामलों को मन्त्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाये, उन्हें अवश्य ही मन्त्रिमण्डल के पास भेजा जाता है और अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

समिति का कार्य सलाह देना और अपने विचार बताना है। हमारे विचार से समिति तथा सलाहकार रखने में कोई कठिनाई नहीं है जब सलाह मिलती है तो उसकी तुलना की जा सकती है और यदि दोनों ओर से प्राप्त सलाह में सहमति हो तो उन्हें कार्यरूप देना आसान हो जाता है। यदि सुझावों में असहमति है तो दिये गये सुझावों का अतिसूक्ष्म निरीक्षण किया जा सकता है और उचित निर्णय लिये जा सकते हैं।

सलाहकार समिति के सदस्यों का चुनाव करते समय युवा वैज्ञानिकों और अनुभवी वैज्ञानिकों को एक साथ लिया जाता है। यदि युवा वैज्ञानिक हैं और उन्हें सलाहकार समिति में शामिल किया जाता है तो मेरे विचार से इस बात पर कोई आपत्ति उठाना उचित नहीं है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि युवा वैज्ञानिकों को कार्य करने के अवसर प्रदान किये जायें और दूसरी तरफ जब युवा वैज्ञानिकों को अवसर दिये जाते हैं तो यह कह कर आपत्ति उठाई जाती है कि वह एक युवा वैज्ञानिक है। यह दोहरी नीति वास्तव में उचित नहीं है। यदि हमने दो वैज्ञानिकों को ले लिया होता...

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय वह अपनी बात हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमने कभी नहीं कहा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह कहने वाले केवल आप ही नहीं हैं, मैं केवल आपकी बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया है।

यदि दो वैज्ञानिकों को, जो एक ही विदेशी कम्पनी में कार्यरत हैं को शामिल करलिया गया है, तो हमारे सामने यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि उनको गोपनीय जानकारी नहीं दी जा रही है। वे नीति संबन्धी मामलों पर कार्य करेंगे। वे नीति संबंधी मामलों पर सलाह देंगे। वे नीति सम्बन्धी मामलों के कार्यान्वयन तथा वैज्ञानिक विभाग के प्रकाशन से सम्बन्धित नहीं हैं। यदि उनको विज्ञान के साथ-साथ प्रशासन और कई अन्य क्षेत्रों में भी अनुभव है तो मेरे विचार में यह बहुत अच्छी बात है। उनके विरुद्ध कोई गम्भीर शिकायत नहीं हो सकती।

आजकल विज्ञान विभागों में कार्यरत वैज्ञानिकों में से बहुत से वैज्ञानिक विदेशों में शिक्षा प्राप्त हैं। उनमें से कुछ ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में भी कार्य किया है। मात्र इसी कारण, कि उन्होंने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में कार्य किया है, उनको यहां कार्य करने से मना करना गलत होगा। यदि वे भारत के रहने वाले हैं; यदि उनकी नेकनीयति पर शक नहीं किया जा सकता; यदि उनके पूर्व वृत्त की सही ढंग से जांच की जा सकती है और यदि उनके विरुद्ध कोई भी बात नहीं बनती तो उनको समिति में लेने में कोई बुराई नहीं है जिससे सरकार को उचित सलाह की उम्मीद है। महोदय, इस विषय में मैं इससे अधिक कुछ भी नहीं कहना चाहता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मन्त्रीमण्डल को समिति की सलाह से मुक्त क्यों रखा गया है और प्रधान मन्त्री महोदय पर यह भार क्यों डाला गया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमें सरकार की कार्य प्रणाली को समझना चाहिए। यदि किसी मामले को मन्त्रीमण्डल के पास भेजा जाता है तो इसे मन्त्री महोदय के द्वारा भेजा जायेगा और यदि यहां प्रधानमन्त्री महोदय को सलाह दी जानी है और यदि इसे मन्त्रीमण्डल के पास भेजा जाना है तो इसे मन्त्रीमण्डल के पास भी भेजा जा सकता है। मन्त्रीमण्डल ऐसी हस्ती नहीं है जिसे सीधे सलाह दी जा सके। अन्ततः इसे सलाह मन्त्री महोदय के द्वारा ही भेजी जाती है। मेरे विचार में ऐसी स्थिति में प्रधान मन्त्री महोदय के लिए सलाहकार नियुक्त करने में कोई बुराई नहीं है। वे सलाह लेते हैं और यदि आवश्यकता होती है तो वह सलाह मन्त्रीमण्ल को भी उपलब्ध कराते हैं।

महोदय एक मुद्दा जो कुछ सदस्यों ने उठाया था, वह यह है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर दिया जाने वाला बल कृषि सिंचाई और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के विकास के लिए नहीं है। इस तथ्य की बहुत सावधानी से सभा द्वारा जांच की जानी चाहिए। यदि यह स्थिति होती तो खाद्यान्नों का उत्पादन 300 प्रतिशत तक न बढ़ा होता। यदि यही स्थिति रहती तो सिंचाई की सुविधाओं में भी 300 प्रतिशत वृद्धि न हुई होती। और यदि यही स्थिति होती तो हम चेचक, प्लेग और मलेरिया को दूर न कर पाते। हम तपेदिक को और कुछ हद तक कैंसर को भी नियंत्रित न कर पाते।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या यह हमारे अनुसंधान से संभव हुआ है ? संसार भर में यह अब एक सामान्य सी बात हो गयी है। (व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : यदि विज्ञान और प्रोद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों और गामीण लोगों तक न पहुंची होती और यदि इन वस्तुओं का विकास हमने अपने लोगों के लिए न किया होता तो भारत में हमारे लोगों की औसत आयु सीमा 24 वर्ष से बढ़ कर 54 या 56 वर्ष न हुई होती।

इस मुद्दे पर कुछ गलतफहमी है। लोगों का विचार है कि संकर बीजों का उत्पादन या बड़े बांधों का निर्माण प्रोद्योगिकी नहीं है। स्वराज ट्रैक्टर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी से निर्मित किया जाता है संकर बीजों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों में उत्पादन किया जाता है। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि मंत्रालय की गतिविधियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश यह हुआ है कि जब कृषि मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय चर्चा के लिए आगे आते हैं तो उनका ज्यादा जोर उन क्षेत्रों में वैज्ञानिक गतिविधियों पर न होकर प्रशासन से सम्बन्धित होता है। जब हम विज्ञान मंत्रालय और देश में समस्त वैज्ञानिक गतिविधियों की बात करते हैं तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतना ही अर्थ नहीं है कि यह केवल उद्योग के लिए है।

3.29 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुये)

हम इस विषय में स्पष्ट धारणा रखें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तात्पर्य कृषि स्वास्थ्य के लिए बिजली उत्पादन सिंचाई, उद्योग इत्यादि के लिए काम आने वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। यदि आप केवल एक ही क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं तो आपकी इस विषय पर बनाई गयी धारणा एक संकुचित धारणा होगी और आप देश में होने वाले वास्तविक विकास का अनुमान नहीं लगा सकते। यही कारण है कि मैं इस मुद्दे को रख रहा हूं (व्यवधान) आप इस सदन में उस समय उपस्थित नहीं थे जब एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि हमने कृषि और सिंचाई के लिए कुछ खास नहीं किया है। मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि यह सही नहीं है।

पुन: महोदय कुछ माननीय सदस्यों ने यह धारण बनाई है कि इलेक्ट्रानिक जैनेटिक इंजीनियरी और उसी प्रकार की अन्य चीजों का वास्तव में कृषि विकास से कोई मतलब नहीं है। यह सही नहीं है। हम उन्नत किस्म के (सुपर) कम्प्यूटर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका प्रयोग कहां किया जायेगा ? इसका उपयोग कृषि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया जायेगा और यदि यह ऐसा इलेक्ट्रानिक उपकरण है जिसका प्रयोग कृषि मौसम विज्ञान में किया जाना है। तब इसका उपयोग हमारे देश के किसानों के लिए किया जायेगा। महोदय, हम जीव-प्रौद्योगिकी का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया, माननीय मंत्री को बोलने दें। कृपया उनके बोलते समय हस्तक्षेप न करें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम जीव प्रौद्योगिकी का विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जीव प्रौद्योगिकी वह प्रौद्योगिकी है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों से सम्बन्धित है और इलेक्ट्रानिकी विज्ञान और प्रोद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों से सम्बन्धित है साथ ही ये दोनों क्षेत्र केवल उद्योग या कार्यालयों के उपकरणों से ही संबंध नहीं है अपितु वे खेती के कार्यों, समुद्री गतिविधियों मतस्य पालन से सम्बन्धित कार्यों और कई अन्य चीजों से भी संबद्ध हैं। यदि जीव प्रौद्योगिकी में हमारी निपुणता और योग्यता बढ़ती है तो हम ऐसे बीज विकसित करने में सफल हो सकेंगे जो कि इस प्रकार के खेतों में उपयोग किये जा सकेंगे जिनमें क्षारीयता है, जो सूखे से प्रभावित हैं। इससे यह भी संभव हो सकेगा कि हमें कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग न करना पड़े। हम इस प्रकार के

बीच प्राप्त कर सकेंगें । एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे सामने आता है वह नाईट्रोजन के वायु मंडल से जमीन में स्थायीकरण से सम्बन्धित है और वह भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा रासायनिक उर्वरकों पर व्यय कम हो । यह जीव प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जा सकता है और यदि आप यह नहीं समझ पाते हैं कि जीव प्रौद्योगिकी कृषि से संबद्ध नहीं हो सकती है और यदि आप समझते हैं कि जीव प्रौद्योगिकी केवल उद्योग में ही प्रयोग की जा सकती है या इलेक्ट्रानिकी केवल उद्योग से ही संबद्ध है कृषि से नहीं या इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में भी तब देश में हो रहे वैज्ञानिक विकास के प्रति आपका दृष्टिकोण सही नहीं है । हमारा ग्रामीण विकास, कृषि विकास के संदर्भ में आज रवैया है···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, उन्होंने ग्रामीण भारत के लिए इलेक्ट्रानिकी के उपयोग की बात की है । इसलिए उन्हें ही भारत में जहां तक पूरी तरह इलेक्ट्रानिकी विकास से सम्बन्धित सर्वोत्कृष्ठ उपभोक्ता वस्तुओं का सवाल है कुछ ठोस उदाहरण देने दें ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरे माननीय मित्र भूल गये हैं कि हमने वाह्य अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े हैं और ये उपग्रह इलेक्ट्रानिकी पर निर्भर हैं और इन उपग्रहों के जरिये हम किसानों को खेती की विधियों के बारे में, मानसून के बारे में और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को चक्रवात की स्थितियों के बारे में सूचित करते हैं । इलेक्ट्रनिकी की सहायता से हम एक खुला विश्वविद्यालय, एक ऊत्तक संवर्धन शाला खोलने जा रहे हैं । ऊत्तक संवर्धन जोकि एक प्रमुख क्षेत्र है और यदि यह ऊतक संवर्धन प्रौद्योगिकी कृषि के काम आती है तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ये सभी अग्रणी क्षेत्र केवल समाज के उच्च वर्गों के लिए ही हैं । वास्तव में हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन्हें बनाना ··

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ऊतक संवर्धन को इलेक्ट्रानिकी से क्या मतलब है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल :'मैं ऊत्तक संवर्धन और इलेक्ट्रानिकी के बारे में बात नहीं कर रहा था । मैं ऊत्तक संवर्धन का जीव-प्रौद्योगिकी के साथ सम्बन्ध के बारे में बात कर रहा था । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमारे देश में ऐसा सोचना कि वैज्ञानिक विकास, कृषि विकास से संबद्ध नहीं है, गलत है ।

क्या मैं विज्ञान नीति से सम्बन्धित वक्तव्य का जिक्र कर सकता हूं । इस वक्तव्य में जो कहा गया है वह यह है :

"इसी से मानव इतिहास में पहली बार आम आदमी को विज्ञान ने उन्नत देशों में ऐसा जीवन-स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधायें दी है जो कि किसी समय जनसंख्या के केवल एक बहुत छोटे विशेष सुविधा प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग तक ही सीमित थी । विज्ञान ने इस हद तक विकास और संस्कृति के फैलाव को बढ़ाया है जैसाकि पहले कभी संभव न हुआ था । इससे न केवल मनुष्य की प्रभावी अन्तर्ग्रस्तता में आमूल परिवर्तन आया है बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे विचारों को एक नयी दिशा प्रदान की है और इसने मनुष्य की क्षमता के क्षेत्र को भी विस्तृत बनाया है । इससे जीवन के मूल सिद्धांतों पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है और सभ्यता को नयी शक्ति और दिशा भी मिलती है ।"

यह नीति है जो विज्ञान नीति से सम्बन्धित वक्तव्य में प्रतिपादित है ।

प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य में क्या कहा गया है ? प्राथमिकता के सम्बन्ध में एक खण्ड है। प्रौद्योगिकी नीति के अनुसार :—

"वे मन्त्रालय जो खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश और उत्पादन कार्यों से सम्बन्धित हैं उन्हें अच्छे एस० और टी० औजारों द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।"

इससे पता चलता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग लोकतन्त्र, उत्पादन लोगों को न्याय दिलाने, उत्पादों के वितरण और शिक्षा के लिए भी अच्छा है। ये सभी बातें हैं। मैं संविधान में से भी उद्धृत करना चाहूंगा। यह आज नहीं किया गया ! अनुच्छेद 48 के अनुसार:—

"राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा और विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्लों के परिरक्षण और उन्हें सुधारने के लिए तथा उनके वध का..." प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर होगा।"

संविधान का यह दृष्टिकोण है, प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीति वक्तव्य में और विज्ञान नीति वक्तव्य में यह प्रावधान है।

मैंने आपको स्पष्ट किया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का उपयोग संकर बीजों के उत्पादन में, बांध-बनाने में, उवर्रकों के उत्पादन में, कीट नाशक दवाओं के उत्पादन में, और कृषि औजारों के उत्पादन में किया जा सकता है और इलेक्ट्रानिकी और जेनेटिक्स और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्र हमारे देश में कृषि के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सहायता करने के लिए और जिन्हें इसकी सहायता की अत्याधिक आवश्यकता है, उनकी सहायता के लिए कैसे संबद्ध और सहायक होते हैं। यह हमारा रवैया है। और यह सोचना गलत है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो देश में विकसित की जा रही है केवल उद्योग से ही सम्बन्धित है। ऐसा नहीं है। यह लोगों के चहुंमुखी विकास और खास तौर से जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है से सम्बन्धित है। यही हमारा दृष्टिकोण है। सभा के अन्दर और बाहर किसी के मन में यह आशंका न रहे कि भारत में वैज्ञानिक विकास और प्रोद्योगिकीय विकास समाज के उच्च वर्ग के लिए ही है। हम यह देखना चाहते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अमीर बन जाये। ये आम आदमी की सहायता के लिए है। इस बात पर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न पूछा गया था कि, हमारी क्या प्राथमिकतायें थीं। शुरू में ही हमें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्राथमिकताओं के बारे में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। आजादी मिलने से पहले भी हमारी पहली प्राथमिकता शिक्षा थी। दूसरी प्राथमिकता कृषि, तीसरी प्राथमिकता बिजली उत्पादन, चौथी प्राथमिकता सिंचाई और पांचवीं प्राथमिकता उद्योग थी। यही वे प्राथमिकतायें थीं जो निर्धारित की गयी थीं। हमारी योजनाओं का गठन इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर किया गया और वैज्ञानिक विकास जो कि देश के संपूर्ण विकास का अभिन्न अंग है और इन्हें योजना में उल्लिखित प्राथमिकताओं का अनुसरण करते हुए भी समानन्तर चलना है,। यह सब 7वीं योजना में दिखाया गया है। मूल सिद्धांत जिन पर 7 वीं योजना टिकी है वे भोजन, रोजगार और उत्पादकता हैं।

ये हमारी प्राथमिकतायें हैं और इस देश में वैज्ञानिक विकास के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिये। यदि हम परमाणु ऊर्जा का विकास कर रहे हैं तो वह विकास खाद्य के

उत्पादन में, अधिकाधिक उद्योगों को चलाकर रोजगार दिलाने में और उत्पादकता बढ़ाने आदि में उपयोगी हो सकता है। यदि हम उपग्रह बना रहे हैं तो यह हमें संचार के क्षेत्र में, जानकारी प्राप्त करने में और शिक्षा के क्षेत्र में सहायता करेगा। ये सब खाद्य का अधिक उत्पादन करने में और अधिक रोजगार दिलाने में हमारी सहायता करेंगे और ये सभी चीजें हमारी उत्पादकता बढ़ायेगी।

एक माननीय सदस्य : यह आम आदमी की कैसे सहायता करता है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने आपको यह स्पष्ट किया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्र कैसे उपयोगी हो सकते हैं। विज्ञान और प्रोद्योगिकी के आज प्रमुख क्षेत्र इलेक्ट्रानिकी, जीव-प्रोद्योगिकी, इनफोरमेटिक्स, कमप्यूटरोनिक्स, भौतिक विज्ञान और इसी प्रकार दूसरी प्रौद्योगिकियां हैं। मैंने आपको स्पष्ट किया है कि किस प्रकार वे देश में गरीब लोगों से संबद्ध हैं। हम अपने लोगों को विश्व में और देश में प्राप्य सर्वोत्तम वस्तुएं देना चाहते हैं। यदि हम अपने लोगों को द्वितीय श्रेणी की प्रौद्योगिकी देंगे तो उनके विकास का स्तर भी द्वितीय श्रेणी का ही होगा ! यदि हम हर वक्त केवल बैलगाड़ी से ही बंधे रहेंगे तो इससे हमें सहायता नहीं मिलेगी।

हमारी सातवीं योजना में और विशेषता छटी योजना में भी हमने यह विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि हमारा दृष्टिकोण अपने लोगों की आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सहायता करने के साथ ही साथ उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। परन्तु हम नहीं चाहते कि हम स्वयं हर समय उपयुक्त प्रौद्योगिकी से ही बंधे रहें। एक समय आयेगा जब हमें उपयुक्त प्रौद्योगिकी को छोड़ना होगा और हम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनायेंगे। यदि हम एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं तो इससे लोगों द्वारा वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाने वाला समय कम होगा, लागत सहने लायक होगी और माल अच्छी किस्म का और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी होगा। जब ये सब सामग्री होगी तो हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों के द्वितीय श्रेणी की प्रौद्योगिकी से बंधे रहने नहीं देंगे। उन्हें प्रथम श्रेणी की प्रौद्योगिकी क्यों न दी जाये ?

उन्हें फ्रन्टियर प्रौद्योगिकी क्यों न दी जाए ? हम अपने आप को उन प्रौद्योगिकीयों से क्यों बांधे जिनका प्रयोग आजकल गांवों में भी नहीं होता। मैं यह नहीं कह रहा कि समुचित प्रौद्योगिकी का विकास नहीं करना चाहिए। हमारा यह भी प्रस्ताव है कि जब तक सभी लोगों को अति-आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं होती तब तक निश्चित रूप से हमें समुचित तकनीक का विकास भी करेंगे। हम केवल समुचित प्रौद्योगिकी पर ही जोर नहीं देंगे। इससे हमारे देश को कोई लाभ नहीं होता। हमारी जनसंख्या बहुत है, हमारी समस्याएं बड़ी हैं और वह समय सीमा जिससे इन समस्याओं को निपटाना है, बहुत सीमित हैं और हम पुरानी और लुप्त प्रौद्योगिकी से परिणाम वही निकाल पायेंगे।

इस सम्बन्ध में वास्तव में जो करना है वह यह है कि छोटे रास्ते से अग्रणी क्षेत्र में पहुंच कर उन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। और मैं नहीं समझता कि आप इस प्रकार के प्रस्ताव से इस प्रकार की नीति में कोई कमी ढूंढ पायेंगे।

आओ अब हम स्वदेशी तकनीक और आयातित तकनीक के विभिन्न पहलुओं पर आते हैं। स्वदेशी तकनीक के बारे में एक बात कही गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी स्थिति आत्म निर्भर बनने की है। इसका अभिप्राय आत्मतुष्टि से नहीं है। भारत वर्ष के लिए और किसी अन्य देश के लिए आत्मतुष्ट होना अत्यन्त कठिन हैं। आज की दुनिया में किसी भी देश के लिए आत्म-

तुष्ट होना सम्भव नहीं हैं। हम कृषि, उद्योग, विद्युत, परमाणु शक्ति आणविक, अन्तरिक्ष तकनीक इलैक्ट्रोनिक्स जीव-प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु यह समझ लीजिए कि एक ही समय से सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीयों के विकास के लिए रुपया खर्च करना हमारे लिए सम्भव नहीं है। हमारी पास पूंजी उपलब्ध नहीं है और जो है वह पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि यदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बाह्य दुनिया से प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो सकती है तो हम उन प्रौद्योगिकीयों को भारत में लाना और उसका उपयोग करना चाहेंगे।

ऐसे क्षेत्र हैं जिनके प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध नहीं है जैसा का नाभिकीय-तकनीक के क्षेत्र में हुआ है, कुछ समय पश्चात् हम आत्म-निर्भर हो गए और आज आप सभी वैज्ञानिकों एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रति बहुत उदार हैं। आपने उनका बहुत अच्छी तरह शुक्रिया अदा किया है। और आज स्थिति यह है कि हम अपना ईंधन, और अपना भारी पानी स्वयं तैयार कर सकते हैं। हम अपना परमाणु रीयक्टर स्वयं लगा सकते हैं। हम इस बारे में स्वावलम्बी है। यही नहीं अपितु हम फास्ट ब्रीडर रियक्टर प्रौद्योगिकी तक भी गए हैं और उससे आगे भी जाना चाहेंगे। यह वह क्षेत्र था जिससे तकनीक उपलब्ध नहीं थी और हम आत्म-निर्भर बने, यदि और किसी अन्य क्षेत्र में भी इस प्रकार की स्थिति है तो हम आत्म-निर्भर बनना चाहेंगे अपनी स्वयं की प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहेंगे। कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र भी है जो हमारे देश से सम्बधित है और इसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी संसार के किसी अन्य क्षेत्र में विकसित नहीं होगी। बैलगाड़ी का विकास दुनिया में कोई नहीं कर रहा है एक सदस्य यह जानना चाहता था कि क्या हमने बैलगाड़ी के लिए कुछ किया है। 'हां' हमने ऐसा किया है और महाराष्ट्र की चीनी मिलों में नए प्रकार की बैल-गाड़ियों को प्रयोग किया जा रहा है। यदि कोई वहां जाकर देखना व बैलगाड़ी खरीदना चाहता है तो ये बैलगाड़ियाँ उपलब्ध होगी। बात केवल यह है कि प्रयोगशालाओं में विकसित की गई प्रौद्योगिकी को काम में लाना है। विकसित की गई प्रौद्योगिकीयों का उद्योग व उत्पादन में बड़े पैमान पर प्रयोग करना है ताकि विकसित तकनीकि के आधार पर किया गया उत्पादन, देश में सभी लोगों को उपलब्ध हो सके।

अब इन क्षेत्रों में भी कोई भी प्रौद्योगिकी का विकास करने नहीं जा रहा है हम स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहेंगे। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र भी है जिनमें प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए लिया जाने वाला समय बहुत अधिक या बहुत कम है। जब समय बहुत अधिक या बहुत कम होता है, प्रौद्योगिकी की प्रगति की रफ्तार बहुत तीव्र या अप्रचलन की गति बहुत तीव्र होती है तो हमारे लिए संसार की प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ-साथ चलना कठिन हो जाता है। उन क्षेत्रों में, उन प्राचीन क्षेत्रों में हम प्रौद्योगिकी प्राप्त करना चाहेंगे और यदि यह उपलब्ध हो सकती है तो हम इसे ग्रहण करना चाहेंगे, हम इन प्रौद्योगिकीयों के बारे में जानना चाहेंगे और बाद में हम केवल वही तकनीक प्राप्त करना चाहेंगे जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। हम उनमें सुधार करना चाहेंगे और इस प्रकार स्वयं विकास करते हुए, बाहर से तकनीक प्राप्त करके इन दोनों को मिश्रित करके हम देश में वास्तविक आत्म-निर्भरता का विकास करने योग्य होंगे। यदि आप देश में प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आत्म-निर्भरता की स्थिति कभी भी नहीं आयेगी, क्योंकि ऐसा करने में बहुत समय लगेगा और तब तक दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होगी। इस प्रकार जहां तक स्वदेशी प्रौद्योगिकी की प्रगति का सम्बन्ध है हमने यही रास्ता अपनाया है। किसी ने कहा कि हम 21वीं शताब्दी की ओर कैसे अग्रसर हो रहे हैं? मैं प्रत्येक बात को नहीं

ले रहा हूं क्योंकि आप बोलना चाहेंगे और बहुत सी अन्य बातों पर माननीय प्रधान मंत्री भी बोलेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उनके लिए कुछ छोड़ दो।

श्री शिवराज वी० पाटिल : एक या दो बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है। हमसे जो प्रश्न पूछा गया वह यह था कि आप 21वीं शताब्दी में कैसे जाना चाहते हैं? श्रीमान जी मैं संहिष्णुता सहित कहूंगा कि प्रशासनिक सुधारों के आधार पर विज्ञान व तकनीकि के विकास के आधार पर, नई शिक्षा प्रणाली, जिसे हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, के आधार पर विश्वास और शक्ति के साथ हम 21वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं। ये वो क्षेत्र है जिनके अन्तर्गत हमारी प्रगति के भौतिक पहलू और साथ-साथ मानसिक पहलू भी आते हैं।

अब प्रशासनिक सुधारों के होने से हम अपने धन और उपलब्ध संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग कर रहे होंगे। प्रौद्योगिकीयों का विकास करके हम संसाधनों का प्रयोग करने की अपनी सामर्थ्य बढ़ायेंगे, और एक प्रकार की मन स्थिति जो कि दुनिया में विकसित विशिष्टताओं और वर्तमान परिस्थितियों की लय में होगी, हम इन सब बातों का प्रयोग कर सकेंगे।

महोदय, मैं एक कदम और आगे जाना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि विज्ञान और तकनीकी, जोकि भूमि के संसाधनों की प्रगति, महासागर के संसाधनों की प्रगति या अन्तरिक्ष में प्रगति के लिए है, से इन सब की प्रगति होगी। और भूमि से महासागर में जा जाकर, अन्तरिक्ष जो कि असीमित है और सम्भवत: व्यक्ति के मन से बड़ा नहीं; में जाकर हम 21वीं शताब्दी में जाने योग्य हो जायेंगे। यह प्रधानमंत्री द्वारा, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसने हमारी कल्पना को छू लिया है (व्यवधान) यह कल्पना बन चुकी है और यदि इसके विरुद्ध शिकायत नहीं हो सकती, हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिये, हमें इसके महत्व को कम नहीं करना चाहिये, यह देश के हित में नहीं होगा।

विज्ञान की प्रगति इस प्रकार है : विज्ञान और तकनीकी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, दृष्टिगोचर से अदृष्टिगोचर की ओर, पदार्थ से विचार की ओर, विचार/मन से आत्मा की ओर विकास करते रहे हैं। इसका उल्लेख हमारी प्रौद्योगिकी नीति प्रलेख जिसे 1958 में बनाया गया था, में किया गया है। यह कहा गया था अर्थात् आधुनिक युग में लोगों के उत्साह से अलग राष्ट्रीय सम्पन्नता की कुंजी, तीन कारकों के प्रभावपूर्ण मिश्रण अर्थात् तकनीकी कच्चा माल और पूंजी पर निर्भर करती है। यह हमारी प्रगति है। इस प्रकार हम अपनी तकनीकी का विकास करना चाहेंगे।

अपनी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस अवसर पर हमें पंडित जवाहर लाल नेहरू को याद करना चाहिए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। हमारे स्वतन्त्र होने से भी पहले वे विज्ञान और तकनीकी के विकास के बारे में बोले। उन्होंने ही भारत में विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के लिए मजबूत नींव रखी उन्होंने ही विज्ञान और तकनीकी को सर्वप्रिय बनाया। उन्होंने ही भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया और इसी आधार पर इसी नींव पर आज विज्ञान और तकनीक का महल खड़ा है।

हम अपनी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी याद करना चाहेंगे, जिन्होंने सभी क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के लिए सहायता की। बहुत से नये विभागों को जो अब अस्तित्व में है उनके शासन में बनाया गया था। अन्तरिक्ष विभाग इलेक्ट्रानिक्स विभाग, महासागर प्रगति विभाग, वातावरण विभाग और राज्य सरकारों के विभाग, राज्य सरकारों के अन्तर्गत परिषदों का निर्माण भी उन्हीं के प्रधान मंत्री काल में हुआ था। उन्होंने ही अग्रणी क्षेत्रों में विज्ञान व तकनीक की प्रगति के लिए सभी सहायता दी। भारत में उनके सहयोग के बिना विज्ञान और तकनीक की स्थिति वैसी नहीं होती जैसी की आज हैं।

आज हमारे पास नींव हैं, भवन है, और हम शिखर और उत्कृष्टता पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सर्वोच्च शिखर पर जाना चाहेंगे, हम विज्ञान और तकनीकी की प्रगति करना चाहेंगे हम उस विज्ञान और तकनीक का दूसरे देशों से भी आदान-प्रदान करना चाहेंगे जिनसे हम कुछ ले सकते हैं और जिन्हें हम कुछ दे सकते हैं।

महोदय यह हमारा दृष्टिकोण रहा है इस प्रकार हम जाना चाहेंगे।

जहां तक सी० एस० आई० आर० का सम्बन्ध है बहुत से तथ्य दिए गए हैं जो ठीक नहीं हैं। सी० एस० आई० आर० द्वारा एन० आर० डी० सी० को दी गई प्रौद्योगिकी का उपयोग 40% है ब्रिटेन में भी इस प्रकार का संगठन है। इसकी प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल 14% है। मैं उन दोनों की तुलना नहीं कर रहा। यदि कुछ गलत है तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि उसे ठीक करे और कुछ अधिक अच्छा किया जाए। और हम यह करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने सी० एस० आई० आर० के अन्तर्गत काम करने वाले कुछ संगठनों के कार्यों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है (व्यवधान) परन्तु माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए तथ्य सही नहीं हैं और मैं इन तथ्यों को ठीक करना चाहूंगा।

मैं यहां कही गई बातों पर और टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मैं इस मंत्रालय को चर्चा करने का अवसर प्रदान करने के लिए सदन का धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय 4.45 म० प० उत्तर देंगे अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने भाषण पांच मिनट तक सीमित रखे।

अब श्री विपिन पाल दास।

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर) : बहुत कुछ पहले ही कहा जा चुका है और बहुत कुछ कहना बाकी है। परन्तु क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए केवल पांच मिनट दिए हैं मैं वास्तव में यह नहीं जानता कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। मैं विज्ञान व तकनीकी में अन्तर स्पष्ट करूंगा यद्यपि दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं। विज्ञान मुक्त हैं और स्वतंत्र रास्ता अपनाता है। संसार के सभी महान वैज्ञानिक जैसे न्यूटन, मैक्स वैल, डार्विन, आईन्सटाइन को किसी ने निर्देशन नहीं दिया था, उनकी दिशा केवल सत्य की खोज करना थी और इसीलिए वे सच्चाई का रास्ता अपना सके। परन्तु खोज; आविष्कार से भिन्न है, जोकि तकनीकी का कार्य है। मानव इतिहास में हमेशा तकनीक को राज्यनीति से निर्देशन दिया गया परन्तु विज्ञान को नहीं, विज्ञान को निर्देशन नहीं दिया जा सकता, विज्ञान की खोजों को निर्देशत नहीं किया जा सकता यह मुक्त है और अपना स्वतन्त्र रास्ता अपनाता है। और इसीलिए हमारे पास

बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत-सी वस्तुओं की खोज की है, बहुत से विचार, बहुत से सिद्धांतों की खोज की है। परन्तु तकनीक हमेशा राज्य नीति का पालन करती है इसका अर्थ है कि तकनीक के रास्ते को राज्य नीति निर्देशित करती है। क्या आप बैलगाड़ी अर्थव्यवस्था चाहते हैं या कम्प्यूटर अर्थव्यवस्था या आधुनिक अर्थव्यवस्था या मध्यकालीन अर्थव्यस्था। यह राजनीति पर निर्भर करता है। इसलिए राजनीति को उसी के अनुसार बनाया जाना चाहिए। अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इस भिन्नता को ध्यान में रखें तो केवल तभी हम विज्ञान में अनुसंधान के विषय में एक नीति का और प्रौद्योगिकी के विकास के विषय में दूसरी नीति का अनुसरण कर सकते हैं।

अगर आप इस देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं तो वास्तव में इसका अर्थ क्या है? सरकार के अनुमानानुसार हमारी जनसंख्या का 37 प्रतिशत आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। इन सब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाये बिना आप देश को 21 वीं सदी में कैसे ले जा सकते है? मैं नहीं जानता। आप गरीबी की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या को रोके बिना आप समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? इन दोनों का गहरा सम्बन्ध है। अत: इस वृहत समस्या को सुलझाने के लिए और देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए हमें प्रौद्योगिकी के संबंध मे एक संतुलित नीति बनानी होगी और केवल वही नीति देश को अगली सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी।

प्रौद्योगिकी की चार अलग-अलग श्रेणियां है। हमें प्रौद्योगिकी का अर्थ इस्पात संयंत्र प्रौद्योगिकी या विद्युत संयंत्र प्रौद्योगिकी या पन बिजली प्रौद्योगिकी आदि नहीं लगाना चाहिए आज हमारे देश में चार प्रकार की प्रौद्योगिकियां हैं जो विकास के स्तर पर हैं (1) बड़े पैमाने पर (2) मध्यम पैमाने पर, छोटे पैमाने पर आये अन्तिम ग्रामीण या कुटीर स्तर पर। वे आज भी विद्यमान हैं।

एक बार हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि भारत में बैलगाड़ी द्वारा ढोये जाने वाले कुल भार रेल, मोटर यातायात, वायुयान और सभी दूसरे वाहनों द्वारा ढोया जाने वाले कुल बोझ से अधिक है इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम बैलगाड़ी को ऐसे ही नहीं हटा सकते। हम इसका विकल्प चाहते हैं। लेकिन यह आज या कल में नहीं हो सकता। इसमें समय लगेगा। जब तक हम बैलगाड़ी का विकल्प नहीं ढूंढ लेते हमें बैलगाड़ी की तकनीक में सुधार करना चाहिए। इसलिए केवल एक संतुलित और सुविचारित और समेकित नीति से, जिसमें चारों श्रेणियां शामिल हों, इस देश की समस्या सुलझ सकती है और हमें 21वीं सदी की ओर ले जा सकती है। श्रीमन हम औद्योगिक क्रांति से तो वंचित रह गए। क्योंकि उस समय हम उपनिवेशी शासन के अधीन थे। लेकिन हम मौजूदा प्रौद्योगिक क्रांति से वंचित रहना सहन नहीं कर सकते और अगर हम नई प्रौद्योगिक क्रान्ति से वंचित नहीं रहते तो हम आने वाली सदी में चुनौती का सामना कर सकेंगे। इसलिए समय की आवश्यकता है कि हम ठीक संतुलित तकनीकी नीति अपनाएं।

मुझे और भी कुछ कहना है लेकिन आप आग्रह कर रहे हैं। इसलिए मैं बैठ जाता हूं।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, सबसे प्रथम मैं आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस देश में विज्ञान

को, टैक्नोलौजी को विशेष प्रधानता दी। साथ में श्री होमी बाबा जिन्होंने एटोमिक इनर्जी में विशेष उपलब्धता प्राप्त की और यदि वे जीवित रहते, तो हम इस में और भी प्रगति करते, इसलिए उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

हमने अणु ऊर्जा में जो प्रगति की है वह प्रगति बहुत ही सराहनीय है, परन्तु हमें यह देखना है कि हमारे जो ईंधन के सोर्स हैं, इनर्जी के सोर्स हैं, कोयले के सोर्स हैं, ये सब सोर्स करीब दस-पंद्रह सालों के बाद समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोल, तेल और गैस के सोर्स भी, जिस रफ्तार से हम इनका उपयोग कर के खतम कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये भी पन्द्रह-बीस साल में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें यह सोचना है कि सौर-ऊर्जा और अणु-ऊर्जा के क्षेत्र में हमें विशेष रूप से प्रगति करनी है। अगर इस ओर हम प्रगति करेंगे, तो इस वैज्ञानिक युग में हम अपने देश में विकास भी करेंगे और देश से गरीबी को भी मिटा सकेंगे और दूसरे देशों के मुकाबले में बराबर के स्तर पर स्टेण्ड कर सकेंगे।

महोदय, इस समय मैं, अपने राजस्थान के निर्वाचन क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि मुझे बोलने के लिए समय बहुत ही कम दिया गया है इसलिए मैं सीधे अणु बिजली घर कोटा की प्रथम इकाई के बारे में कहना चाहता हूं कि यह इकाई पहले तीन साल बंद रही उसके बाद फरवरी, 1985 में शुरू हुई और फिर मई 1985 में बन्द हो गई और उसका कारण यह बतलाया गया कि —

[अनुवाद]

20 मई, 1985 को उसमें नया लीक हो गया।

[हिन्दी]

यह अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अणु-बिजलीघर की यह प्रथम इकाई क्या ठीक हो सकेगी ? अगर ठीक ही नहीं हो सकेगी, तो फिर क्यों आप इतना कष्ट उठा रहे हैं। यह पहले बन्द हुई थी, तो तीन साल के बाद ठीक कर दी गई और इकाई चालू हो गई, किन्तु तीन महीने बाद ही फिर कोई नया लीक डिवेलप हो गया और फिर बन्द कर दी गई। इस प्रकार से यह वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का जवाब देना ही चाहिए। अगर इसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है, तो विदेशों के वैज्ञानिकों की योग्यता का उपयोग करना चाहिए। अगर नान-रैजिडैंट्स इण्डियन हैं और साइंटिस्ट्स हैं तो उनकी सेवाओं का उपयोग करना चाहिये ताकि उनकी कोशिशों से हम इस प्रथम इकाई को ठीक कर सकें।

दूसरी इकाई जो बनी है, वह भी कभी ठीक नहीं होती है। वह बन्द हो जाती है और उसकी अनिश्चितता की स्थिति है। अणु बिजली घर की प्रथम इकाई तो बन्द है ही, साथ में दूसरी इकाई भी बन्द है। राजस्थान में मेरे क्षेत्र में पीने के पानी का संकट है। इसलिए यह आवश्यक और जरूरी है कि अगर प्रथम इकाई ठीक नहीं हो रही है तो दूसरी इकाई को ठीक किया जा सकता है। हमारे यहां बिजली की कमी को सिंगरौली से या बदरपुर की सैंट्रल पावर से कंपेंसेट किया जाये। हम उनको पर्चेज नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है। इस बिजली को वहां से कम्पेंसेट कर के हमारे वहां जो बिजली ऊर्जा या विद्युत का संकट है,

उसको दूर करना चाहिये।

केंद्रीय सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में अणु बिजलीघर की एक और नई इकाई यानी दो ईकाइयां प्रस्तावित की है। एक इकाई की ओर आगे कदम बढ़ रहे हैं। कार्य तो शुरू हो रहा है, लेकिन उसके अन्तर्गत 1995 में यानी 10 वर्षों में वह दोनों अणु बिजलीघरों की ईकाइयां कोटा में स्थापित होंगी। हम इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित दोनों बिजलीघरों की योजनाओं को कंपलीट करें और हमें विद्युत के संकट से पार उतारें।

हमारे राजस्थान में अकाल की भीषण स्थिति होती है। अगर बिजली का संकट कम हो जाता है या मिट जाता है तो हमारे लिये यह बहुत ही लाभदायक उपलब्धि होती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कंप्यूटराइजेशन के युग में हमने प्रगति की है। मैं अपने तत्कालीन मन्त्री श्री नवल किशोर शर्मा के साथ गया था जहां कि आयल इंडिया लिमिटेड हमारे जैसलमेर में कार्य कर रही थी। ओ०एन०जी०सी० ने सैसमिक सर्वे का काम 12 महीने में किया था उसे आयल इंडिया ने कंप्यूटराइजेशन से दो महीने में पूरा कर लिया। यह बड़ी भारी उपलब्धि है। हम जल्दी से जल्दी प्रयास करें, सैसमिक सर्वे कर के ड्रिलिंग कर के अगर पैट्रोल और गैस की प्राप्ति कर लेते हैं तो यह कंप्यूटराइजेशन सिस्टम बड़ा लाभदायक सिस्टम होगा। इस प्रकार के सिस्टम से हमारी प्रगति हो सकती है और विकास हो सकता है और हम दुनिया में कंपीटीशन में स्टैंड कर सकते हैं। इस प्रकार की टैक्नोलाजी अगर हमें बाहर से भी बौरो करनी पड़े तो बौरो की जानी चाहिये।

हमारे कम्युनिस्ट साथी इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि इससे अन-एम्पलायमेंट की प्राबलम क्रीएट होगी। मेरा कहना यह है कि इससे अन-एम्पलामेंट की प्रावलम क्रीएट नहीं होगी बल्कि हमारे लोगों को एम्पालायमैंट मिलेगी, राष्ट्र की उन्नति और विकास होगा।

हमारे जो वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स विदेशों में रह रहे हैं, नान-रैजिडैंट्स हैं, उनकी योग्यता का लाभ उठाने के लिये भी हमको प्रयास करना चाहिये और उनका लाभ उठाकर हमें अपनी प्रगति और विकास करना चाहिये। जो प्रगति इस बारे में हुई है, वह बहुत धीमी है। प्रधान मन्त्री के पास बहुत से आवेदन-पत्र पहुंचे हैं। यह भी सोचा गया है कि इस सम्बन्ध में कोई सैल स्थापित हो, लेकिन इसकी स्थापना नहीं की गई है। बाहर रहने वाले जो हमारे देश के नानरैजिडेंट्स हैं, उनकी योग्यता का कोई लाभ अभी उठाया नहीं जा रहा है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने इस आधुनिक युग में प्रगति करनी है, विकास करना है और विकास की दौड़ में आगे बढ़कर और हर क्षेत्र में प्रगति करके गरीबी को भी मिटाना है जिससे कि देश आगे बढ़ सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं साइन्स और टेक्नॉलाजी के बारे में जो डिमांड्स प्रस्तुत की गई हैं, उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० एम०सईद (लक्षद्वीप) : सभापति महोदय, चूंकि आपने समय केवल पांच

मिनट तक सीमित कर दिया है, इसलिए मेरे विचार से मुझे सीधे अपने राज्य पर ही आना पड़ेगा।

हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिक और इस का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगर कोई आंकड़ों पर विचार करें तो वह महसूस करेगा कि हमारी विज्ञान व प्रौद्योगिकी की प्रगति कितनी शानदार रही है। 1950 में हमारे देश में केवल 27 विश्वविद्यालय थे और अब 156 विश्वविद्यालय हैं। हमारे देश में 35 वर्ष पूर्व केवल 800 कालेज थे और अब 5,5000 कालेज हैं। अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए 236 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। सरकारी व निजी क्षेत्रों में लगभग 7000 'इन हाऊस' अनुसंधान इकाइयां कार्य कर रही है। छठी योजना और सातवीं योजना के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आंकड़ों से देश को 21वीं सदी तक में ले जाने के सरकार के निश्चय का पता चलता है छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 1,150 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी और अब इसे बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने राष्ट्र को 21 वीं सदी में ले जाने के लिए आह्वान किया है उस आह्वान का क्या अर्थ है? इस का अर्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में विश्व के साथ चलने के अतिरिक्त कुछ नहीं है लेकिन मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि जब उनके योग्य नेतृत्व में राष्ट्र 21वीं सदी में प्रवेश करे तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। लक्षद्वीप जैसा पिछड़ा और उपेक्षित क्षेत्र भी 21वीं सदी में प्रवेश करे हमारे सम्मुख जो बजट पत्र हैं उनसे हम देखते हैं कि··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लक्षद्वीप को एक विकसित क्षेत्र समझा जाता है।

श्री पी० एम० सईद : बजट पत्रों से मैं देखता हूं कि लक्षद्वीप के लिए पिछले वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 30 लाख रुपये उपलब्ध करवाये गये थे लेकिन 20 लाख से अधिक का उपयोग नहीं किया गया है। केवल 10 लाख रुपये अर्थात् एक तिहाई, खर्च किये गये। हमारे नेता द्वारा दिये गये आह्वान का अफसरशाही का अगर यही जबाब है तो मुझे डर है कि लक्षद्वीप जैसे पिछड़े क्षेत्र को वे 21वीं सदी में नहीं ले जा सकते। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अन्धविश्वास से विवेक, रूढ़िवाद से आधुनिकता, और परम्परा से नए परिवर्तन द्वारा एक उचित वातावरण बनाना होगा। जब मैंने श्री रेड्डी को सुना वह किन्हीं वैज्ञानिकों विशेष का उल्लेख कर रहे थे। यहां मैं हमारे वैज्ञानिकों और विज्ञान विभागों द्वारा किये गये शानदार कार्यों की प्रशंसा करना चाहता हूं। हमें गर्व है कि हमारा विज्ञान व प्रौद्योगिकी का स्तर किसी भी विकसित देश के बराबर है।

श्रीमन् मैं यहां सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूं। हर रोज हम समाचारों में पढ़ते हैं कि हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् विदेशों में जा रहे हैं। इन वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण पर हजारों रुपये खर्च किये जाते होंगे।

एक माननीय सदस्य : लाखों।

श्री पी० एम० सईद : मुझे बताया गया कि यह लाखों में खर्च किये जा रहे हैं। क्या हम देश के विकास के लिए उनकी सेवाएं प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं? इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि उन पर रोक लगाई जाए। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें कम से कम 5 वर्ष देश में कार्य करना चाहिए। सरकार द्वारा उन पर कोई न कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और

सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्रशिक्षण पर व्यय किये गये प्रत्येक लाख के लिए वे कम से कम एक वर्ष देश की बेहतरी हेतु कार्य करें। यह मेरा विनम्र सुझाव है।

श्रीमन् आरोप लगाये गये थे कि वैज्ञानिक विभागों में निर्देशक की रिक्तियों के चयन के समय उस व्यक्ति की योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर इसमें कुछ सार है तो मैं सरकार से नम्रता से अनुरोध करता हूं कि सरकार ऐसे मामलों को देखें। क्योंकि कुछ समय पहले अखबारों में किसी वैज्ञानिक द्वारा आत्म-हत्या कर लेने की बात छपी थी। हमारे वैज्ञानिकों को ऐसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला है, तो कृपया उनकी शिकायतों पर समय पर और सहानुभूति से विचार करें।

अब मैं अपने स्थान लक्षद्वीप पर आता हूं। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग कि० मी० है। इस 32 वर्ग कि० मी० में, अगर उचित ढंग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए और उसका इस्तेमाल समुद्र सम्पत्ति, मछली सम्पत्ति, खनिज सम्पत्ति और ऊर्जा सम्पत्ति के लिए किया जाये तो मुझे बताया गया है कि इससे राष्ट्रीय आय में 20% वृद्धि हो सकती है। इसका अनुमान विशेषज्ञों ने लगाया है। मेरा क्षेत्र भी एक पिछड़ा क्षेत्र है। हम भी बेरोजगारी की जटिल समस्या का भी सामना कर रहे हैं। अधिक से अधिक लड़के व लड़कियां स्कूलों व कालेजों से शिक्षा प्राप्त कर आ रहे हैं। उन्हें जीविका प्रदान करने का केवल एक ही तरीका है कि इस क्षेत्र का सही ढंग से उपयोग किया जाए। यह केवल 32 वर्ग कि० मी० ही नहीं है इसका आर्थिक क्षेत्र 7 लाख वर्ग कि० मी० है। इस तरह यह देश का सबसे छोटा प्रदेश नहीं है बल्कि देश का सबसे बड़ा राज्य है। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

इसके अलावा श्रीमन् ! मुझे बताया है कि लक्षद्वीप विश्व में ऐसा एक मात्र समुद्र है जहां पर ट्यूना मछली की प्राकृतिक मृत्यु होती है। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उचित प्रयोग द्वारा अधिक मछली पकड़ने को होगी। इसे 8,000 टनों से बढ़ाकर 10,000 टनों तक करना चाहिए।

दूसरा, ऊर्जा से साधनों को चाहे यह हवा है, लहर है या समुद्र ताप हो, अगर इसका उचित प्रयोग किया जाये तो यह केवल सारे द्वीप की है ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा बल्कि अतिरिक्त विद्युत भी पैदा होगी जिसको कहीं और प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार यहां खनिज सम्पदा भी बहुत अधिक है। अगर आप "कैलशियम सैंड" को ले जो नवीनीकरण योग्य स्रोत है तो यहां प्रत्येक वर्ष हजारों केलशियम सैंड उत्पन्न की जाती है। यह 'केलशियम सैंड' केवल बसे हुए क्षेत्र में उपलब्ध है लेकिन डूबे हुए रेतीले क्षेत्रों में इसकी मात्रा बहुत अधिक है। सीमेन्ट व सौर राख के निर्माण के लिए प्रतिदिन यहां से हजारों टन 'केलशियम सैंड' प्राप्त की जा सकती है।

एक विशेषज्ञ दल ने यह सुझाव दिया है कि द्वीप का पारिस्थितिक सतुलन प्रभावित किये बिना भी—वास्तव में जिसके लिये हमें सर्वाधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी—हम सीमेंट, सौर राख तथा अन्य औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करने के लिये उस कैलशियम का दोहन कर सकते हैं। इसलिये माननीय प्रधानमंत्री से मेरा नम्र निवेदन है जैसा कि वह मेरे माननीय मित्र श्री भक्त के प्रश्न का उत्तर देते समय उस समय में कह चुके हैं कि लक्षद्वीप अण्डमान इन दोनों द्वीपों के लिये कोई द्वीप विकास बोर्ड गठित किया जा रहा है। इन द्वीप समूहों की भिन्न प्रकार

की समस्या में हैं। इसलिये इस द्वीप विकास बोर्ड के अधीन लक्षद्वीप सागर विकास प्राधिकरण भी गठित किया जाये जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन करेंगे कि इन विशाल संसाधनों का दोहन करने के बारे में क्या सम्भावनायें हैं। मेरा विचार है कि इन द्वीप समूहों की ओर निश्चित रूप से ध्यान दिया जा सकता है तथा इस क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या भी हल हो सकती है।

लक्षद्वीप के प्रति आपका जो प्यार है, उसे कार्य रूप में परिवर्तित होने दीजिये।

श्रीमती जयंती पटनायक (कटक) : सभापति महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को स्वीकार किया और इसके विकास की योजना का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माना।

महोदय, इस समय हमारे प्रधान मंत्री भी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत गम्भीर हैं और वह वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अपने देश को 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं।

महोदय, यह हर्ष की बात है कि सातवीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा और इलेक्ट्रोनिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इन क्षेत्रों में जितनी तेजी से विकास होगा, उससे यह पता चलेगा कि हम 21वीं शताब्दी की ओर कितनी गति से बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में बहुत अधिक धनराशि के निवेश की आवश्यकता है और भारत जैसे विकासशील देश विकसित देशों के समान बहुत अधिक राशि का निवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमें चयन का मार्ग अपनाना होगा, नई सुविधायें जुटाने की बजाय हमें विद्यमान सुविधाओं में ही निवेश करना होगा जिनसे हमें और सुविधायें प्राप्त हो सकें। हमें उन क्षेत्रों का चयन करना होगा जिनसे जनता का तत्काल कल्याण हो सके। हमारे जैसे देश में, सार्वजनिक निवेश के निश्चित परिणाम निकालने चाहिये।

महोदय, मैं कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे देश में अनेक वैज्ञानिक संस्थायें बनायी गयी हैं—यथा राष्ट्रीय प्रयोगशालायें क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालायें आदि। दुर्भाग्य की बात यह है कि जितनी राशि का निवेश किया जा चुका है, उसके अनुसार परिणाम नहीं निकले हैं। अत: हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने उच्चतम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट कार्य मुश्किल से एक या दो ही किये हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में केवल नई प्रक्रियाओं की खोज की जाती है। किन्तु इन प्रयोगशालाओं के परिणामों को प्रायोगिक संयन्त्रों के माध्यम से उद्योगों में प्रयुक्त करने का कोई तरीका नहीं निकाला गया है। करों में कुछ रियायतें दिये जाने के बावजूद गैर-सरकारी क्षेत्र अनुसंधान और विकास कार्य करने में बहुत पिछड़े हुए हैं। अब समय आ गया है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकाधिक अनुसंधान और विकास कार्य किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रयोगशाला के परिणामों को ठोस कार्यवाही के रूप में परिवर्तित किया जाये। मेरा सुझाव है कि कर नियमों में समुचित परिवर्तन किये जायें और इसके लिये अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में एक पृथक् संस्थान गठित किया जाये।

यद्यपि इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है किन्तु इलेक्ट्रानिक एककों को बहुत सारी कठिनाइयां सहन करनी पड़ रही है। विशेष कर संघटक उद्योग पहले से बहुत से अधिक संकट में है और आयातित संघटक स्वदेश में निर्मित संघटकों से सस्ते हैं। मेरे विचार से घरेलू इलेक्ट्रानिक उद्योग को किसी न किसी प्रकार का संरक्षण देने की आवश्यकता है।

दूसरे अब समय आ गया है, जब कि हमें तथाकथित "स्क्रू ड्राइवर" (संयोजन)प्रौद्योगिकी के संबंध में अपना दृष्टिकोण बदल लेना चाहिये। अधिक मूल्य पर उपकरणों का आयात करके तथा उनका संयोजन करके बेचने भर से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें प्रौद्योगिकी अन्तरण विशेषकर भारतीयकरण करने पर जोर देना होगा। चूंकि प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं; इसलिये इस संबंध में मैं जो बात कहना चाहता हूं; उसकी ओर प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सोफ्ट-वेयर' के विकास के बारे में कहना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने भुवनेश्वर को 'साफ्ट-वेयर' नगर घोषित किया है जहां समर्पित भू-केन्द्र स्थापित किया जायेगा और अनेक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों को वहां अपनी परियोजनायें स्थापित करने के लिये बढ़ावा दिया जायगा। किन्तु दुर्भाग्यवश इस वायदे को पूरा करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि इन उद्योगों को पुनः परम्परागत रूप से विकसित स्थानों यथा बंगलौर, दिल्ली, चण्डीगढ़, बम्बई आदि की ओर ले जाया जा रहा है। जब तक केन्द्रीय सरकार विशेष प्रयास नहीं करेगी, तब तक पिछड़े राज्य कैसे सुधर सकते हैं? इसके संबध में, मेरा सुझाव है कि इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में एक निर्माण एकक भुवनेश्वर में स्थापित किया जाये क्योंकि सहायक एककों के लिये एक प्रमुख संयंत्र की आवश्यकता पड़ती है जैसा कि हैदराबाद और बंगलौर के मामलों में किया गया है।

अब मैं, परमाणु ऊर्जा के बारे में कहूंगा। गत वर्ष के दौरान, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमने कुछ महत्वपूर्ण उन्नति की है, जब हमारा नया परमाणु रिएक्टर चालू हुआ था। कुछ भाग्यशाली राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में बिजली की कटौती की घटना आम हो गई है। हमारे यहां बिजली की कमी है। इसलिये यह अनुमान लगाया गया है कि सातवीं योजना में परमाणु ऊर्जा से पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन हो सकेगा। कुछ समय पूर्व यह निर्णय लिया गया था कि इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु विद्युत केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। पूर्वी क्षेत्र के लिये उड़ीसा के बारे में विचार किया जा रहा था। महोदय, केन्द्रीय दल ने इस प्रयोजन के लिये कुछ बहुत ही अच्छे स्थान चुने हैं। हमें आशा है कि उड़ीसा में इसी परियोजना को लगाने का निर्णय शीघ्र लिया जायगा जिससे उड़ीसा ऐसे स्थानों की सहायता कर सके जहां तेजी से औद्योगिकीकरण होने के कारण बिजली की कमी हो गई है।

मैं वैज्ञानिक रुचि के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जिसके बारे में हमारे प्रधान मंत्री अधिक बल दे रहे हैं। जैसा कि उनके नाना पंडित जवाहर लाल नेहरू भी दिया करते थे। किन्तु यह स्कूल स्तर से ही शुरू होना चाहिये तथा हमारे वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को ग्रामीण पर्यावरण को सुधारने तथा आम जनता का जीवन सुधारने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य करने चाहिये। महोदय, यदि 21वीं शताब्दी की चुनौतियों और वायदों का दृढ़तापूर्वक तथा दूरदर्शितापूर्वक सामना करना है, तो वर्तमान विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन

करना आवश्यक होना चाहिये ताकि असंतुलन ठीक किया जा सके और ऐसी प्रणाली अपनाई जा सके जो हमारी विकास प्रक्रिया को व्यावहारिक बना सके।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री ग्रामीण विकास के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं और मुझे उस बात की प्रसन्नता है कि सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में ग्रामीण विकास कार्य आरम्भ किया गया है किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में कुछ-कुछ स्वयंसेवी एजेन्सियों को लगाया जाये। कुछ स्वयं सेवी एजेन्सियों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण विकास के प्रति निष्ठा दिखाई है।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं ने भी अपना जीवन सुधारने का लक्ष्य बनाया है तथा यह लक्ष्य सातवीं योजना में भी रखा गया है।

देश में जो वैज्ञानिक विकास हुआ है, उसके लिये मैं माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा अपने प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। अब वायो-गैस संयन्त्र तथा सौर ऊर्जा चुल्हें लग गये हैं। किन्तु हमें इस ओर भी अवश्य ध्यान देना होगा कि घरेलू कार्यों की कठिनाइयां कम हो जायें जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति और अधिक सुधर जाये और वह धन पैदा करने वाले कुछ और कार्य कर सकें जिससे समाज एक विकसित समाज बन जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : सभापित महोदय, क्या आपकी अनुमति से मैं एक मिनट विषयान्तर में जाकर सभी सदस्यों को बधाई दे हूं, जो नव वर्ष मना रहे हैं? नव वर्ष के लिये सभी को शुभ कामनायें।

मेरा विश्वास है कि आज पहली बार हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों पर वास्तव में चर्चा कर रहे हैं।

डा० चिंता मोहन : सन् 1974 में भी चर्चा हुई थी।

श्री राजीव गांधी : ठीक है, दूसरी बार ही सही, वह भी बहुत अन्तराल के बाद!

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेष रूचि लेने के लियें मैं सभा को बधाई देता हूं क्योंकि विकास प्रक्रिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आज बहुत महत्त्व है।

अपने यहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आधार शिला अनेक वर्ष पहले पंडित जी ने रखी थी और इन्दिरा जी ने इस पर अधिक जोर दिया था। इस आधार पर आज हम अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग इस देश के निर्धनतम व्यक्तियों की सहायता करने में कर सके हैं।

प्रौद्योगिकी विकास और अपने राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने के मामले में भारतीय वैज्ञानिकों ने यह दिखा दिया है कि वे विश्व में सर्वोत्तम वैज्ञानिक हैं।

विकास का क्या अर्थ है, इसके बारे में एक क्षण सोचना बेहतर होगा क्योंकि हर व्यक्ति यही कहता है कि विकास होना चाहिये और हम बहुत पिछड़े हुए हैं। विकास क्या है? पिछड़े क्षेत्र, और अविकसित देश तथा विकसित देश में क्या अन्तर है?

मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अन्तर केवल प्रौद्योगिकी का है, जो वे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। यदि कोई देश बेहतर प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाता है, तो वह विकसित देश है। यदि कोई देश खराब अथवा पुरानी प्रौद्योगिकी उपयोग में लाता है, तो वह एक पिछड़ा हुआ और अन्य विकसित देश है। हमारे देश पर भी यही बात लागू होती है। भारत के तथा दिल्ली अथवा बम्बई के अथवा एक प्रमुख महानगर के सबसे पिछड़े हुए गांव में क्या अन्तर है ? यह इस बात के अधीन है कि अपने दैनिक जीवन में हम किस प्रकार की प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करते हैं अथवा हमें किस प्रकार की प्रौद्योगिकी उपयोग में लाने के लिये प्राप्त होती है। किन्तु अन्तर यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आज जीवन में किस हद तक करते है और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के जीवन स्तर में परिवर्तन लाना चाहते हैं और यदि आप इसी को उसकी परिभाषा मानते हैं, तो उस परिभाषा का मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिये बेहतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाये। यह कहां से आएगी और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हम क्या कर रहे हैं ?

उपयुक्त प्रौद्योगिकी या समुचित प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। किंतु अन्ततोगत्वा हमें यह देखना होगा कि यदि तेजी से विकास करना है, तो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में एक विशेष कार्य के लिए हम जिस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह यथा संभव सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी होनी चाहिये। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, कुछ क्षेत्रों में बैलगाड़ी बेहतर साधन है किन्तु किसी और क्षेत्र में वास्तव में किसान बेहतर बैलगाड़ी नहीं चाहते हैं, बल्कि वे ट्रैक्टर चाहते हैं। इसलिये हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वे क्या इस्तेमाल करने के काबिल है, और उन्हें वह प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिये।

4.36 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हम ग्रामीण क्षेत्र की निर्धनता दूर करने की प्राथमिकता देते हैं और उसके लिये हमें मूलत: कृषि तथा कृषि उप उत्पादो को विकसित करना होगा। कृषि तथा तत्संबंधी उद्योगों में उन्नत प्रौद्योगिकी तथा सर्वश्रेष्ठ विकसित वैज्ञानिक उपकरण इस्तेमाल किये जा रहे हैं और उत्तर-पश्चिम राज्यों में हमने हरित क्रांति का लक्ष्य पूरा कर लिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपेक्षा करके ऐसा संभव नहीं हो पाया है अपितु इनका सही प्रकार से सही प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ही यह सभव हो सका है। यह सब अत्यधिक उन्नत तथा आधु निकतम प्रौद्योगिकी बायो प्रौद्योगिकी, उत्पत्ति-मूलक प्रौद्योगिकी, उर्वरक संबधी प्रौद्योगिकी, विद्युत उत्पादन संबंधी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से ही सम्भव हो सका है और इसके ही कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर ही बदल गई है। मूल रूप से प्रौद्योगिकी से हमारा तात्पर्य इस बात की चेष्टा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि इसके इस्तेमाल से पैदावार बढ़ाने में क्या सहायता मिलेगी, तथा बेहतर औजारों और बेहतर उपकरणों से उत्पादन कितना बढ़ सकेगा।

आज हमारें वैज्ञानिकों के समक्ष यही कार्य है। हमारे वैज्ञानिकों की अनेक उपलब्धियां हैं। उन्होंने हमें बुनियादी क्षेत्रों में तथा कृषि क्षेत्र, रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्र में, अन्तरिक्ष के क्षेत्र में, परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बना दिया है। जब कभी भी चुनौतियों के अवसर आये। और जब भी वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान किये गये तथा उनको पूर्ण समर्थन प्रदान किया

गया तो उन्होंने भारत की शान बढ़ाई है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उपग्रहों के क्षेत्र में तथा उपग्रहों को छोड़ने की प्रणाली विकसित करने के क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है, उससे सभी आश्चर्य चकित रह गये हैं। आज मैं जब अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र में जाता हूं, तो वहां बहुत सारी परेशानियां देखता हूं किन्तु वहां प्रमुख मांग यही होती है कि वहां एक दूरदर्शन सेट लगाया जाये, या थोड़ी शक्ति वाला ट्रांसमीटर या प्रसारण स्टेशन स्थापित किया जाये। माननीय सदस्यों को पता है कि उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रौद्योगिकी से हमारे लोगों के जीवन पर यह प्रभाव पड़ रहा है। इससे उन्हें बेहतर किस्म का जीवन प्राप्त हो रहा है! चाहे यह बेहतर प्रशासन, बेहतर उत्पादकता या किसानों के लिए बेहतर बाजार अनुमानों के प्रसारण या दूरसंचार का प्रश्न हो, चाहे किसानों को अपने बीज बोने के लिए बेहतर मौसम की जानकारी या उन्हें उनकी फसल की सुरक्षा के लिए मदद करनी हों, यह सब प्रौद्योगिकी ही है जो हमारे देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए कार्य कर रही है।

दूसरा उदाहरण और मैं देना चाहूंगा क्योंकि कई बार जब हम आधुनिक प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान तुरन्त बड़े उद्योगों, बढ़ियां कार्यालयों तथा बहुत ही आधुनिक प्रयोगशालाओं की तरफ जाता है। परन्तु इन आधुनिक प्रयोगशालाओं से जो प्राप्त होता है आखिर में वह सांसारिक जीवन में गरीब लोगों के काम में आने वाली वस्तुओं में प्रयोग किया जाता है। ऐसी ही एक चीज है इंडिया मार्क 2 हैंडपम्प। यह एक बहुत ही सरल सा उपकरण लगता है परन्तु आज हम विश्व के कोनों में इसका हजारों की संख्या में निर्यात कर रहे हैं। इसके अन्दर शायद अति आधुनिक प्रौद्योगिक यंत्रावली व सामान प्रयोग किया गया है। इसी कारण यह खराब नहीं होता। इसी कारण यह टूटता नहीं है। इसी कारण यह अधिक समय तक चलता है। अतः हमें इस प्रकार के विकास की जरूरत है—उच्च प्रौद्योगिकी को सरल रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना के काम में आने वाली वस्तुओं में इस्तेमाल किया जाये।

एक और उदाहरण 'रूट नोडूल बैक्टीरिया' का है जिसका हमारे वैज्ञानिकों ने विकास किया है जिसे किसी खास फसल के अनुरूप बनाया जा सकता है, इसे किसी विशेष क्षेत्र, मौसम और पर्यावरण के अनुरूप बनाया जा सकता है। यह लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रतिवर्ष भूमि और पौधों को किसी फालतू खर्च के बिना अथवा बहुत ही कम लागत पर देता है! फिर यह एक उच्च आधुनिक प्रौद्योगिकी है जो एक बहुत ही मौलिक स्तर पर प्रयोग की जाती है और इससे भारत के आम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आयेगा। 'टिशू कल्चर' चाहे वह बेहतर फसल व पेड़ों के लिए, वृक्षों के तेजी से बढ़ने के लिए हो, चाहे व टीकों, प्रतिरक्षीकरण, इत्यादि की बात हों यहां पर भी यह बहुत उच्च प्रौद्योगिकी ही है, परन्तु यह प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित हैं। तुफानी खतरों की सूचना देने वाली प्रणालियां भी बिना कृत्रिम उपग्रह के संभव नहीं हैं। क्या आज कोई कल्पना कर सकता है कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट के साथ पांच या दस वर्ष पूर्व क्या स्थिति होती थी जब कोई तुफानी खतरों की सूचना देने वाली प्रणाली नहीं थी? जो नुकसान हो गया था। आज यह खतरा हमारे समाने नहीं है। अब हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। परन्तु यह अति आधुनिक प्रौद्योगिकी ही है जो उस तट पर गरीब लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है।

मैं एक बहुत लम्बी सूची दे सकता हूं, चाहे वह भूमि के इलेक्ट्रोनिक जांच की हो, चाहे वह भूमि में नमी की जांच हो, चाहे किसानों को मूल्य की सही जानकारी के लिए अनाज की

किस्म की जांच हो परन्तु गंगा को साफ करने का हमारा कार्यक्रम शायद सबसे महत्वपूर्ण है। गंगा की पवित्रता के बारे में कोई सवाल नहीं उठता परन्तु अभी अति आधुनिक विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी से ये पता लगाने की जरूरत है कि गंगा में कौन-कौन से प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ जा रहे हैं और एक बार जल को साफ करने के लिए उन जहरीले पदार्थों को अलग करने के लिए अति आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

अत: यह हमारे पास जो सर्वोच्च किस्म की प्रौद्योगिकी है उसको आम व्यक्ति के लिए प्रयोग करने की आवश्यकता है न कि बड़े लोगों के लिए। अमीर लोग किसी तरह से प्राप्त कर लेंगे। परन्तु हमारा जोर ग्रामीण क्षेत्रों पर होना चाहिए। इस पर हमारा विरोध किया जाता है। विरोध इसलिए क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि प्रौद्योगिकी के आने से बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर हम पूर्व समय में औद्योगिक क्रांति के समय को देखें तो उस समय भी ऐसा ही विरोध किया गया था कि मशीनों से काफी बेरोजगारी बढ़ेगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। रोजगारों में परिवर्तन हुआ है परन्तु अवसर बढ़े हैं। संपत्ति बढ़ी है। आम व्यक्ति जो गरीब था अमीर हुआ है। वह बेहतर जीवन व्यतीत कर रहा है। आज हमारे देश के बहुत से भागों में जो पिछड़ापन है वह इसी कारण है कि वहां अभी औद्योगिक क्रांति नहीं पहुंची है। वहां पर अभी तक मशीनीकरण नहीं हुआ है। आज हमें न केवल इस मशीनीकरण को पहुंचाना होगा बल्कि हमें उन्हें आगे तेजी से आने में सहायता करनी होगी तथा उन्हें आज की दुनिया में लाना होगा बजाय कि उन्हें पूर्व समय में ले जाने का प्रयास करें। और कोई व्यक्ति जो इसके विपरीत सोचता है उसका इन क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ रखने में, अपने लोगों को पिछड़ा रखने में तथा किसी विश्वास, सिद्धांत या राजनैतिक व्यवस्था पर निर्भर रखने में उसका अपना कोई निजी स्वार्थ हैं। और हमें इस परिवर्तन को लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे लोग पिछड़े हुए न रह जायें और उनके पास अपनी जीविका अर्जित करने के लिए अति आधुनिक मशीनें तथा यंत्र होने चाहिए। शायद, एक महत्वपूर्ण बात उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की है जैसा कि पंडित जी ने कहा था, अकसर बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के यह संभव नहीं हो सकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल वैज्ञानिकों के लिये ही नहीं हैं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामान्य भारतीय के अन्दर, यदि वह अपना विकास शुरू करना चाहता है, आना चाहिए। इसे प्रचार माध्यम के द्वारा लाया जा सकता है, इसे शिक्षा के द्वारा लाया जा सकता है और हमें इस परिवर्तन को लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

एक बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया तो यह मूलभूत रूप से अज्ञानता के डर को हटा देगा जो लोगों को पिछड़ा हुआ रखता है जो लोगों को प्रगति करने से रोकता है तथा उनको उपलब्ध यंत्रों के प्रयोग करने से वंचित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें जिज्ञासा की भावना पैदा करने में सहायता करेगा जिससे लोगों में प्रश्न पूछने की जागृति आयेगी, जब लोग पूछेंगे कि दूध खराब क्यों हो जाता है। इसे किसी प्रकार से क्यों नहीं रखा जा सकता ताकि गांवों में उन्हें रैफरीजरेशन की आवश्यकता न पड़े। मुझे नहीं मालूम कि उनके हल कतिपय स्थितियों में बेहतर जुताई क्यों नहीं करते। जब हम इस प्रकार से सोचना शुरू कर देंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा और हम स्वयं ही अपने यंत्रों में, जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, सुधार करना शुरू कर देंगे। आज आप किसी गांव में जाइये, आप किसी पिछड़े क्षेत्र में जाइये, आप देखेंगे कि वहां पर कोई सुधार

नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र में, मैं कुछ लोगों को देखता हूं जिनके पास बैलगाड़ियां हैं जिनमें अभी तक उसके पहियों पर लोहे का टायर नहीं चढ़ा है। वे इतने बड़े पहिये को लगाते हैं, धीरे-धीरे वह घिस जाता है, जब वह इतना बड़ा होता है, वे पहिये को बदल देते हैं और फिर से एक बड़ा पहिया लगाते हैं। उन्होंने अभी तक यह भी नहीं सोचा कि वे पहिये को घिसने से बचाने के लिए पहिये पर कुछ लगा सकते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की जिज्ञासा पैदा करनी होगी और यह हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार हो सकती है। हमारे वैज्ञानिकों ने, जैसा कि मैंने बताया, बहुत अधिक उन्नति की है। उनकी ख्याति हमारे देश तक सीमित नहीं है अपितु विश्व भर में फैल चुकी है और यह ख्याति उन्होंने विश्व के जाने माने वैज्ञानिकों के समानांतर कार्य करते हुए अर्जित की है। हमारे वैज्ञानिक किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा बुनियादी ढांचा विकसित हो चुका है। हमने विभिन्न क्षेत्रों के बीच बहुत अच्छा संबंध स्थापित किया है। परन्तु अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है जैसी कि होनी चाहिए थी। जैसा कि कुछ सदस्यों ने बताया है कि हमने अपने पूंजी निवेश से अधिकतम लाभ नहीं उठाया है, हम इस बारे में सोचते रहे हैं। जैसा कि माननीय राज्य मन्त्री ने कहा है, जहां हमने बहुत अच्छा कार्य किया है वहां हमने विश्लेषण किया है, उदाहरण के तौर पर, हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम किसी से कम नहीं है।

परमाणु ऊर्जा के मामले में हमने काफी प्रगति की है। जैव-प्रौद्योगिकी में, रक्षा के कतिपय क्षेत्रों में हम विश्व में सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी के बराबर हैं। अतः स्वाभाविक ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने बहुत अच्छा कार्य किया है साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम बुरी तरह से असफल रहे हैं। अतः हमने कुछ ठीक कार्य किया है, स्वाभाविक ही कुछ गलत भी और हमें क्या ठीक व सही है उसे पता लगाने का प्रयास करना चाहिए तथा हमें प्रयत्न करके उसे अन्य क्षेत्रों में जहां हम ऐसा ही विकास चाहते हैं प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि कुछ सदस्यों ने बताया है कि भारत जैसे देश के लिए प्रत्येक क्षेत्र में विश्व जितनी प्रगति करना संभव नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसा करने के लिए संसाधन या क्षमता नहीं है परन्तु हमें ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करना चाहिए जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं और हमें उन क्षेत्रों में बहुत अधिक जोर देना चाहिए ताकि कुछ वर्षों बाद हम भी अन्य देशों के बराबर आधुनिक हो जायें।

विकासशील देश की एक समस्या यह है कि बाजार में जो प्रौद्योगिकी उपलब्ध है उसे खरीदना बहुत आसान है परन्तु उसी प्रौद्योगिकी की खोज करना, उसकी खोज करना जिसकी दूसरों ने पहले ही खोज कर ली है, मुश्किल है। परन्तु, स्वाभाविक ही, अगर हम यह रास्ता अपनायेंगे तो हमें सदैव ही दूसरे दर्जे की प्रौद्योगिकी प्राप्त होगी। जब कोई राष्ट्र विकास स्तर पर आ जाता है, जैसी स्थिति में भारत आज है, हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या हम हमेशा दूसरे दर्जे की प्रौद्योगिकी ही पर निर्भर करते रहेंगे ? अथवा, क्या कोई स्तर आयेगा जब हम कहेंगे; "नहीं, हम आधुनिकतम प्रौद्योगिकी प्रयोग करना चाहेंगे"। हम प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है। परन्तु हमें कतिपय क्षेत्रों का पता लगाना पड़ेगा जहां हमें यह जोर देना होगा। हमने ऐसे कई क्षेत्रों का पता लगाया है, शुरूआत उन क्षेत्रों से की है जो गांवों, अधिक पिछड़े या कमजोर क्षेत्रों के सामान्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। हम इन्हें मिशन के तौर पर पता लगा रहे हैं; मिशन के रूप में क्योंकि हम समझते हैं कि इन कार्यक्रमों में से कुछ की सफलता, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है, का कारण एक व्यक्ति का अधिपत्व था, उसे यह

कार्य करने का पूरा अधिकार प्राप्त था, उसे पूरा वित्त उपलब्ध था, उसे जिन संस्थानों की सहायता चाहिए थी वह उसे प्राप्त थी। जब हम मिशन की बात करते हैं, तो हम इसे उसी विस्तृत सिद्धांत के रूप में बनाना चाहते हैं। जिन मिशनों को हम चलाना चाहते हैं—हम मिशनों की संख्या के बारे में पहले ही निर्णय कर चुके हैं। पांच को पहले ही स्थापित किया जा चुका है। पेय जल—सुनने में यह सरल लगता है कि हमें सिर्फ जमीन में छेद करके पानी निकालना है, परन्तु इन पांच मिशनों में से, वैज्ञानिक विकास एवम् प्रौद्योगिकीय विकास का सबसे अधिक लाभ पेयजल के लिए होगा, तथा इन मिशनों की उच्चतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पेयजल की भारी कमी है वहां पेय जल उपलब्ध कराने के लिए होगा। दूसरा मिशन तिलहनों का होगा, तथा एक अन्य बच्चों को टीका लगाने का होगा।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : जल स्तर और नीचे जा रहा है।

श्री राजीव गांधी : इसीलिए हमें उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। यदि आप थोड़े से वैज्ञानिक ढंग से सोचते तो यह प्रश्न न पूछते।

टीके हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और उन्मूलन अशिक्षा का। हमें यह शिक्षा देने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ेगी। शिक्षा क्या है ? यह बच्चों को कुछ सिखाना है। हमें इसके लिए उपलब्ध श्रेष्ठ तरीकों का प्रयोग करना चाहिए दूरसंचार अगला मिशन होगा।

हम इन चीजों को तीन क्षेत्रों में बांट रहे हैं। पहला और संभवत: सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल काम मिशन का होगा क्योंकि इसमें हम तिलहन के लिए प्रयोगशालायें स्थापित करेंगे जिसका अर्थ यह होगा कि हम तिलहनों की अच्छी किस्म का विकास कर सकेंगे, इन बीजों को किसान तक पहुचायेंगे, उन्हें इसके प्रयोग के बारे में बतायेंगे, उनके उत्पाद से तेल निकाल कर बाजार में उपभोक्ता तक पहुंचायेंगे और इस काम में कीमतें कम रखने का प्रयत्न करेंगे। अत: यह अत्यंत पेचीदा काम है जिसे अनेक मंत्रालयों और राज्य सरकारों के हाथों से गुजरना होगा और यदि इसमें सफलता पानी है और देश को बचाना है तो ऊंचे पदों पर वास्तव में अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जो इस नौकरशाही को समाप्त कर सकें और वांछित परिणाम दे सकें।

दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसे हम प्राथमिकता वाला क्षेत्र कहेंगे कुछ अधिक विशिष्ट है। हमें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक प्रकार के हथियार के विकास की नीति बनानी चाहिए, चाहे वे नाइट्रोजन उपकरण हो, लेसर हो अथवा ऐसी ही अन्य कोई चीज। तीसरा क्षेत्र वह होगा जिसे वैज्ञानिक ब्लू स्काई रिसर्च कहते हैं, जिसका मतलब है आधारभूत अनुसंधान। इसमें उसी प्रकार के परिणामों की आशा नहीं कर सकते जैसे कि अन्य दो बातों में। किन्तु इन तीनों क्षेत्रों में अधिक बल उत्तरदायित्व पर होगा। एक निश्चित समय में वैज्ञानिक विकास और वैज्ञानिक विकास पर व्यय किए गए धन के बारे में उत्तरदायित्व पर बल होगा। कुछ अंतिम सीमायें निर्धारित की जायेंगी। हम यह निर्णय करेंगे कि इस रास्ते पर हम इस सीमा से आगे नहीं बढ़ेंगे और दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। हो सकता है हम यह भी निर्णय लें कि हम और आगे नहीं बढ़ेंगे। इतना ही पर्याप्त है और हमें यह रास्ता बंद करना होगा। किन्तु जब तक हम ऐसा नहीं करते हमें पूंजी निवेश के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

हमारा प्रयास होगा कि हम अपनी अन्य वैज्ञानिक परियोजनाओं के प्रबन्ध को इसी प्रकार

के प्रबंध में लगायें। क्योंकि वह बहुत अधिक सामान्य होगा, इसलिए उस पर उतना ध्यान तथा उतना धन नहीं लगाया जाएगा जितना मिशन, महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा मूलभूत अनुसंधान पर वित्त लगाया जाना है।

एक और बात जिसके बारे में सदन में बहुत बार चर्चा हो चुकी है वह है प्रतिभा पलायन की जिसे मैं 'ब्रेन बैंक' कहना अधिक पसंद करूंगा। हम इस पर शुरू से सोच रहे हैं अर्थात् वह शिक्षा नीति है। जब मानव संसाधन विकास मंत्री इस सत्र में नई शिक्षा नीति सदन के समक्ष रखेंगे तो हम पायेंगे कि उसमें विज्ञान की शिक्षा को ध्यान में रखा गया है क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना चाहते हैं और वैज्ञानिक ढांचे का आधार अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। आज हमें बहुत ऊंचाई पर जाना है किन्तु आधार काफी कमजोर है। हमारे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सीधे ही ऊंचे पदों पर जाते हैं। औसत व्यक्ति का सोचने का ढंग वैज्ञानिक नहीं होता। हमें अपना आधार मजबूत करना चाहिए क्योंकि केवल तभी हम ग्रामों में उपलब्ध प्रतिभा में से श्रेष्ठ का पता लगा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें अपनी शिक्षा नीति में इसे शामिल करना होगा। साथ ही साथ, यदि हम अपने देश से वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों का प्रतिभा पलायन रोकना चाहते हैं तो हमें अपने विकास की आवश्यकता के अनुसार विषयों का चुनाव करना होगा। यदि हम सभी को अत्यन्त कठिन विषय पढ़ाते रहेंगे जिनका भारत में विकास के साथ कोई संबंध नहीं है तो वे निश्चय ही भारत छोड़कर जायेंगे और कहीं और रोजगार तलाश करेंगे। अतः नई शिक्षा नीति बनाते समय हमें पहले यह अनुमान लगाना चाहिए कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, इंजीनियरों तथा विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए क्या आवश्यक है और फिर उन्हें शिक्षा नीति में शामिल करना चाहिए।

5.00 म० प०

जब यह सुसंगत बनाने का काम हो जाए—ऐसा हम केवल कह नहीं रहे बल्कि अगले 4-5 वर्षों में ऐसा कर भी लेंगे; यह बड़ी साधारण सी शुरूआत है—किन्तु जब तक ऐसा प्रभावी ढंग से नहीं किया जाता हम अपने देश में उपलब्ध प्रतिभा का देश के विकास के लिए श्रेष्ठ ढंग से उपयोग नहीं कर सकेंगे।

आई० आई० टी० अथवा विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने पर प्रशिक्षण समाप्त नहीं हो जाता। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और कोई भी वैज्ञानिक अथवा तकनीशियन हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होना हो तो वह प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण एवं अनुभव के समय हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। हमारी यह इच्छा हो सकती है कि हम 25 वर्ष के व्यक्तियों को काम दें, जिन्होंने अभी-अभी डिग्री प्राप्त की है। उसी समय, हम कुछ लोगों को बाहर भी भेजना चाह सकते हैं। ताकि वे विश्व में चोटी के वैज्ञानिकों के साथ उन्नत क्षेत्रों में काम करें और पांच या दस वर्ष पश्चात् वापिस आ जायें।

अतः यह एक निरंतर प्रक्रिया है, अद्यतन होने का प्रयास है। इसका संबंध हमारी विकास प्रक्रिया से है। इसका संबंध हमारी शिक्षा प्रक्रिया से भी होना चाहिये। हमारा प्रयास होगा कि हम ऐसा कर सकें हमने ऐसे लोगों को अपने देश में वापिस बुलाने के लिए कई कदम उठाए हैं; और लोग वापिस आये भी हैं। हम ऐसा करते रहें हैं। हमें···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री राजीव गांधी : एक लम्बी सूची है। यदि आप चाहें तो मैं आपको वह सूची दे सकता हूं। मेरे विचार में इस बात पर सदन का समय नष्ट न किया जाये।

एक माननीय सदस्य : कितने व्यक्ति वापिस आ गए हैं ?

श्री राजीव गान्धी : हम आपको सूची दे देंगे। अभी मेरे पास सूची नहीं है क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने नीचे जायेंगे। मैं इसे उच्च स्तर पर रखना चाहूंगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : वास्तविकता पूछना नीचे जाना नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें भारत की दूसरी बार खोज के बारे में सुनने की आशा नहीं थी।

श्री राजीव गांधी : क्या सुनने की ? (**व्यवधान**) ठीक है, यदि आपने इसे पहले नहीं खोजा तो बेहतर है आप दूसरी बार खोज लें। संभवत: आपकी इससे ज्ञान बढ़ेगी···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें यह जानकारी शुरू से है। हमें कभी खोजना नहीं पड़ा।

श्री राजीव गान्धी : संभवत: आप अपनी ज्ञान आंध्रप्रदेश की सीमा से बाहर तक बढ़ा सकते हैं (**व्यवधान**)

बहरहाल पुरानी उपलब्धियां पूरे विश्व में सभी देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा, हमने कुछ क्षेत्रों जैसे अन्तरिक्ष, कृषि, सुरक्षा तथा आणविक शक्ति के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और यह दिखा दिया है कि भारत श्रेष्ठ है।

हमने यह दिखा दिया है कि जब भारत चुनौती स्वीकार करता है, जब हमारे वैज्ञानिक और तकनीशियन चुनौती स्वीकार करते हैं तो उसे पूरा निभाते हैं। आज हम आप से उन्हें सहारा देने के लिए आवश्यक समर्थन चाहते हैं ताकि अन्य कई क्षेत्रों में इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त कर सकें। हम एक बार और दिखाना चाहते हैं कि भारत ऐसा कर सकता है और करेगा।

अन्त में, मैं सभी वक्ताओं को उनके विचारों तथा सुझावों तथा उस समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस सदन में इन मांगों के लिए प्राप्त हुआ है।

जहां तक विज्ञान एवं तकनीक का संबंध है, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि देश के लिए हमें श्रेष्ठ की आवश्यकता है और हमें श्रेष्ठ की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम आपके समर्थन से ऐसा कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों से अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने का अनुरोध करता हूं और मांगों के पक्ष में मतदान करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी और प्रमाणु ऊर्जा विभागों की अनुदानों की मांगों पर रखे गये कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं बशर्ते कि श्री के० रामचन्द्र रेड्डी अपने कटौती प्रस्तावों को पृथक् रखे जाना न चाहें।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय इलैक्ट्रानिकी सागर विकास तथा अन्तरिक्ष विभागों के सम्बन्ध में कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

अब मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास और

अन्तरिक्ष विभागों की अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित से सम्बन्धित मांग संख्याओं के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से, राष्ट्रपति को दी जाये।

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 80 से 83,

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 99;

(3) इलेक्ट्रोनिकी विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 102;

(4) महासागर विकास विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 103; और

(5) अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 104;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1986-87के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रोनिकी विभाग, महासागर विकास विभाग, और अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय					
80.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	13,83,77,000	2,00,000	69,18,83,000	10,00,000
81.	भारतीय सर्वेक्षण	7,71,67,000	4,17,000	38,58,33,000	20,83,000
82.	मौसम विज्ञान	4,55,51,000	1,77,69,000	22,77,52,000	8,88,43,000
83.	वैज्ञानिक और प्रोद्योगिक अनुसंधान विभाग	26,75,33,000	55,00,000	1,33,76,67,000	2,75,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग					
99.	परमाणु ऊर्जा विभाग	24,97,000	...	1,24,83,000	...

1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
100.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	36,35,75,000	69,83,47,000	1,81,78,72,000	3,51,82,34,000
101.	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	70,00,00,000	39,28,02,000	1,60,78,17,000	1,99,15,08,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग				
102.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	9,77,33,000	7,78,83,000	48,86,67,000	38,94,17,000
	महासागर विकास विभाग				
103.	महासागर विकास विभाग	4,42,25,000	20,00,000	22,41,24,000	1,00,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग				
104.	अन्तरिक्ष विभाग	22,67,72,000	32,96,13,000	1,13,43,61,000	96,45,15,000

अनुदानों की मांगें 1986-87— [जारी]

गृह मन्त्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में गृह मन्त्रालय की मांग संख्या 47 से 56 (क) पर चर्चा होगी जिसके लिए 6 घंटे दिये गये हैं।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्यायें लिखी हो, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 47 से 56 (क) के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बंध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से, राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए गृह मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
गृह मंत्रालय					
47.	गृह मंत्रालय	1,31,79,000	...	6,58,92,000	...
48.	मंत्रिमंडल	1,49,91,000	—	7,49,52,000	...
49.	पुलिस	1,10,60,16,000	7,01,50,000	5,53,00,81,000	35 07,50,000
50.	अन्य प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाएं	53,20,90,000	8,77,37,000	2,66,04,48,000	43,86,87,000
51	पुनर्वास	9,85,37,000	1,80,60,000	49,26,83,000	9,02,98,000
52.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	45,97,14,000	35,72,32,000	2,29,85,70,000	1,78,61,60,000
53.	दिल्ली	78,91,60,000	67,14,36,000	3,94,58,02,000	3,35,71,82,000
54.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11,76,34,000	12,35,82,000	58,81,68,000	61,79,08,000
55.	दादरा और नगर हवेली	1,67,22.0. 0	93,83,000	8,36,12,000	4,69,15,000
56.	लक्षद्वीप	3,47,26,000	60,35,000	17,36,32,000	3,01,76,000
56.	—क चंडीगढ़	12,69,77,000	5,45,44,000	25,39,55,000	10,90,87,000

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नगरकुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए करीब 38 साल हो गये हैं। मैं देहात से आता हूं। देहात के हजारों गिरिजन आज भी आजाद नहीं हुए हैं। आज भी वहां के जमींदार, वहां के बड़े लोगों के कब्जे में हैं। वह लोग जो कहते हैं वह मान लिया जाये तो ठीक है, अगर नहीं माना जाये तो बहुत अधिक तकलीफ देते हैं और तरह-तरह से सताये जाते हैं। इस बात को सब लोग और यह सदन तक जानता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप इस बात को जानते हैं या नहीं।

श्री वी० तुलसीराम : हम जानते हैं, तभी तो बोल रहे हैं।

आज गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो श्री नरसिंह राव जी के पास है। वह बड़े अनुभवी हैं। मुझे उम्मीद है कि उन के टाइम में देहात में जो दुखी और परेशान हो रहे हैं उन हरिजनों के लिए भी कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। लेकिन वह पोर्टफोलियों कब तक उन के पास रहता है यह भी एक अनिश्चित बात है। आज एक यह भी परेशानी की बात है कि कब किस के हाथ से कौन सा पोर्टफोलियो निकाल लिया जाता है और कब किस को कौन-सा पोर्टफोलियो दे दिया जाता है यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मंत्री जी अगर कोई स्कीम बनाते हैं या कोई कानून बनाते हैं किसी की मदद करने के लिए तो वह बनाते ही रहे जाते हैं, रास्ते में ही होते हैं कि उनके हाथ से वह मंत्रालय निकल जाता है और कोई दूसरा मंत्री उनकी जगह पर आ जाता है। यही नहीं प्रदेशों में मुख्य मत्रियों को भी बदल दिया जाता है और क्या क्या होता है यह तो आप सब जानते हैं।

रिजर्वेशन की जहां तक बात है, आज हिन्दुस्तान के अन्दर 25 प्रतिशत हरिजन और गिरिजन हैं लेकिन उन के लिए रिजर्वेशन कितना है? हर जगह पर आप देख लीजिए, यू पी एस सी में देखिए, हाईकोर्ट में देखिए, हर विभाग में कहीं भी देखिए, कितना रिजर्वेशन है? और सारी जगहों का छोड़ दीजिए, आप अपनी कैबिनेट के अन्दर देख लीजिए, आप की कैबिनेट में कितने मंत्री शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राईब्ज के हैं? कितने होने चाहिए और कितने मंत्री आप की कैबिनेट में हैं? अगर आप की कैबिनेट में ही उन को न्याय नहीं मिल सकता है तो दूसरी जगह क्या हो सकता है, यह आप सब अन्दाजा लगा सकते हैं। क्या कहीं का कोई गवर्नर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का है? कोई मुख्य मंत्री है, कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, किसी विभाग में कोई बड़ा अफसर है शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का? तो आप खाली आई-वाश कर रहे हैं, बता देते हैं, कि इतना रिजर्वेशन है।

5.12 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

लेकिन कितने लोगों को ये जगहे मिलती हैं? विभागों के अन्दर देखिए कितने लोगों को न्याय मिल रहा है रिजर्वेशन के अन्दर? कहीं किसी विभाग में कोई पोस्ट निकलती भी है तो तीन चार बार बुलाते हैं और फिर कह देते हैं कि कोई सूटेबल कैंडीडेट नहीं है, नाट अवेलेबल करके लिख देते हैं। ऐसे ही दो चार बार करके उस पोस्ट को फिर जनरल में ले आते हैं। वह रिजर्वेशन खत्म हो जाता है और फिर जनरल कोटे में उसको ले लेते हैं। इस तरह से हमारे स्वतन्त्र देश में यह काम हो रहा है तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को कितना न्याय मिल सकता है?

गांवों के अंदर क्या हालत है? मैं पिछली बार गया था, एक गांव है, सिंगापुर रसवाल, उस गांव में जो हत्या हुई थी वह देखने के लिए गया था। अपोजीशन ग्रुप्स की तरफ से कुछ लोग वहां गए थे। वहां पर मैंने देखा कि वह आदमी बन्दूक के लाइसेंस के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में बराबर दौड़ धूप करता रहा, कितनी ही बार वह वहां गया और लाइसेंस के लिए बराबर वह कहता रहा, कि उसे बन्दूक का लाइसेंस दे दिया जाय मगर उसको लाइसेंस नहीं मिला और दूसरे लोगों को घर पर लाइसेंस ले जा कर दे दिया। उसके सात आठ दिन बाद ही उसकी हत्या

हो गई। और भी पांच छः की हत्या वहां पर हुई। गर्भवती स्त्री की हत्या हुई। वह जो गर्भवती स्त्री थी उसे किस तरह से मारा है, जो जगह मैं यहां बता नहीं सकता हूं वहां पर बन्दूक रख कर उसको गोली मारी, उसका पेट फट गया, बच्चा भी मर गया और वह गर्भवती स्त्री भी मर गई। यह मैं खुद देखकर आया हूं। तो बताइए क्या कानून है आपका ? आज तक उनकी रक्षा के लिए क्या उपाय किया आपने ? आज क्या चल रहा है ? कितने कानून आप यहां बनाते हैं ? उनमें कितना उनका इम्पलीमेंटेशन होता है, कितना नहीं होता उसको आगे देखने के लिए कौन जाता है, हमारे अफसर जो हैं या मंत्री हैं उन लोगों को देखना चाहिए। लेकिन वह नही देखते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है अभी जब मैं वहां सिंगापुर रसवाल गया था तो क्या वहां कोई मंत्री गए ? अपोजीशन की तरफ से दण्डवते जी गए और दूसरे मेम्बर्स भी भेजे गए। हम पहले वहां पहुंचे और देखकर आए। बाद में मुख्य मंत्री भी गए और दूसरे लोग भी गए। हमारे आने के दो रोज बाद वे वहां पर गए। बड़ा लीडर या बड़ा आदमी कोई भी होता है वह जहां कहीं भी बोलता है तो हरिजन गिरिजन की बात करता है लेकिन हम यहां पर आकर देखते हैं कि इस तरह की बातें होती हैं।

यह देश आजाद होने से पहले हमारे देशभक्त लोग देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के टाइम में कोई ऐसा काम करते थे तो उसके बाद वे छिप जाते थे, अण्डरग्राउंड हो जाते थे और उस समय अंग्रेज लोग उनके कुटुम्ब के लोगों को, उनके बच्चों को, उनके माता-पिता को तंग करने के लिए, (छिपे हुए व्यक्ति को सरेन्डर कराने के लिए) पुलिस थाने में लाकर बिठाया जाता था। अंग्रेजों ने हमारे देशभक्तों को तंग करने के लिए उस समय इस तरह के कानून बना रखे थे लेकिन आज भी उन्हीं कानूनों को लेकर आप चल रहे हैं। यदि कोई आदमी चोरी करके भाग जाता है, डाका डालकर फरार हो जाता है या किसी को कत्ल करके भाग जाता है तो उसके परिवार के लोगों को, उसके माता-पिता को, लाकर थाने में बिठा दिया जाता है। पहले तो अंग्रेज लोग हमारे देशभक्त लोगों को तंग करने के लिए थाने में लाकर बिठाते थे क्योंकि वे देशभक्ति के काम करते थे लेकिन आज भी उसी वक्त का कानून चल रहा है। उस कानून में कोई भी तरमीम नहीं हुई है। यह क्या है ? आप कब तक इस तरह की बातों को चलाते रहेंगे ? क्या पुलिस वाले नहीं जानते हैं ? वे जानते हैं कि चोर कौन है, चोर चोरी करके कहां छिपा है या कत्ल करके कोई आदमी कहां चला गया है। सारी बातें पुलिस वाले जानते हैं लेकिन पकड़ते नहीं हैं। (व्यवधान) पैसा लेते हैं, पता नहीं क्या होता है, मैं क्या कहूं, लेकिन उनको सारी बातों का पता रहता है और वे बैठे हुए ही बता सकते हैं कि कौन से कोने में कौन-सा आदमी छिपा है। उनको सब मालूम है लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं है। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी वे नहीं बचा सके। सारी रिपोर्ट का पता है लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं कर सके। वह हमारे देश की ऐसी नेता थीं जिनको यह देश ही नहीं, विदेश के लोग भी नेता मानते थे लेकिन उनको भी, नहीं बचा सके ये पुलिस के लोग। ये सारा जानते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं।

मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। मेरे पास एक आदमी आया था। चार सौ बीस करके एक नोट के अन्दर पूरे कागज का बण्डल रखकर और ऊपर रबड़ लगाकर पैसा देने आए और वह उनको दे दिया। एक आदमी मेरी पहचान वाला था उसने बताया कि ऐसा मेरे साथ अन्याय हुआ है। चव्हाण जी जोकि इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हैं, उनको भी मैंने बोला और पुलिस

कमिश्नर से भी दो बार जाकर मिला लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। वह आदमी ओल्ड दिल्ली की सिटिजन कमेटी, कांग्रेस (आई) का प्रेसीडेन्ट है जिसके हाथ से बण्डल दिलवाया गया। (व्यवधान) एक नोट ऊपर और अन्दर कागज का बण्डल। (व्यवधान) कहीं झगड़ा हो जाता है, तो कह देते हैं, अध्यक्ष जी भी कहते हैं, हम नोटिस देते हैं तो कहते हैं कि यह स्टेट सब्जैक्ट है। कहीं डाका पड़ता है, हम नोटिस देते हैं तो अध्यक्ष जी कहते हैं कि स्टेट सब्जैक्ट है। मंत्रीजी भी कहते हैं कि स्टेट सब्जैक्ट है। कहीं पर मारा-मारी होती है, तो वह भी स्टेट सब्जैक्ट है। कहीं हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा होता है तो वह भी स्टेट सब्जैक्ट है। कोई बैंक लूटता है, तो वह भी स्टेट सब्जैक्ट है। मैं जानना चाहता हूं, सैन्ट्रल सब्जैक्ट क्या है, सैन्ट्रल सब्जैक्ट कौनसा है? वह मुझे बताइए कि कौन-सा सेन्ट्रल सब्जैक्ट है। सब स्टेट सब्जैक्ट हो गए हैं, तो आपका कौन-सा सब्जैक्ट है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : संसद भवन में कानून और व्यवस्था

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : आई० ए० एस० आफिसर का रवैया स्टेट में मुख्य मंत्री के साथ ठीक नहीं है। हमारे आन्ध्र प्रदेश में रामाराव जी चीफ मिनिस्टर हैं, वे बड़ी शक्ति से उनके साथ पेश आते हैं। वहां उन्होंने कुछ गड़बड़ किया, तो उनको ससपेंड किया, उनको निकाला, तो वह यहां से आर्डर ले जाते हैं। वे इनके अण्डर में रहते हैं। वह कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां अपोजीशन की गवर्नमेंट है, वहां गवर्नर अपने इरादे का भेजा जाता है और यहां से आफिसर अपने माफिक का भेजा जाता है। जहां पर कांग्रेस आई की सरकार है, वहां तो सब कुछ चलता है। वहां कत्ल हो जाते हैं, खून बह जाता है। दुनियां इधर की उधर हो जाती है वहां कुछ नहीं होता है। सब यहां अपने पास रखकर बैठते हैं, स्टेट को पावर नहीं देते हैं। सब यहां रखकर बैठते हैं और यहां से सब कुछ चलाते हैं। ठीक है, हम मानते हैं चलाइए, लेकिन ठीक से चलाइए। आप ठीक से नहीं चलाते हैं। जैसा मैंने स्टेट सब्जैक्ट की बात कही। जहां अच्छी बात होती है, तो सैन्ट्रल सब्जैक्ट बन जाता है। यहां खराब बात होती है, तो स्टेट सब्जैक्ट बन जाता है। टाल देते हैं, यह क्या न्याय है?...(व्यवधान)...

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह भी वैस्ट बंगाल। ... (व्यवधान)...

श्री बी० तुलसीराम : यह कैसी बात है। यह कैसे हो सकता है। मुझे बताइए? श्री पी० वी० नरसिंह राव साहब हंस रहे हैं।...(व्यवधान)...आप बहुत सीनियर हैं; समझते हैं...(व्यवधान)..

मानव संसाधन विकास मंत्री और गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : आप के पीछे लोग हंस रहे हैं।

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : आप के साइड में भी हंस रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : हमको रोते-रोते हंसी आई है।.. (व्यवधान)...

श्री बी० तुलसीराम : मुझे तो आपसे बड़ी उम्मीद है। आप कुछ ठीक करेंगे। मैं आशा

करता हूं, आप बड़े अनुभवी हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कितने दिनों तक आपके पास यह पोर्ट-फोलियो रहता है, यह पता नहीं है। कब आपसे फिर लेते हैं। कुछ करने जायें, तो कुछ हो जाए, यह पता नहीं है।

रेलवे बोर्ड को सफेद हाथी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि होम मिनिस्ट्री खुद एक सफेद हाथी है। जैसा मैंने पहले कहा, यह स्टेट सब्जैक्ट है, वह स्टेट सब्जैक्ट है, लेकिन बार्डर पर झगड़ा होता है, तो मिलिट्री जाती है। दूसरी जगह झगड़ा होता है, तो स्टेट सब्जैक्ट है। फिर यह सफेद हाथी जैसा यहां बैठकर खाते हैं, खर्च करते हैं। मैंने एक्जाम्पल दिया है, कई आफिसरों के पास पुलिस के कान्सटेबिल हैं, जो घर पर काम करने के लिए रखते हैं। मैं नहीं कहता कि वह नहीं करना चाहिए। कई मंत्रियों के घर पर हैं। मैं एक्जाम्पल दूं, मेरे बंगले के बगल में माननीय मंत्री श्री टाइटलर की कोठी है। टाइटलर साहब जब एमपी थे, तो एक-दो बार उनका चेहरा देखा, लेकिन जब मंत्री बने, तो उनका चेहरा नहीं देखा।

कुमारी ममता बनर्जी : हाउस में नहीं देखा।

श्री वी० तुलसीराम : हाउस में देखते हैं। आपको भी देखते हैं आपको चिल्लाते हुए देखते हैं, लेकिन क्या करें।

वहां पर देखते हैं, उनका चेहरा नहीं दिखता है। लेकिन उनकी दीवारों की रक्षा करने के लिए 20-25 पुलिस वहां पर रोज-रोज होती है··· (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

एक माननीय सदस्य : उनके पास नष्ट करने को समय नहीं है।

[**हिन्दी**]

श्री वी० तुलसीराम : क्यों दीवार की रक्षा करने के लिए वहां पुलिस है। क्यों रेलवे बोर्ड को सफेद हाथी कहते हैं जबकि खुद गृह मंत्रालय सफेद हाथी है। क्या जरूरत है पुलिस को वहां रखने की। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री की रक्षा न की जाए, आफीसर की रक्षा न की जाए और पार्लियामेंट के मेम्बरों की रक्षा न की जाए। सबकी रक्षा होनी चाहिए लेकिन दीवारों की क्या रक्षा है, पेड़ों की क्या रक्षा है।·· (**व्यवधान**)···मैं इसको चेलेंज करता हूं। आप जा कर वहां देखिये कि क्या हो रहा है। मैं आपको अपनी गाड़ी में ले जा कर दिखा सकता हूं कि वहां पर पुलिस द्वारा दीवारों की रक्षा हो रही है।·· (**व्यवधान**)···आप चिल्लाते क्यों हैं। कभी सच्ची बात होती है, तो कम से कम सोचना चाहिए। हर बात के लिए चिल्लाना एक ड्यूटी बन गया है। सुबह भी कुछ लोग चिल्ला रहे थे जब प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं। वे आप को मिनिस्टर नहीं बना देंगे या किसी कमेटी का चैयरमैन नहीं बना देंगे। इसलिए आप किस बात के लिए चिल्लाते हो।

सभापति महोदय : आप अपने प्वाइन्ट पर आइए।

श्री वी० तुलसीराम : इस ढंग की व्यवस्था होम मिनिस्ट्री की है। आज आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर यह सब चल रहा है, तो कैसे काम चलेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजनों के लिए जो रिजर्वेशन है, वह सही नहीं मिल रहा है और इस ढंग से आपका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। टाइटलर साहब मेरे दुश्मन नहीं हैं, कभी मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है लेकिन मैंने जो फैक्ट देखा है, वह मैं बता रहा हूं। मेरे बगल में यह हो रहा है, इसलिए मैंने बता

दिया। और कहां-कहां होगा, मैं कह नहीं सकता। भारत सरकार जो इस ढंग से काम चला रही है, वह बिलकुल गलत है। इसके लिए मैं खास तौर से श्री पी० वी० नरसिंह राव से कहना चाहता हूं कि वे इस तरफ ध्यान दें। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। वे हमारी स्टेट के थे। अब और जगह से चुनकर आए हैं। वे कहीं से भी चुनकर आएं, वे हमारे राष्ट्र के नेता हैं और मैं उनको नेता मानता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : वे हमारी स्टेट से हैं।

श्री वी० तुलसीराम : लेकिन टेम्पोरेरी हैं। हमारे यहां से वे पर्मनेन्ट हैं। श्री राजीव जी भी बड़े युवा नेता हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे ठीक काम करेंगे। जैसा कि मैं ने पहले कहा है कि अगर ठीक काम करेंगे, तो अपोजीशन वाले उनके साथ हैं और अगर ठीक काम नहीं किया, तो हमेशा खिलाफ रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

ब्रह्मदत (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैं प्रारम्भ में एक कठिनाई की बात कहना चाहता हूं। पिछले साल जब गृह मंत्रालय के बारे में चर्चा की थी, तो उस वक्त हरिजनों के लिए और जन-जातियों के लिए जो प्रावधान थे, वे इस विभाग के अन्तर्गत थे। इस वर्ष वे नहीं हैं लेकिन यह कठिनाई मेरे पूर्व वक्ता ने हल कर दी क्योंकि उन्होंने इसका जिक्र किया। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो वर्ष है, यह सातवीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष है और हरिजनों के लिए और जन-जातियों के लिए जो प्रावधान है, वह 50 फीसदी ज्यादा है। हरिजनों के लिए 600 करोड़ रुपये की बजाए 930 करोड़ रुपये और जन-जातियों के लिए 485 करोड़ रुपये की बजाए 765 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है लेकिन यह बात अपनी जगह पर सही है कि इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए हमें बहुत सख्ती करनी पड़ेगी और यह काम उन्हीं लोगों को सौंपना पड़ेगा, जो उसके प्रति निष्ठावान हैं। यह इसलिए भी जरूरी है कि जब तक इस देश के अन्दर भेदभाव रहेगा, मैं आर्थिक भेदभाव की बात करता हूं, क्षेत्रों के बीच में विषमता रहेगी, और व्यक्तियों के बीच में विषमता रहेगा, हम देश की एकता को बहुत सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। अभी भी हमारे यहां करीब साढ़े आठ लाख परिवार ऐसे हैं जो एक जगह रह कर खेती नहीं करते। पांच हजार गांव ऐसे हैं जिनको गांव नहीं कहा जा सकता, जो जंगल के गांव हैं। जिनका रेवेन्यु डिक्लेअर नहीं किया गया है। इनके बारे में कार्यवाही की जानी चाहिए।

गृह मंत्रालय का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह है देश की एकता को देश की अखण्डता को बढ़ावा देना है। मैं यह कहूंगा कि यह जो वर्तमान लोक सभा आठवीं लोक सभा है उस पर इस बात को देखने की विशेष जिम्मेदारी है। इससे पहले की जो लोक सभा के समय हमारी प्रधान मंत्री थीं उनकी हत्या की गयी। वह किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, वह इस देश को तोड़ने की कोशिश थी। लेकिन यह एक महान् देश है। हमारे देश के नेताओं ने जहां कांग्रेस के रूप में एक यंत्र बनाया है, लोकतान्त्रिक राष्ट्र के रूप में इसको स्थापित किया है, एक प्रणाली विकसित की है और उसको ऐसा मजबूत किया है कि यह देश खंडित नहीं हो सके। इसी उद्देश्य के लिए हमारी यह लोक सभा बनी।

हम अपने देश में एकता किस उद्देश्य से ला सकते हैं? हो सकता है कि कुछ लोग अपने देश में नाराज हों। मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत ज्यादा सिद्धांतों और धर्म की बात करने से काम

नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा मंच ढूंढना होगा जिस पर सारा देश एक हो सकता है। वह हो सकता है हमारा आर्थिक विकास का कार्यक्रम जिसके प्रति हमारे राष्ट्र निर्माता प्रतिबद्ध रहे।

देश का आर्थिक कार्यक्रम हर जाति, हर धर्म और हर इलाके को छूना है, हर कौम को छूता है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, क्षेत्र और क्षेत्र के बीच में विषमता को खत्म करने वाला है।

हमारी जो आन्तरिक व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, हमारी जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था है, उस पर यदि कहीं से संकट आता है वह जाति के नाम से आता है, धर्म के नाम से आता है, इलाके के नाम से आता है। यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां उदारतापूर्वक यह इजाजत दे दी गई कि क्षेत्र के नाम पर पार्टी बनाने की, धर्म के नाम पर पार्टी बनाने की, जाति के नाम पर पार्टी बनाने की। जब ऐसी पार्टियों का उदय हुआ तो हमारे सतारूढ़ दल के ऊपर भी उसका असर हुआ। मैं ऐसा नहीं मानता कि हम लोग उससे प्रभावित नहीं हुए। जब क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ, जातीय दलों का विकास हुआ, साम्प्रदायिक दलों का विकास हुआ तो हमारे ऊपर भी उसका असर हुआ। हम उन ताकतों के सामने झुक गये जो कि हमें झुकना नहीं चाहिए था। हमें उस चीज का मुकाबला करना चाहिए था।

मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा आधार होना चाहिए हमारा आर्थिक कार्यक्रम। हमारा आर्थिक कार्यक्रम ही पार्टी के लिए आधार होना चाहिए। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि जो पार्टी आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम को लेकर नहीं चलती उनको इस देश में रहने का हक नहीं है। क्योंकि वे देश को विघटित करने वाली पार्टियां हैं। मैं लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हूं लेकिन ऐसी पार्टियों से देश का विकास नहीं हो सकता।

मैं एक बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। पहली दफा भी मैंने कहा था कि इस वर्ष के बजट में जो 40 करोड़ रुपया सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए रखा गया है, यह बहुत अच्छा है। हमारे देश की सेनाएं बाहरी हमले से रक्षा करने में सक्षम हैं। हमारे देश पर तीन दफा हमला हुआ और उनका मुंहतोड़ जबाब दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कुछ ऐसी है। यदि कोई हम पर हमला करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जब मैं सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की बात करता हूं तो मेरा मतलब उत्तर-प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से ही नहीं है। हमारा सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, कच्छ और तमाम हिमालय का क्षेत्र है जो कि असम तक चला जाता है। इस सारे क्षेत्र के विकास के लिए 40 करोड़ रुपया बहुत कम है। मैं ऐसा समझता हूं कि इसका ज्यादा प्रावधान होना चाहिए। वहां पर सड़कें होनी चाहिएं, वहां पर पीने का पानी होना चाहिए, वहां पर बिजली होनी चाहिए और वहां के लोगों को संतुष्ट होना चाहिए।

जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय जो सब से बड़ा सबक हमने सीखा वह यह था कि बड़ी से बड़ी लड़ाई केवल फौज के सहारे ही नहीं लड़ी जा सकती है। हमें योरोप से, रशिया से, फ्रांस से जो अनुभव मिला वह यह बताता है कि अगर वह युद्ध जनता का युद्ध न बन गया होता, अगर वहां इन्टरनल रेजिस्टेंश पैदा न हुई होती, अगर वहां के देशवासियों ने यह न समझा होता कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारी जमीन खतरे में है, हमारे हित खतरे में हैं तो शायद वह फौज हार चुकी होती। जनता में मूवमेंट शुरू हुआ और रेसीसटेंस आरमी बन गई।

इन क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे का ज्यादा प्रावधान किया जाए। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादातर-जनजातियां रहती हैं। वे जन-जातियां जंगलों के बीच में हैं। वहां की भौगोलिक

परिस्थिति ही ऐसी है। वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा वहां के विकास में बड़ी बाधा पैदा हो गई है इसलिए उस बाधा को दूर किया जाए। मैं चाहता हूं कि जंगल जहां तक लग सकते हैं, लगाए जाएं पर गांवों में पीने का पानी, सड़क और बिजली पहुंचानी पड़ेगी। मुझे आश्चर्य है कि गृह मंत्रालय के अंदर ऊर्जा सलाहकार बोर्ड और ऊर्जा विकास निधि को रखने का क्या तर्क है। ये दोनों ऊर्जा मंत्रालय के अधीन होने चाहिए। इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऊर्जा चाहे कोयले, तेल, बिजली, और सौर ऊर्जा के रूप में हो, इसके लिए खोज करने की सख्त जरूरत है। लेकिन बड़ी इन्टीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। हमारे देश में अपार साधन हैं जो संभवत: खत्म नहीं होंगे। हिमालय के बर्फ का उपयोग करना चाहिए। उससे जल-विद्युत योजनाएं बनानी चाहिए ताकि बाढ़ से सुरक्षा हो, सिंचाई के लिए ज्यादा पानी मिले और ज्यादा बिजली दे सकें। इसकी बड़ी भारी उपेक्षा अभी तक हुई है और जो जल विद्युत का अनुपात था, वह कम होता चला जा रहा है। हमें नदी, नाले का उपयोग भी इसके लिए करना चाहिए तथा ज्यादा प्रभावशाली काम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसको ऊर्जा मंत्रालय से संबद्ध करना पड़ेगा।

स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उनकी सुविधाओं में विस्तार किया गया है। पेंशन जो महीने में दी जाती थी, उसको बढ़ाया, रेलवे का पास दिया, लेकिन एक दिक्कत उनके सामने यह है कि एक समय यह नियम था कि जिन लोगों को आमदनी पांच हजार से ज्यादा है उनको केन्द्रीय पेंशन नहीं मिलेगी। वह नियम बाद में बदल दिया गया, परन्तु उन लोगों को पेंशन नहीं मिल सकी। बहुत थोड़े से लोग हैं, उनसे पुरानी वसूली भी हो रही है। यह बड़े दु:ख की बात है। बहुत थोड़े से लोग हैं और वे भी धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय को इसके बारे में विचार करना चाहिए। हजारों एप्लीकेशन्स ऐसी हैं जिनके बारे में अभी तक कार्यवाही नहीं हुई और न पेन्शन की स्वीकृति हुई है।

एक मुख्य काम हमारा शरणार्थियों को भी बसाने का है। जो बंगलादेश से आए हैं, उनका जिक्र ममता बैनर्जी बाद में करेंगी। मेरे जिले में सात बड़े तिब्बती सैटलमेंट हैं। उनमें भी हमें देखना चाहिए। तिब्बतन रिफ्यूजी में दो तरह के लोग हैं। यह अनुभव हमें देहरादून में हुआ है। एक तो ताईवान से ताल्लुक रखते हैं और दूसरे दलाई लामा से ताल्लुक रखते हैं जो भारत के समर्थक हैं। हमें उन पर जो भारत विरोधी है नजर रखनी पड़ेगी। हमारे सामने देहरादून में यह समस्या आई थी इसलिए हमें ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए कुछ करना पड़ा। उसमें पुनर्वास की बात नहीं हैं। अब हमारे यहां श्रीलंका से लोग आने शुरू हो गए हैं। भारतवर्ष को एक अनाथालय नहीं बनने देना चाहिए। श्रीलंका की सरकार को निश्चित रूप से यह बताना पड़ेगा कि बहुत दिनों तक यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे लोगों को जो हमारे यहां आ सकते हैं, उनको आने देना चाहिए। आज हमारे यहां जो अपराधी हैं, उनके पास पुलिस से ज्यादा अच्छे हथियार हैं। आठवें वित्त आयोग ने राज्यों को बहुत फायदा दिया है, पुलिस को प्रशिक्षित करने में, अच्छे हथियार देने में, थाने बनाने में, मैस का इंतजाम करने में और पुलिस को सुदृढ़ करने में। गृह मंत्रालय को देखना चाहिए कि उस धन का उपयोग ठीक हो रहा है या नहीं और यह भी देखना चाहिए कि पिछले पांच साल में कितने हथियार किन लोगों को दिए गए। मुझे याद है सन् 77 से 80 तक एक जिले में 140 कारबाइन के लाईसेंस दिए गए थे। कारबाइन का उपयोग आत्म सुरक्षा के लिए नहीं होता। मैं उस जमाने में विधान परिषद में

विरोधी दल का नेता था। मैंने लिस्ट पढ़कर सुनाई थी हमारे सामने पंजाब की समस्या है, उसको भी हल इससे किया जा सकता है। धीरे-धीरे करके वहां हथियार इतने इकट्ठे हो गये इसकी भी बड़ी छानबीन करनी चाहिए। खासतौर से हमारी जो सीमा है पाकिस्तान से मिलने वाली या उधर बंगलादेश से मिलने वाली, इन सीमाओं से लोग प्रवेश न कर सकें। लेकिन यह काम हमारी पुलिस के बल पर नहीं होगा। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं हमें अपने सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। हमारे यहां डकैत प्रभावी क्षेत्र है इटावा, मैनपुरी का यह तमाम इलाका, भिण्ड, मुरैना का इलाका आखिरकार डकैतों को कैसे खत्म करेंगे वहां केवल पुलिस रख के, थाने बनाके एनकाउंटर बनाकर खत्म नहीं किया जा सकता। वहां के लिए हमें विकास की योजना बनानी पड़ेगी, लोगों को कहीं लगाना पड़ेगा, रचनात्मक कार्यों में लगाना होगा और जब रचनात्मक कार्य शुरू होता है तो लोग आकर्षित होते हैं। मैं अन्तिम बात कहना चाहता हूं जिस समय 31 अक्तूबर को श्रीमती गांधी की हत्या हुई, एक बात लोग के ध्यान में आई कि इस राष्ट्र को बनाना है, इस राष्ट्र को विघटित नहीं होने देना है और लोग जात से ऊपर उठे, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ गये और साम्प्रदायिकता से ऊपर उठ गये। और उन्होंने लोक सभा बनाई देश की एकता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार बनाई। हमारे देश की जनता में क्षमता है अगर हम सही दिशा निर्देश उसको दें और हम सही दिशा-निर्देश दे सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो सामाजिक कल्याण का कार्य-क्रम है, आर्थिक कल्याण का कार्य-क्रम है देश के अन्दर विषमता को दूर करके, देशवासियों को संतुष्ट करके हम आन्तरिक सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं हमारी नागरिक सुरक्षा प्रणाली है यह नाम-मात्र की है। कभी दुर्भाग्य वश ऐसा न हो हम पर हमला हो, मामूली से मामूली घटना भी हो जाती है उनका मुकाबला करने में भी वह सक्षम नहीं है। वार्डस हैं, वाईन्स हैं लेकिन उसको प्रगतिशील करना चाहिए। हमारे यहां होम-गार्ड्स का बड़ा भारी संगठन है। लेकिन उनको मिलता क्या है, उनका प्रशिक्षण क्या है ? उनकी सुविधायें क्या हैं ? यह सुविधायें बढ़ा देनी चाहिए। एक चीज और होती है जब दंगे होते हैं, साम्प्रदायिक दंगे हों, तो एक प्रकार से पुलिस बल के ऊपर सब लोग हमला करने लगते हैं और उसकी आलोचना करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे मनोबल गिरता है। लेकिन एक सुझाव मैं देना चाहता हूं क्यों नहीं आप शान्ति सेना का गठन करते। जिसमें केवल भूतपूर्व सैनिकों को रखें और आपके भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं जो 40 से 45 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं उनको 5-10 साल का एम्प्लायमेंट दीजिए, अलग तरह की ट्रेनिंग दीजिए, केवल सेवाओं की ट्रेनिंग, केवल शान्ति व्यवस्था की ट्रेनिंग दीजिए। उनका काम पुलिस से बिलकुल अलग रखिये। जहां जरूरी हो उनको भेजिए। वह लोग जनता का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कर्त्तव्य है हमारी सब राजनीतिक पार्टियों का, केवल सत्तारूढ़ पार्टी का ही नहीं है सब पार्टियों का है। हमको यह आचरण करना चाहिए कि हम में से कोई एक आदमी राजनीतिक अपराधियों को संरक्षण देता है।

(व्यवधान)

तो राजनीतिक चेहरा लगाकर, मुखौटा लगाकर वह बच नहीं पायेगा। दूसरी बात हमको यह करनी चाहिए चाहे वह ट्रेड यूनियन का मामला हो चाहे वह कुछ भी मामला हो हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। जब तक यह विश्वास हिंसा का सहारा लेने का रहेगा तो देश की

आन्तरिक सुरक्षा हमेशा खतरे में रहेगी। कभी-कभी इसका शिकार वही लोग होते हैं जो इसका सहारा लेते हैं। हम लें हम शिकार बनेंगे, आप लें आप शिकार बनेंगे। मैं आप दोनों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। अगर हम भी वही कार्यवाही करेंगे हम भी शिकार बनेंगे। मैं नहीं मानता एण्ड जस्टिफाइड्स दी मीन्स···

(व्यवधान)

मैं ऐसा मानता हूं कि गलत तरीके से प्राप्त अच्छी चीज भी विकृत हो जाती है। इसलिए इसका सहारा राजनीतिक पार्टियों को नहीं लेना चाहिए। इसके लिए सब राजनीतिक पार्टियों के कोड आफ कण्डक्ट बनाना पड़ेगा।

एक बात आखिर में कह देना चाहता हूं इस देश में उन्हीं राजनीतिक पार्टियों का भविष्य है जो वास्तव में जनता का विश्वास प्राप्त करके अपने सिद्धान्तों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर इस देश को एक रखते हुए प्रगति की ओर ले जाना चाहती हैं। वरना पार्टियां बनती रहती हैं, पार्टियां बिगड़ती रहती हैं, टूटती रहती है और इनका कोई भविष्य यहां नहीं है। लेकिन एक बात करना जरूरी है हमारे वर्तमान नेतृत्व के हाथ इतने सक्षम हैं, हमारा गृह मन्त्रालय बहुत अच्छे व्यक्तियों के हाथ में है, बहुत अच्छे साथियों के हाथ में है और हमें पण्डित जी ने, इन्दिरा जी ने एक ऐसा यन्त्र दिया है, एक ऐसी प्रणाली दी है जो हर प्रकार की चीज को सुरक्षित रख सकती है, आन्तरिक सुरक्षा को ठीक रख सकती है, एकता को ठीक रख सकती है।

आज हमारा काम है कि हमारे सामने खतरे हैं, हमारे यहां जितनी गलत प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं, उन सब को दबाया जाए, चाहे वे साम्प्रदायिकता के नाम पर हों, जाति के नाम पर हों, धर्म के नाम पर हों, प्रान्त के नाम पर हों, या क्षेत्र के नाम पर हों इन सब के लिए कार्यक्रम यहां पर हैं। यह काम राजनैतिक लोगों से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का है। यह बड़ा भारी काम है, छोटा नहीं है और हमारा यह दुर्भाग्य है कि आज भी हमारा देश हौरीजौन्टली बंटा हुआ है, वर्टिकली नहीं बंटा हुआ है। गरीब आदमी हर सम्प्रदाय में होता है, हर जाति में होता है, हर वर्ग में होता है और हर प्रान्त में होता है। हमारी लड़ाई पिछड़ेपन से है, गरीबी से है और उसमें हम सब लोगों को शामिल करके ही राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकते हैं। यह बड़ा भारी सामाजिक कार्य है। यह कार्य सामाजिक क्षेत्र में, हमारे देश में बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए हम राजनीतिक क्षेत्र में ही ज्यादा लगे रहे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने सामाजिक दृष्टिकोण को बदलें। यहां पर हमारे प्रधान मंत्री जो ने अभी जिस साइंटिफिक आउटलुक की बात कही, अगर मैं उसको रेशनल आउटलुक कहूं तो वह ज्यादा अच्छा होगा और, आपको और हमें, दोनों को मिलकर उस रेशनल आउटलुक को लाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पाकिस्तान से भारत में उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने की आवश्यकता।] (1)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[बंगलादेश से असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में घुसपैठ को रोकने की आवश्यकता।] (2)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पुलिस हिरासत में विचाराधीन कैदियों की मृत्यु होने के लिए उत्तरदायी पुलिस कार्मियों पर मुकदमें की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता।] (37)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[देश में आसूचना तंत्र के बुरी तरह असफल रहने की निन्दा करने की आवश्यकता।] (38)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पुलिस की अत्यधिक उदासीनता के फलस्वरूप कैदियों का फरार होना।] (39)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पुलिस को सुधारने और उनमें मानवीय गुण पैदा करने की आवश्यकता।] (40)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[नयी बटालियनों के लिए अधिक शस्त्रों, गोला-बारूद, वाहन, कपड़े आदि खरीदने के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता।] (41)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[निचले स्तर पर पुलिस कार्मिकों की भरती में वृद्धि करने की आवश्यकता] (42)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पुलिस बलों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता।] (43)

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों को हमारे देश में आने से रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ सीमाओं को बन्द करने की आवश्यकता] (5)

श्री गदाधर साहा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

[देश की सामाजिक एवं आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक अनियमितताओं, असमानताओं तथा असंतुलनों को दूर करने तथा राष्ट्रीय अखंडता तथा सामाजिक एवं राजनैतिक असन्तोष की मूल समस्या और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समस्याओं को हल करने की आवश्यकता।] (54)

"कि मन्त्रिमण्डल शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पुनर्वास कार्य के लिए केन्द्र में एक पूर्ण तथा पृथक् मंत्रालय की आवश्यकता।](55)

"कि पुनर्वास शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास हेतु पश्चिम बंगाल को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने में सरकार की अफसलता।](56)

"कि पुनर्वास शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पश्चिम बंगाल में आबादकारों की बस्तियों को नियमित करने के निर्णय को कार्यान्वित करने की आवश्यकता।](57)

"कि पुनर्वास शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों तथा आबादकारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से कम ब्याज पर ऋण दिलवाकर उनसे संबंधित आवास योजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता।](58)

"कि पुनर्वास शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

[पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की समस्या को हल करने के लिए श्री समर मुखर्जी, भूतपूर्व संसद सदस्य की अध्यक्षता में आर० आर० समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता।](59)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय,···(व्यवधान) जब कभी मैं किसी मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए अपनी बात कहती हूं तो मुझे वे लोग परेशान करते हैं। ठीक है, कृपया ऐसा करना आप जारी रखें और मैं अपनी बात कहना जारी रखूंगी।

मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है और यह मांग कई विषयों से संबंधित है। परन्तु मैं प्रत्येक मुद्दे पर बोलना नहीं चाहती हूं बल्कि मैं 3 या 4 महत्वपूर्ण विषयों पर अपना भाषण देने की कोशिश करूंगी।

सबसे पहले मैं बंगाल के शरणार्थी की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस (आई) के लिए हमने 16 सीटें प्राप्त की है। इन 16 सीटों में से मैं, श्री भोलानाथ सेन, श्री आशुतोष लाहा और प्रो० एम० आर. हाल्दर शरणार्थी क्षेत्र से आए हैं। और मेरा निर्वाचन क्षेत्र पूर्ण रूप से शरणार्थी इलाका है।

पश्चिम बंगाल में शरणार्थी समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। अब मेरे राज्य में यह चर्चा का विषय है। मैं पहले ही कई बार भूतपूर्व गृह मन्त्री श्री एस०बी० चव्हाण से कई बार मिली हूं तथा इस समस्या पर सरकार द्वारा विचार करने के लिए मैंने प्रधानमन्त्री से भी मुलाकात की है। हमारे विधि मत्री श्री अशोक सेन ने भूतपूर्व गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण से 21 अगस्त, 1985 को एक पत्र प्राप्त किया है जिसमें उन्होंने कहा है :

"ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण मालिकाना आधार पर भूमि दी जाती है जबकि नगरीय

क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 1 रुपए प्रति 100 वर्ग गज या उसके किसी अंश पर नाम मात्र जमीन के किराए पर 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी जाती है। ये शर्तें सामान्य नीति के अनुसार हैं जो भारत सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी अपनायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त इससे नगरीय क्षेत्रों में जगह की कीमत बढ़ने के कारण विस्थापित व्यक्ति जगह बेचने के लालच से बचेंगे ताकि वे फिर से विस्थापित न बन जाएं। परन्तु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत पंजीकृत पश्चिम बंगा उदवस्तु संघति नामक सोसाइटी ने नगरीय क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों पर पट्टे के माध्यम से अधिकार और हकनामा देने के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। अब मामला निर्णयाधीन है।"

चूंकि मैंने अपने मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु का बजट भाषण पहले से ही पढ़ लिया है इसलिए यहां मैं कुछ बताना चाहती हूं। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है :

"विभाजन के लगभग चार दशक के बाद इस घटना के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में जिन शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में आना पड़ा है, उनके पुनर्वास के भार की बात करने में दुःख हो रहा है। केन्द्रीय सरकार ने सामान्य रूप से समस्या को दूर करने की इच्छा जाहिर की है और सभी जिम्मेदारी अस्वीकार की है। ऐसी स्थिति में हम अपने सीमित संसाधनों से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।"

मेरे पास यहां कुछ किताबें भी हैं। मुझे पश्चिम बंगाल सरकार से यह पुस्तक मिली है जिसका नाम "सम अरजेन्ट इस्यूज एंड प्राब्लम्स रिलेटिंग टू वेस्ट बंगाल" ("पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मामले और समस्याएं") है। परन्तु मैं इसमें शरणार्थी समस्या नहीं पाती हूं। परन्तु मुझे कहते हुए आश्चर्य होता है कि जब कभी कोई चुनाव आता है तो राजनैतिक दृष्टि से हमारे मुख्य मंत्री आपको जानकर आश्चर्यचकित होना चाहिए—राजनैतिक दृष्टि से केवल हमारे दल को क्षति पहुंचाने के लिए हमारे प्रधान मन्त्री को एक पत्र देते हैं जिसमें पूर्ण मालिकनामा अधिकार की मांग की जाती है और तब प्रधान मन्त्री जी उत्तर देते हैं कि यह वर्तमान सरकार की नीति है—इस नीति में परिवर्तन नहीं होना है क्योंकि हमने पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण मालिकनामा अधिकार दिया है और नगरीय क्षेत्रों में हमने पट्टे का अधिकार दिया है। "तब मुख्य मन्त्री जी क्या कह रहे हैं कि वह मतदाताओं को प्रश्न और उत्तर की तरह इस तरह वे पर्चे बांट रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही है और इसलिए हम पश्चिम बंगाल के लोगों को वास्तविक जिन्दगी नहीं दे रहे हैं।" वास्तव में यह मामला अब निर्णयाधीन है। परन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार बलपूर्वक 99 वर्षीय पट्टे नामा दे रही है और इन पट्टों में बहुत शर्तें हैं कि कोई भी इस प्रकार के पट्टों को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं नहीं जानती कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री न्यायालय की अनुमति के बिना किस प्रकार से इन पट्टों को दे रही हैं। मैं यह बताना चाहती हूं। लोगों की पूर्ण मालिकाना अधिकार की मांग है। बगाली लोगों का यह सामान्य हित है। कल, कलकत्ता में मेरे पास एक कार्यक्रम था परन्तु मैंने इसको रद्द कर दिया, क्योंकि मैं इस वाद विवाद में भाग लेना चाहती थी। पिछले वर्ष भी मैंने इसमें भाग लिया था। यह हमारी मांग है कि पूर्ण मालिकाना अधिकार दिया जाना चाहिए। यह हमारी मांग है कि नगरीय क्षेत्रों को भी पूर्ण मालिकाना

अधिकार दिए जाने चाहिए।

विभाजन के बाद शरणार्थियों को बसाने के लिए सरकार ने बैनानामा कालोनी या ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सरकारी कालोनियों में प्लाटों का आबंटन किया था। उन शरणार्थियों को जिनका बैनानामा कालोनियों में पुनर्वास किया गया था चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र के थे या नगरीय क्षेत्र के, सरकार द्वारा 'पट्टे' पर भूमि का अधिकार दिया गया था। बैनानामा क्षेत्र का अधिकांश भाग नगरीय क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में है। अब मैं यह बताना चाहती हूं कि यदि शरणार्थियों ने जिनका बैनानामा कालोनियों में नगरीय क्षेत्रों के भीतर पुनर्वास किया गया है, ऊंची कीमतों के बावजूद अपने प्लाटों को नहीं बेचा तो सरकारी कालोनियों में नगरीय क्षेत्रों में बसे हुए शरणार्थी अपने क्यों बेच सकते हैं। यह नोट करके बहुत आश्चर्यजनक होगा कि ऐसे लोगों ने जिनका पुनर्वास किया गया है, अपने मकान का निर्माण पहले से ही कर लिया है जब वे 1960 में बसे थे। उनकी अपनी लागत पर मकान बनाए गए थे। केवल सरकार द्वारा जगह की कीमत दी गई थी। अतः लगभग 30 वर्षों के बाद सशर्त पट्टे के कारण पुनर्वास किए गए लोगों को मकान सम्पत्ति के मालिकाना अधिकार से वंचित किया जा रहा है जो कि सभी तरह के न्याय के विरुद्ध है।

मुझे समाचार पत्रों में छपी खबरों से 22 फरवरी को पता चला है माननीय आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री श्री अरुण नेहरू पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। हम उनके बहुत आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि वह शरणार्थियों की सभी समस्याओं को देखने के लिए पश्चिम बंगाल आने में मैं माननीय मंत्री को यहां आने तथा पश्चिम बंगाल में इन सभी चीजों को देखने के लिए उच्च स्तरीय सरकारी समिति की स्थापना करने का अनुरोध करती हूं। परसों पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना बजट शरणार्थी बजट पारित किया है। और उन्होंने कहा है "हमने पहले ही 10 करोड़ रुपए आबंटित कर दिए हैं। परन्तु हमारी मांग 750 करोड़ रुपये की है; और केन्द्रीय सरकार हमें एक पैसा भी नहीं दे रही है।" मैं आपको एक बात बताऊंगी (व्यवधान) ये मेरी टिप्पणियां नहीं है। यह पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की टिप्पणियां हैं

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप समर्थन मत करिए ?

कुमारी ममता बनर्जी : मैं अपने मुख्य मन्त्री को परेशान नहीं कर रही हूं क्योंकि हमारा राज्य वास्तविक रूप से आर्थिक दृष्टि से कठिनाई में है। हम जानते हैं कि हमारे देश में संघीय ढांचा है। केंद्रीय सरकार मां की तरह है और राज्य सरकार उसके बच्चों की तरह हैं। मां का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने बच्चों की विशेष रूप से कमजोर बच्चों की देखभाल करें। पश्चिम बंगाल की यही स्थिति है। इसलिए, आपसे यह मेरी मांग है; जब कभी आप कुछ पैसे की मंजूरी करते हैं तो उस समय कृपया यह देखें कि पैसा कहां जा रहा है

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : पश्चिम बंगाल को छठी योजना में जो पैसा दिया गया था उसने उसका उपयोग नहीं किया। उन्होंने 1200 करोड़ रुपए वापिस किए।

कुमारी ममता बनर्जी : सब लोग जानते हैं कि उन्होंने 1200 करोड़ रुपए वापिस किए थे।

मैंने निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों पर श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषण को सुना। उन्होंने कहा है—और मैं इसे उद्धृत करती हूं :

"हमारे पास कोषाध्यक्ष नहीं है; हमारे पास लेखा रखने की पद्धति है।"

सीपीएम दल दावा कर रहा है कि वे प्रगतिशील है और वे शरणार्थियों के अच्छे मित्र हैं। लेकिन जब केंद्रीय सरकार ने इतना अधिक पैसा दिया तो वह पैसा सीपीएम लोगों की जेबों में चल गया। सीपीएम के लोगों को लाभ मिल रहा है। अन्य लोग, सामान्य लोगों की कालोनियों के लिए एक भी पैसा नहीं मिलता है। वे रोज नई कालोनियां बनाते हैं परन्तु वे हमेशा बड़े लोगों की सहायता करते हैं।

श्रीमन् वास्तव में उन बेचारे शरणार्थियों के लिए जो पूर्वी पाकिस्तान से आए थे तथा जो सब कुछ गंवा चुके हैं। वे कुछ नहीं कर रहे हैं राज्य सरकार इन शरणार्थियों का अनुचित उपयोग कर रही है परन्तु केंद्रीय सरकार को शरणार्थियों के लिए कुछ करना चाहिए। यह मेरी विनम्र मांग और अनुरोध है। कृपया शहरी क्षेत्र के लोगों को भी पूर्ण स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए जाएं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सरकार 99 वर्ष की पट्टा विलेख दे रही हैं। इसे तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए।

श्रीमन् केंद्र सरकार के निर्णयानुसार शरणार्थी विभाग 1974 में बन्द कर दिया गया था। चूंकी यह एक समवर्ती विषय है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार पर छोड़े बिना शरणार्थी विभाग को पुनर्जीवित करें। दूसरे, पूरी समस्या पर नए सिरे से पुनर्विचार किया जाए तथा इन सभी मामलों पर विचार करने के लिए एक उच्च शक्ति सम्पन्न दल पं० बंगाल भेजा जाये। तृतीय, पट्टा-विलेखों के अमलीकरण पर रोक हेतु राज्य सरकार को निर्देश दें क्योंकि यह एक विचाराधीन मामला है।

इसके बाद, मैं स्वतन्तता संग्राम सेनानियों के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। स्वतन्त्रता सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत जो 15 अगस्त 1972 को शुरू की गयी थी तथा 1 अगस्त 1980 को उदार बनाई गई थी यह पेंशन 1,37,249 स्वतन्त्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें 5061 स्वीकृतियां 1985 में दी गयी तथा 82,360 आवेदन राज्य से सत्यापन रिपोर्ट न प्राप्त होने के कारण अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मेरे राज्य में गणेश घोष समिति इन मामलों को निपटा रही है लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले अभी विचाराधीन हैं। क्यों ? क्योंकि ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लोग नहीं हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कैसे जान सकते हैं कि कौन स्वतन्त्रता सेनानी हैं क्योंकि उनकी पार्टी 1962 के बाद बनी है अत: श्रीमन् मैं इस समिति को बदलने के लिए अनुरोध करूंगा (व्यवधान)·· आपके ज्योति बसु भी कांग्रेसी थे। अब उन्होंने अपनी रीति-नीति बदल ली है। हम जानते हैं उन्होंने क्यों अपनी रीति-नीति बदली है। परसों हमारे सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा महान् नेता श्री राजीव गांधी ने, वाद-विवाद में भाग लेते हुए जब श्री अमल दत्त ने यह कहा था कि चीन भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। वाद-विवाद में भाग लेते हुए ठीक बात कही थी। उनकी तस्वीर साफ है···(व्यवधान) वह चीन के विदेश मन्त्री के लहजे में बात कर रहे हैं। वह भूल गये हैं कि भारत उनको मातृ-भूमि है। हमें पहले अपनी मां का सम्मान करना चाहिए तत्पश्चात् मातुल का। वे सब चीनी विचारधारा में विश्वास कर रहे हैं तथा भारतीय विचार धारा को भूल रहे हैं। हम इसकी पोल पट्टी जानते हैं। हमें मालूम है कि टाटा, बिड़ला गोयनका आजकल

उनके मित्र हैं। ये अग्रगामी नहीं है बल्कि पश्चगामी है। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। हमारी दृष्टि आगे लगी है तथा हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। अतः श्रीमान हमारी सरकार को इन लोगों के हित में कुछ करना चाहिए।

श्रीमन् मैं प० बंगाल और त्रिपुरा के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। यहां तक कि आई० ए० एस० आई० पी० एस० जिला मजिस्ट्रेट तथा उप-मण्डलीय अधिकारियों का एक पार्टी द्वारा अनुचित उपयोग किया जा रहा है।

सभापति महोदय : आप आगे अपना भाषण कल दे सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया मुझे दो मिनट और दीजिए मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगी।

6.00 म० प०

मुझे आज कलकत्ता जाना है। आई० ए० एस०, आई० पी० एस० डी० एम० आदि सवर्ग के कुछ लोग उनके पक्ष में कार्य कर रहे हैं। उन्हें तटस्थ रहना चाहिए तथा केंद्र सरकार को चाहिए कि वह ऐसे निन्दात्मक टिप्पणी पारित करें जिससे वे तटस्थतापूर्वक कार्य करें। श्रीमान् क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य में वर्तमान स्थिति क्या है? गत माह मुझे पुलिस थाने में पीटा गया था। श्री हाल्दर सी० पी० एम० के० लोगों द्वारा पीटे गये तथा केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री की कार की सी० पी० एम० लोगों द्वारा क्षति पहुंचायी गयी। हमारे राज्य में बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन मारे जाते हैं। भारत के एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र में भी प्रबन्धतंत्र तथा अधिकारियों को राज्य में बैंकिंग व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए बाध्य किया जाता है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति हाथ से बाहर है। मैं समझती हूं कि त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न की गयी है। यदि आप भी कुछ नहीं कर सकते, तो हमें राज्य सरकार से भी सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। हमारे राज्य में गुण्डागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं इस विषय पर गौर फरमाने तथा प० बंगाल एवं त्रिपुरा की गंभीर स्थिति पर निगरानी रखने के लिए अनुरोध करूंगी। इन दो राज्यों में असामाजिक तत्व दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। त्रिपुरा में टी० एन० वी० के लोग निरपराध लोगों को नित्य मार रहे है। वहां केवल युवा कांग्रेस के लोग जनता की रक्षा कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी एवं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह इन दो राज्यों में जनता की रक्षा के लिए कुछ करें। हम अपने ही राज्य में असुरक्षित हैं। आज मैं कलकत्ता जा रही हूं। मैं नहीं जानती कि परसों मैं जिंदा रहूंगी या नहीं क्योंकि मैं अपने राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से अवगत हूं। अतः हमारी और हमारे देश की जनता की सुरक्षा करना इस सम्मानित सभा का दायित्व है।

6.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 11 अप्रैल 1986/21 चैत्र, 1908 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।